अध्याय-7

अनुतोष के प्रकरण

इस अध्याय में उन प्रकरणों का विवरण दिया जा रहा है जिनमें इस सचिवालय में प्राप्त परिवादों में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर परिवादी की उचित शिकायत का नियमानुसार निराकरण करवाते हुए उसे अनुतोष प्रदान करवाया गया है।

एफ.2(40)लोआस/2015

परिवादी श्री लक्ष्मीनारायण कलाल, निवासी अकलेरा, जिला झालावाड़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्रीमती जगन्नाथी बाई की खेत म. काम करते समय सांप के काटने से मृत्यु हो जाने पर राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, अकलेरा, जिला झालावाड़ द्वारा क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर ने पत्र दिनांक 3.8.2016 से अवगत करवाया कि कृषि उपज मण्डी समिति, अकलेरा द्वारा चैक संख्या 254352 दिनांक 29.6.2016 से आवेदनकर्ता श्री दीपकचन्द पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी अकलेरा को सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 24.8.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(293)लोआस/2011

श्री हिमांशु शर्मा निवासी प्लॉट नम्बर 23, शिल्प कॉलोनी, खातीपुरा रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में इलाके के भूमाफियाओं एवं खातेदारों की मिलीभगत से वैध आवण्टियों के भूखण्डों को खुर्द-बुर्द कर करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार बाबत पुलिस थाना, करधनी, जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 256/09, 290/09, 126/10 में अनुसंधान अधिकारी, श्री भगवान सहाय, पुलिस उप निरीक्षक द्वारा अभियुक्तों को लाभ पहुँचाने की शिकायत करते हुए जाँच करवाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाद जाँच दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(165)लोआस/2013

श्री शंभुदयाल मीणा पुत्र भंवरलाल मीणा निवासी ग्राम बीलखेड़ी, पोस्ट गोपालपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में श्री रामकिशन मीणा, कान्स्टेबल, बेल्ट संख्या 530 द्वारा वार्षिक आय 1,74,207.13/- रूपये होते हुए भी प्रमाणित शपथ-पत्र द्वारा अपने समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 40,000/- रूपये बतलाकर तहसीलदार, झालरापाटन से जारी करवाये गये गलत आय प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी पुत्री टीना मीणा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड़ से छात्रवृत्ति दिलवाये जाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, झालावाड़, जिला कलक्टर, झालावाड़ एवं निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर निदेशक, सामाजिक

न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि श्री रामकिशन मीणा की पुत्री टीना मीणा के नाम से छात्रवृत्ति हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि रामकिशन, कान्स्टेबल द्वारा गलत साक्ष्य पेश कर तहसीलदार, झालरापाटन से गलत आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से उसके विरूद्ध पुलिस थाना, झालरापाटन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 254/2015 में पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्ध धारा 198, 193 (2) व 196 भारतीय दण्ड संहिता के तहत नाकाबिल दस्तनदाजी अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 10.03.16 को न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(418)लोआस/2013

श्री सोहनलाल सरगरा निवासी पुष्कर, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी पुत्री हरप्रिया का अपहरण करने बाबत पुलिस थाना, पुष्कर में दर्ज प्रकरण संख्या 90/2012 में पुलिस द्वारा उसकी पुत्री को बरामद नहीं किये जाने तथा मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि हरप्रिया को दिनांक 3.1.2017 को बरामद कर लिया गया तथा आरोपी कानाराम उर्फ कन्हैया के विरूद्ध धारा 363, 366, 376, 344 व 120-बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध करना पाये जाने पर उसे दिनांक 5.1.2017 को गिरफ्तार किया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(16)लोआस/2014

श्रीमती इन्द्रा शर्मा निवासी डडवाडा, भीमगंज मण्डी थाने के पास, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उल्लेख किया गया कि गंगापुर सिटी स्थित पैतृक मकान पर उसकी तीन बहिनों व मृतक भाई नरेन्द्र के वारिसान का कब्जा था। उसके छोटे भाई धर्मेन्द्र उर्फ पप्पू द्वारा पिता की मृत्यु के बाद अपना हिस्सा मुद्रांक पेपर पर लिखित बेचान के जरिये दिनांक 27.03.2006 को उन्हें बेच दिया था। गोपालसिंह वगैरह द्वारा धर्मेन्द्र की मिलीभगत से मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लेने व सामान गायब कर देने पर पुलिस थाना, गंगापुर सिटी में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 848/2013 दर्ज करवाई गई। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी श्री राजकुमार, सहायक उपनिरीक्षक श्री रामसिंह, पुलिस निरीक्षक व श्री नरेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक द्वारा मुलजिमों से मिलीभगत कर उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने व अन्तिम नतीजा रिपोर्ट लगाने की धमकी दी गई।

परिवाद के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर व महानिरीक्षक पुलिस रेंज कार्यालय, भरतपुर ने अपनी रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया कि थानाधिकारी, पुलिस थाना, गंगापुर सिटी द्वारा परिवादी के प्रकरण में मुलजिम धर्मेन्द्र के विरूद्ध धारा 420 एवं 120-बी भारतीय दण्ड संहिता व मुलजिम गोपालसिंह, मोहनसिंह, सीताराम, नरेशचन्द व अलीमुद्दीन के विरूद्ध धारा 420, 448 व 120-बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(113)लोआस/2014

दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर, जयपुर के दिनांक 22.06.2014 के संस्करण में **''डी.जी. के आदेश पर भी नहीं जमा हुई घोटाले की राशि''** शीर्षक से प्रकाशित समाचार (जिसमें उल्लेख था कि एक वर्ष पूर्व होमगार्ड के तत्कालीन डी.जी. श्री कन्हैयालाल बैरवा ने दिनांक 05.07.13 को जारी आदेश में होमगार्ड के कई अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से विभाग से उठाये गये लाखों रूपये की राशि 21 दिन में वापस जमा करवाने तथा जमा न करवाने की स्थिति में कार्यवाही करने की चेतावनी देने के बाद भी राशि वापस जमा नहीं करवाई गई) के आधार पर इस सचिवालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

इस सम्बन्ध में महासमादेष्टा, गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब तक 522 होमगार्ड कार्मिकों में से 410 कार्मिकों से बकाया राशि की वसूली की जा चुकी है तथा शेष 112 कार्मिकों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इनमें से अधिकतर सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा कुछ कार्मिकों द्वारा माननीय न्यायालय में रिट याचिका पेश कर देने के कारण उनसे अभी वसूली नहीं हो सकी।

अतः प्रकरण में इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही उपरान्त प्रकरण में राशि वसूल हो जाने से पत्रावली दिनांक 08.08.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.3(536)लोआस/2014

श्री शिवराज शर्मा निवासी आर्दश नगर, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में एजेन्ट द्वारा उसके अल्प बचत खाते से जमा राशि निकाल लेने बाबत पुलिस थाना, शाहपुरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 175/2010 में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में बाद अनुसंधान मुलजिम बालमुकन्द के विरूद्ध धारा 467, 468, 471, 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 17.5.2016 को न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(604)लोआस/2014

श्रीमती सुमन शर्मा निवासी मकान नम्बर 31-ए, स्वेज फार्म, सोडाला, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके द्वारा पुलिस थाना, विद्याधर नगर, जयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 528/2014 के अनुसंधान अधिकारी श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त, शास्त्रीनगर, जयपुर द्वारा आरोपी का पक्ष लेते हुये उसे अपमानित करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, उत्तर जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में सहायक पुलिस आयुक्त, माणक चौक द्वारा किये गये अनुसंधान का सत्यापन अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, उत्तर से करवाये जाने पर आरोपी आदित्य श्रीवास्तव के विरूद्ध धारा 323, 341, 354 व 354-ख भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध

करना पाये जाने पर दिनांक 28.4.2016 को न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(639)लोआस/2014

श्री इकबाल मोहम्मद निवासी खेरूवाला, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में पुलिस थाना, सादुलशहर में दर्ज प्रकरण संख्या 184/2013 में चार अनुसंधान अधिकारियों द्वारा किये गये अनुसंधान में आरोपियों के विरूद्ध अपराध साबित पाये जाने के बाद भी आरोपियों के प्रभावशाली होने से उनके विरूद्ध चार्जशीट पेश नहीं करने व आठ माह से पत्रावली सी.आई.डी.(सी.बी.) राजस्थान, जयपुर में पड़ी होने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर अतिरिक्त महानिदेशक, सी.आई.डी.(सी.बी.), राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी द्वारा बार-बार परिवाद पेश किये जाने से प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी बदल कर अनुसंधान का सत्यापन करवाया गया तथा बाद अनुसंधान 22 मुलजिमों के विरूद्ध दिनांक 31.12.2015 को चार्जशीट पेश कर दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 12.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(192)लोआस/2015

श्री गिरीश चन्द शर्मा निवासी डी–55, समता नगर, श्रीगंगानगर रोड़, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम डिडवाना, तहसील लालसोट स्थित उसकी कृषि भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार करने बाबत् पुलिस थाना, लालसोट में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 667/2011, अन्तर्गत धारा 420 व 120–बी, भारतीय दण्ड संहिता में स्थानीय विधायक श्री शंकरलाल के दबाव में पुलिस द्वारा आरोपी रामगोपाल व उसके पुत्र राकेश को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बाद अनुसंधान मुलजिमान के विरूद्ध अपराध करना प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण में दिनांक 18.02.2016 को न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 03.06.2016 को नस्तीबद्ध कर दिया गया।

एफ.3(221)लोआस/2015

श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री माडुराम निवासी गहनकर, तहसील तिजारा, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी पुत्री कविता के साथ उसके ससुराल वालों द्वारा की गई मारपीट व इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने पर पुलिस थाना, तिजारा में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 504/2014 में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.05.2016 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण में अनुसंधान के बाद मुलजिम उमेश कुमार, सतीश कुमार व श्रीमती राजबाला के द्वारा अन्तर्गत धारा 498 ए एवं 406 भारतीय दण्ड

संहिता के अपराध करना पाये जाने पर उनके विरूद्ध दिनांक 20.04.2016 को चार्जशीट पेश की गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 22.06.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(264)लोआस/2015

श्री अजयकुमार मीणा निवासी शहराकर, तहसील टोडाभीम, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद में पंचायत चुनाव, 2015 में सरपंच पद की उम्मीदवार श्रीमती हेमा मीणा द्वारा नामांकन पत्र के साथ आठवीं कक्षा उत्तीर्ण की फर्जी अंकतालिका पेश किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस थाना, टोडाभीम में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 74/2015 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम से साँठ-गाँठ कर भारी रकम प्राप्त कर लेने व प्रकरण में अन्तिम नतीजा रिपोर्ट पेश करने के लिए आमादा होने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर पुलिस अधीक्षक, करौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुलजिम हेमा मीणा, उदयसिंह व छुट्टन लाल द्वारा अपराध करने के आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र पेश कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 18.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(273)लोआस/2015

दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, जयपुर के दिनांक 10.08.2015 के संस्करण में **''गली-गली में अवैध गैस गोदाम''** मुख्य शीर्षक एवं **''जिला**

रसद अधिकारी व तेल कम्पनियों की अनदेखी से एजेन्सी संचालकों के हौसले बुलन्द'' उप शीर्षक से प्रकाशित समाचार (जिसके अनुसार राजधानी में एल.पी.जी. गैस के अवैध गोदाम गली, मोहल्लों एवं मुख्य मार्गो पर 200 स्थलों पर बने हुए हैं। एजेन्सी संचालक अपने सिलेण्डर गोदाम पर रखते हैं, परन्तु उन्होंने गली मोहल्लों में डम्पिंग प्वाइंट बना रखे हैं, जिनमें किसी भी वाहन से लाकर 200 से 500 सिलेण्डर रख दिये जाते हैं। डम्पिंग प्वाइंट पर उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी नहीं होने के बावजूद निर्धारित छूट नहीं दी जाती है तथा उपभोक्ता सीधे ही डम्पिंग प्वाइंट से गैस आपूर्ति करवा रहे हैं आदि) के आधार पर इस सचिवालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर जिला रसद अधिकारी, जयपुर (प्रथम) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खुले में गैस सिलेण्डर पाये जाने पर सात गैस एजेन्सी संचालकों के विरूद्ध दर्ज करवाये गये प्रकरणों में उनकी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके द्वारा खुले में सार्वजनिक स्थानों पर गैस सिलेण्डर रखने पर रोक लगाई गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवाद का निराकरण हो जाने से प्रकरण दिनांक 20.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(298)लोआस/2015

श्री मुश्ताक निवासी वार्ड संख्या 19, चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उनके द्वारा पुलिस थाना, कोतवाली, चूरू में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 111/2013 में अनुसंधान पत्रावली सी.आई.डी. (सी.बी.) से वापस आ जाने पर भी कोतवाली पुलिस द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, चूरू, महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, बीकानेर व अतिरिक्त महानिदेशक सी.आई.डी.(सी.बी.), राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर पुलिस अधीक्षक, चूरू ने अपनी रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में 9 मुलजिमों द्वारा अन्तर्गत धारा 323, 325, 341 व 143 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया जाना प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरूद्ध दिनांक 30.5.2016 को न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(385)लोआस/2015

श्री अभिमन्यु विजय पुत्र श्री रामनरेश विजय निवासी चारभुजा मन्दिर के पीछे, पुरानी तहसील, मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उल्लेख किया गया कि दिनांक 11.06.2015 को जयपुर विद्युत् वितरण निगम लि. कार्यालय, मालपुरा में टेक्निकल हेल्पर के पद पर कार्य करते समय स्थानीय विधायक के रिश्तेदार द्वारा उसे तुरन्त विद्युत कनेक्शन हेतु एस्टीमेट लाने के लिये कहा गया। इस बारे में कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करने हेतु कहने पर उसके साथ लात-घूसों से की गई मारपीट बाबत पुलिस थाना, मालपुरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2015 में पुलिस द्वारा एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है व दूसरे आरोपी को विधायक के दबाव में गिरफ्तार नहीं किया गया है तथा उस पर राजीनामे के लिये दबाव डाला जा रहा है। परिवाद में आवश्यक कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, टोंक से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 30.04.2016 के अनुसार प्रकरण में किये गये अनुसंधान का

सत्यापन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टोंक से करवाने पर मुलजिम शंकर व ओमप्रकाश के विरूद्ध धारा 332 व 353 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध किया जाना पाये जाने पर दिनांक 25.04.2016 को न्यायालय में आरोप–पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 24.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(419)लोआस/2015

श्री मीठा लाल मीणा निवासी सूरजपुरा, तहसील एवं जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ग्राम पंचायत, सूरजपुरा के सरपंच का चुनाव लड़े जाने पर आरोपियों के विरूद्ध पुलिस थाना, सदर, दौसा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 83/2015 में मुलजिमों के प्रभाव में आकर अनुसंधान अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 83/2015 में पुलिस थाना, सदर, जिला दौसा द्वारा अनुसंधान के बाद मुलजिम सुनीता मीणा के विरूद्ध धारा 419 व 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध करना पाये जाने पर न्यायालय में आरोप–पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(484)लोआस/2015

श्री पदमचन्द अग्रवाल निवासी एफ 60, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके पैतृक मकान के भू–तल पर तोड़–फोड कर उसके भाई सतीश अग्रवाल व उसके पुत्र मोहित अग्रवाल द्वारा मकान की दीवारें निकाल देने से प्रथम मंजिल पर बड़ी–बड़ी दरारें आ जाने से जान माल का खतरा उत्पन्न होने तथा इस बारे में पुलिस थाना, अशोक नगर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर एवं नगर निगम, जयपुर को दिये गये परिवाद में कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण), नगर निगम, जयपुर व जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट माँगे जाने पर पुलिस उपायुक्त, जयपुर (दक्षिण) द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से अवगत करवाया गया कि गैरसायल सतीशचन्द अग्रवाल व मोहित अग्रवाल के विरूद्ध धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस्तगासा पेश कर उन्हें शांति बनाये रखने के लिये पाबन्द करवाया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में धारा 32/33 जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट के तहत का नोटिस दिये जाकर निर्माण कार्य बन्द करवा दिया गया ।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(496)लोआस/2015

श्री अतरसिंह निवासी महरावर, पुलिस थाना, कुम्हेर, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में दिनांक 01.08.2015 को हरवीर सिंह वगैरह द्वारा हमला कर उसके भाई भगवान सिंह की हत्या करने तथा अन्य लोगों को घायल कर देने पर पुलिस थाना, कुम्हेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 334/2015 में पुलिस द्वारा मुलजिमों के प्रभावशाली होने से अन्य

मुलजिमों को छोड़कर केवल गोविन्द सिंह को ही गिरफ्तार करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि मुलजिम हरवीर सिंह, वीरेन्द्रसिंह, विजय सिंह, हरदेव सिंह, धीरू, जयपाल सिंह, अजीत सिंह, नीरू व वीरू की गिरफ्तारी नहीं होने से उनके विरूद्ध पुलिस एक्ट की धारा 37 के अन्तर्गत गिरफ्तारी वारन्ट प्राप्त कर मफरूरी में अन्य मुलजिमों के साथ दिनांक 4.8.2016 को न्यायालय में आरोप-पत्र पेश कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(506)लोआस/2015

श्री मदनलाल बैरवा निवासी केथूदा, तहसील नैनवां, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में दिनांक 7.7.2015 को मुन्नालाल वगैरह द्वारा उसके साथ मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुँचाने बाबत पुलिस थाना, करवर में प्रस्तुत आवेदन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की माँग की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में पुलिस थाना, नैनवां में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 114/2015 दर्ज कर बाद अनुसंधान मुलजिम रामलाल व मुन्ना के विरूद्ध धारा 323 व 341/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 13.1.2016 को न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(533)लोआस/2015

श्री बंशी गुर्जर निवासी ग्राम सालगा वाली ढाणी, पोस्ट अचरोल, पुलिस थाना, चंदवाजी, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में श्रीमती अंजुम खान द्वारा बलात्कार बाबत पुलिस थाना, आमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 455/2015 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा षड़्यंत्र में शामिल दिनेश यादव, मुख्य आरक्षी, सी.आई.डी.(आई.बी) के पुलिस कर्मचारी होने से उसे छोड़कर केवल उसके पुत्र सीताराम व हरिनारायण मीणा को ही गिरफ्तार करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, उत्तर जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में मुलजिम सीताराम, हरिनारायण व दिनेश यादव के विरूद्ध धारा 376 एवं 120-बी, भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किया जाना पाये जाने पर इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप-पत्र पेश कर दिया गया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(557)लोआस/2015

श्री रामसिंह निवासी जीणगौर, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में दिनांक 29.08.2015 की रात्रि को उसके घर में घुसकर सुनील व सतपाल द्वारा उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किये जाने से पुलिस थाना, प्रागपुरा में दर्ज प्रकरण संख्या 420/2015 में थानाधिकारी द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर जिला ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी के प्रकरण में

अनुसंधान के बाद मुलजिम सतपाल व सुनील के विरूद्ध धारा 363, 366–ए, 376–डी, 457 व 120–बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 5/6 पोक्सो एक्ट का अपराध किया जाना पाये जाने पर मुलजिम सतपाल को गिरफ्तार कर एवं सुनील के गिरफ्तार नहीं होने से उसकी मफरूरी में न्यायालय में आरोप–पत्र पेश कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(598)लोआस/2015

श्री थानसिंह गुर्जर निवासी मच्छीपुरा, अमरगढ़ चौकी, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में हिम्मत सिंह वगैरह द्वारा उसके साथ की गई मारपीट बाबत पुलिस थाना, सदर, गंगापुर सिटी में दर्ज प्रकरण संख्या 184/2015 में मुलजिमों के प्रभाव से अनुसंधान अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण संख्या 184/2015 में बाद अनुसंधान मुलजिम यादवेन्द्र सिंह, हिम्मत सिंह व कालूसिंह के विरूद्ध धारा 323, 341/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 29.9.2016 को न्यायालय में आरोप–पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(615)लोआस/2015

श्री सुवालाल धानका निवासी पावटा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके मकान पर कब्जा कर लेने बाबत पुलिस थाना, प्रागपुरा में पेश रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण संख्या 465/2015 में पुलिस थाना, प्रागपुरा द्वारा अनुसंधान के बाद मुलजिम प्रकाश धानका व शीशराम धानका के विरूद्ध धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 25.11.2015 को न्यायालय मे आरोप-पत्र पेश कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(623)लोआस/2015

श्री रिंकु गोयल निवासी हरबक्स का मौहल्ला, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके मकान मालिक व पुत्रों द्वारा दिनांक 21.11.2015 की मध्य-रात्रि को उसके साथ की गई मारपीट बाबत पुलिस थाना कोतवाली, अलवर में प्रस्तुत परिवाद में मुलजिमों के प्रभावशाली होने के कारण पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि पुलिस थाना कोतवाली, अलवर में प्रकरण संख्या 348/2015 दर्ज कर मुलजिम गजेन्द्र शर्मा व जगदीश शर्मा के विरूद्ध अपराध किया जाना पाये जाने पर दिनांक 12.12.2015 को आरोप-पत्र न्यायालय में पेश कर दिया गया तथा धारा 107/116(3) दण्ड

प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर में इस्तगासा पेश कर उन्हें पाबन्द करवाया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(633)लोआस/2015

सुश्री सुगरी बानो निवासी ग्राम डण्डाली, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज प्रताड़ना व अमानवीय यातनाएँ देने बाबत पुलिस थाना, सिणधरी एवं पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को दिनांक 01.10.2015 को प्रस्तुत परिवाद में मुलजिमों के प्रभाव से पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण संख्या 166/2015 में बाद अनुसंधान मुलजिम यासीन खाँ के विरूद्ध धारा 498-ए व 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 08.02.2016 को न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(683)लोआस/2015

श्री रामचन्द्र प्रजापत निवासी चूण्डावत खेड़ी, पुलिस थाना फतहनगर, जिला उदयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी खातेदारी जमीन पर कब्जा करने बाबत दिनांक 28.05.2015 को पेश परिवाद पर थानाधिकारी, फतहनगर व पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ने अपनी रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण संख्या 153/2015 में पुलिस थाना, फतहनगर द्वारा अनुसंधान के बाद मुलजिम रामसिंह, रूपसिंह, शंकरसिंह, अभयसिंह, व भगवन्तसिंह के विरूद्ध आरोप साबित पाये जाने पर आरोप-पत्र तैयार कर दिनांक 04.09.2015 को न्यायालय में पेश किया गया। मुलजिमों के विरूद्ध धारा 107/116 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिनांक 08.10.2015 को इस्तगासा कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मावली के समक्ष पेश कर उन्हें पाबन्द करवाया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(714)लोआस/2015

श्री सुखदेवसिंह जाट निवासी झटावा कला, पोस्ट मलसीसर, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में डॉक्टर मनोज बुढानिया व अन्य व्यक्तियों द्वारा दिनांक 5.1.2016 को रात्रि के समय उसके निवास पर आकर मारपीट कर उसका अपहरण करके डॉक्टर ममता के आवास में दिनांक 07.01. 2016 तक बंदी बनाकर रखे जाने व मोटर साइकिल छीन लेने बाबत पुलिस थाना, मण्डेला में पेश परिवाद पर थानाधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 13/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान मुलजिम श्रीमती कमला, हनुमान व जयनारायण के विरूद्ध धारा 323 व 341/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(760)लोआस/2015

श्रीमती नीलम निवासी गिडानिया, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके जेठ-जेठानी व उनके पुत्रों द्वारा उसके साथ मारपीट करने बाबत पुलिस थाना, चिड़ावा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 476/2015 में अनुसंधान अधिकारी श्री ओमप्रकाश, सहायक उप निरीक्षक द्वारा मुलजिमों के प्रभाव से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण संख्या 476/2015 में पुलिस थाना, चिड़ावा द्वारा आरोपी रोहताश व संतोष देवी के विरूद्ध धारा 323 व 341/34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने पर आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(784)लोआस/2015

श्री जगदीश सिंह निवासी धौलादांता, तहसील मसूदा, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी मोटर साइकिल जला देने बाबत पुलिस थाना, मसूदा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 259/2015 में अनुसंधान अधिकारी शैतानसिंह, सहायक उप निरीक्षक द्वारा आरोपी से रिश्वत लेकर उसे बचाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया कि प्रकरण में मुलजिम साजन के विरूद्ध बाद अनुसंधान धारा 435 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 28.11.2015 को न्यायालय में आरोप-पत्र पेश कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(826)लोआस/2015

सुश्री सीमा कुमावत निवासी मणकसास, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके खातेदारी की 10 बीघा जमीन पर गाँव के सरपंच परिवार के सदस्य श्री रामकुमार गुर्जर द्वारा दिनांक 06.01.2016 को अतिक्रमण कर दो कच्चे मकान बना लेने बाबत पुलिस थाना, उदयपुरवाटी में दर्ज परिवाद पर कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण संख्या 27/2016 में पुलिस थाना, उदयपुरवाटी द्वारा बाद अनुसंधान मुलजिम रामकुमार व रामपाल के विरूद्ध धारा 143, 323 व 365/511 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने पर न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया। मुलजिमों द्वारा अवैध बजरी खनन करने बाबत दर्ज अन्य प्रकरण संख्या 4/2016 में भी बाद अनुसंधान अपराध करना साबित पाये जाने पर आरोपियों के विरूद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(827)लोआस/2015

श्री प्रभुलाल धाकड़ निवासी दौलाड़ा, तहसील व जिला बून्दी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी खातेदारी भूमि का दिनांक 17.2.2016 को तहसीलदार के आदेश से सीमा ज्ञान करवाने के उपरान्त श्री दयाराम राठौड़ द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा कर चाय की थड़ी लगा लेने की शिकायत करते

हुए पुलिस की मदद से उसकी भूमि पर पक्की दीवार बनवाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि परिवादी की खातेदारी भूमि पर लगाई गई चाय की थड़ी को हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(880)लोआस/2015

श्री विनोद जांगिड़ निवासी पचार वाया कालवाड़, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में बुद्धिप्रकाश वगैरह द्वारा दिनांक 7.1.2016 को उसे व उसके भाई को रोककर मारपीट करते हुए 1600/- रूपये छीन लेने बाबत पुलिस थाना, करधनी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 311/2016 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमों के प्रभाव से उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पश्चिम) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में बाद अनुसंधान मुलजिम बुद्धिप्रकाश व सत्यप्रकाश के विरूद्ध धारा 323, 325 व 341 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दिनांक 08.06.2016 को न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(143)लोआस/2016

श्री अमित कुमार खर्रा निवासी भारणी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके मोबाइल फोन की चोरी बाबत पुलिस थाना,

सिन्धीकैम्प, जयपुर में दिनांक 11.03.2016 को प्रस्तुत परिवाद पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पश्चिम) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण की जाँच के दौरान ही मोबाइल फोन मिल जाने पर पुलिस थाना, सिंधीकैम्प, जयपुर द्वारा इसे परिवादी को सुपुर्द कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(175)लोआस/2016

श्री संजीत सिंह निवासी श्योपुरा, पुलिस थाना डीग, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में दिनांक 30.3.2016 को उसके माता-पिता के साथ की गई मारपीट बाबत पुलिस थाना, डीग में दर्ज प्रकरण संख्या 156/2016 में अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में बाद अनुसंधान मुलजिम प्रेमचन्द, देवी सिंह व मुन्नी देवी के विरूद्ध धारा 323, 325, 341 व 304 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने से न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(184)लोआस/2016

श्री कृष्णलाल रैगर निवासी रैगर मौहल्ला, शिवबाड़ी, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके मृतक पुत्र की पत्नी पूजा द्वारा अपने माता-पिता के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक उसके विरूद्ध पुलिस थाना, सरदार शहर में

दर्ज प्रकरण संख्या 129/2016 में पुलिस द्वारा उसे परेशान करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में बाद अनुसंधान मामला झूठा पाये जाने पर अन्तिम नतीजा रिपोर्ट पेश की गई तथा पुलिस द्वारा परिवादी को परेशान किये जाने के आरोप सही नहीं पाये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(236)लोआस/2016

सुश्री मीरा मेघवाल निवासी शिल्पा कॉलोनी, डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके द्वारा पुलिस थाना, डूंगला में अपने पति व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद के आधार पर आरोपियों के प्रभाव में उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 97/2016 पुलिस थाना, डूंगला में दर्ज कर बाद अनुसंधान मुलजिम मगनीराम के विरूद्ध धारा 498-ए व 406 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 19.8.2016 को आरोप-पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(290)लोआस/2016

श्री दौलतराम डांगी निवासी विलोता, पुलिस थाना, देलवाडा, जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत परिवाद में फर्जी मुख्त्यारनामा के आधार पर

उसकी कृषि भूमि का विक्रय कर देने बाबत पुलिस थाना, देलवाड़ा में दर्ज प्रकरण संख्या 66/2016 में पुलिस द्वारा मुलजिमों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द ने रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया कि प्रकरण में बाद अनुसंधान 7 आरोपियों के विरूद्ध धारा 420 467, 468 व 471 सपठित 120बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 28.12.2016 को न्यायालय मे आरोप-पत्र पेश किया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(325)लोआस/2016

श्री कैलाशचन्द अग्रवाल निवासी फतहनगर, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में डबोक टोल नाका के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 11.7.2016 को उसके परिवार के साथ की गई मारपीट व लूटपाट बाबत पुलिस थाना, डबोक में दर्ज प्रकरण संख्या 143/2016 में पुलिस द्वारा मुलजिमों के प्रभाव से कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में बाद अनुसंधान 9 मुलजिमों के विरूद्ध धारा 143, 341, 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 31.7.2016 को न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया। मुलजिमों को धारा 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत गिरफ्तार कर इस्तगासा न्यायालय में पेश कर उन्हें छः माह के लिये पाबन्द करवाया गया ।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(397)लोआस/2016

श्री शमशेर सिंह सुथार निवासी खारी सुरेरा, तहसील ऐलनाबाद, जिला सिरसा, हरियाणा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दिनांक 14.7.2016 को सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु बाबत पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 334/2016 में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में बाद अनुसंधान मुलजिम डूंगरसिंह के विरूद्ध धारा 279 व 304-ए भारतीय दण्ड संहिता व मोटरयान अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध करना पाये जाने पर न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(444)लोआस/2016

श्री योगेश कुमार यादव निवासी कांकर छाजा, पुलिस थाना बहरोड़, जिला अलवर, हाल 7वीं बटालियन, भटिण्डा, पंजाब द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके पड़ौसियों द्वारा उसके पैतृक निवास में घुसकर उसके माता-पिता के साथ मारपीट करने बाबत पुलिस थाना, बहरोड़ में दर्ज प्रकरण संख्या 448/2016 में मुलजिमों के प्रभाव से पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोपी

भैरोसिंह, सत्यवीर, अनोखी देवी व मगनी देवी के विरूद्ध धारा 323, 354 व 452 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध करना पाये जाने पर दिनांक 27.10.2016 को न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.3(542)लोआस/2016

श्री खेतपाल भाट निवासी 36 जी.बी., श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके परिवार के सदस्यों द्वारा काश्तकार अमरीक सिंह के खेतों पर की गई मजदूरी का भुगतान नहीं होने बाबत पुलिस थाना, विजयनगर में प्रस्तुत परिवाद में थानाधिकारी द्वारा अप्रार्थी से अवैध राशि प्राप्त कर कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अवगत करवाया गया कि थानाधिकारी, विजयनगर द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर राजीनामा करवा दिया गया, जिससे परिवादी ने आगे कोई कार्यवाही करवाना नहीं चाहा।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.4(4)लोआस/2015

परिवादी श्री भरतलाल शर्मा, सेवानिवृत्त पटवारी, निवासी शिव कॉलोनी, बयाना, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनकी पश्नर डायरी म. संयुक्त फोटो पर उप कोषाधिकारी की मुहर पर हस्ताक्षर नहीं होने के कारण सहकारी उपभोक्ता भण्डार, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर की दुकान नम्बर 4, 5 व 6 द्वारा दवा/एन.ए.सी. नहीं देने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर ने अवगत करवाया कि सहकारी उपभोक्ता संघ के विक्रेता द्वारा नियमों/दिशा-निर्देशा. की पालना म. परिवादी को दवा/एन.ए.सी. नहीं दी गई। जिला कलेक्टर, भरतपुर ने पत्र दिनांक 1.9.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी पशनर के संयुक्त फोटोग्राफ पर उप कोषालय, बयाना की सील पर सहवन से हस्ताक्षर रह गए थे। अब पशनर की समस्या का समाधान उप कोषाधिकारी, बयाना द्वारा दिनांक 27.4.2015 को किया जा चुका है तथा परिवादी भी इससे पूरी तरह सन्तुष्ट है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 17.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.4(6)लोआस/2016

परिवादी श्री हिम्मत सिंह, निवासी ग्राम खैरोरा, पोस्ट लखनपुर, तहसील वैर, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम सेवा सहकारी समिति, उमरैड़ से अपने बैंक खाता. का ब्यौरा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 08.09.2016 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी को उसके खाते के ब्यौरा. की जानकारी प्रदान कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(120)लोआस/2013

परिवादी श्री मोहन सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य, न्यू आदर्श कॉलोनी, चांदपोल के पास, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनकी सेवानिवृत्ति पश्चात् परिलाभों का भुगतान न होने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. संयुक्त शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पत्र दिनांक 12.8.2016 द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अवगत कराया कि परिवादी को स्थाई पज्ञन तथा ग्रेच्युटी की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 21.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(161)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री किशनचन्द, 20/212, आर्य समाज की गली, ब्यावर, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके पति श्री किशनचन्द लोहना की अध्यापक पद से दिनांक 31.7.07 को सेवानिवृत्ति पश्चात् दिनांक 17.3.2008 को निधन हो जाने पर देय पज्ञन एवं अन्य परिलाभा. का भुगतान आज तक शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर ने पत्र दिनांक 4.11.15 तथा 18.01.16 द्वारा अवगत करवाया कि कार्मिक स्वर्गीय श्री किशनचन्द लोहना की पत्नी श्रीमती रूकमणी देवी को वेतन स्थिरीकरण एवं उपार्जित अवकाश की समस्त बकाया राशि का भुगतान दिनांक 3.11.2015 को कर दिया गया है। साथ ही पज्ञन विभाग द्वारा संशोधित पी.पी.ओ., जी.पी.ओ. एवं सी. पी.ओ. जारी किए जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 5.7.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(168)लोआस/2014

परिवादी श्री प्रेम प्रकाश सनाढ्य, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक, निवासी कीरो की ढाल, कांकरोली, जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके राजकीय यात्रा व्यय की राशि 24,000/-रूपए का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, राजसमन्द ने पत्र दिनांक 19.10.2016 से अवगत करवाया कि श्री प्रेम प्रकाश सनाढ्य, सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ओडा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द को यात्रा व्यय राशि 24,574/- रूपए का भुगतान दिनांक 7.10.2016 को कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 20.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(43)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती सुधा श्रीवास्तव, आदर्श कॉलोनी, वर्षा ऋतु गली, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके अध्यापिका, राजकीय माध्यमिक विद्यालय लखासर, जिला बीकानेर के पद से दिनांक 31.10.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के बावजूद भी उसे शिक्षा विभाग द्वारा पशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन का बकाया भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 27.7.2016 से अवगत करवाया कि श्रीमती सुधा श्रीवास्तव को पशन ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन के बकाया का भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 19.8.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(84)लोआस/2015

परिवादी श्री गणेश शर्मा, वार्ड नम्बर 44, तारानगर रोड़, चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके पिता स्वर्गीय श्री जयदेव शर्मा की सेवापुस्तिका की प्रति श्री जग्गू सिंह चारण, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चूरू द्वारा नहीं दिए जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चूरू ने पत्र दिनांक 17.11.2015 से अवगत करवाया कि कार्मिक की प्रश्नगत सेवा पुस्तिका पशन विभाग, बीकानेर से पत्र दिनांक 24.7.2015 लिखे जाने के उपरान्त भी प्राप्त नहीं हुई है। तत्पश्चात् इस क्रम म. अतिरिक्त निदेशक, पशन एवं पशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 22.8.2016 से अवगत करवाया कि कार्मिक स्वर्गीय श्री जयदेव शर्मा की सेवा पुस्तिका राजकीय गोयनका उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूरू को भिजवाई जा चुकी है। उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध म. परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को इस सचिवालय म. दिनांक 10.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(91)लोआस/2015

परिवादी श्री हेतराम ग्राम पोस्ट बैजुवा, तहसील राजगढ़, जिला चूरु द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बैजुवा के खेल मैदान की भूमि से अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ म. जिला कलेक्टर, चुरू ने पत्र दिनांक 29.9.2016 द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम बैजुवा के खेल मैदान के चारों ओर 5 फीट ऊँची दीवार बनी हुई है। इस चारदीवारी के अन्दर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं है। शिकायतकर्ता को मौके पर बुलाया गया व ग्रामवासियों द्वारा 9 सदस्यों की टीम बनाकर भविष्य म. अतिक्रमण नहीं होने देने के संबध म. निर्णय लिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 3.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(101)लोआस/2015

परिवादी श्री भंवरलाल श्रीमाल, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, गांव कानादेव का गुड़ा, कांकरोली, जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उन्हें पशन व अन्य देय परिलाभों का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 25.2.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी श्री भंवरलाल श्रीमाल के पशन प्रकरण का निस्तारण कर पी.पी.ओ व जी.पी.ओ. जारी किए जा चुके हैं। साथ ही श्रीमाल के व्यक्तिगत खाते में पशन से सम्बन्धित समस्त राशि भी जमा हो चुकी है तथा अब कोई राशि बकाया नहीं है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 20.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(104)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती सरस्वती माथुर, सेवानिवृत्त अध्यापिका, निवासी प्लाट नम्बर 16, सुन्दर नगर, पुष्कर रोड़, कोटड़ा, अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अजमेर ने पत्र दिनांक 23.08.2016 द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती सरस्वती माथुर को बकाया वेतन वृद्धि राशि, यात्रा भत्ता बिल एवं पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 02.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(117)लोआस/2015

परिवादी श्री शिवसिंह, निवासी सारण का खेड़ा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सारण का खेड़ा के खेल मैदान की भूमि से अतिक्रमण हटवाने की प्रार्थना की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 8.12.2015 से अवगत करवाया कि अतिक्रमण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सारण का खेड़ा के खेल मैदान पर न होकर विद्यालय भवन के पूर्व म. स्थित खाली भूखण्ड पर है, जो ग्राम पंचायत का है। इस अतिक्रमण को हटाने का दायित्व प्रशासन का है।

इस अनुक्रम म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने पत्र दिनांक 26.2.2016 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर श्री शंकर सिंह व श्री मूल सिंह का अतिक्रमण पाया गया, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा हटवाया जाकर भूखण्ड पर ग्राम पंचायत की सम्पत्ति का बोर्ड लगवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 10.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(175)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती उमादेवी, सेवानिवृत्त अध्यापिका, निवासी मुणोत कॉलोनी, नेहरू गेट बाहर, ब्यावर, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नयाखेड़ा, जिला अजमेर के कार्यकाल वर्ष 2011-12 की उनकी आयकर कटौती राशि 8200/- रूपए शिक्षा विभाग द्वारा गलत खाते म. जमा करा देने से उन्ह. आयकर विभाग का नोटिस मिलने की शिकायत करते हुए उक्त राशि को विभाग स्तर से सही खाते म. जमा करवाये जाने की प्रार्थना की है।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 3.6.2016 से अवगत करवाया कि श्रीमती उमादेवी के आयकर खाता संख्या म. संशोधन कर दिया गया है तथा सही खाता संख्या AAJV1287H म. आयकर राशि अंकित/ समायोजित करा दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 10.06.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(185)लोआस/2015

परिवादीगण समस्त तृतीय श्रेणी शिक्षक द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती वर्ष 2012 के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षका. का वेतन नियमितीकरण व स्थायीकरण की प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 08.06.2016 द्वारा अवगत करवाया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती वर्ष 2012 के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षका. म. से दो वर्ष का संतोषजनक परिवीक्षाकाल पूर्ण कर लेने वाले शिक्षका. का स्थायीकरण करते हुए, उन्ह. नियमित वेतन श्रृखंला दे दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(196)लोआस/2015

परिवादी श्री रामनिवास बंजारा, ग्राम पोस्ट बापी, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा, 2010 की दसवीं कक्षा का परिणाम बोर्ड द्वारा घोषित नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ने पत्र दिनांक 11.8.2016 द्वारा अवगत करवाया कि परीक्षा परिणाम समिति की अनुशंसानुरूप परिवादी श्री रामनिवास बंजारा का माध्यमिक परीक्षा, 2010 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा परिवादी श्री रामनिवास बंजारा नामांक 311470 की अंक तालिका की छाया प्रति भी इस सचिवालय को पत्र दिनांक 20.10.2016 से प्रेषित की गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 28.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(204)लोआस/2015

परिवादी श्री अनिल कुमार शर्मा, मकान नम्बर 547/26, पत्थर वाली गली, रामगंज, अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनकी पत्नी श्रीमती यज्ञवती का राजकीय सेवा म. रहते हुए निधन हो जाने पर प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पल्टन बाजार, अजमेर से अदेयता प्रमाण पत्र दिलाये जाने बाबत प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ म. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर ने पत्र दिनांक 22.09.16 द्वारा अवगत कराया कि स्वर्गीय श्रीमती यज्ञवती, अध्यापिका के संबंध म. शाला प्रधान द्वारा अदेयता प्रमाण जारी कर दिया गया है एवं श्री अनिल कुमार को नियमानुसार सभी पशन परिलाभों का भुगतान किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 17.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(6)लोआस/2016

परिवादी श्री जयलाल मीणा, सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, निवासी ग्राम तलावडा, तहसील गंगापुरसिटी द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नारायणपुर टटवाड़ा से उनके सेवानिवृत्त होने के बाद बकाया वेतन का भुगतान दिलवाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, सवाई माधोपुर ने पत्र दिनांक 18.07.16 द्वारा

अवगत कराया कि परिवादी श्री जयलाल मीणा के बकाया सभी परिलाभों का भुगतान कर दिया गया है। परिवादी को नियमित पशन स्वीकृत की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 09.09.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(25)लोआस/2016

परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खिजुरी, रूपवास, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर से न्यायालय आदेश की पालना म. वेतन स्थिरीकरण की रिकवरी राशि दिलाये जाने बाबत निवेदन किया गया।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. उप निदेशक (सतर्कता), प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर ने पत्र दिनांक 08.12.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को वेतन स्थिरीकरण की रिकवरी राशि रुपये 69,541/- का भुगतान कोषाधिकारी, रूपवास के माध्यम से करा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 20.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(57)लोआस/2016

परिवादिया श्रीमती मनीषा पत्नी स्वर्गीय श्री प्रवीण कुमार, गांव रढ़ड़ी, वाया सोजत रोड़, जिला पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके पति श्री प्रवीण कुमार की तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर दिनांक 15.1.2008

को नियुक्ति होने के बाद कार्यरत रहते हुए दिनांक 28.4.2009 को मृत्यु हो जाने पर उनकी पशन आदि स्वीकृत किए जाने बाबत आवेदन को शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 27.7.2009 को निरस्त करने की शिकायत करते हुए उन्हें राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.12(8)एफडी(रूल्स) /2008 दिनांक 9.5.2013 के तहत नवीन पशन स्कीम (NPS) के अन्तर्गत परिवीक्षाधीन सरकारी कार्मिक की मृत्यु पर देय पशन व अन्य सरकारी आर्थिक लाभ दिलवाए जाने का निवेदन किया था।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने प्रकरण की विषयवस्तु के तथ्या. को स्पष्ट करने के उपरान्त अन्ततः पत्र दिनांक 8.12.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी श्रीमती मनीषा के मामले म. पी.पी.ओ. नम्बर 8100124(R) SF NPS के तहत पारिवारिक पशन राशि 3025 रूपए स्वीकृत की जा चुकी है तथा जी.पी.ओ. नम्बर 8300167 के तहत राशि 53,700 रूपए के अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 27.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(73)लोआस/2016

परिवादिया श्रीमती पुष्पलता शर्मा, सेवानिवृत्त अध्यापिका, निवासी पुष्प कुटीर, महादेव कॉलोनी, जलचक्की रोड़, कांकरोली, जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनकी वेतनमान 6500-10500 के तहत संशोधित पशन स्वीकृत नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 21.11.2016 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी श्रीमती पुष्पलता शर्मा का संशोधित पशन प्रकरण

पश्ान विभाग द्वारा निस्तारित कर दिनांक 18.10.16 को संशोधित पी.पी. ओ. जारी किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 2.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(84)लोआस/2016

परिवादी श्री जसराम मीना, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, निवासी ग्राम पोस्ट झालाटाला, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके वर्ष 2008 म. वी.आर.एस. लेने पर पश्ान स्वीकृति बाद देय 01.01.06 के वेतन स्थिरीकरण हेतु पश्ान विभाग द्वारा उनकी सर्विस बुक 2013 म. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अलवर को भिजवा देने के बावजूद वेतन स्थिरीकरण नहीं करने की शिकायत करते हुए कि उक्त वेतन स्थिरीकरण कराये जाने की प्रार्थना की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 21.11.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी श्री जसराम मीना के वेतन स्थिरीकरण से सम्बन्धित प्रकरण का दिनांक 7.11.2016 को निस्तारण कर दिया गया है। तत्पश्चात् इस अनुक्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अलवर ने पत्र दिनांक 1.2.2017 से अवगत करवाया कि वेतन स्थिरीकरण एरियर बिल दिनांक 27.01.2017 को तैयार किया जा चुका है जिसका बजट प्राप्त होते ही परिवादी श्री जसराम मीना को भुगतान कर दिया जायेगा।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को अन्तिम रूप से नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(106)लोआस/2016

परिवादी श्री कैलाशचन्द योगी, सुभाष विद्या मन्दिर सैकण्डरी स्कूल, रामनगर, कोटखावदा, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सुभाष विद्या मन्दिर सैकण्डरी स्कूल, रामनगर, कोटखावदा, को मान्यता दिलवाये जाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने पत्र दिनांक 13.01.2017 द्वारा अवगत कराया कि सुभाष विद्या मन्दिर सैकण्डरी स्कूल, रामनगर, कोटखावदा को मान्यता प्रदान कर दी गई है। सत्र 2016–17 म. गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने संबधी कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार ऑनलाइन करने से मान्यता देने म. विलम्ब हुआ है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 19.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(115)लोआस/2016

परिवादिया श्रीमती सुनिता कुमावत, सचिव, स्वस्ति शिक्षण संस्थान, ग्राम पोस्ट मैणांस, पंचायत समिति, नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके शिक्षण संस्थान को प्राथमिक विद्यालय की मान्यता नहीं दिए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 9.2.2017 से अवगत करवाया कि उनकी संस्था को पूर्व म. विभागीय नियमों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन सत्र 2016–17 म. संस्था द्वारा समस्त आक्षेपों की पूर्ति किए जाने पर निरीक्षण पैनल दल की अभिशंसा पर संस्था के मान्यता संबंधी आदेश दिनांक 28.11.2016 को जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 15.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(116)लोआस/2016

परिवादिया सुश्री स्वाति मीणा, बी-80, अम्बेडकर नगर, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. राजस्थान ग्रामीण बैंक तथा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा-प्रथम, अलवर की लापरवाही के कारण, उसे गार्गी पुरस्कार की राशि 5000 रूपये के चैक का भुगतान नहीं होने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक-प्रथम, अलवर ने पत्र दिनांक 18.1.2017 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत गार्गी पुरस्कार राशि का भुगतान पूर्व वर्ष से सम्बन्धित था। इसलिए सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, राजस्थान, जयपुर से अनुमति प्राप्त कर परिवादी/छात्रा स्वाति मीणा को जरिए चैक दिनांक 11.1.2017 राशि 5000 रूपए का भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 9.2.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.5(137)लोआस/2016

परिवादी श्री सुख सिंह, निवासी बोरण्डी, पोस्ट पारसोली, तहसील बड़ीसादड़ी, जिला चित्तौडगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसकी पुत्री की विद्यार्थी सुरक्षा योजना के तहत दुर्घटना बीमा क्लेम राशि 6 माह बाद भी नहीं मिलने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ने पत्र दिनांक 08.03.2017 द्वारा अवगत करवाया कि सुश्री टीना रावत पिता श्री सुख सिंह रावत के दुर्घटना बीमा क्लेम प्रकरण म. स्थानीय कार्यालय से पूर्ति उपरान्त राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, चित्तौडगढ़ द्वारा क्लेम राशि परिवादी के बैंक खाते म. जमा करवा दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(21)लोआस/2015

परिवादी श्री छुट्टन लाल महावर, निवासी ग्राम खेड़ली, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. राशन डीलर, श्री धर्मेन्द्र गुप्ता द्वारा चीनी, केरोसिन एवं ए.पी.एल. के गेहूं की कालाबाजारी करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 27.10.16 द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री धर्मेन्द्र गुप्ता, राशन डीलर की तहसीलदार एवं प्रवर्तन निरीक्षक, बामनवास की संयुक्त टीम से जांच कराये जाने पर अनियमितता पाई गई। राशन डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए पुलिस थाना, बामनवास म. मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(34)लोआस/2015

परिवादी श्री विद्याधर जाट, ग्राम भामासी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जिला रसद अधिकारी, चूरू के विरूद्ध ग्राम

भामासी की राशन दुकान एक से डेढ़ किलोमीटर दूर गोचर भूमि म. होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन सामग्री लाने म. आ रही परेशानियों बाबत शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ में इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला कलेक्टर, चूरू ने पत्र दिनांक 8.8.2016 से अवगत करवाया कि राशन डीलर द्वारा ग्रामवासियों की सुविधानुसार सार्वजनिक स्थान पर राशन सामग्री वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है तथा राशन डीलर द्वारा अतिक्रमण कर बनाई गई दुकान बाबत अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत पत्रावली तैयार कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 19.8.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(50)लोआस/2015

परिवादी श्री दिलीप सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम मच्छीपुरा, पोस्ट बूचोलाई, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री पूरणमल गुर्जर, राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री की कालाबजारी किए जाने के कारण, उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने तथा उसके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रार्थना की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय के पत्र के क्रम में जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने पत्र दिनांक 19.7.2016 से अवगत करवाया कि श्री पूरणमल गुर्जर, उचित मूल्य दुकानदार को दोषी पाए जाने पर उसकी सम्पूर्ण जमाशुदा प्रतिभूति राशि 1000/- रूपए समपहरण कर उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 27.6.2016 को निरस्त कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस पत्रावली को दिनांक 3.8.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(56)लोआस/2015

परिवादी श्री मोती लाल मेघवाल, निवासी सूमर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसे बी.पी.एल. सूची म. चयनित कर राशन कार्ड बनवाये जाने की प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ म. जिला कलेक्टर, झालावाड़ से प्राप्त पत्र दिनांक 14.09.2016 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री मोती लाल मेघवाल पुत्र श्री लटूर लाल को बी.पी.एल. सूची म. चयनित कर लिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(66)लोआस/2015

परिवादी श्री मटरसिंह जाट, निवासी जनूथर, तहसील डीग, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उचित मूल्य दुकानदार श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा जिला रसद अधिकारी, भरतपुर की मिलीभगत से खाद्य सुरक्षा, बी.पी.एल. व अन्नपूर्णा कार्डधारियों को राशन वितरण न कर राशन सामग्री की कालाबाजारी किए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 15.6.2016 से अवगत करवाया कि शिकायत सही पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी, भतरपुर के स्तर पर अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही करते हुए उचित मूल्य दुकानदार श्री ओमप्रकाश शर्मा की जमाशुदा प्रतिभूति राशि 1000 रूपए

जब्त सरकार की जाकर, श्री शर्मा के प्राधिकार पत्र को दिनांक 17.5.16 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही श्री ओमप्रकाश शर्मा के विरूद्ध अभियोजन कार्यवाही हेतु पुलिस थाना, डीग म. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 294/2016 दर्ज कराई गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 11.7.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(74)लोआस/2015

परिवादी श्री शिवचरण अवस्थी, 158, वार्ड नम्बर 4, सेढ के मढ के पास, बाल विद्या मंदिर, खेरली, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा श्री कैलाश मीणा, उचित मूल्य दुकानदार, बहरामपुर, तहसील कठूमर, जिला अलवर से सुविधा शुल्क लेकर उसके द्वारा की गई अनियमितताओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला कलेक्टर, अलवर ने पत्र दिनांक 14.10.2016 द्वारा अवगत करवाया कि श्री कैलाश चन्द मीणा, उचित मूल्य दुकानदार बहरामपुर, तहसील कठूमर, जिला अलवर द्वारा बार-बार निर्देशित करने के बावजूद भी जांच हेतु कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने पर उक्त उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र दिनांक 18.10.2016 को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही उचित मूल्य दुकानदार की जमा समस्त प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 28.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(76)लोआस/2015

परिवादी श्री बच्चू सिंह, निवासी नागरहेड़ा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उचित मूल्य दुकानदार, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति नागरहेड़ा, खेड़ली, जिला सवाई माधोपुर द्वारा जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर तथा उपखण्ड अधिकारी, बामनवास की मिलीभगत से राशन सामग्री की कालाबाजारी करने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने पत्र दिनांक 18.7.2016 द्वारा अवगत करवाया कि उक्त समिति के व्यवस्थापक श्री देवीसिंह द्वारा 21 किलोग्राम चीनी, 2.55 क्विंटल खाद्यान्न तथा 190 लीटर केरोसीन तेल का दुरूपयोग करना पाया जाने पर उससे उक्त सामग्री के बाजार भाव से क्रमशः 452/-, 3,494/- व 5,700/- कुल राशि 9,646/- रूपए की वसूली कर ली गई है। साथ ही प्राधिकार पत्र बाबत जमा प्रतिभूति राशि 250/- रूपए का समपहरण किया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 26.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(77)लोआस/2015

परिवादी श्री लालाराम जाटव पुत्र श्री रामलाल, ग्राम हाजीपुर, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. राशन डीलर श्री जोगेन्द्र सिंह जाट द्वारा राशन सामग्री नहीं देने की शिकायत जिला रसद अधिकारी, अलवर व उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ को करने पर कोई कार्यवाही न होने से प्रकरण की जांच कर समस्या का निवारण करने की मांग की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला कलेक्टर, अलवर ने पत्र दिनांक 30.08.2016 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पंचायत खुडियाना एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार श्री जोगेन्द्र सिंह को हटाकर वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए श्री पप्पू राम सैन, उचित मूल्य दुकानदार को राशन वितरण हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 06.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(13)लोआस/2016

परिवादी श्रीदास मीणा एवं अन्य, निवासी भारजा नदी, तहसील व जिला सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम पंचायत मलारना डूँगर के उचित मूल्य दुकानदार श्री भरतलाल द्वारा उसका खाद्य सुरक्षा सूची म. नाम होने के उपरान्त भी उसे राशन सामग्री नहीं दिए जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्र के क्रम म. जिला रसद अधिकारी, सवाई माधोपुर ने पत्र दिनांक 5.7.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी को अब तक की समस्त राशन सामग्री वितरित कर दी गई है। इस क्रम म. परिवादी ने भी अब उक्त उचित मूल्य दुकानदार श्री भरतलाल मीना से कोई शिकायत नहीं होना प्रकट किया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 3.8.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.7(33)लोआस/2016

परिवादी श्री हाकम सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 42, सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. राशन डीलर श्री पवन कुमार, दुकान संख्या 40 द्वारा राशन सामग्री वितरण म. की जा रही अनियमितताओं की शिकायत जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष करने पर कोई कार्यवाही न होने से अनियमितताओं की जांच करवाकर कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया।

इस संदर्भ म. जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 29.09.16 से अवगत कराया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक, हनुमानगढ़ से जांच कराने पर राशन दुकान की व्यवस्था संतोषप्रद पायी गई। परिवादी ने स्वयं उपस्थित होकर संतुष्टि पत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार वह प्रकरण म. हुई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 02.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(48)लोआस/2013

परिवादी श्रीमती सीमा शर्मा पत्नी श्री रूपनारायण शर्मा मकान नम्बर 78, शिव कॉलोनी, देवपुरा कॉलेज के पास, बून्दी द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. चिकित्सा विभाग द्वारा जी.एन.एम. भर्ती प्रक्रिया म. की गई अनियमितताओं बाबत की गई जाँच की रिपोर्ट पर कार्यवाही न करने से उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 14.11.2013 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही

करने पर इस सम्बन्ध म. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 22.07.2016 के अनुसार सम्बन्धित लोकसेवक डॉ. विनोद भार्गव, तत्कालीन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, श्री अब्दुल हमीद एवं श्री महेश श्रृंगी, तत्कालीन लिपिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। परिवादी श्रीमती सीमा शर्मा को संविदा पर जी.एन.एम. पद पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, बून्दी के कार्यालय म. कार्यभार ग्रहण करवा लिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(15)लोआस/2014

परिवादी श्री केवलचन्द जैन पुत्र स्वर्गीय श्री मिश्रीलाल जैन दीवान हाउस, बड़ा बाजार, करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके द्वारा न्यायालय म. साक्ष्य हेतु की गई यात्राओं के यात्रा भत्ता बिलों की राशि का भुगतान उसकी सेवानिवृति के 12 वर्ष बाद भी नहीं होने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 28.5.2014 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.7.15 के अनुसार परिवादी के बकाया यात्रा व्यय बिल की राशि 53,187/-रूपये उसके बैंक खाते में जमा कर भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.6.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(35)लोआस/2014

परिवादी श्री सुरेश कुमार झाझोटर पुत्र श्री ईश्वरराम झाझोटर राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस, अम्बेडकर नगर, वार्ड नम्बर 43, सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. मैनेजर शेखावाटी जनाना अस्पताल, सीकर द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 22.09.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.2.17 के अनुसार शेखावाटी जनाना अस्पताल, सीकर द्वारा जनवरी, 2016 से दिसम्बर 2016 तक 358 मरीजों को लाभान्वित किया गया तथा गरीब व बी.पी.एल. रोगियों की चिकित्सा के लिये व्यापक प्रचार प्रसार कराने हेतु सूचना पट्ट व होर्डिंग्स लगवाये गये। अस्पताल के नियमानुसार संचालन हेतु एक कमेटी का गठन कर प्रतिमाह समीक्षा करने के निर्देश प्रदान किये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 8 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(38)लोआस/2014

दैनिक समाचार पत्र ''टाइम्स ऑफ इण्डिया'' के दिनांक 24.7.14 के जयपुर संस्करण म. "Hospitals flouting rules on disposal of biomed waste" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के आधार पर दिनांक 25.7.2014 को इस सचिवालय द्वारा ''स्व-प्रेरणा'' से प्रसंज्ञान लिया गया।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 02.08.2014 प्रेषित कर प्रकरण म. तथ्यात्मक रिपोर्ट, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण से सम्बन्धित नियमों की प्रतियाँ एवं इस बाबत भावी योजनाओं के सम्बन्ध म. सूचनाएँ मंगवाई गई।

इस सचिवालय द्वारा प्रकरण म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिये जाने से पूर्व राज्य म. बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण नियम, 1998 एवं नियम 2000 तथा पर्यावरण सुरक्षा के नियम, 1986 के अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नहीं किये जाने से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण म. स्वप्रेरणा से लिये गये प्रसंज्ञान के पश्चात् राज्य म. बायोमेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण नियम, 1998 एवं नियम 2000 के अन्तर्गत निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता म. तीन बैठकें आयोजित करवाई। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को उनके अधीन कार्यरत उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को बायोमेडिकल वेस्ट ऑथोराइजेशन एवं मेनेजमट हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने हेतु निर्देश दिये गये। राज्य के कई जिलों को बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु सी.टी.एफ. कम्पनी से जोड़ा गया एवं इस सम्बन्ध में समस्त स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाये जाने के क्रम म. निर्देश दिये गये।

इसके अतिरिक्त बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमट के लिये राज्य म. कुल 6,160 हैल्थकेयर फेसिलिटी चिन्हित किये गये, जिनम. से 3,136 हेल्थकेयर फेसिलिटीज राज्य सरकार द्वारा तथा 3024 हैल्थकेयर फेसिलिटीज निजी क्षेत्र म. स्थापित हैं। इन 3136 हैल्थकेयर फेसिलिटीज म. से 1000 से कम ओ.पी.डी. वाली हैल्थकेयर फेसिलिटीज की संख्या 602 है, जिनको ऑथोराइजेशन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। शेष 2534 हैल्थकेयर फेसिलिटीज म. से 2211 हैल्थकेयर फेसिलिटीज ने राजस्थान राज्य प्रदूषण

नियन्त्रण मण्डल से ऑथोराइजेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन किये हैं तथा इनम. से राज्य मण्डल द्वारा 1623 हैल्थकेयर फेसिलिटीज को ऑथोराइजेशन स्वीकृत किया है। शेष 588 हैल्थकेयर फेसिलिटीज म. कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना बताया। इस प्रकार लगभग 3370 हैल्थकेयर फेसिलिटीज अपने क्षेत्र के निकटतम सामूहिक बायोमेडिकल वेस्ट उपचार एवं निस्तारण फेसिलिटी से जोड़े गये, जिनम. से 890 सरकारी क्षेत्र म. तथा 2680 निजी क्षेत्र म. हैं।

महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर, मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर, रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर, सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर, चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा, जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर एवं सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण हेतु नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षित करते हुए सम्बन्धित चिकित्सालयों म. पृथक-पृथक नोडल अधिकारी नियुक्त कर राज्य सरकार के निर्देशानुसार बायोमेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर द्वारा चिन्हित 5098 अस्पतालों म. से 2953 अस्पतालों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के अन्तर्गत राज्य मण्डल से प्राप्त ऑथोराइजेशन 31 मई 2016 तक वैध है। शेष इकाईयों म. से 477 इकाईयों के आवेदन-पत्र प्रक्रियाधीन है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल से नये एवं पुराने चिकित्सालयों द्वारा बोयोमेडिकल वेस्ट एवं उपचार के लिये ऑथोराइजेशन प्राप्त किये जा रहे हैं

उक्त ऑथोराइजेशन प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति म. प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर दिनांक 13.01.17 को नस्तीबद्ध करते हुए ''त्रैमासिक'' प्रगति रिपोर्ट मँगवाई जा रही है।

एफ.8(45)लोआस/2014

परिवादी श्री विजय गोयल किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके द्वारा राजकीय चिकित्सालय, किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर म. कम्प्यूटर ऑपरेटर, के रूप म. दिनांक 01.02.2014 से दिनांक 03.07.2014 तक किये गये कार्य का मानदेय दिलवाने बाबत प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.4.2015 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 29.07.2016 के अनुसार मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत परिवादी को बकाया मानदेय का भुगतान जरिए एन.जी.ओ. करवा दिया गया ।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(74)लोआस/2014

परिवादी श्री सोहनपाल मीणा पुत्र श्री धन्नालाल मीणा, निवासी ग्राम ईशवाना, पोस्ट बबेली, तहसील राजगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर द्वारा उसके चयनित वेतनमान के एरियर की राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 17.12.2014 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर से प्राप्त पत्र दिनांक 22.7.15 व 6.8.15 के अनुसार परिवादी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के एरियर की राशि रूपये 1,89,226/-का भुगतान जरिये चैक संख्या 059250 दिनांक 09.07.2015 कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 1 वर्ष 8 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.6.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(88)लोआस/2014

परिवादी श्री बृजबिहारी माथुर पुत्र श्री मदन लाल माथुर निवासी 59, अशोक मार्ग, गोपालनगर-ए, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसकी 9 एवं 18 वर्षीय आश्वस्त कैरियर प्रगति का वेतन निर्धारण सेवा-पुस्तिका म. न होने से सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी पेंशन म. हुई 2 वर्ष 6 माह की देरी के सम्बन्ध म. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 9 प्रतिशत ब्याज दर से राशि 55,344/-रूपये का भुगतान करने बाबत दिये गये आदेशों की पालना चिकित्सा विभाग द्वारा नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. अधीक्षक, सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 03.02.2015 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 14.09.2016 एवं 29.09.2016 के अनुसार प्रकरण म. उनके कार्यालय के स्तर पर विलम्ब नहीं हुआ एवं परिवादी को 55,344/-रूपये का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(119)लोआस/2014

परिवादी श्री सुबोध बिहारी शर्मा पुत्र श्री लाजपति राय शर्मा, निवासी शिव कॉलोनी, भुसावर, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. डॉ. हरेन्द्र सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा निर्धारित समयावधि म. उसकी पेंशन स्वीकृत न करवाने से ब्याज सहित पेन्शन राशि का भुगतान कराने एवं दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.4.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को 20 वर्ष की राज्य सेवा पर देय आश्वस्त कैरियर प्रगति (ए. सी.पी.) स्वीकृत की गई तथा उसका पेन्शन प्रकरण पेन्शन विभाग को प्रेषित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.8.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(44)लोआस/2015

समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" के जयपुर संस्करण म. "रेडिएशन से मरीजों की जान जोखिम म, चिकित्सा विभाग फेल" शीर्षक से प्रकाशित

समाचार के आधार पर इस सचिवालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक–9.9.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 6.1.2016 के अनुसार अस्पतालों के रेडियोलोजी विभाग म. कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की जीवन सुरक्षा हेतु मुम्बई के परमाणु उर्जा नियामक बोर्ड (ए.ई.आर.बी.) के मापदण्डों के अनुसार थर्मो ल्यूमिनीसेंस डोसीमीटर (टी.एल.डी.) बैज वितरित कर नियमों की पालना की गई तथा इन्जेक्शन कक्ष को अन्य कक्ष म. स्थानान्तरित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप प्रकरण म. नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हो जाने से यह परिवाद दिनांक 03.05.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(50)लोआस/2015

परिवादी श्री वजीरा पुत्र श्री बतासी निवासी आंगई, जिला धौलपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर द्वारा उसका वेतनमान निर्धारित कर नियमानुसार वेतन नहीं देने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 21.06.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 30.11.16 के अनुसार विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट संख्या 8568/2007 वजीरा बनाम राज्य सरकार म. कोर्ट के

निर्णय दिनांक 21.11.2013 की पालना म. परिवादी को न्यूनतम मजदूरी 199/- रूपये प्रतिदिन अथवा 5174/- रूपये प्रतिमाह की दर से पुनः कार्य पर रखने तथा दिनांक 20.8.14 से नियमित भुगतान करने की स्वीकृति जारी की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग डेढ साल म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 21.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(64)लोआस/2015

परिवादी डॉ. प्रेमचन्द खण्डेलवाल पुत्र स्वर्गीय श्री प्रभुलाल खण्डेलवाल, निवासी 1-ए-20, तलवंडी, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. चिकित्सा विभाग द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति पश्चात् समस्त देय बकाया पेन्शन परिलाभों का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 05.11.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन पत्र दिनांक 07.09.2016 के अनुसार परिवादी का पेन्शन प्रकरण दिनांक 12.8.2016 को पेन्शन विभाग को भिजवा दिया गया एवं एरियर बिल तादादी राशि 19,74,089/- रूपये कोष कार्यालय को भिजवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(85)लोआस/2015

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री किशन लाल शर्मा जनता कॉलोनी, मूंगसका, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. स्वास्थ्य विभाग द्वारा उसकी पत्नी की कुत्ता. के काटने पर हुई मृत्योपरान्त उसके 1,19,434/-रूपये के मेडिकल बिल का भुगतान न किये जाने पर उक्त भुगतान करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 28.12.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 20.05.2016 के अनुसार परिवादी की पत्नी स्वर्गीया श्रीमती कमलेश शर्मा, प्रसाविका के मेडिकल बिलों का भुगतान नियमानुसार उनके पति श्री जगदीश शर्मा को करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 9 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(13)लोआस/2016

परिवादी श्री कमलेश कुमार वैष्णव पुत्र श्री ओमप्रकाश वैष्णव निवासी गोपालद्वारा रोड़, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उसके मुख्यमन्त्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माण्डल म. दिनांक 1 जनवरी 2014 से दिनांक 2 मार्च, 15 तक मैन विद मशीन के पद पर किये गये कार्य की एवज म. उसका बकाया मानदेय भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 27.02.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा से प्राप्त पत्र दिनांक 18.11.16 एवं 25.11.2016 के अनुसार परिवादी के बकाया मानदेन राशि रूपये 61,729/- म. से टी.डी.एस. कटौती कर शेष राशि 60,494/-रूपये का भुगतान जरिये चैक संख्या 364242 दिनांक 07.11.2016 यूनिक सेवा संस्थान, माण्डल को कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 8 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(32)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती रजिया बानो पत्नी श्री सफीक मोहम्मद निवासी गणेश रोड़, शंकर मार्बल फैक्ट्री, देवली, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, टोंक के अधिकारियों द्वारा उसकी दो पुत्रियों के प्रसव बाबत जननी सुरक्षा योजना के तहत देय राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

शपथ-पत्र के अभाव में परिवाद को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर इसकी प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को प्रेषित करने पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा से प्राप्त पत्र दिनांक 2.12.16 के अनुसार चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र., जहाजपुर द्वारा परिवादी को शुभ लक्ष्मी योजना के तहत देय राशि का भुगतान जरिए चैक संख्या 010186 कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(67)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती मधु पत्नी श्री बालकिशन निवासी सी–65, झूलेलाल हाउसिंग सोसायटी, अजयनगर, अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अटल सेवा केन्द्र (जिला कलक्टर कार्यालय परिसर), अजमेर म. स्थापित ई–मित्र कियोस्कधारक द्वारा भामाशाह कार्ड जारी करने म. परेशान करने की शिकायत की गई।

शपथ–पत्र के अभाव म. इस सचिवालय स्तर पर परिवाद को नस्तीबद्ध किया जाकर इसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर, अजमेर को भिजवाये जाने पर जिला कलेक्टर, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 23.1.17 के अनुसार परिवादी को भामाशाह कार्ड जारी किया गया तथा अटल सेवा केन्द्र की जाँच म. अनियमितता पाये जाने पर कियोस्कधारक पर पेनल्टी लगाकर उसे भविष्य म. लापरवाही न बरतने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 5 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.8(79)लोआस/2016

परिवादी श्री मोहम्मद असलम पुत्र श्री अब्दुल जब्बार निवासी सिलावटों का बास, पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. चिकित्सा विभाग के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी एवं सचिव, राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपाड़ शहर द्वारा उसे परेशान करने एवं पिछले माह का मानदेय भुगतान न करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.12.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 27.02.17 के अनुसार परिवादी को अप्रैल, 2016 से जनवरी, 2017 तक कुल 10 माह का बकाया भुगतान कुल राशि रूपये 85000/- जरिये चैक संख्या- 568858 दिनांक 10.02.17 किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 21.3.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(3)लोआस/2014

परिवादी श्री किशनचन्द पुत्र श्री शामाराम जाति अरोड़ा, निवासी 2-बी-24, सुखाड़िया नगर, श्री गंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रीगंगानगर के अधिकारियों द्वारा विभाग की सड़क पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, श्री गंगानगर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 22.06.2014 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर से प्राप्त पत्र दिनांक 20.09.2016 के अनुसार श्रीगंगानगर-हिन्दुमलकोट रोड़ पर ग्राम पंचायत, खाटलबाना म. सड़क की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे/अतिक्रमण को पूर्णतया हटाया जाना अवगत करवाया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 2 वर्ष 4 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 28.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(7)लोआस/2014

परिवादी श्री प्रदीप कोठारी पुत्र श्री महेन्द्र कोठारी न्यू लुक उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोधा कैम्पस, कोठारी हवेली, महालक्ष्मी चौक, बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा मोतिरा माइनर केनाल के लिंक रोड़ का नवीनीकरण नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 18.09.14 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन पत्र दिनांक 05.07.2016 के अनुसार लोधा से जानामेड़ी सड़क की कुल लम्बाई 2.5 किलोमीटर म. से 2.1 किलोमीटर लम्बाई म. डामरीकरण का कार्य एवं 400 मीटर लम्बाई म. ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत सी.सी. सड़क निमार्ण कार्य पूरा कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को 5 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 28.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(33)लोआस/2014

परिवादी श्री भगतराम मीणा पुत्र स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल मीणा निवासी ग्राम हुण्डिया खेड़ा, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक निर्माण विभाग, ब्लॉक लाखेरी, बून्दी के अधिकारियों द्वारा महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना के तहत नाबार्ड द्वारा वित्त-पोषित सम्पर्क सड़क कापरेन-रोटेदा रोड़ 2/500 से ढीकोली का निर्माण कार्य डेढ वर्ष से बन्द पड़े रखने की शिकायत करते हुए उक्त सड़क निर्माण कार्य शीघ्र करवाकर ग्रामीणों को आवागमन म. हो रही दिक्कत का समाधान करने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 12.01.2015 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (पथ) से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार सम्पर्क सड़क कापरेन-रोटेदा रोड़ 2/500 से ढीकोली (3.05 किमी.) का कार्य पूर्ण कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों की आवागमन से सम्बन्धित समस्या का समाधान हो गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 7.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(40)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती मन्जू वर्मा पत्नी श्री राकेश सिरोहिया निवासी 72/233, विनायक पथ, मानसरोवर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके पति को पदोन्नति दिलवाये जाने का अनुरोध किया गया था।

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 09.04.15 प्रेषित करने एवं इसके पश्चात् लगातार कार्यवाही करने पर अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 01.06.16 एवं 09.06.16 के अनुसार परिवादी के पति की अधिशाषी अभियन्ता (सिविल) पद पर चयन हेतु बैठक आयोजित कर उनका चयन किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(14)लोआस/2015

परिवादी श्री बोलताराम मीणा पुत्र श्री प्रकाश मीणा निवासी भगवानपुरा, पोस्ट मण्डावरा, तहसील उनियारा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक निर्माण विभाग, अलीपुरा, टोंक के कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा टेंडर होने के पाँच वर्ष पश्चात् भी सड़क निर्माण नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 19.08.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक

23.05.16 के अनुसार सन्दर्भित सड़क अलीपुरा–भगवानपुरा का निर्माण एवं डामरीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है। परिवादी ने अलीपुरा–भगवानपुरा सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अपनी संतुष्टि से इस सचिवालय को अवगत करवाया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(31)लोआस/2015

परिवादी श्री कमलसिंह यादव पुत्र स्वर्गीय श्री भूरा राम यादव निवासी ग्राम माजरा अहीर, तहसील बानसूर, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम माजरा अहीर, जिला अलवर के गौरव पथ के निर्माण म. घटिया सामग्री उपयोग म. लेने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 14.01.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 22.04.2016 के अनुसार प्रकरण की जाँच के दौरान सभी ग्रामवासियों ने स्टाम्प पेपर पर बयान दिया कि समस्त कार्य गुणवत्तापूर्ण हुआ है। इस सम्बन्ध म. समय–समय पर कार्य की गुणवत्ता बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग, गुण नियन्त्रण खण्ड, अलवर द्वारा जाँच करवाए जाने पर सभी नमूने जाँच म. सही पाये गये। परिवादी ने पत्र द्वारा इस सचिवालय को सूचित किया कि पानी निकासी का कार्य कर दिया गया है, जिससे वह संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 9 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(52)लोआस/2015

परिवादी श्री विजय सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी ग्राम बहरामदा, पोस्ट मांझी, तहसील नदबई, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके विभाग के खसरा नम्बर 173 की भूमि से अतिक्रमण न हटाने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भरतपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 30.06.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भरतपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 03.02.17 के अनुसार परिवाद म. बताये गये स्थान पर अतिक्रमण को हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 1 वर्ष 1 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(58)लोआस/2015

परिवादी श्री भागीरथ वैष्णव पुत्र श्री रतन दास वैष्णव निवासी ग्राम धागड़मउ कलां, पोस्ट बोराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों द्वारा घटिया सामग्री से पुलिया निर्माण किये जाने के कारण पुलिया के हर वर्ष बारिश म. टूट जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 13.04.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26.10.2016 के अनुसार कार्य की गारण्टी अवधि समाप्त होने के कारण विभाग द्वारा बारिश के उपरांत उपलब्ध विभागीय बजट के अनुसार पुलिया की आवश्यक मरम्मत पश्चात् इसे यातायात योग्य बनाकर राहगीरों की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(25)लोआस/2016

परिवादी श्री जीवन राम भील पुत्र श्री बुलाराम भील निवासी मौखेरी, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. तहसीलदार, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फलौदी द्वारा सड़क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत वर्ष 2008-2009 में दिये गये आदेश की पालना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 31.8.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, जोधपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन पत्र दिनांक 28.2.17 के अनुसार श्री दुलीचन्द व इब्रे खाँ का निर्माण कार्य उनकी स्वयं की भूमि म. होना पाया गया तथा गोमन्दराम का निर्माण कार्य सड़क सीमा के अन्दर होने से उसके द्वारा स्वयं ही अपना कब्जा हटा लिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को 8 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 01.03.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(32)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती उगन्ती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री मलखान सिंह निवासी 22, जनता नगर राकड़ी, सोडाला, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक निर्माण विभाग म. कार्यरत रहे उसके पति की मृत्यु हो जाने से पेन्शन स्वीकृत करवाते हुए उनके बकाया मेडिकल बिलों व अन्य देय परिलाभों का भुगतान करवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.09.2016 प्रेषित करने पर सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यांत्रिक खण्ड-4, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 15.11.2016 के अनुसार प्रार्थीया को देय समस्त परिलाभों यथा जी.पी.एफ., राज्य बीमा, अवकाश नगदीकरण, वेतन एरियर, एवं महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान कर दिया गया है। मेडिकल बिल की राशि का भुगतान प्रार्थीया के खाते म. ई.सी.एस. ऑन लाइन कर दिया गया है एवं उसकी पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत हो चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग ढाई माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.9(38)लोआस/2016

परिवादी श्री परबत सिंह राजपूत पुत्र श्री जबरसिंह निवासी पहाड़पुर, जिला जालौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों

द्वारा सरकारी भूमि पर स्थित अवैध अतिक्रमण को नहीं हटवाने की शिकायत की गई।

शपथ-पत्र के अभाव म. परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर को भिजवाते हुए इसे दिनांक 29.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 11.01.2017 के अनुसार जीवाराम चौधरी द्वारा सड़क की सीमा म. किये गये अतिक्रमण को तहसीलदार, जालोर सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 09.11.16 को नियमानुसार परिवादी की उपस्थिति म. हटवा दिया गया। इस कार्यवाही से परिवादी संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग एक वर्ष म. अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.01.2017 को अन्तिम रूप से बन्द किया गया।

एफ.10(30)लोआस/2014

परिवादी श्री राजाराम पुत्र रामगोपाल गुर्जर निवासी ग्राम रेटा, पोस्ट दुब्बी, तहसील सिकराय, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ''मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना'' के तहत उनके द्वारा पाँच के ग्रुप म. विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन करने पर भी जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. द्वारा बिजली कनेक्शन नहीं देने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 28.07.14 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से

प्राप्त पत्र दिनांक 11.08.16 के अनुसार परिवादी को विद्युत कनेक्शन जारी कर उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 29.8.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(153)लोआस/2014

दैनिक समाचार पत्र ''राजस्थान पत्रिका'' म. दिनांक 27.2.2015 के संस्करण म. *''ज्यादा वसूला पैसा लौटाने म. भी कर रहे आनाकान''* शीर्षक तथा *''राजस्थान डिस्कॉम की मनमर्जी''* उप शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर इस सचिवालय द्वारा दिनांक 03.03.15 को स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान डिस्कॉम, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.3.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 19.6.15, 6.5.15 एवं प्रगति-प्रतिवेदनों के अनुसार जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर के अधीनस्थ जयपुर नगर वृत्त तथा दौसा, कोटा, झालावाड़, बून्दी, बाराँ, अलवर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर एवं करौली के जिला वृत्तों के 38145 उपभोक्ताओं से 371.04 लाख रूपये अधिक वसूल किये गये। उक्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित उपभोक्ताओं के खातों म. समायोजित कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप उपभोक्ताओं से अधिक वसूल की गई सम्पूर्ण राशि उनके खातों म. समायोजित हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(114)लोआस/2015

परिवादी श्री बाबू सिंह पुत्र श्री कन्हैया लाल निवासी 1268, गंगापोल, रावल जी का बाजार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., हीदा की मोरी, जयपुर द्वारा उसके विद्युत कनेक्शन को गलत तरीके से काट देने की शिकायत करते हुए कनेक्शन को पुनः चालू करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 8.12.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 30.12.2016 के अनुसार परिवादी का विद्युत कनेक्शन पुनः चालू कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 3 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(165)लोआस/2015

परिवादी श्री ब्रह्मदत्त मोदी पुत्र श्री बिहारी लाल मोदी निवासी कपिल मण्डी, नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके विद्युत कनेक्शन खाते की जमा प्रतिभूति राशि ब्याज सहित दिलाने एवं उसे परेशान करने के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी से मुआवजा दिलवाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.02.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 04.07.2016 के अनुसार परिवादी को 6,92,800/-रूपये का रिफण्ड दे दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 8 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(167)लोआस/2015

परिवादी श्री दीपचन्द भार्गव पुत्र श्री राधेश्याम भार्गव मुकाम पोस्ट सुल्ताना, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, झुंझुनूं द्वारा उसका विद्युत कनेक्शन बदलने म. देरी करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 19.02.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता (योजना) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 19.1.17 के अनुसार परिवादी द्वारा पुनः फीस जमा करवाने पर उसका विद्युत कनेक्शन दिनांक 13.1.17 को चालू कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग एक वर्ष म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(175)लोआस/2015

परिवादी श्री मनीष मेड़तिया पुत्र श्री मोहन सिंह मेड़तिया निवासी कवरपदों का मोहल्ला, मसूदा, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सहायक

अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मसूदा, अजमेर द्वारा उसका विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 03.03.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता (योजना) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 22.04.2016 के अनुसार जॉब कार्य पूर्ण करवाकर विद्युत सेवा सम्बन्ध आदेश दिनांक 11.3.2016 द्वारा विद्युत कनेक्शन चालू कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया। परिवादी द्वारा भी उसकी समस्या का निवारण हो जाने की पुष्टि की गई।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.06.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(184)लोआस/2015

परिवादी श्री गंगालहरी जाटव पुत्र श्री बद्दूराम जाटव निवासी ग्राम खेड़ली सैयद, तहसील एवं जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अलवर के अधिकारियों द्वारा उसकी फर्जी वी.सी. आर. भरने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 03.06.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.09.2016 के अनुसार रिव्यू कमेटी द्वारा पारित सर्वसम्मत आदेश दिनांक 19.03.16 से प्रश्नगत वी.सी.आर. निरस्त कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 10 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 03.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(4)लोआस/2016

परिवादी श्री मुनीम पुत्र श्री बृजमोहन जाति खटीक, निवासी ग्राम जीवद, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. विद्युत विभाग द्वारा उसका कृषि विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 18.05.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 01.09.2016 के अनुसार परिवादी का विद्युत कनेक्शन दिनांक 16.08.2016 को नया मीटर लगाकर सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। सम्पादित कार्यवाही की पुष्टि परिवादी द्वारा भी की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 8 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(7)लोआस/2016

परिवादी श्री विजय सिंह जाट पुत्र श्री हरिसिंह जाट निवासी देसुसर, तहसील व जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., बगड़, झुन्झुनूं के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा नाजायज रूप से उसके व्यावसायिक/आवासीय/कृषि विद्युत कनेक्शनों को काटने की शिकायत करते हुए इन्हें पुनः चालू करवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 21.06.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता (योजना) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 21.12.2016 के अनुसार परिवादी के कृषि/घरेलू विद्युत कनेक्शन पुनः चालू कर दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 21.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(9)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रहलाद राय जाट पुत्र श्री घासीलाल जाट, निवासी ग्राम सांस, पोस्ट बचौलिया, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. विद्युत वितरण हेतु लगाई गई डी.पी. को हटवाकर उसे अन्यत्र स्थानान्तरित करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 13.05.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 17.6.2016 के अनुसार परिवादी की शिकायत पर 25 के.वी.ए. का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर लोड कम कर दिया गया तथा हैंडपम्प के पास लगे ट्रांसफार्मर को गाँव के बाहर स्थानान्तरित कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 6 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 19.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(23)लोआस/2016

परिवादी श्री किशन लाल पुत्र श्री नाथूदास, जाति स्वामी, निवासी निरबाणियां नांगल, नाथूसर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, श्रीमाधोपुर के अधिकारियों द्वारा उसके माह अक्टूबर, 2015 से बन्द पड़े कृषि विद्युत कनेक्शन का अनुचित बिल जारी करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 24.05.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता (योजना) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 20.09.2016 के अनुसार परिवादी के कृषि विद्युत कनेक्शन का मीटर बन्द होने के कारण अधिक राशि का बिल जारी किया गया था। सीकर स्थित प्रयोगशाला म. मीटर की जाँच करवाकर वास्तविक उपभोग से अधिक राशि के जारी किये गये बिल की अधिक राशि 6628.06/-रूपये परिवादी के खाते म. जमा कर संशोधित बिल जारी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 8 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(32)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री सीताराम जांगिड़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सहायक अभियन्ता (प.व.सं.), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कालाडेरा व सहायक अभियन्ता (अ प्रथम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, चौमूं द्वारा उसकी गलत वी.सी.आर. भरकर राशि वसूल करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 14.6.16 प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत करने पर सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता से अधिक वसूल की गई राशि का समायोजन उसके खाते म. कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 01.09.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(34)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती नाथी देवी रैगर पत्नी श्री हीरालाल निवासी ग्राम पीथावास, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., दूदू के कनिष्ठ अभियन्ता, श्री प्रतीक सोनी द्वारा उसके कृषि कनेक्शन म. अनियमितता बरतने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 17.6.16 प्रेषित करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक

18.7.16 के अनुसार ट्रांसफार्मर लगाकर परिवादी के कृषि विद्युत कनेक्शन की विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग दो माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(37)लोआस/2016

परिवादी श्री लक्ष्मीनारायण जाट पुत्र श्री कल्लूराम जाट निवासी ग्राम वीर तेजाजी नगर, पोस्ट बड़नगर, ढाणी छानी, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., पावटा के कनिष्ठ अभियन्ता श्री उदमसिंह यादव व सहायक अभियन्ता, श्री विकास वर्मा द्वारा उसका घरेलू विद्युत कनेक्शन अनुचित रूप से काट दिये जाने की शिकायत करते हुए कनेक्शन को पुन: जुड़वाने एवं दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 17.6.16 प्रेषित करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 18.7.16 के अनुसार परिवादी का घरेलू विद्युत कनेक्शन दिनांक 19.6.16 को चालू कर दिया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग एक माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(50)लोआस/2016

परिवादी श्री सूरत सिंह मेहता पुत्र श्री देवीलाल मेहता निवासी 16, शिवाजी नगर, मदनगंज-किशनगढ, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसकी तृतीय आश्वस्त कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 25.07.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव (प्रशासन), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 20.09.16 के अनुसार परिवादी के पक्ष म. तृतीय आश्वस्त कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) स्वीकृत करने बाबत आदेश जारी किये गये। परिवादी ने उक्त कार्यवाही बाबत इस सचिवालय का आभार व्यक्त किया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 02.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(78)लोआस/2016

परिवादी श्री दिनेशचन्द्र गुप्ता पुत्र श्री गुलाबचन्द्र गुप्ता निवासी 4-के-32-33, शिवाजी पार्क, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., कठूमर, अलवर के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उसका मीटर बन्द होने के बावजूद विद्युत बिल जारी करने एवं इसकी राशि का समायोजन नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक-16.9.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने

पर इस सम्बन्ध म. अधिशाषी अभियन्ता (ग्रीवेंस), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 17.11.16 के अनुसार परिवादी के घरेलू विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध म. रिकॉर्ड का अवलोकन कर उसकी विद्युत बिल की बकाया राशि का समायोजन कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 03.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(89)लोआस/2016

परिवादी श्री गोपाल कृष्ण खटीक पुत्र श्री अम्बालाल खटीक निवासी अम्बेडकर विकास कॉलोनी, पुष्कर, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पुष्कर के अधिकारियों द्वारा उसके अनुसूचित जाति परिवार को बिजली कनेक्शन नहीं देकर प्रताड़ित करने की शिकायत की गई।

शपथ–पत्र के अभाव म. परिवाद को दिनांक 8.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध कर इसकी प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर को पत्र दिनांक 11.11.16 द्वारा प्रेषित करने पर अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., वृत अजमेर शहर से प्राप्त पत्र दिनांक 14.12.16 के अनुसार पूर्व आवेदित स्थान विवादग्रस्त होने के कारण परिवादी द्वारा पुनः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर उसे विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 4 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 28.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(98)लोआस/2016

परिवादी श्री कैलाश मेघवाल पुत्र श्री शंकर लाल मेघवाल निवासी हिम्मत नगर, तहसील डेगाना, जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सहायक अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., डेगाना द्वारा उसके विद्युत बिल की राशि ठीक नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक–15.11.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता (योजना) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 11.01.2017 के अनुसार परिवादी के घरेलू विद्युत सम्बन्ध के बिल म. आवश्यक संशोधन कर माह नवम्बर, 2016 का राशि रूपये 790/- का विद्युत बिल जारी कर दिया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 5 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(104)लोआस/2016

परिवादी श्री फौरन सिंह पुत्र श्री शोभीराम सिंह निवासी वार्ड नम्बर 8, सेढ के मढ के पास, गोला कुआं, नदबई, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., नदबई के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उसके मकान म. विद्युत कनेक्शन नहीं देने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर से इस सचिवालय के पत्र दिनांक 26.12.16 द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत करने पर सचिव (प्रशासन), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट 17.1.17 के अनुसार परिवादी का विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.1.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.10(119)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र कुमावत पुत्र श्री छोगालाल निवासी नेहरू नगर, सुमेरपुर, जिला पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सहायक अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., सुमेरपुर द्वारा उसकी मीटर रीडिंग के मुकाबले गलत राशि का बिल जारी करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 28.12.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जोधपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 08.02.2017 के अनुसार परिवादी को जारी किये गये गलत बिल म. सुधार कर दिया गया और अधिक वसूल की गई 407/-रूपये की राशि परिवादी के खाते म. नियमानुसार जमा कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया। अब परिवादी को नियमानुसार सही बिल जारी किया जा रहा है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 4 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 07.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(135)लोआस/2012

परिवादी श्री हंसराज निवासी गुणशीला, पोस्ट पांवाडेरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा उसके व उसके भाईयों के नाम नामान्तरण नहीं खोले जाने से तहसीलदार के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने रिपोर्ट दिनांक 26.11.2013 द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा उल्लिखित नामान्तरण दर्ज करने के प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होने अथवा नहीं होने का विधिक प्रश्न निहित होने से इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा जा रहा है। जिला कलेक्टर ने अपनी अन्य रिपोर्ट दिनांक 15.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण विवादित होने से तहसीलदार स्तर पर भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(2) के तहत मामला दर्ज किया जाकर नामान्तरण निस्तारित किया जायेगा। अंततः जिला कलेक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.08.16 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के अन्तर्गत दिनांक 14.07.2016 को निर्णय पारित किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 299 मृतक जिन्सी पुत्र लालू मीना के वारिसान हरिराम, प्रभुलाल, हंसराज, पुखराज पिसरान जिन्सी मीना निवासी गुणशीला के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया है। परिवादी से उक्त कार्यवाही रिपोर्ट पर आपत्ति चाहे जाने पर उसने की गई कार्यवाही के प्रति संतुष्टि प्रकट की है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(4)लोआस/2013

परिवादी श्री दानाराम सारण, पोस्ट उस्तरां, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में राजस्व ग्राम उस्तरां के खसरा नम्बर 585/27 रकबा 799.10 बीघा गोचर भूमि तथा 1200 ईस्वी से पुराने उस्तरा गाँव की झीलर नाम की नाडी के खसरा नम्बर 705 की भूमि (जिसमें पुराने समय की देवलिया व स्मारक आदि स्थापित हैं) पर श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री जवानराम चौधरी, पूर्व सरपंच, भोपालगढ़ द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करवाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 26.11.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 660 व 595 की भूमि से अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया। खसरा नम्बर 751 में अवस्थित अवैध क्रेशर को हटवाकर भूमि राज्य सरकार के कब्जे में ले ली गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर ने पुनः जाँच कर रिपोर्ट दिनांक 05.07.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में ग्राम उस्तरां के गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 660 व खसरा नम्बर 595 की भूमि से अतिक्रमियों को मौके पर भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया। उक्त रास्ता वर्तमान में खुला है तथा इस रास्ते के समानांतर डामर की सड़क होने से इस रास्ते को उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। रास्ते के मध्य कोई फसल खड़ी नहीं है। ग्राम उस्तरां के खसरा नम्बर 751 गैर मुमकिन मगर भूमि में अवस्थित क्रेशर मशीनों के सभी भाग मौके से हटा दिये गये। वर्तमान में मौके पर कोई अतिक्रमी काबिज नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 03.08.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(288)लोआस/2013
एफ.11(41)लोआस/2014

परिवादी श्री विश्राम मीणा निवासी ग्राम पोस्ट कटकड़, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद में स्थानीय विद्यालय के खेल मैदान हेतु खसरा नम्बर 3927 की 0.62 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 3929 की 1.09 हैक्टेयर आवंटित भूमि पर श्री किशन पुत्र श्री बुद्धाराम मीना द्वारा डण्डे के बल पर किये गये अवैध कब्जे को हटाने की माँग दिनांक 14.02.2013 को प्रशासन गाँवों के संग अभियान में करने पर अतिक्रमियों द्वारा उसी समय जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, करौली के समक्ष प्रस्तुत शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने से व्यथित होकर उक्त मामले की जाँच करवाई जाकर दोषी अतिक्रमियों एवं लोकसेवकगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। परिवाद संख्या 11(288)लोआस/2013 व परिवाद संख्या 11(41)लोआस/2014 की विषयवस्तु एक समान होने से इनमें एक साथ कार्यवाही की गई।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, करौली ने रिपोर्ट दिनांक 02.07.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान से अतिक्रमण हटवाया जा चुका है। ग्राम कटकड़ की चारागाह भूमियों पर 32 अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को भी भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया है। सेटलमेन्ट वर्ष 1985 से 1989 के दौरान हुई त्रुटि के सम्बन्ध में भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 14.06.2016 से अवगत करवाया कि प्रकरण में दोषी लोकसेवक श्री पूरण चन्द शर्मा के सेवानिवृत्त हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। प्रकरण में इन्द्राज दुरूस्ती के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन सिटी में वाद संख्या 128/2014 विचाराधीन है। न्यायालय में विचाराधीन इस मामले के विधिवत निस्तारण पर ही प्रकरण में की गई त्रुटि को सुधारना सम्भव हो सकेगा।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से ये दोनों परिवाद दिनांक 05.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किये गये।

एफ.11(11)लोआस/2014
एफ.11(31)लोआस/2014
एफ.11(471)लोआस/2014

परिवादी श्री अक्षय कुमार कोठारी निवासी जामोला फेक्ट्री, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम शिखरानी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर स्थित खसरा नम्बर 108 की कृषि भूमि में अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को अतिक्रमियों द्वारा राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर, राजस्व मण्डल, अजमेर तथा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपीले खारिज हो जाने के बावजूद तहसीलदार व राजस्व कर्मियों द्वारा परिवादी के पक्ष में जारी डिक्री की पालना में नहीं हटाने की शिकायत करते हुए मामले की जाँच करवाकर अतिक्रमण को हटवाने तथा दोषी तहसीलदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया गया। परिवाद संख्या 11(31)लोआस/2014, 11(471)लोआस/2014 व 11(11)लोआस/2014 समान प्रकृति के होने से इन्हें संलग्न कर एक साथ कार्यवाही की गई।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, अजमेर से रिपोर्ट तलब करने एवं इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट दिनांक 29.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि न्यायालय निर्णय की अनुपालना में दिनांक 03.06.2016 को प्रकरण में प्रश्नगत खसरा नम्बर 108 वाके ग्राम शिखरानी के कुछ भाग पर स्थित श्री कचरूलाल व अन्य के पक्के मकानात व अन्य अतिक्रमण को हटाकर परिवादी श्री अक्षय कोठारी को कब्जा प्रदान कर दिया गया। अन्य परिवादी श्री कचरूलाल की शिकायत सारयुक्त नहीं पाई गई। श्री कचरूलाल ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से ये परिवाद दिनांक 20.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किये गये।

एफ.11(32)लोआस/2014

परिवादी श्री मनजीत सिंह हूडा निवासी 110, आदर्श नगर, अजमेर रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ब्यावर नगर परिषद के पेरा-फेरी क्षेत्र के समस्त ग्रामों की सम्पूर्ण सरकारी भूमियों को अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगर परिषद, ब्यावर को हस्तान्तरित करने के आदेश तहसीलदार, ब्यावर को दिये जाने के बाद भी ये भूमियाँ नगर परिषद, ब्यावर के नाम अंकित न होकर तहसील के राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में ही दर्ज रह जाने से तहसीलदार, ब्यावर द्वारा इन भूमियों को भू-माफियाओं, राजनेताओं एवं बड़े अधिकारियों के नाम दर्ज करने की शिकायत करते हुए इस बाबत जारी आदेशों को निरस्त कर भूमि को नगर परिषद, ब्यावर के नाम रिकॉर्ड में अंकित कराये जाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर ने रिपोर्ट दिनांक 28.10.15 तथा 09.12.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में 31 अतिक्रमणों को चिह्नित किया गया, जिनमें से 14 अतिक्रमणों को हटा दिया गया है। जिला कलेक्टर, अजमेर ने अन्य रिपोर्ट दिनांक 22.02.2016 से अवगत करवाया कि प्रकरण में शेष रहे 17 अतिक्रमणों को भी हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 26.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(77)लोआस/2014

परिवादी श्री सीताराम गुप्ता निवासी जायसवाल फार्म हाउस, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के सामने, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में राजस्व मण्डल, अजमेर में दर्ज रिवीजन संख्या 77/83 में पारित आदेश दिनांक 29.10.1993 की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, जमवारामगढ़ को भेजने पर उसके द्वारा आर्थिक लालच एवं भ्रष्टाचारवश सम्बन्धित रिकॉर्ड को खुर्दबुर्द कर कोई कार्यवाही समय सीमा में नहीं करने से बेशकीमती सार्वजनिक भूमि पर भू-माफियाओं के काबिज होने की शिकायत करते हुए मामले की जाँच करवाकर दोषी तहसीलदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 17.02.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का नामांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम किया जाकर न्यायालय निर्णय की पालना की जा चुकी है। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से पत्रावली प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण में न्यायालय निर्णय की पालना में देरी हुई है जिसके लिए किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जिला कलेक्टर की उक्त रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.05.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(87)लोआस/2014

परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार निवासी ढाणी शिशुवाल, संजय नगर, पोस्ट पपुरना हाल आबाद नानूवाली बावड़ी, राजोता, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं ने प्रस्तुत परिवाद में ग्राम पंचायत राजोता व ग्राम पंचायत नानूवाली बावड़ी, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं के पूर्व में स्थित

नदी–नाले की भूमि खसरा नम्बर 186 पर रोहताश सिंह निवासी राजोता द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देने की शिकायत पटवारी, तहसीलदार तथा उपखण्ड अधिकारी को करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से व्यथित होकर उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने रिपोर्ट दिनांक 07.09.15 तथा 17.02.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान परिवादी की उपस्थिति में करवाया जाकर प्रतिपक्षी की खातेदारी भूमि से सटती हुई भूमि पर 03 फीट क्षेत्र में किये गये अतिक्रमण को तुड़वा दिया गया। प्रकरण में अब मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(110)लोआस/2014

परिवादी श्री कालूराम मीना निवासी ग्राम पोस्ट बनियाना, तहसील लवाण, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में दौसा से गंगापुर जाने वाली रेलवे लाइन के निर्माण हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा ग्राम पंचायत, बनियाना के ग्राम गिरधरपुरा एवं बूटोली की अवाप्त भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 29.03.2010 को पारित अवार्ड की राशि 1 करोड़ रूपये से अधिक होने के कारण प्रकरण शासन सचिव (परिवहन विभाग), राजस्थान, सरकार को भेजे जाने पर ग्राम बूटोली के खसरा नम्बर 634 व 635 तथा ग्राम गिरधरपुर के खसरा नम्बर 237, 261 की आबादी भूमि बाबत कुल 79.68 लाख रूपये की मुआवजा राशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा कलेक्टर सहित अन्य उच्चाधिकारियों से निवेदन करने पर भी न होने से व्यथित होकर उक्त राशि का भुगतान करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, दौसा ने रिपोर्ट दिनांक 29.12.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण का निरीक्षक राजस्व लेखा एवं राजकीय अधिवक्ता से परीक्षण करवाया जाकर विधिक राय प्राप्त करने के उपरांत भूमि अवाप्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अवाप्त भूमि में यदि कोई व्यक्ति आवास बनाकर निवास कर रहा है तो सम्बन्धित व्यक्ति को ही मुआवजे का भुगतान किया जाना न्यायोचित होगा। यदि उक्त भूमि में किसी व्यक्ति का आवास नहीं है तो मुआवजा राशि का भुगतान सम्बन्धित ग्राम पंचायत को किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर से निरन्तर पत्राचार करने पर जिला कलेक्टर ने रिपोर्ट दिनांक 30.05.2016 से अवगत करवाया कि प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दौसा-गंगापुर ब्रॉडगेज रेल्वे लाइन निर्माण हेतु ग्राम पंचायत, बनियाना की अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, बनियाना, पंचायत समिति, लवाण को कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(172)लोआस/2014

परिवादी श्री मनीष सिंह निवासी नादौती, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम नादौती के खसरा नम्बर 323 रकबा 6 ऐयर भूमि पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण की जानकारी पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार, नादौती को होने एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार को अतिक्रमण हटवाने बाबत निर्देश देने पर भी अतिक्रमण नहीं हटवाने की शिकायत करते हुए उक्त अतिक्रमण हटवाने की मांग की गई।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, करौली ने रिपोर्ट दिनांक 30.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी,

नादौती से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक व परिवादी को साथ लेकर ग्राम नादौती के आराजी खसरा नम्बर 323 की भूमि पर पक्की दीवार का निर्माण कर देवेन्द्र सिंह पुत्र गिर्राज सिंह जाति राजपूत निवासी नादौती द्वारा किये गये अतिक्रमण को दिनांक 25.04.2016 को तुड़वाकर मौके से अतिक्रमण हटवा दिया गया, जिससे परिवादी संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.06.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(177)लोआस/2014

परिवादी श्री कैलाश नारायण पारीक निवासी 299, टोरडा हाउस, खूटेटों का रास्ता, तहसील व जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में प्रार्थी को जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 18 के अनुसार 40 स्टेण्डर्ड एकड़ (सिंचित) अथवा 120 एकड़ असिंचित खुदकाश्त भूमि का आवंटन करने बाबत 60 वर्ष से विचाराधीन प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही करवाकर उक्त आवंटन करवाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में आयुक्त, जागीर एवं खुदकाश्त राजस्थान, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 07.01.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि श्री पारीक का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर पत्रावली संधारित कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। आयुक्त द्वारा अपनी अन्य रिपोर्ट दिनांक 10.03.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में परिवादी श्री कैलाश नारायण पारीक को उपनिवेशन तहसील जैसलमेर के चक नम्बर 3 डी.टी. टी.एम. के मुरब्बा नम्बर 56/48 की एक मुरब्बा अर्थात् (25 बीघा) भूमि खुदकाश्त में आवंटित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसे दिनांक 25.02.2016 को 25 बीघा खुदकाश्त भूमि आवंटित की गई है जबकि उसे कम से कम 40 स्टेण्डर्ड एकड़ सिंचित भूमि आवंटित की

जानी चाहिए थी। अतः उसे नियमानुसार 15 बीघा सिंचित भूमि और आवंटित करवाई जावे। इस सम्बन्ध में आयुक्त, जागीर एवं खुदकाश्त, राजस्थान, जयपुर से पुनः रिपोर्ट मँगवाने पर उन्होंने रिपोर्ट दिनांक 06.09.16 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी को उपनिवेशन, तहसील जैसलमेर में एक मुरब्बा (25 बीघा) भूमि आवंटित की जा चुकी है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.09.1965 के अनुसार भूतपूर्व जागीरदार के परिवार को एक मुरब्बा भूमि ही आवंटित की जा सकती है। अतः परिवादी को नियमानुसार अब और भूमि आवंटन किया जाना संभव नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(246)लोआस/2014

परिवादी श्री सोहन लाल निवासी ग्राम कान्हावास, तहसील नीमराणा, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ द्वारा बहरोड़ कुण्ड सड़क एम.डी.आर.-78 पर किमी 31 एवं छीलोठ से कान्हावास सड़क पर किये गये अतिक्रमणों को नहीं हटाये जाने की शिकायत करते हुए उक्त अतिक्रमणों को हटवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर तथा जिला कलेक्टर, अलवर ने रिपोर्ट दिनांक 28.03.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत अतिक्रमण को दिनांक 09.12.2015 को भौतिक रूप से पूर्णतया हटवा दिया गया है। दिनांक 17.03.2016 को कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड, नीमराना से भी अतिक्रमण हट जाने की पुष्टि करवा ली गई तथा यातायात के साधनों के आवागमन में मौके पर कोई बाधा नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(249)लोआस/2014

परिवादी श्री नैनाराम निवासी ग्राम पाबूनगर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम पाबूनगर के खसरा नम्बर 166 व 208 की चारागाह, आबादी व स्कूल के खेल मैदान की भूमियों का भू-माफिया द्वारा गरीब व्यक्तियों के नाम आवंटन/पट्टा विलेख जारी करवाने के बाद भारी मुनाफे से अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने की शिकायत करते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.01.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में खसरा नम्बर 208 की भूमि के 11 आवंटियों के आवंटन निरस्त करवाने हेतु न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, जोधपुर में रेफरेंस प्रस्तुत कर दिये गये। प्रकरण में दोहरी खातेदारी निरस्त की जाकर भूमि राजकीय खाते में दर्ज कर दी गई। प्रकरण में लम्बित उक्त रेफरेंस प्रकरणों के निस्तारण के उपरांत ही तरमीम कार्य किया जा सकेगा।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 20.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(347)लोआस/2014

परिवादी श्री हरिओम गालव निवासी ग्राम कोटड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम कोटड़ी की चारागाह एवं श्मशान भूमि पर अवैधानिक तरीके से कब्जा कर मकानों का निर्माण किये जाने की

शिकायत तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष करने पर भी कोई कार्यवाही न होने से उक्त अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, बारां ने रिपोर्ट दिनांक 01.06.2015 तथा 20.07.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत ग्राम कोटड़ी के खसरा नम्बर 460/1 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा श्मशान की भूमि के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनवा दी गई है। अतिक्रमण हटाने से शेष रही भूमि को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करवाये जाने की प्रक्रिया जारी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(392)लोआस/2014
एफ.11(437)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती लिछमा देवी निवासी ग्राम घाटवा, तहसील नावां, जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में डार्क जोन क्षेत्र में भंवरी देवी व अन्य अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार, नावां व अन्य लोक सेवकों से मिलीभगत कर खुदवाई गई अवैध ट्यूबवैल के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर व अन्य को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से व्यथित होकर खुदवाई गई अवैध ट्यूबवैल एवं दोषी लोकसेवकों के सम्बन्ध में कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया गया। समान विषय-वस्तु का एक अन्य परिवाद संख्या 11(437)लोआस/2014 श्री अर्जुन लाल द्वारा भी प्रस्तुत किये जाने से दोनों परिवादों को संलग्न कर कार्यवाही की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, नागौर ने रिपोर्ट दिनांक 15.06.2015 से अवगत करवाया कि प्रकरण में जाँच

करवाकर श्रीमती भँवरी देवी द्वारा बिना अनुमति अवैध रूप से बोरवेल खुदवाने पर उसके विरूद्ध पुलिस थाना, चितावा में नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, नागौर ने रिपोर्ट दिनांक 29.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि श्री विश्वामित्र मीना, तत्कालीन तहसीलदार, नावांशहर की रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती भँवरी पत्नी नानूराम रैगर निवासी घाटवा द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 1.65 हैक्टेयर के हिस्सा 2/5 में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अनधिकृत रूप से नलकूप खुदवाये जाने से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5/15 के तहत प्रकरण संख्या 06 दिनांक 03.02.2015 दर्ज किया जाकर अनुसंधान के बाद मुलजिमा श्रीमती भँवरी देवी के विरूद्ध चार्जशीट नम्बर 23 दिनांक 30.04.2015 तैयार की जाकर दिनांक 14.09.2015 को चालान अदालत में पेश किया जा चुका है। प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से ये परिवाद दिनांक 26.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किये गये।

एफ.11(423)लोआस/2014

परिवादी श्री शम्भुदयाल हाडिया निवासी मुकाम पोस्ट प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम प्रागपुरा के खसरा नम्बर 462 गैर मुमकिन नाला (डोल) की भूमि से अतिक्रमण हटवाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 16.02.2015 तथा 02.03.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कोटपूतली में विचाराधीन अपील संख्या

12/2015 निरस्त होने पर ग्राम प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली के खसरा नम्बर 462 किस्म गैर मुमकिन डोल भूमि में अतिक्रमण कर किये गये अवैध पुख्ता निर्माण को तहसीलदार, उप तहसीलदार, पावटा एवं राजस्व कार्मिकों की उपस्थिति में मौके पर जे.सी.बी. की सहायता से हटा दिया गया। अतिक्रमियों की बेदखली के पश्चात् राजकीय भूमि को कब्जे राज लिया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.03.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(427)लोआस/2014

परिवादी श्री बाबूलाल कौशिक निवासी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम बागोरा के खसरा नंबर 283 की गैर मुमकिन जोहड़ भूमि पर प्रभुराम पुत्र महावीर प्रसाद महाजन द्वारा काश्त कर किये गये अतिक्रमण को हटवाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने रिपोर्ट दिनांक 15.03.17 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में ग्राम बागोरा के खसरा नम्बर 283 की खातेदारी महावीर प्रसाद के नाम सक्षम आदेश के बिना अंकित करना पाये जाने पर उसे निरस्त करवाने हेतु न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं में रेफरेन्स प्रकरण दायर करवा दिया गया। प्रकरण में उत्तरदायी लोकसेवकों की मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की जा सकी।

अतः प्रकरण में इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 31.03.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(430)लोआस/2014
एफ.11(474)लोआस/2015
एफ.11(686)लोआस/2015

परिवादी श्री उमेर खाँ निवासी ग्राम रासलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद संख्या 11(430)लोआस/2014 में ग्राम रासलाना की गोचर भूमि खसरा नम्बर 360 में स्थानीय तहसील अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण कर काश्त करने, खसरा नम्बर 346 स्थित आम रास्ते को अतिक्रमण कर बन्द कर देने तथा सरकारी खाले को ध्वस्त कर सिंचाई करने के आरोप लगाते हुए उक्त अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया। परिवादी श्री आजम अली द्वारा प्रस्तुत परिवाद संख्या 11(474)लोआस/2015 व परिवादी श्री रामकुमार सुनार द्वारा प्रस्तुत अन्य परिवाद संख्या 11(686)लोआस/2015 समान प्रकृति एवं समान विषयवस्तु से सम्बन्धित होने के कारण उक्त परिवादों को सम्मिलित कर कार्यवाही की गई।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ ने रिपोर्ट दिनांक 04.10.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार, भादरा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम जाटान से रासलान जाने वाले गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 346 से दिनांक 11.07.2016 को मौके पर जे.सी. बी. मशीन की सहायता से अतिक्रमण हटवाया जाकर रास्ते को खुलवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से ये परिवाद दिनांक 17.02.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किये गये।

एफ.11(453)लोआस/2014

परिवादी श्री हरि सिंह निवासी पुरानी सब्जी मण्डी के पास, तहसील व जिला करौली द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में उनके खसरा नम्बर 4729–30

की कुल 30 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा जाँच पड़ताल कर खोले गये विरासत के नामान्तकरण को तहसीलदार, करौली द्वारा निर्णित नहीं करने की शिकायत करते हुए उक्त नामान्तरकरण को निर्णित करने के लिए आदेशित करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, करौली ने रिपोर्ट दिनांक 22.09.15 तथा 25.01.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण की नियमित सुनवाई कर उक्त परिवाद से सम्बन्धित पत्रावली में विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 27.07.2015 को नामान्तकरण का निर्णय कर दिया गया। प्रकरण में परिवादी एवं अन्य व्यक्तियों के नाम नियमानुसार विरासत दर्ज करने के आदेश दिये गये। परिवादी द्वारा जिला कलेक्टर की उक्त रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(493)लोआस/2014

परिवादी श्री खिल्लू सिंह निवासी ग्राम फतेहपुर, पोस्ट खुड़ियाना, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम फतेहपुर तर्फ खुड़ियाना की राजकीय प्राथमिक विद्यालय की भूमि आराजी खसरा नम्बर 479/302 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा पर किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को पत्र लिखे जाने के पश्चात् भी अतिक्रमण नहीं हटवाने से व्यथित होकर प्रकरण की जाँच करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर ने रिपोर्ट दिनांक 23.07.2015 तथा 19.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, फतेहपुर तर्फ खुड़ियाना के खेल मैदान आराजी खसरा नम्बर 479/309 की भूमि पर किये गये

अतिक्रमण को दिनांक 19.08.2016 को तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा मय पुलिस जाब्ता पूर्णतः ध्वस्त कर कब्जा प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, फतेहपुर तर्फ खुड़ियाना को सुपुर्द कर दिया गया है। विद्यालय के खेल मैदान पर अब किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(497)लोआस/2014

परिवादी श्री साहब सिंह निवासी डिडोरा, तहसील हिंडौनसिटी, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम ढिंढोरा की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 2569 में से 0.56 हैक्टेयर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढिंढोरा के लिए आवंटित भूमि पर पूर्व प्रधान, पंचायत समिति, हिण्डौनसिटी का अतिक्रमण होने से जिला कलेक्टर, करौली द्वारा कई लाख रूपये रिश्वत में लेकर पद का दुरूपयोग करते हुए निरस्त किये गये भूमि आवंटन को पुनः राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ढिंढोरा के नाम बहाल करने तथा जिला कलेक्टर, करौली के विरूद्ध जाँच करवाई जाकर कठोर कानूनी कार्यवाही करने की माँग की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त, भरतपुर ने रिपोर्ट दिनांक 29.01.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत खसरा नंबर 2569/1 रकबा 0.56 हैक्टेयर भूमि पर भगवान सिंह पुत्र ख्याली, करण सिंह, उंकार सिंह, कुंवर सिंह पिसरान किशनसिंह, जाति जाट निवासी ढिंढोरा द्वारा पाटौर व पत्थर डालकर किये गये अतिक्रमण को धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत नायब तहसीलदार द्वारा पारित अतिक्रमियों की बेदखली व शास्ति अधिरोपण आदेश की पालना में पटवारी द्वारा मौके से बेदखल कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 30.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(593)लोआस/2014

परिवादी श्री मुकेश जाट एवं अन्य निवासी ग्राम स्वामी का बास, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ने प्रस्तुत परिवाद में ग्राम स्वामी का बास के वार्ड नम्बर 05 में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर पुख्ता निर्माण करवा लेने, गाँव के निकट तालाब के पास स्थित मंदिर पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने व गाँव के सार्वजनिक चौक पर सामान डालकर अतिक्रमण कर लेने से अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही की जाकर अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 18.07.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि चारागाह भूमि खसरा नम्बर 281 से अतिक्रमण हटवाये गये। जिला कलेक्टर ने अन्य रिपोर्ट दिनांक 26.08.2016 के माध्यम से अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत खसरा नम्बर 3031 की भूमि में किये गये अतिक्रमणों को भी हटवा दिया गया है। खसरा नम्बर 326 तथा 325 के कुछ भाग पर बने पुख्ता मन्दिर की चार दीवारी भी हटवा दी गई है। परिवादी से उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(605)लोआस/2014

परिवादी श्री मूल सिंह निवासी मिण्डकिया, तहसील मकराना, जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्रामवासियों की ओर से प्रशासन गाँवों के संग

अभियान कैम्प ग्राम पंचायत जूसरिया में प्रस्तुत शिकायत में ग्राम मीण्डकिया की नाडी के खसरा नम्बर 58, 60, 126 व 147 की भूमि का सीमाज्ञान कर अतिक्रमण हटाने के निवेदन पर आदिनांक कोई कार्यवाही नहीं होने से व्यथित होकर उक्त अतिक्रमण को सीमाज्ञान कर हटाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, नागौर ने रिपोर्ट दिनांक 15.09.2015 तथा 04.03.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत खसरा नम्बरान की भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखली कर दिये जाने से वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। जिला कलेक्टर की उक्त रिपोर्ट पर परिवादी ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 26.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(639)लोआस/2014

परिवादी श्री बहादुर सिंह निवासी नोख, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में उसे किये गये नहरी भूमि आवंटन दिनांक 27.11.1997 की प्रथम किश्त जमा करवाये जाने के बावजूद आदिनांक भूमि का कब्जा नहीं देने की शिकायत करते हुए खातेदारी-सनद व भूमि का कब्जा दिलवाने का निवेदन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 14.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी को दिनांक 09.02.2016 को 21 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन किया जाकर दिनांक 10.06.2016 को नामान्तरण दर्ज किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.03.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(41)लोआस/2015

परिवादी सरपंच, ग्राम पंचायत, थाना पंचायत समिति, हिण्डोली, जिला बून्दी ने ग्राम थाना के खसरा नम्बर 341 की सिवायचक भूमि से दिनांक 09.10.2012 को अतिक्रमण हटाये जाने के बावजूद पुनः किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने हेतु उपखण्ड हिण्डोली के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध इस सचिवालय में यह परिवाद प्रस्तुत किया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 08.07.2015 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि में कुछ व्यक्ति मकान बनाकर निवास कर रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में अतिक्रमण हटाने के विरूद्ध सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश जारी है। इस सचिवालय द्वारा पुनः कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, बून्दी ने रिपोर्ट दिनांक 30.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत खसरा नम्बर की भूमि में से सिविल न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हिस्से की भूमि को छोड़कर शेष भूमि से अतिक्रमण हटवाया जा चुका है। साथ ही तहसीलदार, हिण्डोली को सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण में प्रभावी पैरवी करने हेतु भी निर्देशित किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 25.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(80)लोआस/2015

परिवादी श्री रूपनारायण मीना निवासी ग्राम पोस्ट समरा ढाणी सोडाला, तहसील थानागाजी, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में अनुसूचित

जनजाति के अधिकारों की अनदेखी करते हुए जाति प्रमाण–पत्र जारी नहीं करने पर तहसीलदार, थानागाजी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के आदेश प्रदान करवाने बाबत प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, अलवर ने रिपोर्ट दिनांक 14.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त कर परिवादी के परिवार के सदस्य अनीष मीना–पुत्र, हेनिका मीना–पुत्री, नैतिक मीना–पुत्र को जाति प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये हैं। श्रीमती मनोरमा देवी–पत्नी का प्रमाण पत्र पीहर पक्ष से बनवाया जाना है। परिवादी को पत्र तथा दूरभाष द्वारा इस सम्बन्ध में सूचना देकर उसकी समस्या का निवारण कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.12.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(96)लोआस/2015

परिवादी श्री सुभाष चन्द यादव निवासी भागमल की ढाणी, तन ततारपुर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में उसके खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 846 पर किये गये अतिक्रमण को न्यायालय नायब तहसीलदार, मुण्डावर के निर्णय दिनांक 27.09.2005 की अनुपालना में तुरन्त प्रभाव से हटवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, अलवर ने रिपोर्ट दिनांक 14. 01.2016 द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि की पैमाइश दिनांक 21.06.2006 को गिरदावर/पटवारी द्वारा किये जाने के पश्चात् श्री मोहनलाल निवासी भागमल की ढाणी द्वारा तीन फीट व श्री यादराम निवासी भागमल की ढाणी तन ततारपुर, तहसील मुण्डावर द्वारा

सात फीट अतिक्रमण करना पाया गया। अतिक्रमियों को नियमानुसार अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किये जाने पर अतिक्रमण नहीं हटाये जाने से प्रशासन द्वारा दिनांक 11.01.2016 को मौके पर पहुंचकर परिवादी की उपस्थिति में पक्का निर्माण कार्य ध्वस्त किया जाकर रास्ता चालू करा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.03.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(107)लोआस/2015

परिवादीगण श्री लादूराम व अन्य निवासी ग्राम थांवला, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम थांवला की सार्वजनिक एवं रास्ते की सिवायचक भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को हटवाये जाने तथा प्रकरण की जाँच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के समर्थन में प्रमाणित शपथ-पत्र प्राप्त न होने पर भी मामला प्रथमदृष्ट्या सिवायचक राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का होने से इस सचिवालय द्वारा 'स्वप्रेरणा' से प्रसंज्ञान लिया गया। परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, नागौर ने रिपोर्ट दिनांक 03.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में नायब तहसीलदार, भैरूंदा द्वारा मौजा थांवला के खसरा नम्बर 1649 व 1772 की भूमि में किये गये अतिक्रमण को हटवा दिया गया एवं अतिक्रमियों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत हिदायत भी दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(113)लोआस/2015

परिवादी श्री देवीलाल एवं अन्य निवासी ग्राम खटामला, तहसील एवं जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम खटामला की आराजी नम्बर 701 किस्म चारागाह भूमि पर श्री भीमराज नाई निवासी खटामला द्वारा मकान निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को अविलम्ब हटवाने तथा प्रकरण में अतिक्रमी से मिले हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, राजसमन्द ने रिपोर्ट दिनांक 25.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि राजस्व ग्राम खटामला की आराजी नम्बर 701 रकबा 58.19 बीघा भूमि किस्म चारागाह के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के आंशिक भाग पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिये गये हैं, जो काफी पुराने हैं। भूमि के उक्त आंशिक भाग के सभी अतिक्रमियों को नायब तहसीलदार, कुंवारिया द्वारा गठित दल द्वारा मौके से बेदखल किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 19.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(132)लोआस/2015

परिवादी श्री शौकत खाँकायमखानी निवासी ग्राम भीमपुरा, पोस्ट सरदारनगर, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा द्वारा ग्राम भीमपुरा में आबादी विस्तार हेतु आवंटित 03 बीघा भूमि पर तत्कालीन सरपंच एवं उसके परिवारजनों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत पर भी जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया।

इस सचिवालय द्वारा परिवाद के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाहे जाने पर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 01.10.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर अवस्थित निर्माणों के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश, भीलवाड़ा का स्थगन आदेश प्रभावी है। इस सम्बन्ध में निरन्तर पत्राचार करने पर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 22.09.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में सिविल न्यायालय का निर्णय हो जाने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि से समस्त अतिक्रमणों को हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(138)लोआस/2015

परिवादी श्री रामगोपाल निवासी मोहनपुरा, तहसील रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा ने इस परिवाद में ग्राम मोहनपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 11 रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने पर भी उसकी खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 12 की भूमि में से राजनैतिक द्वेषतावश पटवारी हल्का व सरपंच आदि द्वारा रास्ता निकालने का प्रयास करने पर तहसीलदार, रामगढ़ पचवारा को सीमाज्ञान हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर गिरदावर कैलाश चन्द गुप्ता तथा पटवारी हल्का, मोहनपुरा श्री गोपाल बैरवा द्वारा मौके पर गये बिना ही घर बैठकर मिथ्या व गलत मौका रिपोर्ट तैयार कर देने की शिकायत करते हुए दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही कर जबरन परिवादी की खातेदारी भूमि से रास्ता नहीं निकालने हेतु पाबन्द किये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, दौसा ने रिपोर्ट दिनांक 23.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम मोहनपुरा के खसरा नम्बर 12, 25 व 28 की भूमि का सीमाज्ञान भू-प्रबन्ध विभाग व राजस्व विभाग की टीम द्वारा दिनांक 25.05.2016 को करवाया जा चुका है।

प्रकरण में की गई जाँच से परिवादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 12 से लगते हुए खसरा नम्बर 11 में से पूर्व से ही रास्ता संचालित होना प्रकट हुआ है तथा परिवादी की निष्पक्ष एवं स्पष्ट सीमाज्ञान नहीं होने की शिकायत का निराकरण कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.12.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(172)लोआस/2015

परिवादी श्री रामसिंह निवासी ग्राम बोयणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर ने इस परिवाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली की पत्रावली संख्या 225/06 रामसिंह बनाम मनोहर सिंह में आराजियात का कब्जा दिलाये जाने बाबत पारित निर्णय की पालना में जारी अंतिम डिक्री न्यायालय द्वारा तहसीलदार, मावली को भेजे जाने एवं उससे 21,000/-रूपये नगद लेने पर भी तहसीलदार द्वारा डिक्री की पालना नहीं किये की शिकायत सभी अधिकारियों को करने के बावजदू भी कोई कार्यवाही नहीं होने से सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, उदयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 01.04.16 के माध्यम से अवगत करवाया कि दिनांक 09.09.2015 को नायब तहसीलदार, मावली के नेतृत्व में टीम का गठन कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली के निर्णयानुसार ग्राम बोयणा से नवसृजित ग्राम धर्मेता की आराजी संख्या 1255 रकबा 17.18 बीघा के आंशिक भाग पर श्री मनोहर सिंह पिता डूंगर सिंह द्वारा किये गये अतिक्रमण को मुक्त करवाकर परिवादी खातेदार श्री रामसिंह को कब्जा दिलवा दिया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मावली द्वारा निर्णयानुसार पालना करने हेतु तहसीलदार को दिनांक 28.12.2012 को लिखा गया। तहसीलदार द्वारा पालना हेतु पटवारी हल्का, बोयणा को दिनांक 01.01.13 को लिखा गया।

श्री महेन्द्र सिंह राव, पटवारी के अनुसार न्यायालय का आदेश उसे पटवार मण्डल, बोयणा का अतिरिक्त चार्ज रहने के दौरान दिनांक 01.01.13 को प्राप्त हुआ था। न्यायालय द्वारा जारी डिक्री में कब्जा दिये जाने बाबत पूर्व दिशा की ओर 86 फीट चौड़ी भूमि का ही अंकन था। चूंकि वादग्रस्त आराजीयात का साबिक आराजी रकबा 66.07 बीघा का बड़ा भू-भाग होकर मौके पर माप का मिलान नहीं हो रहा था, ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण क्षेत्र का मौके पर पूर्ण सर्वे करने पर ही डिक्री हकरसी की पालना सम्भव थी। इस हेतु दक्ष सर्वे टीम गठित की जाकर डिक्री की पालना दिनांक 02.09.2015 को कर दी गई। प्रकरण में न्यायालय आदेश की पालना तकनीकी कारणों से विलम्बित हुई। प्रकरण में टीम बनाकर विस्तृत भू-भाग का सीमाज्ञान किये जाने पर ही डिक्री की पालना संभव हो सकी है। इस प्रकार प्रकरण में किसी लोकसेवक का दोषी होना प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 20.04.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(261)लोआस/2015

परिवादी श्री गिर्राज जाट निवासी भोजपुरा, पोस्ट फुलेता, तहसील उनियारा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम भोजपुरा की चारागाह भूमि पर मकान निर्माण, काश्त एवं अवैध खनन कर किये गये अतिक्रमण की शिकायत ग्राम की जनता द्वारा जिला कलेक्टर, टोंक एवं तहसीलदार, उनियारा को अनेक बार करने पर भी कोई कार्यवाही न होने से चारागाह भूमि पर किये गये उक्त अवैधानिक अतिक्रमण को हटवाया जाकर चारागाह भूमि को मुक्त करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 13.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम भोजपुरा के आराजी खसरा नम्बर 920/37 की भूमि में पड़े हुए तूड़ी के ढेरों को स्वयं अतिक्रमियों

द्वारा हटा लिया गया है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर की भूमि अब अतिक्रमण रहित है। इस बाबत परिवादी की उपस्थिति में दिनांक 27.05.16 को मौका पर्चा भी बनाया गया, जिसके अनुसार परिवादी की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 25.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(285)लोआस/2015

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद सैनी निवासी रायपुर पाटन, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम रायपुर पाटन के खसरा नम्बर 884 रकबा 0.57 हैक्टेयर गैर मुमकिन तलाई व खसरा नम्बर 893 रकबा 2.28 हैक्टेयर चारागाह भूमि में से 0.48 हैक्टेयर भूमि पर पोखर पुत्र आशाराम माली निवासी रायपुर पाटन द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा दिनांक 18.12.2012 को बेदखली का निर्णय पारित करने तथा अतिक्रमी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के आदेश देने पर भी आदिनांक राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं करवाने से सम्बन्धित लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने तथा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15.09.2016 के अनुसार प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय होने के उपरान्त दिनांक 31.12.12 एवं 31.08.2016 को अतिक्रमी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के प्रयास किये गये। थानाधिकारी, पुलिस थाना, पाटन ने अवगत करवाया कि प्रकरण में पूर्व में अतिक्रमण हटवाया जा चुका है एवं खसरा नम्बर 893 की भूमि बाबत आबादी विस्तार के प्रस्ताव भिजवा दिये जाने के कारण वर्तमान में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना तर्कसंगत नहीं है।

वर्तमान में खसरा नम्बर 884 गैर मुमकिन तलाई की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा खसरा नम्बर 893 की भूमि के सम्बन्ध में आबादी विस्तार के प्रस्ताव बनाकर भेजे जा चुके हैं।

अत: इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(293)लोआस/2015

परिवादी श्री रमेश चन्द मीणा निवासी ग्राम खोहल्या, तहसील उनियारा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम खोहल्या के खसरा नम्बर 1358/990 रकबा 1.20 हैक्टेयर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के फील्ड की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने तथा बच्चों के लिये खेल मैदान बनवाये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 19.01.16 द्वारा अवगत करवाया कि पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 91 के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पर दर्ज प्रकरण में सुनवाई करने के पश्चात् अतिक्रमी को भूमि से बेदखल करने तथा 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया गया। दिनांक 14.01.2016 को ग्रामवासियान, संस्था प्रधान, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पटवारी हल्का, भू-अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार उनियारा की उपस्थित में भूमि के चारों तरफ से जरीब चलाकर सीमांकन करवाने के बाद चिन्हित सीमा में स्थित अतिक्रमण को जे.सी.बी. की सहायता से पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में भौतिक रूप से हटवा दिया गया। मौके पर उपस्थित प्रभारी संस्था प्रधान को कब्जा संभलवाया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 21.04.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(294)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती सीता देवी निवासी ग्राम सरगिया खुर्द, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा दिनांक 08.04.2013 को खारिज होने पर भी न्यायालय निर्णयानुसार उसके पक्ष में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 की अनुसूची के अनुसार 18 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद तहसीलदार द्वारा नामान्तरण दर्ज नहीं करने की शिकायत करते हुए उक्त नामान्तरण दर्ज करने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 23.09.16 के द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम झाक, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि का परिवादी व अन्य के नाम नामान्तरण स्वीकृत करने बाबत तहसीलदार, बिलाड़ा को दिये गये आदेश की पालना में न्यायालय निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में परिवादी, उसकी अन्य दो बहिनों गीता देवी व परमा देवी तथा उसके भाईयों के नाम दर्ज किये जा चुके हैं। साथ ही ग्राम झाक के अलावा नवसृजित गाँव माराजा नगर के राजस्व अभिलेख में भी परिवादी व उसकी अन्य दो बहिनों के नाम जोड़े जा चुके हैं। उक्त तथ्यों की पुष्टि में ग्राम झाक के स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2333 व ग्राम माराजा नगर के नामान्तरण संख्या 182 की प्रतियाँ भी रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 20.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(333)लोआस/2015

परिवादी श्री सन्तोष कुमार जैन पूर्व पटवारी, हल्का देवलेन, तहसील टोडाभीम, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में तहसीलदार (भू.अ.),

टोडाभीम कार्यालय के ऑफिस कानूनगो श्री मुकेश कुमार मीणा द्वारा प्रार्थी के बकाया भुगतान का बिल कई बार प्रार्थना करने के बावजूद नहीं बनाने की शिकायत करते हुए उक्त बकाया भुगतान करवाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद पर कार्यवाही करते हुए इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, करौली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.03.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री संतोष कुमार जैन की दिनांक 14.01.2013 से 31.01.2013 तक की अवधि के वेतन निर्धारण एरियर की राशि का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.04.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(342)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती संगीता शर्मा उपसरपंच, ग्राम पंचायत बहरामदा, पंचायत समिति, नदबई, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नदबई कार्यालय के बेलदार, श्री विजय सिंह, द्वारा ग्राम बहरामदा की सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण कर लेने एवं उसके ड्यूटी पर भी नहीं जाने की शिकायत उच्चाधिकारियों को करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख करते हुए दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही कर उसे स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भरतपुर ने रिपोर्ट दिनांक 19.09.16 के द्वारा अवगत करवाया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी श्री विजय सिंह मीना ने पूर्व में राजकीय भूमि पर लकड़ी व घूरा डालकर कुछ अस्थायी प्रकृति का अतिक्रमण कर लिया था, जिसे उसके द्वारा हटा लिया गया। अब मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(350)लोआस/2015

परिवादी श्री जोखीराम पुत्र श्री हीराराम निवासी ग्राम रिबिया, तहसील व जिला चूरू ने इस परिवाद में ग्राम रिबिया के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय व राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर कुछ लोगों द्वारा पक्का निर्माण तथा फसल काश्त कर अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण की जाँच कर दोषी व्यक्तियों तथा लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही कर खेल मैदान में हुए अवैध अतिक्रमण को हटवाने का अनुरोध किया।

इस परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, चूरू ने रिपोर्ट दिनांक 06.09.16 के द्वारा अवगत करवाया कि उपखण्ड अधिकारी, चूरू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रिबिया के खेल मैदान खसरा नम्बर 688/554 रकबा 10 बीघा भूमि से प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में अतिक्रमण हटवा कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में परिवादी से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(355)लोआस/2015

परिवादी श्री रूघाराम मांझू निवासी रोडवेज बस स्टेण्ड के पास, ई.सी. एच.एस. हॉस्पिटल के सामने, वार्ड नम्बर 11, जिला चूरू ने इस परिवाद में उसे कनिष्ठ कर्मी श्री सतीश कुमार माथुर, जिला राजस्व लेखाकार से

भी कम वेतन प्राप्त होने के कारण वेतन उन्नयन करवाये जाने बाबत निवेदन किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, चूरू ने रिपोर्ट दिनांक 15.01.15 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी श्री रूघाराम मांझू का वेतन उन्नयन प्रकरण उपनिबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भिजवाया जा चुका है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 10.05.2016 द्वारा वेतन उन्नयन बाबत जारी आदेश की प्रति प्रेषित करते हुए अवगत करवाया कि श्री रूघाराम मांझू के वेतन उन्नयन हेतु कार्यवाही पूर्ण कर आदेश जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(356)लोआस/2015

परिवादी श्री रणवीर सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुरा बिदावतान, तहसील सरदारशहर, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम कल्याणपुरा बिदावतान से ग्राम पातलीसर जाने वाले कटानी रास्ते को सुमेरसिंह द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 142 में बाड़ बनाकर तथा काश्त कर रोके जाने से उक्त रास्ते को खुलवाये जाने हेतु तहसीलदार व अन्य अधिकारियों को ज्ञापन दिये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से व्यथित होकर उक्त रास्ता खुलवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, चूरू ने रिपोर्ट दिनांक 25.02.2016 से अवगत करवाया कि प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार, सरदारशहर की रिपोर्ट के अनुसार तहसील, सरदारशहर के ग्राम कल्याणपुरा बीदावतान से पातलीसर जाने वाले कटानी रास्ते को अपने खेत खसरा नम्बर 142 में सुमेर सिंह द्वारा बन्द किये जाने पर दिनांक

25.08.2015 को सरपंच, ग्राम पंचायत, कल्याणपुरा पुरोहितान, ग्रामवासियों तथा पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर खुलवा दिया गया था, किन्तु दिनांक 26.08.15 को सुमेर सिंह द्वारा उक्त रास्ता पुनः बन्द कर दिये जाने पर दिनांक 27.08.2015 को मय पुलिस जाब्ता पुनः खुलवा दिया गया है। वर्तमान में मौके पर रास्ता चालू होकर आवागमन जारी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.05.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(361)लोआस/2015

परिवादी श्री मनोहर सिंह निवासी ख्याली, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद में रोही ग्राम ख्याली स्थित उसकी भूमि खसरा नम्बर 151 व 262/126 की जमाबन्दी की नकल लेने हेतु 100/- रूपये देने के बाद भी श्री सुनील पटवारी, बाडेट द्वारा नकल जारी नहीं करने तथा इस बाबत तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी को की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही न होने का उल्लेख करते हुए प्रकरण की जाँच करवाई जाकर लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने तथा नकल दिलवाये जाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 21.12.15 के द्वारा तहसीलदार, मलसीसर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, मलसीसर ने रिपोर्ट दिनांक 26.10.2015 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा वांछित नकल उसे जारी की जा चुकी है तथा इसी आधार पर उसे जारी किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंक से ऋण भी स्वीकृत हो चुका है। जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.07.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में तत्कालीन पटवारी का कोई दोष नहीं है। परिवादी द्वारा पटवारी पर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए शिकायत की गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(382)लोआस/2015

परिवादी श्री धर्म सिंह व अन्य निवासी ग्राम लोटवाड़ा, तहसील एवं जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम लोटवाड़ा में आम रास्ते के खसरा नम्बर 255/585, 246 व 470 की भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पुख्ता निर्माण कर अतिक्रमण कर लेने की शिकायत दिनांक 14.07.15 को जिला कलेक्टर, दौसा व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने से उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, दौसा की रिपोर्ट दिनांक 05.05.16 के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार, दौसा द्वारा सुनवाई कर 09 अतिक्रमियों में से दो अतिक्रमियों को 03-03 माह के सिविल कारावास एवं 50 गुणा शास्ति से व अन्य अतिक्रमियों को 50 गुणा शास्ति से दण्डित कर मौके से बेदखल किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(386)लोआस/2015

परिवादी श्री सगराम निवासी बावरियों का बास, भोपालगढ, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम भोपालगढ़ जे.बी. के खसरा नम्बर 2478 रकबा 09 बीघा 17 बिस्वा किस्म गैर-मुमकिन मगरा की भूमि पर किये

गये अवैध अतिक्रमण को हटवाने एवं उसे आवंटित एवं उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2478/2 रकबा 03 बीघा किस्म बारानी तृतीय से अतिक्रमण हटवाते हुए पूर्ण रकबे का कब्जा दिलवाये जाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 10.01.17 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में खसरा नम्बर 2478 रकबा 9.17 बीघा किस्म गैर-मुमकिन मगरा राजकीय भूमि के 2.10 बीघा भाग पर रामुराम, सोहनराम पिसरान भीरमराम निवासी भोपालगढ़ द्वारा किये गये अतिक्रमण को धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज मुकदमे में अतिक्रमियों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए पारित किये गये बेदखली के आदेशों की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा भौतिक रूप से हटा दिया गया है। परिवादी द्वारा वांछित तरमीम की कार्यवाही भी प्रकरण में कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(400)लोआस/2015

परिवादी श्री किशन सिंह निवासी सैपउ रोड़, बाड़ी, जिला धौलपुर ने ग्राम धन्नुपुरा की चारागाह भूमि एवं ग्राम गजपुरा की खदाना. के पास की 200 एकड़ भूमि पर विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने का निवेदन करते हुए यह परिवाद प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, धौलपुर को प्रकरण म. जाँच कर वस्तुस्थिति से अवगत करवाने बाबत लिखा गया, जिसकी अनुपालना म. जिला कलेक्टर, धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.12.2015 तथा 04.02.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण म. सिवायचक भूमि पर किये गये अतिक्रमणा. को दिनांक 10.12.2015 को हटवा दिया गया।

जिला कलेक्टर द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि भूमि खसरा नम्बर 947 गैर मुमकिन पहाड़ी की खातेदारी वन विभाग के नाम दर्ज है। इस सम्बन्ध म. उपवन संरक्षक, धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.04.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि पर बनी हुई पुरानी पत्थर की दीवार को जगह-जगह से ध्वस्त कर अतिक्रमण हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त वन-भूमि पर अन्य कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 03.08.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(403)लोआस/2015

परिवादी श्री मदन लाल निवासी ग्राम मण्डावरा, पोस्ट आमली, तहसील व जिला बून्दी द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में जमाबन्दी में उसका सही हिस्से का इन्द्राज करने एवं इन्तकाल खोले जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार, बून्दी द्वारा कार्यवाही न किये जाने से व्यथित होकर इन्द्राज सही करने व नामान्तरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, बून्दी ने रिपोर्ट दिनांक 18.01.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में परिवादी एवं उसके परिवार का हिस्सा सही रूप से दर्ज है एवं परिवादी की माता का फौतगी नामान्तरण नियमानुसार भर दिया गया। जिला कलेक्टर की उक्त रिपोर्ट पर परिवादी ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की, जिससे स्पष्ट है कि वह प्रकरण में की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.04.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(425)लोआस/2015

परिवादी श्री पवन कुमार निवासी 39, एल.एन.पी., तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में पटवारी व गिरदावर द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र खरीद की गई औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं करने तथा 5,00,000/- रूपये की रिश्वत मांगे जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग करते हुए उसके क्रय शुदा रकबे का इंतकाल दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 27.04.2016 से अवगत करवाया गया कि पटवारी हल्का, खोथावाली द्वारा प्रकरण में प्रश्नगत रूपांतरित भूमि का नामांतरण संख्या 324 दिनांक 04.01.2016 को दर्ज कर दिया गया है। तहसीलदार, पीलीबंगा की रिपोर्ट में परिवादी द्वारा प्रश्नगत रूपांतरण आदेश की प्रतिलिपि पूर्व में किसी पटवारी को नहीं दिया जाना सिद्ध होने के कारण नामांतरण में हुई देरी हेतु किसी भी कार्मिक को दोषी नहीं पाया गया है। राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार रूपांतरित भूमि का हस्तांतरण होने पर इसके खातेदारी भूमि से पृथक होने के कारण नामांतरण नहीं किया जा सकता। जिला कलेक्टर की उक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.08.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(442)लोआस/2015

परिवादी श्री पूरण चंद निवासी ज्योति नगर, अंध विद्यालय के पास, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा राजस्व मण्डल न्यायालय के निर्णयानुसार उसकी भूमि की खातेदारी सनद

उसे प्रदान नहीं करने से व्यथित होकर उक्त निर्णय की पालना में खातेदारी सनद प्रदान करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 01.01.16 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की खातेदारी दिये जाने बाबत नियमों में हुये संशोधन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन अपेक्षित था, जो प्राप्त हो गया है। जिला कलेक्टर द्वारा पुनः प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 29.02.16 के माध्यम से अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खातेदारी की सनद संख्या 280 व 281 दिनांक 02.02.16 जारी कर प्रार्थी को वितरित कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 08.06.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(453)लोआस/2015

परिवादी श्री रामपाल एवं अन्य निवासी कल्याणपुरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम कल्याणपुरा की आराजी नम्बर 520 रकबा 100 बीघा चारागाह भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लेने की शिकायत पर प्रशासनिक स्तर से कोई कार्यवाही नहीं होने से व्यथित होकर उक्त अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 04.03.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत चारागाह भूमि से अस्थाई अतिक्रमण हटवा दिये गये हैं। स्थाई अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किये गये थे, किन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा उच्चतर न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर देने से कार्यवाही नहीं की जा सकी। इस सचिवालय द्वारा निरन्तर कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 29.12.2016 द्वारा अवगत

करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत सम्पूर्ण चारागाह भूमि से तहसीलदार द्वारा सभी अतिक्रमण हटवा दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.01.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(458)लोआस/2015

परिवादी सुश्री शान्ति निवासी सीसौला, ग्राम पंचायत नाथड़ी, तहसील पीपलू, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम सीसौला में उसे वर्ष 2001 में आवंटित भूमि खसरा नम्बर 567/5 में पड़ौसी खसरा नम्बर 568 के खातेदारान द्वारा नाजायज कब्जा कर लेने से दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर उसकी भूमि का कब्जा उसे पुनः दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 11.03.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में राजीनामा होकर रकबा 0.07 बीघा भूमि छोड़कर शेष रही 1.03 बीघा भूमि का कब्जा परिवादी को सुपुर्द कर दिया गया। इस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा आपत्तियाँ प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में उसके द्वारा कोई राजीनामा नहीं किया गया है तथा मौका पर्चा पर उसके हस्ताक्षर झूठा आश्वासन देकर करवाये गये हैं। इस सचिवालय द्वारा पुनः जाँच करवाने के निर्देश देने पर जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 11.08.2016 द्वारा अवगत करवाया कि दिनांक 13.05.2016 को प्रकरण में पुनः सीमाज्ञान करवाकर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(471)लोआस/2015

परिवादी श्री हंसाराम निवासी ग्राम सेरूआ, पोस्ट लूणोल, तहसील रेवदर, जिला सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम सेरूआ में उसकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 44, 281 व 283 में आवागमन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत आपसी सहमति से पड़ौसी खातेदार को देय मुआवजा राशि सरकार में जमा करवा देने के बावजूद भी रास्ते की तरमीम नहीं करने के आरोप अंकित करते हुए सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को उसकी कृषि भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता प्रदान करने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, सिरोही से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.04.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी द्वारा उसकी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु चाहे गये रास्ते की भूमि की तरमीम कर दी गई एवं इस पर अवस्थित अतिक्रमण हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 26.04.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(473)लोआस/2015

परिवादीगण श्री सीयाराम व अन्य निवासी ग्राम सांवटा, तहसील खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उल्लेख किया गया कि ग्राम के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बनास नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। जगदीश व धनजी द्वारा खसरा नंबर 219 चारागाह भूमि पर व खसरा नंबर 608 गैर-मुमकिन नदी में अवैध कुआं खोदकर काश्त की जा रही है तथा राधेश्याम द्वारा नदी क्षेत्र की करीब 50 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर खनन किया जा रहा है। इस बाबत विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर शिकायत करने के बावजूद अतिक्रमियों के विरूद्ध कोई

कार्यवाही नहीं की जा रही है। परिवाद में प्रकरण की जाँच 7करवाई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 09.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम सांवटा के आराजी नम्बर. 219 की भूमि में जगदीश पुत्र मूड़या गुर्जर द्वारा 02 बीघा भूमि पर एवं रामसहाय पुत्र लड्डू गुर्जर द्वारा 01 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें मौके से बेदखल किया जा चुका है। खसरा नम्बर 608 की भूमि में 47 व्यक्तियों द्वारा 44.10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें भी मौके से बेदखल किया जा चुका है। वर्तमान में भूमि में खनन कार्य नहीं हो रहा है। अतिक्रमियों को भविष्य में अतिक्रमण न करने हेतु पाबन्द किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(477)लोआस/2015

परिवादी श्री बिहारी लाल व अन्य निवासी भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम ढ़ाणी गैसकान, भाबरू स्थित भूमि खसरा नम्बर 103/4436, 104 तथा 149 की रिसीवरी बाबत उपखण्ड अधिकारी न्यायालय, विराटनगर, जयपुर से दिनांक 23.09.2014 को फैसला होने के बावजूद रिसीवरी की समस्त राशि का भुगतान करने में देरी की शिकायत करते हुए प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 16.05.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी,

विराटनगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री बिहारी लाल को दिनांक 21.03.2016 को रिसीवरी राशि का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 31.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(497)लोआस/2015

परिवादी श्री किशोर लाल निवासी पीपलदा, पोस्ट मानपुरा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम पीपलदा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आवंटित खेल मैदान से अतिक्रमण हटाये जाने बाबत उच्चाधिकारियों व तहसीलदार, माण्डलगढ़ के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही न होने से व्यथित होकर उक्त अतिक्रमण को हटवाये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, भीलवाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 21.12.2015 एवं 22.01.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पीपलदा की आराजी खसरा नम्बर 293/196 (जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान हेतु आवंटित है) से दिनांक 15.12.2015 को परिवादी की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवा दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी उपस्थित थे।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.04.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(501)लोआस/2015

परिवादी श्री बन्ना निवासी आमली, तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम आमली में स्थित उसकी गैर खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में पिछले एक वर्ष से तहसील कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद तहसीलदार, माण्डलगढ, जिला भीलवाड़ा द्वारा खातेदारी अधिकार नहीं देने से व्यथित होकर अधिकार दिलवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, भीलवाडा ने रिपोर्ट दिनांक 04.02.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में दिनांक 02.02.2016 को श्री किशननाथ पिता घीसानाथ एवं श्री घीसानाथ पिता चंद्रानाथ निवासी आमली को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। खातेदारी अधिकार प्रदान करने बाबत जारी आदेश की प्रति भी इस सचिवालय को प्राप्त हुई।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.06.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(506)लोआस/2015

परिवादी श्री पुष्कर लाल निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा इस परिवाद में ग्राम लक्ष्मीपुरा के आराजी खसरा नम्बर 310 रास्ते, नाले तथा आबादी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में तहसीलदार, बड़ी सादड़ी के समक्ष प्रस्तुत शिकायत पर कोई कार्यवाही न होने से व्यथित होकर उक्त अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा रिपोर्ट दिनांक 05.01.2016 तथा 16.05.2016 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण में परिवादी की उपस्थिति में प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान करवाया

जाकर अतिक्रमण को हटवा दिया गया है। इस सम्बन्ध में तैयार फर्द मौका एवं फोटोग्राफ्स की प्रतियाँ भी प्राप्त हुई हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के प्रति प्रतिवादी ने संतुष्टि जाहिर की है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(509)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती शांतिबाई निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के पास, सुल्तानपुर, तहसील दीगोद, जिला कोटा द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में उसके पति द्वारा उसके हक में निष्पादित वसीयत का नामान्तरण दर्ज करने के लिये नायब तहसीलदार, सुल्तानपुर द्वारा आदेश प्रदान करने के बावजूद सम्बन्धित पटवारी द्वारा नामान्तरण दर्ज नहीं करने से उसके विरूद्ध कार्यवाही कर नामान्तरण दर्ज करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, कोटा ने रिपोर्ट दिनांक 29.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में परिवादी द्वारा वांछित नामांतरण स्वीकृत करने की कार्यवाही दिनांक 30.09.2015 को कर दी गई। स्वीकृत नामान्तरण की प्रतिलिपि भी इस सचिवालय को प्रेषित की गई। संपादित कार्यवाही के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 08.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(510)लोआस/2015

परिवादी भगवान शंकर व अन्य निवासी ग्राम जवाहर नगर-3, तहसील धरियावाद, जिला प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम जवाहर नगर-3 स्थित सिंचाई विभाग के तालाब पर कालू लाल मीणा, शारीरिक शिक्षक द्वारा अतिक्रमण कर खेती कर लेने, अतिक्रमण से आम रास्ता अवरूद्ध हो जाने व ग्रामवासियान को पशुओं को पानी पिलाने में भारी समस्या होने इत्यादि की शिकायत करते हुए तालाब की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ ने रिपोर्ट दिनांक 25.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में मौजा बिजाणिया की आराजी नम्बर 139 व 140 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर शंकर पिता मेघा मीणा निवासी बिजाणिया द्वारा गेंहूँ की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया था, जिसके विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर दिया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त तालाब की मोरी में किये गये छेद को बन्द करवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने तथा अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह परिवाद दिनांक 11.06.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(514)लोआस/2015

परिवादी रघुवीर सिंह निवासी ग्राम पोस्ट चारावास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम चारावास स्थित गोचर भूमि खसरा नम्बर 466 पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर काश्त कर लेने व भूमि

पर स्थित खेजड़ी के हरे वृक्षों को उखाड़ कर बेच देने की शिकायत उच्चाधिकारियों को कई बार करने पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने तथा अतिक्रमण नहीं हटवाने से व्यथित होकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवा कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत अतिक्रमण के सम्बन्ध में जारी बेदखली आदेश अनुसार फसल नीलामी कर भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया और मौके पर वर्तमान में किसी का अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(515)लोआस/2015

परिवादी नत्थूराम मीणा निवासी निहालपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा ने परिवाद में ग्राम पंचायत, निहालपुरा में चारागाह भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लेने एवं कब्जा हटाने के लिए उच्चाधिकारियों को निवेदन करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत करते हुए चारागाह भूमि का सीमांकन कर अवैध कब्जे हटवाने के निर्देश राजस्व विभाग को देने का अनुरोध किया।

उक्त परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के संदर्भ में जिला कलेक्टर, दौसा ने रिपोर्ट दिनांक 24.04.2016 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत चारागाह भूमि से अतिक्रमण भौतिक रूप से हटवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 04.05.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(527)लोआस/2015

परिवादी कुलदीप जैन निवासी 262 ए, सिन्धी कॉलोनी, जिला जयपुर से प्राप्त परिवाद में उसके द्वारा वर्ष 2012-13 की अवधि के देय बोनस के लिए तहसीलदार, चाकसू, जिला कलेक्टर, जयपुर व प्रमुख सचिव, जन अभाव अभियोग, जयपुर को निवेदन करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने से उक्त अवधि के बोनस की राशि का भुगतान करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 09.11.2016 द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत अवधि के देय बोनस की राशि परिवादी के खाते में दिनांक 08.11.2016 को जमा करवायी जा चुकी है। रिपोर्ट के साथ जमा रसीद की प्रतिलिपि भी प्राप्त हुई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(540)लोआस/2015

परिवादी सुश्री सरस्वती आर. कलाल निवासी 143, संजय नगर, जालोर हाल मनीष दीप, मनीष नगर, चार बंगला, मुम्बई (महाराष्ट्र) के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके द्वारा जरिये इकरारनामा क्रय की गई कृषि भूमि खसरा नम्बर 2228 व 2230 को आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तित करवाने के लिए तहसील कार्यालय, जालोर के लिपिक श्री रूस्तम खाँ से सम्पर्क करने पर 10 हजार रूपये रिश्वत की माँग करने, श्री रूस्तम खाँ द्वारा अपनी पत्नी के नाम से उक्त भूमि को क्रय कर लेने व श्री रूस्तम खाँ

का स्थानान्तरण होने के बावजूद उसको वहाँ से नहीं हटाने की शिकायत करते हुए राज्य कर्मचारी द्वारा अपनी पत्नी के नाम से खरीदी गई भूमि के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं करने बाबत जाँच करने व जिला कलेक्टर, जालोर को उक्त लोकसेवक को कार्यमुक्त करने के आदेश देने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, जालोर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 05.02.2016 द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री रूस्तम खां, वरिष्ठ लिपिक को तहसील कार्यालय, जालोर से हटाया जाकर लोक अभियोजक कार्यालय, जालोर में नियुक्त कर दिया गया। शिकायत में अंकित अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध म. जाँच में श्री रूस्तम खाँ को दोषी नहीं पाया गया। इस प्रकार परिवादी द्वारा श्री रूस्तम खाँ को कार्यमुक्त करने का अनुतोष ही मुख्य रूप से चाहा गया था, जो उसे प्राप्त हो चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.05.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(541)लोआस/2015

परिवादी श्री माँगीलाल निवासी नोखा, जिला बीकानेर ने इस परिवाद म. अभिकथन किया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि आदान अनुदान देने के लिए बनाई गई सूची में उसकी माता व भाई का नाम तो जोड़ दिया गया, किन्तु उसका नाम छोड़ दिया गया, जबकि कृषि भूमि में उसका भी बराबर का हिस्सा है। अतः कृषि आदान अनुदान की पात्रता सूची म. उसका भी नाम जुड़वाकर अनुदान राशि दिलवाई जावे।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, बीकानेर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 05.04.2016 से अवगत करवाया गया कि परिवादी को वर्ष 2012 की खरीफ फसल खराबे की

कृषि आदान अनुदान राशि रूपये 1860/- का भुगतान किया जा चुका है। परिवादी द्वारा स्वयं इस सम्बन्ध म. पत्र प्रेषित कर अनुदान प्राप्त हो जाने के कारण आगे कोई कार्यवाही नहीं किये जाना भी प्रकट किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने तथा अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह परिवाद दिनांक 22.04.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(543)लोआस/2015

परिवादी श्री बजरंग लाल निवासी ग्राम नवलपुरा, तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी के द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में यह अभिकथन किया गया था कि ग्राम नवलपुरा की भूमि खसरा नम्बर 36 में से 0.96 हैक्टेयर भूमि किसी सूरजमल पटेल द्वारा एक व्यक्ति बाबूलाल बैरवा के नाम से क्रय कर अपने पुत्र महावीर के द्वारा काश्त करवायी जा रही है। उक्त महावीर द्वारा परिवादी की भूमि पर भी कब्जा किया जाता रहा है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा काश्त किया जाना नियमानुसार नहीं है। परिवादी ने यह भी कथन किया था कि उसकी भूमि की तरमीम नहीं होने के कारण सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं, इस कारण उसकी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। परिवादी ने उसकी भूमि की नक्शे में तरमीम करवाने एवं आरोपी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करवाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संदर्भ में जिला कलेक्टर, बून्दी की रिपोर्ट दिनांक 18.01.2016 द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवाद से सम्बन्धित भूमि की पेन्सिली तरमीम पूर्व में की जा चुकी थी, जिसकी पुख्ता तरमीम अब कर दी गई है। परिवादी ने दिनांक 05.04.2016 को आपत्ति-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभी तक भूमि का कोई सीमाज्ञान नहीं किया गया है तथा उसके सामने कोई तरमीम नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में पुनः जिला

कलेक्टर, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 25.10.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में पूर्व में भी सीमाज्ञान करवाकर परिवादी के हस्ताक्षर फर्द मौका पर करवाये गये थे, किन्तु उसके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर पुनः सीमाज्ञान करवाकर उसे संतुष्ट कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने तथा अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह परिवाद दिनांक 28.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(550)लोआस/2015

परिवादी श्री दुदा लाल गुर्जर निवासी खेरपुरा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम खेरपुरा के खसरा नंबर 10 की सरकारी भूमि पर शंकर पिता खाना गुर्जर द्वारा पक्का निर्माण कर व्यापार करना प्रारम्भ कर देने, भूमि में निर्मित प्रतीक्षालय से यात्रियों को धमका कर भगा देने व तहसीलदार, माण्डलगढ़ द्वारा 10,000/- रूपये की राशि रिश्वत में लेकर अतिक्रमण को शह देने की शिकायत उच्चाधिकारियों को किये जाने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने का उल्लेख करते हुए उक्त भूमि से अतिक्रमण हटवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 03.02.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में ग्राम खेरपुरा की बिलानाम आराजी नंबर 10 रकबा 0.05 बीघा पर पक्का निर्माण करते हुए चाय की दुकान लगाकर अप्रार्थी श्री शंकर पिता काना गुर्जर निवासी खेरपुरा द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 1182/2015 दर्ज कर समुचित सुनवाई के उपरान्त बिलानाम भूमि से अतिक्रमी की भौतिक रूप से बेदखली की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 30.05.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(566)लोआस/2015

परिवादी श्री रामगोपाल, रामकिशोर व अन्य निवासी भांडौरकलाँ, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम भांडौरकलाँ में उनकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 186/1415 व 182/1414 में से गाँव के जयराम पुत्र घंटोली द्वारा खसरा नम्बर 186/1415 में स्थित उनके बोरिंग पर कब्जा कर लिये जाने से प्रार्थीगण द्वारा इस बाबत जरिये अदालत दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर पुलिस विभाग द्वारा राजस्व विभाग से मौके की रिपोर्ट मांगे जाने पर पटवारी हल्का व नायब तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण किये जाने के बावजूद उच्चाधिकारियों को की गई शिकायत पर भी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने से व्यथित होकर उक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भरतपुर ने रिपोर्ट दिनांक 10.09.2016 द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में परिवादी द्वारा वांछित मौका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2016 को राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(584)लोआस/2015

परिवादी श्री राम सहाय बागरियां निवासी ग्राम समरावता, तहसील उनियारा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसके खेत, कुएं, घर तथा कॉलेज व श्मशान में आने जाने हेतु बने हुए वर्षों पुराने रास्ते को अतिक्रमियों द्वारा

अतिक्रमण कर अवरूद्ध कर देने से आना–जाना दूभर होने की शिकायत करते हुए उक्त आम रास्ते को बहाल करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.06.2016 के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटवा दिया गया तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकित करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(592)लोआस/2015

परिवादी श्री संदीप कुमार निवासी पालवास रोड़, शिव कॉलोनी वार्ड नम्बर 18, तहसील सीकर, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम रघुनाथगढ़, तहसील सीकर के खसरा नम्बर 1109 की भूमि को आवासीय संपरिवर्तित करवाने के लिए उसके द्वारा दिनांक 27.08.2014 को प्रस्तुत आवेदन पर सम्बन्धित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व विद्युत लाइन के रकबे को कम कर संपरिवर्तन करने बाबत निवेदन करने के बावजूद जिला कलेक्टर, सीकर द्वारा 14 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी भूमि संपरिवर्तन नहीं करने से व्यथित होकर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर संपरिवर्तन आदेश जारी करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सीकर ने रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रस्तावित खसरा नम्बर की पश्चिमी सीमा के समानान्तर 11000 किलोवॉट की विद्युत लाइन मौजूद होने से नियमानुसार विद्युत लाइन हटाने के बाद या विद्युत लाइन से प्रभावित रकबा कम होने पर ही सम्परिवर्तन किये जा सकने बाबत परिवादी को सूचित किया गया था। परिवादी द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शे का परीक्षण उपनगर नियोजक, सीकर से करवाया जाकर संपरिवर्तन आदेश

जारी कर दिये गये हैं। जारी संपरिवर्तन आदेश की प्रति भी प्रेषित की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(593)लोआस/2015

परिवादी श्री रामस्वरूप मीणा निवासी महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान दिनांक 24.09.2014 को खसरा नम्बर 179 ग्राम बिनायका, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिये जाने के उपरान्त अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लेने से स्कूल खेल-मैदान में आने-जाने का रास्ता बन्द हो जाने की शिकायत करते हुए उक्त अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, कोटा ने रिपोर्ट दिनांक 26.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत अतिक्रमण हटवा दिया गया। खसरा नम्बर 179 की भूमि में मनरेगा के अन्तर्गत मेला स्थल से गाँव के खरंज तक मिट्टी डालकर रास्ते का निर्माण करवाया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.06.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(607)लोआस/2015

परिवादी श्री सत्यनारायण निवासी विजया बैंक के पीछे, पटेल नगर, आगरा रोड़, दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में न्यायालय उप जिला कलेक्टर, दौसा

द्वारा ग्राम बेरावास के खसरा नम्बर 716 व 717 कुल 1.27 हैक्टेयर भूमि में से 0.06 हैक्टेयर भूमि को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजकीय खाता संख्या 1 में दर्ज करने के आदेश दिये जाने के बावजूद तहसीलदार, दौसा द्वारा न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करते हुए अपने स्तर से बैंक को नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुए खसरा नम्बर 716 व 717 की 1.21 हैक्टेयर भूमि को रहन रखने के सम्बन्ध में धारा 6(1) की कार्यवाही में आपराधिक षड्‌यंत्र व साजिश के तहत 1.21 हैक्टेयर के बजाय 1.27 हैक्टेयर भूमि का नामान्तरण खोल दिये जाने की शिकायत करते हुए पटवारी हल्का व तहसीलदार के हेरा-फेरी एवं आपराधिक षड्‌यंत्र के उक्त कृत्य के सम्बन्ध में उनके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, दौसा की रिपोर्ट दिनांक 25.04.2016 के अनुसार प्रकरण में ग्राम बैरवास के खसरा नम्बर 716 रकबा 0.27 व 717 रकबा 0.94 हैक्टेयर भूमि में से 0.6 हैक्टेयर भूमि कम कर गैर-मुमकिन रास्ते हेतु खाता नम्बर 1 में दर्ज करने के आदेश न्यायालय उपजिला कलेक्टर, दौसा द्वारा दिये गये थे परन्तु उक्त भूमि पूर्व से ही राजस्थान ग्रामीण मरूधरा बैंक शाखा के रहन थी, जिस पर उपखण्ड अधिकारी, दौसा के मार्गदर्शन पर नामान्तरण संख्या 411 दिनांक 03.02.2016 स्वीकार होकर निर्णय अनुसार पालना की जा चुकी है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी दौसा से मार्गदर्शन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। जिला कलेक्टर की उक्त रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 05.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(617)लोआस/2015

परिवादी श्री गणेश पालीवाल निवासी बायला, वार्ड नम्बर 65, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत परिवाद में श्रीमती माँगीबाई के बी.पी.एल. परिवार में चयन हेतु पात्रता नहीं रखने पर भी उसका नाम बी.पी.एल. सर्वे सूची में क्रमांक 135 पर दर्ज होकर विगत 11 वर्षो से बी.पी.एल. का गलत फायदा उठाने की शिकायत करते हुए श्रीमती माँगीबाई का नाम बी.पी.एल. सूची से हटवाने का अनुरोध किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, राजसमन्द ने रिपोर्ट दिनांक 28.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निर्णय दिनांक 23.05.2016 द्वारा श्रीमती मांगीदेवी का नाम बी.पी. एल. सूची से हटाये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है।

अत: इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 20.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(618)लोआस/2015

परिवादी श्री ख्याली लाल, निवासी सरसुनिया, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम सरसुनिया स्थित उनकी खातेदारी आराजी में आने-जाने के रास्ते को पत्थर की दीवार बनाकर बन्द कर देने व ग्राम की सार्वजनिक तलाई पर भी नाजायज कब्जा कर लेने से उक्त अतिक्रमणों को हटवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, राजसमन्द ने रिपोर्ट दिनांक 24.02.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 826 किस्म बिलानाम सरकार भूमि में से गुजर रहे रास्ते पर अतिक्रमण कर बनाये गये पत्थर के कोट (कच्ची दीवार) को राजस्व

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हटवा दिया गया है। उक्त कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी से कोई सारभूत आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.06.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(629)लोआस/2015

परिवादी श्री जगदीश स्वर्णकार अध्यक्ष, राजस्थान पेन्शनर्स समाज, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में संभागीय आयुक्त, उदयपुर व जिला कलेक्टर, राजसमंद के आदेशानुसार राजस्थान, पेन्शनर्स समाज, नाथद्वारा को ग्राम नाथद्वारा के खसरा नम्बर 3743/2850 की विश्रान्ति गृह निर्माण हेतु आवंटित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर स्थानीय प्रशासन द्वारा मौखिक रोक लगाकर विश्रान्ति गृह का निर्माण नहीं करने देने की शिकायत करते हुए उक्त विश्रान्ति गृह बनाने हेतु न्याय प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, राजसमन्द ने रिपोर्ट दिनांक 07.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा व जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) की जाँच के अनुसार पेंशनर समाज द्वारा चाही जा रही भूमि वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से आवंटन सम्बन्धित कार्यवाही नहीं हो सकी है। भूमि की अनुपलब्धता को देखते हुए दिनांक 10.11.2016 को जिला सतर्कता समिति द्वारा पेंशनर समाज के समक्ष विचार-विमर्श कर उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), राजस्थान को निर्देशित किया गया है कि पेंशनर समाज को निकट ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गिर्राजपुरा का खाली पड़ा भवन अस्थाई तौर पर सशर्त उपयोग करने दिया जावे। जिला कलेक्टर की इस रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह अवधारणा की जा सकती है कि वह की गयी कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 08.03.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(657)लोआस/2015

परिवादी श्री कपूराराम कुम्हार निवासी उड, तहसील व जिला सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम उड, तहसील सिरोही की गोचर (ओरण) भूमि व मुख्य रास्तों पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी, सिरोही को निवेदन करने के उपरांत भी आदिनांक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं होने से जिला कलेक्टर, सिरोही को उक्त अतिक्रमण हटवाने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, सिरोही की ओर से प्रभारी अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही ने रिपोर्ट दिनांक 02.09.16 के द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत, उड द्वारा दिनांक 31.08.16 को मौका मजिस्ट्रेट उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही की उपस्थिति में ग्राम उड की गौचर भूमि खसरा नम्बर 117, 134, 137, 312, 317, 321, 147 व 328 के अतिक्रमण चिन्हित कर इन्हें हटाने की कार्यवाही की गई। अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही की फर्द मौका रिपोर्ट तथा वीडियोग्राफी की सीडी भी रिपोर्ट के प्राप्त हुई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(664)लोआस/2015

परिवादी श्री किशन सिंह राव निवासी 46, मरतडी मंदिर के पास, तहसील मावली, जिला उदयपुर ने प्रस्तुत परिवाद में तहसीलदार, मावली द्वारा जिला कलेक्टर, उदयपुर के आदेश उपरान्त भी उसकी स्वीकृत खनन

लीज की भूमि से अतिक्रमण को भौतिक रूप से नहीं हटवाने एवं केवल कागजी कार्यवाही करने की शिकायत करते हुए उक्त खनन-लीज भूमि से अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, उदयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 02.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि मौजा विठोली, पटवार हल्का रख्यावल की आराजी नम्बर 452 मीन की लीज शुदा भूमि में आने-जाने के रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को परिवादी की उपस्थिति में हटा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.06.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(673)लोआस/2015

परिवादी श्री घनश्याम निवासी सरदारपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में अनुसूचित जनजाति के सदस्य उसके दादा की मृत्यु दिनांक 15.05.1980 को हो जाने के उपरान्त भी उनकी कृषि भूमि की दिनांक 04.07.1981 को फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करवाने की शिकायत करते हुए प्रकरण में जाँच करवाकर उक्त भूमि उसके नाम करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 02.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की भूमि का विक्रय अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया जाना पाये जाने पर सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत प्रकरण दर्ज करवा दिया गया। परिवादी को इस सम्बन्ध में सूचित किया जाकर उसकी आपत्तियों का निराकरण भी किया जा चुका है। इस प्रकार प्रकरण में नियमानुसार संभव कार्यवाही कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(680)लोआस/2015
एफ.11(688)लोआस/2015

परिवादी श्री सांवरमल जाट निवासी ग्राम कसेरू, तहसील नवलगढ़, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में दिनांक 22.12.2014 को ग्राम कसेरू पटवार हल्का, सोटवारा की गैर मुमकिन जोहड़ भूमि खसरा नम्बर 903/443 पर अतिक्रमी मनोज कुमार को बेदखल करने के नायब तहसीलदार, मुकुन्दगढ़ द्वारा पारित आदेश की पालना करवाने का निवेदन किया गया। परिवाद संख्या 11(688)लोआस/2015 में स्थानीय प्रशासन द्वारा मिलीभगत से अतिक्रमियों को संरक्षित किये जाने की शिकायत की गई। दोनों परिवाद समान विषयवस्तु व समान प्रकृति के होने से इन्हें सम्मिलित करते हुए कार्यवाही की गई।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 06.04.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि नायब तहसीलदार, मुकुन्दगढ़, पटवारी, कसेरू, भू-अभिलेख निरीक्षक, कसेरू व भू-अभिलेख निरीक्षक, डूमरा द्वारा पुलिस थाना, मुकुन्दगढ़ के जाप्ते के साथ दिनांक 04.04.2016 को मौके पर पहुंच कर ग्राम कसेरू की खसरा नम्बर 903/443 रकबा 7.53 हैक्टेयर गैर मुमकिन जोहड़ भूमि में टैगोर उच्च माध्यमिक विद्यालय, कसेरू के संचालक श्री मनोज कुमार निवासी कसेरू द्वारा बाड़, तारबंदी आदि बनाकर 2218 वर्गमीटर भूमि पर किये गये नाजायज अतिक्रमण को मौके से हटाया जाकर अतिकमी को भौतिक रूप बेदखल किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.05.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(689)लोआस/2015

परिवादिया श्रीमती शकीला निवासी अच्छन खाँ की मस्जिद के पास, वार्ड नम्बर 05, मसान रोड़, बहीर, जिला टोंक ने प्रस्तुत परिवाद में उसका सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नियमानुसार पी.पी.ओ. नम्बर 12695 जारी होकर भौतिक सत्यापन हो जाने के उपरांत भी कर्मचारियों द्वारा पद का दुरूपयोग कर गलत तरीके से पेंशन राशि काट लेने एवं दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं उचित सहायता दिलवाने का अनुरोध किया।

प्रस्तुत परिवाद के संदर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 25.04.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में परिवादी पेंशनर को पेंशन स्वीकृति अवधि दिनांक 06.02.2001 से माह फरवरी-2016 तक का पेंशन भुगतान बिना किसी अंतराल के किया जा चुका है। उपखण्ड अधिकारी, टोंक के कार्यालय के किसी भी कार्मिक द्वारा परिवादी एवं अन्य पेंशनर के साथ किसी प्रकार दुर्व्यवहार नहीं किया गया। जिला कलेक्टर की उक्त रिपोर्ट पर परिवादी ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.07.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(707)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती सन्तोष सैनी निवासी-सी 13, शिव निवास, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में नेशनल हाईवे नम्बर 12 के विस्तार हेतु अवाप्त उसकी ग्राम गुन्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक स्थित खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 290 की भूमि बाबत आवश्यक दस्तावेजात जमा करवा देने एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निरन्तर निवेदन करने के उपरान्त भी भूमि अवाप्ति के बदले मुआवजा राशि का भुगतान न होने

की शिकायत करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर मुआवजा दिलवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सन्दर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 14.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादिया श्रीमती संतोष सैनी को भूमि अवाप्ति के बदले मुआवजा राशि रूपये 2,23,245/- का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(714)लोआस/2015

परिवादीगण श्री कजोड़ एवं अन्य निवासी ग्राम जीवली, तहसील निवाई, जिला टोंक के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम जीवली की चारागाह भूमि पर गाँव के प्रभावशाली लोगों द्वारा बलपूर्वक किये गये अतिक्रमण की शिकायत हल्का पटवारी एवं तहसीलदार, निवाई को करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही न होने से दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का अनुरोध किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.02.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, निवाई की रिपोर्ट के अनुसार नायब तहसीलदार, दतवास के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान किया जाकर चारागाह भूमि पर अवस्थित कच्चे मकान, बाड़े एवं फसल को परिवादी व पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में जे.सी.बी. मशीन तथा ट्रेक्टर की सहायता से दिनांक 14.02.2017 को हटवाया जाकर उक्त चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.03.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(727)लोआस/2015

परिवादी श्री श्रवणलाल निवासी गहलोता, तहसील नरैना, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम गहलोता स्थित उसकी भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हरे वृक्षों को काटकर एवं रोड़ी डालकर नुकसान कारित करने सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस थाना, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी को शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख करते हुए स्वयं के जान-माल की सुरक्षा प्रदान करने एवं अतिक्रमियों द्वारा डाली गई रोड़ी को हटवाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 23.02.16 के द्वारा अवगत करवाया कि पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण) से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में कोई पेड़ नहीं काटे गये हैं तथा प्रश्नगत अतिक्रमण को तहसीलदार, दूदू के मौखिक आदेशानुसार दिनांक 08.02.16 को प्रशासन व पुलिस द्वारा हटवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(734)लोआस/2015

परिवादी श्री तेजाराम मीणा निवासी कोटड़ा, तहसील बौंली, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम हिंगोनिया बुजुर्ग, तहसील निवाई स्थित उसकी भूमि पर किये गये अतिक्रमण बाबत तहसीलदार द्वारा धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित बेदखली आदेशों की पालना सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जातिगत दबाव के आधार पर

आदिनांक नहीं करने की शिकायत करते हुए उक्त बेदखली आदेशों की पालना करवाये जाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 12.07.16 के द्वारा अवगत करवाया कि न्यायालय तहसीलदार, निवाई द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183-बी के तहत दर्ज प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 की पालना में राजस्व कर्मियों द्वारा पुलिस बल की सहायता से दिनांक 26.05.2016 को अतिक्रमण हटवाया जाकर मौके पर परिवादी को भूमि का कब्जा संभला दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(761)लोआस/2015

परिवादी श्री वीरेन्द्र कुमार निवासी दहमी, तहसील बहरोड़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में तहसील बहरोड़ के डार्क-जोन में स्थित होने के बावजूद इसके ग्राम हमजापुर के खसरा नम्बर 310 की भूमि में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना स्वीकृति बोरवेल खुदवाने बाबत तहसीलदार व पुलिस थाना, बहरोड़ को शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही न होने से प्रकरण में जाँच करवाकर कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, अलवर के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 30.12.2016 के माध्यम से अवगत करवाया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम हमजापुर, तहसील बहरोड़ के आराजी खसरा संख्या 310 में बनी हुई अवैध बोरिंग को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 28.12.16 को बन्द/सील कर दिया गया तथा अवैध बोरिंग के सम्बन्ध में पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई ।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.01.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(768)लोआस/2015

परिवादी श्री सोहन लाल निवासी जोजवा, तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम जोजवा स्थित उसकी कृषि भूमि पर आने जाने हेतु रिकॉर्डेड रास्ते को अतिक्रमियों द्वारा बन्द कर देने की शिकायत उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ एवं अन्य अधिकारियों को करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही न होने से उक्त रास्ता खुलवाने एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से मंगवायी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 08.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवाद में अंकित अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर बाद कार्यवाही रास्ते की भूमि से दिनांक 04.07.2016 को परिवादी की उपस्थिति में मौके पर भौतिक रूप से अतिक्रमण हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 21.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(821)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती गौरी चतुर्वेदी निवासी तबेला रोड़, कायस्थ मोहल्ला, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में राजस्व विभाग, झालावाड़ के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उसकी ग्राम दुर्गपुरा स्थित भूमि के सम्बन्ध में जारी औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश की अनुपालना में नामान्तरण दर्ज नहीं करने से उद्योग की स्थापना में

विलम्ब होने की शिकायत करते हुए उक्त नामान्तरण दर्ज करने हेतु जिला कलेक्टर को आदेशित करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झालावाड़ ने रिपोर्ट दिनांक 25.07.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा वांछित नामान्तरकरण दिनांक 29.02.2016 को निर्णित किया जाकर जमाबंदी में अमलदरामद किया जा चुका है। प्रमाण–स्वरूप सम्बन्धित नामान्तरकरण की प्रति भी प्रेषित की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादिया को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(835)लोआस/2015

परिवादी श्री बक्षु भील निवासी आगुचा, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करवाने बाबत निर्देशानुसार निर्धारित राशि दिनांक 11.07.2015 को जमा करवा दिये जाने के उपरान्त भी जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा सम्परिवर्तन आदेश जारी नहीं करने की शिकायत करते हुए भूमि के सम्परिवर्तन आदेश जारी करवाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 16.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रार्थी श्री बक्षु द्वारा उसकी ग्राम मुणजी का खेड़ा, तहसील हुरड़ा स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 6369/400 रकबा 15 बीघा को अकृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करवाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र पर तहसीलदार, हुरड़ा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्परिवर्तन शुल्क जमा होने के उपरान्त मार्गाधिकार हेतु भूमि को राज्य पक्ष में समर्पण करवाकर उसे राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज करने के पश्चात् शेष रही

भूमि रकबा 14-12 बीघा को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 11.05.2016 को सम्परिवर्तन आदेश जारी कर दिये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(851)लोआस/2015

परिवादी श्री देवकरण गढवाल निवासी ढाणियां, ग्राम पंचायत भोड़की, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम गिलों का बास ढाणियां की आम रास्ते के खसरा नम्बर 3975/2239 की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा फसल बो कर किये गये अतिक्रमण की शिकायत राजस्व अधिकारियों के समक्ष करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने से उक्त अतिक्रमण के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने रिपोर्ट दिनांक 14.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि पक्षकारान के मध्य रास्ते को लेकर चल रहे विवाद बाबत राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ढाणियां भोड़की में आपसी सहमति से हुए राजीनामा के अनुसार प्रश्नगत रास्ते को चिन्हित कर इसे राजस्व रिकार्ड में राजकीय रास्ते के रूप में अंकित किया जा चुका है। रास्ते को लेकर पक्षकारान के मध्य अब कोई विवाद नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 31.08.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(852)लोआस/2015

परिवादी श्री सुरेश सिंह, निवासी ढाणियां, पंचायत भोड़की, तह0 उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभिकथन किया गया था कि ग्राम गिलों का बास, ढाणिया, ग्राम पंचायत भोड़की में कटानशुदा रास्ता है जो भोड़की - मझाउ रोड़ से गढ़वालों की ढाणी में जाता है। उक्त रास्ते पर पड़ौसी खातेदार रघुवीर पुत्र कानाराम गढ़वाल, निवासी गिलों का बास ने छड़ी, पत्थर व तारबन्दी करके अवरूद्ध कर रखा है जिससे आमजन को आवागमन में काफी परेशानी होती है। दिनांक 08 जनवरी 2016 को ढाणिया भोड़की में रात्रि चौपाल कार्यक्रम में इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी व नायब तहसीलदार, उप तहसील गुढ़ागौड़जी के समक्ष सम्पूर्ण कागजात सहित शिकायत की गई थी लेकिन राजनैतिक दबाव के कारण आजतक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे मौके पर लोगों में काफी आक्रोश व तनाव है, शांति भंग होने का पूरा अंदेशा है। परिवादी ने इस सम्बन्ध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुये नायब तहसीलदार, गुढागौडजी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अनुरोध किया था।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं से रिपोर्ट तलब की गई। जिला कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.04.2016 के द्वारा अवगत कराया कि प्रश्नगत अतिक्रमण को दिनांक 11.02.2016 को नायब तहसीलदार, गुढा गौडजी द्वारा मय पुलिस जाब्ते के उपस्थित रहकर हटवा दिया गया है।

इस प्रकार प्रकरण में परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.06.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(854)लोआस/2015

परिवादी श्री घीसूलाल निवासी लम्बीया गेट, रायला दरवाजा बाहर, ग्राम रायला, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी ग्राम रायला स्थित आराजी में आने-जाने के रास्ते की तरमीम करवाने हेतु सम्बन्धित सक्षम अधिकारीगण को निवेदन करने पर भी पुख्ता कार्यवाही नहीं होने से व्यथित होकर उक्त तरमीम करवाने की प्रार्थना की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 13.07.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी की आराजीयात में आने-जाने के रास्ते पर निर्मित पक्की दीवार को हटवाकर पूर्ववत् स्थिति में चालू कर दिया गया है। परिवादी ने पूर्णतः संतुष्ट होकर इस बाबत तैयार मौका पर्चा पर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 19.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(862)लोआस/2015

परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत निवासी ग्राम सुलताना, वार्ड नम्बर 17, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में गिरदावर एवं पटवारी हल्का, सुलताना द्वारा तहसीलदार, चिड़ावा के बेदखली आदेश दिनांक 14.12.2015 के उपरान्त भी आज दिनांक तक सरकारी जमीन से भौतिक रूप से अतिक्रमण नहीं हटाने की शिकायत उच्चाधिकारियों को करने पर भी कोई कार्यवाही न होने से उक्त अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं ने रिपोर्ट दिनांक 22.03.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम सुलताना की भूमि खसरा नम्बर 1090 मूल रकबा 14.65 हैक्टेयर गैर मुमकिन जोहड़ में से 0.02 हैक्टेयर भूमि के अतिक्रमी राजेन्द्र पुत्र सहीराम बंजारा निवासी सुलताना को परिवादी व अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौके से बेदखल कर अतिक्रमण हटा दिया गया। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.04.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(873)लोआस/2015

परिवादी श्री रामकिशन गुर्जर निवासी ग्राम घांस, तहसील व जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम ककोड़ के खसरा नम्बर 1681, 1684 के सामने व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 के बीच स्थित खसरा नम्बर 1682, 1683 की बीसलपुर परियोजना में आरक्षित सिवायचक भूमि पर किये गये अतिक्रमण बाबत नायब तहसीलदार, बनेठा द्वारा सिविल कारावास व जुर्माना अधिरोपित किये जाने के बावजूद आदिनांक प्रभावी कार्यवाही नहीं होने से व्यथित होकर उक्त अतिक्रमण को हटवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 14.07.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम ककोड़, तहसील उनियारा के आराजी खसरा नम्बर 1681 रकबा 1.25 हैक्टेयर भूमि में से खसरा नम्बर 2275/1681 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि परिवादी रामकिशन व सहखातेदार रामजस के नाम खातेदारी हक से रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 1681 रकबा 1.25 हैक्टेयर में से खातेदारी में दर्ज 1.18 हैक्टेयर भूमि के बाद शेष बची 0.07 हैक्टेयर भूमि में से 0.01 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण था, जिस बाबत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की

धारा 91 के तहत की गई कार्यवाही में अतिक्रमी को दण्डित किया जा चुका है। प्रकरण में अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के यहां जैरकार है, जिसमें स्थगन जारी है। शेष रकबा 0.06 हैक्टेयर में रास्ता बना हुआ है जो खुला है। आराजी खसरा नम्बर 2275/1681 रकबा 1.18 हैक्टेयर व सिवायचक खसरा नम्बर 1684 के उत्तर दिशा में प्रश्नगत खसरा नम्बर 1682 व 1683 स्थित है तथा इन खसरा नम्बरान के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 स्थित है, जो निर्बाध रूप से चालू है। खसरा नम्बर 1683 की भूमि अतिक्रमण रहित है। खसरा नम्बर 1682 में से परिवादी के आने-जाने के रास्ते का खुलासा करवा दिया गया। परिवादी खातेदार के खेत में आने-जाने में कोई व्यवधान नहीं रहा। परिवादी खातेदार की भूमि का सीमाज्ञान करवा दिया गया जिससे प्रार्थी खातेदार संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 08.08.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(879)लोआस/2015

परिवादी श्री किशन बलाई निवासी इन्द्रपुरा, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में मौजा इंद्रपुरा, तहसील बिजौलिया स्थित बिलानाम राजकीय भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण की शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष करने पर भी अवैध कब्जा नहीं हटवाने से व्यथित होकर सम्बन्धित राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर उक्त अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 16.05.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम इन्द्रपुरा की प्रश्नगत भूमि से परिवादी एवं अन्य मोतबिरान की उपस्थिति में नायब तहसीलदार, बिजौलिया के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जे.सी.बी. चलवाकर दिनांक

11.05.16 को अतिक्रमण हटा दिया गया। इस सम्बन्ध में तैयार फर्द मौका की प्रति भी प्राप्त हुई।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.06.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(882)लोआस/2015

परिवादी श्री भारूराम गुर्जर निवासी ग्राम नन्दवाड़ा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम नंदवाड़ा स्थित सिवायचक, सार्वजनिक आम रास्ते, तालाब तथा नहर की भूमियों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण की शिकायत के बावजूद राजस्व प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का उल्लेख करते हुए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर ने रिपोर्ट दिनांक 28.07.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजी खसरा नंबर 2606/1331 की भूमि में रामलाल पुत्र घीसालाल द्वारा पक्की दीवार बनाकर किये गये अतिक्रमण हटवाकर भूमि कब्जे राज ले ली गई। अतिक्रमी द्वारा पक्की मोरी बनवाने व मोरी को नहीं रोकने बाबत ग्रामवासियों में आपसे में समझौता हो गया है। ग्राम नन्दवाड़ा के ही खसरा नंबर 1125 की आबादी एवं सार्वजनिक भूमि बेरी के पास आम रास्ते व तालाब की नहर के पास सिवायचक भूमि में श्री परमेश्वर द्वारा रोड़ी, बाड़ व कांटे डालकर किये गये अतिक्रमण को भी हटा दिया गया। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(886)लोआस/2015

परिवादी श्री कचरूदीन निवासी ग्राम पोस्ट देवास वाया मसूदा, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम देवास स्थित कब्रिस्तान भूमि पर किये गये अतिक्रमण को पटवारी, देवास के समक्ष शिकायत करने के बावजूद नहीं हटवाने से उक्त अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया।

इस संदर्भ में कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम देवास स्थित खसरा नम्बर 538/1 रकबा 00-03-00 किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान व खसरा नम्बर 538/880 रकबा 00-05-00 किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अलग-अलग अंकित है। मौके पर दोनों खसरा नम्बर की भूमि एक ही होकर कब्रिस्तान के रूप में काम आ रही है। खसरा नम्बर 538/1 खाता संख्या 144 की भूमि खातेदारी में दर्ज है। उक्त दोनो. खसरा नम्बर की भूमि का शिकायतकर्ता व ग्रामवासियों के समक्ष जरीब चलाकर सीमांकन किया गया तथा आपसी सहमति से कब्रिस्तान की भूमि से अतिक्रमण हटवाया जाकर परिवादी को संतुष्ट किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(896)लोआस/2015

परिवादी श्री इस्माईल मोहम्मद निवासी बस स्टेण्ड मसूदा, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, मसूदा के विरूद्ध उसके एक वर्ष से अधिक पुराने फोटोस्टेट बिलों का भुगतान नहीं करने के आरोप अंकित करते हुए उक्त भुगतान दिलवाने का निवेदन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर ने रिपोर्ट दिनांक 31.08.16 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी श्री इस्माइल मोहम्मद को उनके द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी के बकाया बिल की राशि रूपये 34012/- का भुगतान दिनांक 31.08.2016 को सम्बन्धित फर्म के खाते में कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 04.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(899)लोआस/2015

परिवादी श्री कृष्ण गोपाल शर्मा निवासी विजयनगर, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में आर्य समाज, विजयनगर की सम्पत्ति को न्यायालय द्वारा रिसीवरी से मुक्त करने बाबत निर्णय पारित करने, विपक्षीगण द्वारा इस बाबत दायर की गई अपील खारिज हो जाने एवं उसे देवस्थान विभाग द्वारा आर्य समाज, विजयनगर का प्रतिनिधि घोषित किये जाने पर राजस्व अधिकारियों को बार-बार निवेदन के उपरान्त भी सम्पत्ति का कब्जा देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत करते हुए प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कर सम्पत्ति का कब्जा दिलवाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, अजमेर ने रिपोर्ट दिनांक 19.01.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के प्रकरण संख्या 3/2016 (6/82) आर्य समाज, विजयनगर जरिये प्रधान, श्री कृष्ण गोपाल शर्मा बनाम तहसीलदार, मसूदा में दिनांक 11.01.2017 को प्रश्नगत कुर्कशुदा सम्पत्ति को रिसीवरी से मुक्त कर इसका कब्जा आर्य समाज, विजयनगर को सुपुर्द करने के आदेश तहसीलदार, मसूदा एवं विजयनगर को सामूहिक रूप से दिये गये हैं। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा मामले

में प्रश्नगत सम्पत्ति को रिसीवरी से मुक्त कर आर्य समाज, विजयनगर को कब्जा सुपुर्द करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 03.04.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(905)लोआस/2015

परिवादी श्री सतीश कुमार निवासी ग्राम राजपुर, तहसील राजगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम राजपुर (बड़ा), तहसील राजगढ़ की गैर मुमकिन चारागाह भूमि खसरा नम्बर 581 पर राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से किये गये अतिक्रमण को हटाने की शिकायत पर तहसीलदार, राजगढ़ द्वारा कार्यवाही न किये जाने से व्यथित होकर उक्त अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.11.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसीलदार, राजगढ़ द्वारा अतिक्रमी श्री रघुवीर निवासी राजपुर (बड़ा) के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में निर्णय दिनांक 04.10.2016 से बेदखली के आदेश पारित करते हुए लगान का 50 गुना शास्ति अधिरोपित की गई। इसके उपरान्त निर्णय की पालना में अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर भूमि में स्थित अवैध बोरिंग को कब्जेराज लेकर सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर (बड़ा) को सुपुर्द कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 25.01.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(909)लोआस/2015

परिवादी श्री गोपाल तेली निवासी गेण्डोली, तहसील केशोरायपाटन, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में पटवारी, ग्राम गेण्डोली के विरूद्ध उसके पिता एवं चाचा का फौतगी नामांतरण नहीं भरने तथा फसल खराबे की मुआवजा राशि का भुगतान नियमानुसार नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बून्दी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.05.2016 द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि बाबत विरासत का नामान्तकरण संख्या 2132 दिनांक 09.05.2016 को खोला जाकर भूमि परिवादी एवं उसकी दोनों बहनों के नाम दर्ज हो चुकी है। इस प्रकार परिवादी की शिकायत का निराकरण हो चुका है।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.06.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(916)लोआस/2015

परिवादी श्री भीयाराम हापुजी विश्नोई निवासी ग्राम सांकड़, तहसील सांचौर, जिला जालोर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम सांकड़ के खसरा नम्बर 1607 की गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में तहसीलदार, सांचौर द्वारा कार्यवाही नहीं करने से व्यथित होकर उक्त अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, जालोर ने रिपोर्ट दिनांक 16.09.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि तहसीलदार, सांचौर की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर अवस्थित अतिक्रमणों को दिनांक 26.08.2016 को ग्रामीणों व परिवादी भीयाराम की उपस्थिति में मौके से हटाया जाकर बेदखली की गई तथा मौके पर कोई अतिक्रमण मौजूद नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(965)लोआस/2015

परिवादी श्री दीपक पाराशर निवासी ग्राम भण्डारी, तहसील सिकराय, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम भण्डारी, तहसील सिकराय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण की शिकायत पर तहसीलदार, सिकराय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से व्यथित होकर उक्त अतिक्रमण हटवाने की प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, दौसा ने रिपोर्ट दिनांक 14.07.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूमि पर अवस्थित अतिक्रमणों को दिनांक 25.05.2016 को ध्वस्त कर हटवा दिया गया। इस प्रकार परिवादी की शिकायत का निवारण हो चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(976)लोआस/2015

परिवादी श्री खलील अहमद निवासी ग्राम कैथवाडा, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर द्वारा इस परिवाद में ग्राम कैथवाड़ा की आराजी खसरा नम्बर 1867/0.28 पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाने हेतु तहसीलदार, पहाड़ी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही न होने से उक्त अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, भरतपुर ने रिपोर्ट दिनांक 06.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूमि पर अवस्थित अतिक्रमण दिनांक 07.04.2016 को भौतिक रूप से हटा दिया गया। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 1867 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज कर इस पर तहसीलदार, पहाड़ी द्वारा सरकारी भूमि होने का बोर्ड भी लगवा दिया गया। इस प्रकार परिवादी की शिकायत का निवारण जिला प्रशासन द्वारा करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(983)लोआस/2015

परिवादी श्री मुकेश जाट निवासी ग्राम भुरटिया, पोस्ट लुहारा, तहसील निवाई, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से दीपपुरा बालाजी जाने वाले राजस्व रिकॉर्ड में अंकित स्थाई रास्ते में ग्रेवल रोड़ न डालकर अवैध रूप से चारागाह व नाडी की पाल की भूमि से रास्ता निकालने के प्रयास को रूकवाने के सम्बन्ध में तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही न होने से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रास्ते की भूमि में ही ग्रेवल रोड़ बनवाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 29.06.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि नायब तहसीलदार, दतवास द्वारा दिनांक 21.09.2016 को परिवादी की उपस्थति में प्रश्नगत भूमि पर अवैध रूप से बनाये गये रास्ते को खुर्द-बुर्द कर हटवा दिया गया तथा निजी आवासीय ग्रुप की भूमि से जाने वाले रास्ते को ग्राम पंचायत के सहयोग से बन्द करवा दिया गया। इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 08.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(984)लोआस/2015

परिवादी श्री लादूसिंह निवासी ग्राम मुण्डौती, पोस्ट अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर द्वारा ग्राम मुण्डौती की सरकारी व बिलानाम भूमियों पर हुए अतिक्रमण की शिकायत करने के बावजूद अतिक्रमण न हटवाने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर के विरूद्ध शिकायत करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की गई।

परिवाद पर इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, अजमेर ने रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम मुण्डोती, तहसील मसूदा के आराजी खसरा नम्बर 705/628 रकबा 115-02-00 बीघा, 683 रकबा 52-10-00 बीघा, 474/1 रकबा 15-05-10 बीघा व 343 रकबा 45-03-00 बीघा सिवायचक भूमि से अतिक्रमियों को दिनांक 19.09.2016 को भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.12.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(997)लोआस/2015

परिवादी श्री गणेशदान बीठू निवासी हमीरों का बास, ग्राम सींथल, तहसील व जिला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम सींथल, तहसील बीकानेर स्थित गैर मुमकिन ओरण भूमि पर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को अनेक बार शिकायत करने के बावजूद अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं होने से जिला कलेक्टर, बीकानेर को उक्त अतिक्रमण हटवाने हेतु निर्देशित करने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, बीकानेर ने रिपोर्ट दिनांक 27.07.2016 द्वारा अवगत करवाया कि तहसीलदार, बीकानेर की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरण में बेदखली का निर्णय पारित कर अतिक्रमण को भौतिक रूप से दिनांक 15.07.2016 को हटवा दिया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने तथा अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह परिवाद दिनांक 07.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(2)लोआस/2016

परिवादी श्री नरेन्द्र कुमार जांगिड़ निवासी ग्राम मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय मलिकपुर, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ को आवंटित एवं कब्जेशुदा खेल मैदान की भूमि के खसरा नम्बर को राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शे में अन्य स्थान पर अंकित कर देने एवं खेल मैदान की भूमि के खसरा नम्बर के स्थान पर अन्य भूमि के खसरा नम्बर अंकित कर देने की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार, गोविन्दगढ़ के विरूद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने पर इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 23.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, चौमूं के वाद संख्या 24/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2015 की पालना में ग्राम मलिकपुर के खसरा नम्बर 858 में से नामान्तरकरण संख्या 1323 दिनांक 20.05.2016 द्वारा खसरा नम्बर 858/1 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मलिकपुर खेल मैदान के नाम दर्ज कर दी गई। इस प्रकार परिवाद में वांछित कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 14.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(25)लोआस/2016

परिवादी श्री विष्णु चौधरी व अन्य निवासी ग्राम धौली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा ग्राम धौली से बम्बोरी जाने वाले खसरा नम्बर 530 स्थित आम रास्ते को अतिक्रमण कर बन्द कर देने की शिकायत पर तहसीलदार, मालपुरा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में ग्राम धौली के खसरा नम्बर 530 में होकर बम्बोरी जाने का रास्ता पूर्व में बन्द था। उक्त रास्ते के सम्बन्ध में परिवादी एवं अतिक्रमियों के मध्य समझाइश/समझौता करवाया जाकर आवागमन सुचारू करा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.01.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(28)लोआस/2016

परिवादी श्री कैलाशचंद रावल निवासी ग्राम पोस्ट मोरली, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही के द्वारा ग्राम मोरली में स्थित सरकारी भूमि खसरा नं. 25 व 26 क्षेत्रफल 7.8 बीघा जलमग्न चारागाह भूमि पर आसपास के काश्तकारों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत् तहसीलदार एवं विकास अधिकारी, सिरोही के समक्ष शिकायत करने पर उनके द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटवाये जाने की माँग की गई।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, सिरोही ने रिपोर्ट दिनांक 09.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूमि पर किये गये अतिक्रमण को राजस्व विभाग द्वारा ग्राम पंचायत की सहायता से हटवाया जाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 20.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(71)लोआस/2016

परिवादी श्री किशनलाल टेलर निवासी वार्ड नं. 17, रविन्द्र कॉलोनी, नैनवां, जिला बून्दी द्वारा इस परिवाद में उसके दिनांक 30.11.2014 को पटवारी, तहसील इंद्रगढ़ (बून्दी) के पद से सेवानिवृत्त हो जाने पर उसकी पेंशन पत्रावली तहसीलदार, इन्द्रगढ़ द्वारा अभी तक तैयार कर पेंशन हेतु प्रेषित नहीं करने की शिकायत करते हुए उसे पेंशन दिलवाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, बून्दी ने रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया कि परिवादी का पेंशन प्रकरण आवश्यक पूर्तियां कर दिनांक 08.08.2016 को पेंशन विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 26.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(75)लोआस/2016

परिवादी श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासी डाबरा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर द्वारा इस परिवाद में उन सहित 15-20 कृषकों की सम्वत् 2071 की रबी फसल के खराबे की मुआवजे की राशि वितरित नहीं करने, अनुदान वितरण करने वाली संस्था ग्राम सेवा सहकारी समिति, डाबरा से

सम्पर्क करने पर राशि का भुगतान नकद न कर बकाया ऋण की राशि में समायोजित करने का कथन करने तथा इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर एवं मुख्य प्रबन्धक, कॉ–ऑपरेटिव बैंक, शाखा जोधपुर के समक्ष शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं होने से मुआवजा राशि भुगतान करवाने की प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, जोधपुर ने रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि वंचित कृषकों में से प्रत्येक को आपदा–अनुदान की राशि रूपये 27,000/- का भुगतान उनके जोधपुर सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक के बचत खातों के माध्यम से किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 26.10.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(97)लोआस/2016

परिवादी प्रबन्ध समिति, उच्च माध्यमिक सरस्वती विद्या मन्दिर, निवाई, जिला टोंक जरिए श्री नरेन्द्र आसवाणी ने यह परिवाद तहसीलदार, निवाई, जिला टोंक के विरूद्ध स्कूल की भूमि की मौका कमिश्नर रिपोर्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई में लम्बित वाद में नहीं भिजवाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, टोंक ने रिपोर्ट दिनांक 12.07.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई में प्रकरण संख्या 99/2010 उनवानी माध्यमिक सरस्वती विद्या मन्दिर, निवाई बनाम तहसीलदार, निवाई अन्तर्गत धारा 136, राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में तहसीलदार, निवाई से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार परिवादी की शिकायत का निवारण हो गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 16.09.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(106)लोआस/2016

परिवादी श्री कालूराम शर्मा निवासी ग्राम कलेशान, तहसील राजगढ़, जिला अलवर के द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में उसकी खातेदारी एवं निवास की भूमि पर जाने हेतु स्थित रिकॉर्डेड गैर मुमकिन रास्ते की भूमि की पूर्व में दिनांक 29.10.2005 को पैमाइश करवाकर अतिक्रमण हटवाये जाने के बावजूद इस भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिये जाने की शिकायत करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करवाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 22.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार, राजगढ़ द्वारा दिनांक 01.06.2016 को प्रश्नगत रास्ते की पैमाइश कर अतिक्रमण हटवा दिया गया। इस सम्बन्ध में तैयार की गयी फर्द मौका पर परिवादी के हस्ताक्षर भी करवाये गये। फर्द मौका की प्रतिलिपि भी इस सचिवालय को प्रेषित की गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(128)लोआस/2016

परिवादी श्री नेमीचंद शर्मा निवासी वार्ड नम्बर 20, पुजारियों का मोहल्ला, रींगस, जिला सीकर के द्वारा ग्राम परसरामपुरा में मंदिर श्री ज्ञान गोपाल जी वाके लक्ष्मण के नाम दर्ज खसरा नम्बर 332, 333, 334 की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाने के लिए

तहसीलदार, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के समक्ष की गई शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने से प्रकरण में जाँच करवाकर भू–माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही करवाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 333/2 में किये गये अवैध निर्माण को दिनांक 28.06.2016 को ध्वस्त कर दिया गया अतिक्रमियों को पुनः अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबन्द भी कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(129)लोआस/2016

परिवादी श्री तेजाराम मीणा निवासी नारोली चौड़, तहसील बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर के द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में ग्राम नारोली चौड़ में स्थित चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1952 में से अतिक्रमी द्वारा एक हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर कृषि करने तथा हरे पेड़ काट कर बेच देने की शिकायत पर भी कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार, बामनवास के विरूद्ध शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 14.09.2016 तथा 19.12.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया है तथा चारागाह भूमि में खोदे गये कुण्डे को मिट्टी से भरवा दिया गया है। प्रकरण में पेड़ काटकर बेच देने की शिकायत सत्य नहीं पाई गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.02.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(135)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती कंचन देवी निवासी सांगरिया, तहसील फुलिया, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम सांगरिया की आबादी व सरकारी रास्ते की भूमि में कुछ व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण से स्वीकृत सी.सी. रोड़ का निर्माण नहीं होने के तथ्य की जानकारी स्थानीय राजस्व प्रशासन को होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से व्यथित होकर अतिक्रमण को हटवाकर सी.सी. रोड़ बनवाने का निवेदन किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने रिपोर्ट दिनांक 24.08.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि तहसीलदार तथा विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जाकर दिनांक 22.07.2016 को आम रास्ते में किये गये प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया। मौके पर सीमेन्ट व गिट्टी की सड़क बनी हुई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(139)लोआस/2016

परिवादी श्री छंगाराम व अन्य निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील तिजारा, जिला अलवर द्वारा इस परिवाद में ग्राम गोठड़ा के श्मशान घाट की भूमि पर अवस्थित अतिक्रमण की शिकायत तहसीलदार, तिजारा के समक्ष करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने से उक्त अतिक्रमण को हटवाने के लिए निवदेन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के क्रम में जिला कलेक्टर, अलवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 04.09.2016 तथा 30.12.2016 के अनुसार प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 779 गैर मुमकिन पहाड़ से अतिक्रमी मातादीन पुत्र लक्ष्मण निवासी गोठड़ा का अतिक्रमण भौतिक रूप हटवा दिया गया। परिवाद में अंकित भूमि रिकॉर्ड में श्मशान के रूप में दर्ज न होकर गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में दर्ज है, जो श्मशान के रूप में काम आती है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 19.01.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(172)लोआस/2016

परिवादी श्री हनुमानराम जाट निवासी भामू हाउस, पालावास रोड़, सीकर के द्वारा उसकी कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण की पत्रावली लम्बे समय से जिला कलेक्टर, सीकर के कार्यालय में लम्बित होने तथा इस बाबत जानकारी चाहने पर जिला कलेक्टर द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने की शिकायत करते हुए यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के क्रम में जिला कलेक्टर, सीकर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 29.09.2016 द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूमि से होकर 11000 किलावॉट क्षमता की विद्युत लाईन गुजरने के कारण नियमानुसार सम्पूर्ण रकबे का संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता था। इस पर परिवादी द्वारा संशोधित नक्शा प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त उक्त आवासीय कॉलोनी प्रोजेक्ट हेतु कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन दिनांक 02.06.2016 को कर दिया गया। परिवादी की शिकायत में अंकित अन्य आक्षेप सत्य साबित नहीं हुए हैं। परिवादी की मुख्य समस्या का निवारण हो चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(183)लोआस/2016

परिवादी श्री रमेश शर्मा निवासी बावड़ी कौशल्यादास, तहसील फागी, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम बावड़ी कौशल्यादास स्थित उसके पुश्तैनी मकान, बाड़ा व नोहरा में आने जाने के कदीमी रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण रामेश्वर, जगदीश व लादू द्वारा अवैध रूप से छड़ियां वगैरह डालकर आम रास्ते को अवरूद्ध कर देने से उसे व अन्य लोगों को परेशानी होने, अतिक्रमण से उसके व अतिक्रमियों के मध्य तनाव बने रहने तथा ग्राम पंचायत, मोहब्बतपुरा को कई बार शिकायत किये जाने पर भी अतिक्रमण न हटवाने का उल्लेख करते हुए अतिक्रमण हटवाकर आम रास्ता चालू करवाये जाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 17.02.17 के द्वारा अवगत करवाया कि दिनांक 27.07.2016 को प्रश्नगत आबादी भूमि के रास्ते पर हुए अतिक्रमण को जे.सी.बी. मशीन व श्रमिकों की सहायता से सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत, मोहब्बतपुरा तथा पटवारी, रेनवाल द्वारा पुलिस जाप्ते के साथ हटवा दिया गया है। वर्तमान में रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(184)लोआस/2016

परिवादी श्री गौरव गुप्ता निवासी पहाड़ी, जिला भरतपुर के द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में सुखदेव पुत्र हरिकिशन गुर्जर द्वारा मुख्य फिरोजपुर, कामां

रोड़ पर पहाड़ी गुर्जर मोहल्ला में गोपाल चंद वैश्य के आवासीय मकान के पास स्थित आम रास्ते पर दुकान बनाकर आम रास्ते को बन्द कर देने की शिकायत करते हुए उक्त अतिक्रमण को हटवाकर रास्ते को खुलवाये जाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, भरतपुर ने रिपोर्ट दिनांक 09.01.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि परिवाद में अंकित अतिक्रमण को तहसीलदार, पहाड़ी द्वारा मौके से हटवा दिया गया। परिवादी स्वयं ने भी उपस्थित होकर यह कथन किया कि तहसीलदार, पहाड़ी द्वारा उसकी शिकायत के आधार पर प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.01.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(197)लोआस/2016

परिवादी श्री नथमल माली निवासी पंडियारों का मोहल्ला, वार्ड नंबर 01, रतनगढ़, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ताराचन्द निवासी पंडियारों का मोहल्ला द्वारा खसरा नंबर 493 वाके रोही रतनगढ़ की खातेदारी कृषि भूमि में नियम विरूद्ध विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लेने व खातेदारी भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के विरूद्ध गैर कृषि (आवासीय) प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने की शिकायत करते हुए प्रकरण में विद्युत कनेक्शन को हटवाने तथा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भूमि को कब्जे राज लेने की माँग की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, चूरू ने रिपोर्ट दिनांक 02.02.2017 द्वारा अवगत करवाया कि रतनगढ़ के खसरा नंबर 493 व 496 की 9.05 बीघा कृषि भूमि को मौके पर आवासीय मकान बनाकर संपरिवर्तन कराये बिना अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

की धारा 177 व 212 के तहत प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ के समक्ष दर्ज करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 07.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(218)लोआस/2016

परिवादी श्री नत्थी प्रसाद त्यागी निवासी ग्राम रहसैना, ग्राम पंचायत लालपुर, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर के द्वारा प्रश्नगत सीमा विवाद के सम्बन्ध में पूर्व में भी दो बार सीमाज्ञान हो जाने के बावजूद पटवारी हल्का श्री विद्याराम द्वारा उसे फँसाने के लिए उसके विरूद्ध झूठी मौका रिपोर्ट तैयार कर अतिक्रमी साबित करने के प्रयास के सम्बन्ध में यह परिवाद इस सचिवालय में प्रस्तुत कर प्रकरण में जाँच उपरान्त दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करवाने का निवेदन किया गया।

इस संदर्भ में जिला कलेक्टर, धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 21.10.2016 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के द्वारा टीम गठित कर दिनांक 04.10.2016 को आराजी खसरा नम्बर 774/552 रकबा 05 बिस्वा वाके ग्राम रहसैना की भूमि का सीमांकन किया गया। उक्त सीमांकन के मौके पर ही निशान लगवाये गये, जिसके अनुसार परिवादी का मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। जी.एस.एस. व्यवस्थापक एवं परिवादी के पुत्र ने बताया कि हमारा अब कोई विवाद नहीं है और न ही जी.एस.एस. भूमि पर अतिक्रमण है। इस प्रकार परिवादी की शिकायत का निवारण हो चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.12.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(288)लोआस/2016

परिवादी श्री राजेश कुमार निवासी अम्बेडकर चौक, प्रेमनगर, आबू रोड़, जिला सिरोही द्वारा अपनी मूक-बधिर पुत्री के इलाज के लिए बी.पी.एल. कार्ड बनवाये जाने हेतु दो वर्षो से प्रशासन के चक्कर लगाने पर भी कार्यवाही नहीं करने पर उपखण्ड अधिकारी, आबू रोड़, जिला सिरोही के विरूद्ध इस सचिवालय में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सिरोही से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.10.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत द्वारा की गयी जाँच के उपरान्त दिनांक 07.10.2016 को श्री राजेश कुमार पुत्र पदमचंद निवासी आबूरोड़ के नाम बी.पी.एल. कार्ड जारी कर परिवादी के परिवाद का निवारण किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(358)लोआस/2016

परिवादी श्री जीवन दास निवासी मुकाम पोस्ट भैसाना, तहसील सोजत, जिला पाली द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के तहत किये गये निर्णय की नकल उपलब्ध नहीं करवाने के कारण उपखण्ड अधिकारी, सोजत सिटी, जिला पाली के विरूद्ध इस सचिवालय में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, पाली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 24.10.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया है कि प्रकरण में परिवादी को दिनांक 14.10.2016 को प्रश्नगत निर्णय की वांछित प्रतियां उपलब्ध करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(384)लोआस/2016

परिवादी श्री भवानी शंकर पारीक निवासी शीतला की गली, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर के द्वारा उसकी भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाडा के निर्णय दिनांक 15.12.2011 की पालना नहीं करने पर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर के विरूद्ध यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.10.2016 के अनुसार उप जिला कलेक्टर, चौथ का बरवाड़ा के निर्णय दिनांक 15.12.2011 की पालना में पटवारी हल्का सारसोप द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1646 दिनांक 04.10.2016 को दर्ज कर निर्णित किया जाकर डिक्री की पालना कर दी गई है। इस प्रकार परिवादी की शिकायत का निवारण कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.12.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(390)लोआस/2016

परिवादी श्री फूलचंद मीणा निवासी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम भेड़ोला स्थित उसकी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 30, 33, 34 व 35 के सीमाज्ञान हेतु दिनांक 07.01.2016 को ई–मित्र पर आवेदन करने पर भी परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 02.08.2016 तक सीमाज्ञान नहीं करने के कारण तहसीलदार, सवाईमाधोपुर के विरूद्ध कार्यवाही की माँग की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम भेड़ोला के खसरा नंबर 30, 33, 34 एवं 35 का मौके पर राजस्व रिकार्ड के मुताबिक परिवादी के समक्ष जरीब चलाकर दिनांक 07.09.2016 को सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान हेतु तैयार किये गये मौका पर्चा पर आवेदक के हस्ताक्षर भी अंकित हैं।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.01.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(398)लोआस/2016

परिवादी श्री दुर्गाराम खटीक निवासी बिलाडिया गेट के बाहर, सोजत सिटी, जिला पाली द्वारा इस परिवाद में उसके द्वारा क्रय की गई ग्राम बुटेला स्थित खसरा नम्बर 717 की भूमि का नामान्तरण निवेदन करने पर भी राजस्व अधिकारियों द्वारा नहीं खोलने की शिकायत करते हुए प्रकरण में जाँच करवाकर कार्यवाही करवाने का निवेदन किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, पाली की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के द्वारा विक्रय-पत्र दिनांक 30.03.2016 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु दिनांक 21.04.2016 को तहसीलदार, सोजत सिटी के समक्ष प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत, मेव द्वारा विक्रय-पत्र के आधार पर परिवादी के हक में नामान्तरण दिनांक 09.09.2016 को स्वीकृत कर दिया गया है जिसकी प्रतिलिपि परिवादी को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। परिवादी द्वारा इस कार्यवाही के प्रति संतुष्टि भी जाहिर की गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.02.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(415)लोआस/2016

परिवादी श्री शिवचरण अवस्थी निवासी वार्ड नंबर 4, सेढ के मढ के पास, बाल विद्या मंदिर, तहसील खेरली, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दिनांक 20.06.02, नामान्तरण दिनांक 11.11.2002 एवं इजराय की पालना मौके पर न कर मात्र कागजी रूप से करने, दिनांक 31.03.2005 को उपखण्ड अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, कठूमर के भारी पुलिस जाप्ता के साथ न्यायालय निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु मौके पर पहुँचने पर न्यायालय का स्थगन आदेश प्रस्तुत होने से कार्यवाही नहीं हो सकने तथा दिनांक 16.03.2010 को राजस्व मण्डल में विचाराधीन अपील खारिज हो जाने के तथ्य का उल्लेख करते हुए न्यायालय के निर्णय की पालना करवाने एवं जिला कलेक्टर, अलवर एवं उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर ने रिपोर्ट दिनांक 5.1.17 के द्वारा अवगत करवाया कि न्यायालय निर्णय की पालना में दिनांक 09. 12.16 को मौके पर पुलिस जाब्ते के साथ खातेदार रमेश चन्द पुत्र चन्द्रभान ब्राह्मण को ट्रेक्टर चलवाकर तथा काश्त करवाकर प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिलवाया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 30.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(416)लोआस/2016

परिवादी श्री विजय कुमार निवासी मण्डावर, तहसील महवा, जिला दौसा द्वारा ग्राम मण्डावर, स्थित आबादी भूमि में उसके आवागमन के रास्ते एवं सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण की शिकायत पर विकास अधिकारी, महवा एवं सचिव ग्राम पंचायत, मण्डावर द्वारा अतिक्रमण नहीं

हटवाये जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही करने एवं भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने की मांग की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण तहसीलदार, महवा, थानाधिकारी मण्डावर, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, महवा, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत, मण्डावर एवं पुलिस जाब्ता की मौजूदगी में दिनांक 07.09.2016 को जेसीबी द्वारा हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.12.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(435)लोआस/2016

परिवादी श्री गिरधारीलाल गुप्ता सेवानिवृत्त तहसीलदार, मार्फत ललित जनरल स्टोर, गंज रोड़, किशनगढ़बास, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास द्वारा राज्य सरकार के आदेशानुसार उन्हें दिनांक 11.05.2015 को लोक अदालत की बैंच का सदस्य बनाये जाने पर उनके द्वारा 18 लोक अदालत शिविरों में किये गये कार्य बाबत देय 9000/- रूपये की राशि के मानदेय का भुगतान नहीं करने की शिकायत करते हुए उक्त मानदेय का भुगतान करवाये जाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर ने रिपोर्ट दिनांक 31.01.17 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में आदेश दिनांक 23.01.2017 के द्वारा राजस्व लोक अदालत हेतु गठित बैंच के सदस्यगण को मानेदय का भुगतान कर दिया गया तथा तदनुरूप ही परिवादी श्री गिरधारी लाल गुप्ता को भी चैक संख्या 897364 दिनांक 27.01.2017 के द्वारा राशि 9000/- के मानदेय का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 07.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(443)लोआस/2016

परिवादी श्री अमर सिंह खींची निवासी बालाहेडी, तहसील महवा, जिला दौसा द्वारा ग्राम बालाहेड़ी में चारागाह व आबादी भूमि पर बंजारा जाति के लोगों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाने की शिकायत करने के बावजूद अतिक्रमण न हटवाने के सम्बन्ध में तहसीलदार, दौसा के विरूद्ध शिकायत करते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की गई।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 04.11.2016 को ग्राम बालाहेडी के खसरा नम्बर 4/1 किस्म चारागाह भूमि से प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 01.03.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(450)लोआस/2016

परिवादी श्री रतन लाल व अन्य निवासी बैगटीकलां, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर ने ग्राम बैगटीकलां के खसरा नम्बर 22 रकबा 9104.08 बीघा गैर मुमकिन औरण भूमि पर अतिक्रमण रूकवाने हेतु तहसीलदार, फलोदी के समक्ष शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने की शिकायत करते हुए अतिक्रमण हटवाने का निवेदन किया। परिवाद के समर्थन में सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर भी परिवाद सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से सम्बन्धित होने के कारण इस सचिवालय के स्तर पर प्रसंज्ञान लिया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 20.01.17 द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम बैगटीकलां की प्रश्नगत भूमि से दिनांक 17.10.2016 को अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया है। वर्तमान में मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.02.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(468)लोआस/2016

परिवादी श्री तारसिंह निवासी 29, एस.एस.डब्ल्यू, फतेहगढ़, जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद में चक 29, एस.एस.डब्ल्यू स्थित उसकी कृषि भूमि में आने-जाने के लिये पत्थर नम्बर 98/300 के किला नंबर 5, 6, 15, 16 व 25 के राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत रास्ते को भागसिंह, चंदसिंह द्वारा बन्द कर काश्त कर लेने से रास्ता खुलवाये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा पटवारी व गिरदावर को आदेश दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत करते हुए उक्त रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कर दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ ने रिपोर्ट दिनांक 07.02.2017 के द्वारा अवगत करवाया कि चक 29 एस.एस.डब्ल्यू पत्थर नम्बर 97/300, 97/301 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 की भूमि में 16.5 फीट चौड़ा रास्ता मौके पर खुलवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(471)लोआस/2016

परिवादी श्री कुलदीप सिंह निवासी ढिल्लो कृषि फार्म, वार्ड नं. 01, जिला हनुमानगढ़ ने इस परिवाद में उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा मुरब्बा नम्बर 118/12 की भूमि के सम्बन्ध में जारी खाता विभाजन डिक्री दिनांक 21.06.2016 की पालना करने में सम्बन्धित पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार द्वारा टालमटोल एवं आनाकानी करने तथा नाजायज राशि मांगने की शिकायत की।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ ने रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया कि प्रश्नगत डिक्री की पालना में दिनांक 05.09.2016 को नामान्तरण दर्ज कर भू-अभिलेख निरीक्षक की जाँच के पश्चात् दिनांक 07.09.2016 को स्वीकृत कर दिया गया है। ऋण चुकता करने में हुई देरी के कारण नामान्तरण में विलम्ब हुआ है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.01.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(477)लोआस/2016

परिवादी श्री कृष्ण मीना एवं अन्य निवासी ग्राम महुखेड़ा, ग्राम पंचायत महुखुर्द तहसील बसवा, जिला दौसा के द्वारा ग्राम महुखेड़ा, पटवार हल्का महुखुर्द, तहसील बसवा, जिला दौसा में चारागाह भूमि कुल रकबा 32.26 हैक्टेयर में से 20 बीघा भूमि पर ग्राम पंचायत, महुखुर्द व हल्का पटवारी की मिलीभगत से वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत महुखुर्द व अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लेने के सम्बन्ध में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया। परिवादीगण ने यह भी अंकित किया कि इस बारे में जिला प्रशासन को विभिन्न स्तरों पर शिकायत किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, दौसा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.11.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवाद में अंकित चारागाह भूमि का सीमाज्ञान करवाकर दिनांक 22.09.2016 को अतिक्रमण हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(545)लोआस/2016

परिवादी श्री साधुराम निवासी श्रीकृष्णनगर, तहसील मुंडावर, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उसकी गैर खातेदारी भूमि बाबत उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा दिनांक 15.05.2016 को जारी खातेदारी पट्टे का राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अमल नहीं किये जाने की शिकायत तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी को किये जाने पर कोई कार्यवाही न होने का उल्लेख करते हुए जारी सनद पट्टे के आधार पर जमाबंदी में खातेदारी अधिकारों का इन्द्राज करवाये जाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अलवर ने रिपोर्ट दिनांक 20.12.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रकरण में परिवादी द्वारा मूल सनद पट्टे की प्रति पेश करने पर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरण संख्या 1966 दिनांक 30.11.2016 को दर्ज व दिनांक 06.12.2016 को स्वीकृत कर जमाबंदी में अमल कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 30.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(605)लोआस/2016

परिवादी श्री सीताराम जांगिड़, निवासी ग्राम गढोली, तहसील बस्सी, जिला जयपुर द्वारा ग्राम पीलारामा, पटवार हल्का भटेरी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जटवाड़ा में स्थित सरकारी बंजर भूमि व सरकारी तालाबी भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करने की शिकायत तहसीलदार, बस्सी के विरूद्ध करते हुए इस सचिवालय में यह परिवाद प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.02.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर अवस्थित अतिक्रमण के सम्बन्ध में अतिक्रमियों के विरूद्ध एल.आर. एक्ट की धारा 91 के तहत न्यायालय तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है तथा मौके पर खड़ी फसल को कब्जे राज लेकर फसल की नीलामी कर जुर्माना राशि की वसूली कर ली गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.03.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(611)लोआस/2016

परिवादी श्री मोहनलाल बलाई निवासी अरनिया, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद में उसके पिता की मृत्यु हो जाने के उपरान्त दिनांक 04.10.2016 को तहसीलदार, श्रीमाधोपुर के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर भी उसका विरासत का नामान्तरण दर्ज नहीं करने की शिकायत करते हुए उसकी भूमि खसरा नम्बर 1964 का नामान्तरण दर्ज करवाने का निवेदन किया गया।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 01.03.2017 के द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रकरण में पूर्व में उक्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय का स्थगन होने से विरासत का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया था। अब न्यायालय का स्थगन खारिज हो जाने से प्रार्थी का विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर बाद जाँच स्वीकृत किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.03.2017 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.11(643)लोआस/2016

परिवादी श्री तोताराम निवासी मानसागर, डांवरा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उसकी फसल खराबे की मुआवजा राशि का ग्राम सेवा सहकारी समिति, डांवरा द्वारा नकद भुगतान न कर उसके द्वारा लिये गये ऋण के बकाया पेटे समायोजन करने बाबत कथन कर मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत करते हुए देय मुआवजा राशि के भुगतान करवाने का अनुरोध किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जोधपुर ने रिपोर्ट दिनांक 10.01.17 के द्वारा अवगत करवाया कि श्री तोताराम को सम्वत् 2071 की रबी फसल के खराबे बाबत मुआवजा राशि को उसके बैंक खाते में जमा करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(39)लोआस/2012

परिवादीगण श्री राकेश कुमार व अन्य से दिनांक 13.05.2012 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने राजकीय भूमि के जल ग्रहण केन्द्र पर गाँव के कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किये जाने और पटवारी, तहसीलदार व ग्राम सचिव द्वारा रिश्वत लेकर अतिक्रमियों को सहयोग करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, धौलपुर से दिनांक 09.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम पुरा करीमपुर के आराजी खसरा संख्या 61 रकबा 0.03 बीघा गैर मुमकिन खड्डा म. हुए पक्के अतिक्रमण को पुलिस की मदद से दिनांक 25.05.2016 को हटवाया दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 14.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(202)लोआस/2013

परिवादी श्री दामोदर लाल गुप्ता से दिनांक 19.03.2014 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने अनन्तिम पेंशन के पश्चात् संशोधित (नियमित) पेंशन व वर्ष 2008 से दिनांक 14.03.2014 तक की बकाया पेंशन राशि एवं अन्य परिलाभ दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर से दिनांक 04.06.2014 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री दामोदर लाल गुप्ता, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के पद से दिनांक 31.07.2008 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्हें यथासमय प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत हो चुकी थी। श्री गुप्ता दिनांक 01.08.1980 से दिनांक 05.05.1992 तक की अवधि म. सेवा म. कार्यरत नहीं रहे, इस कारण उन्हें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 10.01.1991 के निर्णय

अनुसार उपर्युक्त अवधि हेतु 50 प्रतिशत बेक-वैजेज (मजदूरी स्वरूप) का भुगतान पंचायत समिति, आमेर द्वारा किया गया। तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 12.02.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी का पेंशन प्रकरण पेंशन निदेशालय, जयपुर को भिजवाया गया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से दिनांक 27.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री दामोदर लाल गुप्ता की पेंशन स्वीकृति का आदेश (पी.पी.ओ.) जारी किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 02.05.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(57)लोआस/2014

परिवादी श्री जेठाराम से दिनांक 10.06.2014 को प्राप्त परिवाद म. उसने ग्राम पंचायत, पिपराली, पंचायत समिति धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर के सरपंच द्वारा वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2010-11 की अवधि म. पंचायत समिति, धोरीमन्ना से लाखों रुपये उठाकर विकास कार्यो के नाम पर फर्जीवाड़ा करने व ऑडिट कर्मचारियों से मिलीभगत कर गबन एवं अनियमितताओं को दबा देने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर से दिनांक 25.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि शिकायत मे. वर्णित अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर वसूली योग्य राशि 1,61,794/-रुपये की वसूली कर ली गई और आक्षेपित अनियमित भुगतान का समायोजन कर लिया गया। अपूर्ण कार्यो के कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र सक्षम तकनीकी अधिकारी से जारी करवाकर ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों की पालना कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 27.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(71)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती दरियाव कंवर से दिनांक 27.06.2014 को प्राप्त परिवाद म. उसने ग्राम पिनाच, पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर की चारागाह भूमि म. भू-माफिया गिरोह के लोगों एवं पूर्व सरपंच श्री बिशन सिंह व वर्तमान सरपंच पति श्री कैलाश चौधरी वगैरह द्वारा कब्जा कर वहाँ से अवैध खनन करने के विरूद्ध प्रशासन के समक्ष समुचित कार्यवाही हेतु शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.04.15 व 11.08.2015 के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम रेवतपुरा के आराजी खसरा संख्या 549/3 रकबा 11.10 बीघा भूमि खातेदार बिशन सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जिसम. 4 बीघा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने पर दिनांक 31.01.2013 को नामान्तरकरण का अमल-दरामद हुआ, जिसम. वर्तमान म. मौके पर ईंट भट्टा बना होकर चालू है। इस ईंट भट्टे के पास ही जोड़िंदा पिनाच मुख्य रास्ते पर मोटर स्टेण्ड पर सिंगल प्वाइन्ट नलकूप की उपादेयता समाप्त हो जाने से विभाग को मोटर एवं विद्युत कनेक्शन हटाने के लिये निर्देश देकर नलकूप का विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाया गया। दिनांक 11.08.2015 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भट्टा संचालक श्री बिशन सिंह द्वारा बिजली चोरी करने पर 6,672/-रुपये वी.सी.आर. राशि जमा करवा दी गई। ईंट भट्टे पर अवैध रूप से पाये गये विद्युत कनेक्शन बाबत विद्युत चोरी का मामला पाये जाने व ईंट भट्टे का संचालन नियम विरूद्ध होने से दिनांक 22.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट म. इसे वर्तमान म. बन्द होना बताया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 20.04.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(440)लोआस/2014

परिवादी श्री लाल सिंह जाटव से दिनांक 20.01.2015 को प्राप्त परिवाद म. उसने अपना रास्ता दिगम्बर जाट द्वारा रोक देने व उसके बाल-बच्चों को परेशान करने के सम्बन्ध म. 4-5 रिपोर्ट जिला कलक्टर को देने के बावजूद कोई सुनवाई न होने पर सुनवाई करके रास्ते को खाली करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, भरतपुर से दिनांक 18.08.2015 एवं 11.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट्स के द्वारा अवगत करवाया गया कि दिनांक 26.03.2015 को ग्राम सांतरूक में दिगम्बर सिंह जाट द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया और तत्पश्चात् बच्चू सिंह द्वारा आम रास्ते पर पुनः मिट्टी डाल कर व एक नाली को रोककर किये गये अतिक्रमण को भी ग्राम पंचायत सांतरूक के सरपंच व सचिव की मौजूदगी म. हटाया जाकर रास्ते को सही व सुचारू रूप से खुलवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 13.05.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(68)लोआस/2015

परिवादी श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़ से दिनांक 19.05.2015 को प्राप्त परिवाद म. उसने ग्राम पंचायत रूपनगढ़ द्वारा 25 वर्ष पूर्व नीलामी म. विक्रय की गई दुकान का पट्टा-विलेख न मिलने पर इस सम्बन्ध म. सरपंच व सचिव के विरूद्ध लगातार प्रशासन के समक्ष शिकायत कर अपनी पीड़ा व्यक्त करने और इसी क्रम म. वर्ष 2013 में प्रशासन गाँवों के संग

अभियान म. दिनांक 05.02.2013 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर भी कोई कार्यवाही न होने पर वांछित पट्टा-विलेख दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से दिनांक 20.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी गजेन्द्र सिंह उर्फ शंकर सिंह के परिवाद के सम्बन्ध मे. ग्राम पंचायत, रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 05.07.2016 की बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना म. उन्हें नीलामी म. विक्रय की गई दुकान संख्या 37 का पट्टा-विलेख जारी किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 22.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(199)लोआस/2015

परिवादी श्री मघाराम से प्राप्त परिवाद म. उसने स्वीकृत इन्दिरा आवास योजना की द्वितीय किश्त की राशि अपने बैंक खाते म. अंतरित करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, बीकानेर से दिनांक 31.03.2016 को प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी श्री मघाराम जाट को इन्दिरा आवास योजना की राशि की अंतिम किश्त का भुगतान जिला परिषद, बीकानेर द्वारा चैक दिनांक 08.05.2015 से किया गया, जो उसे दिनांक 28.05.2015 को बैंक खाता के माध्यम से प्राप्त हो गया। इस प्रकार उसे समस्त किश्तों का भुगतान किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 12.04.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(220)लोआस/2015

परिवादी श्री गौरी शंकर शर्मा से दिनांक 24.08.2015 को प्राप्त परिवाद के अनुसार उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2015 को ग्राम सेवक व पदेन सचिव, पंचायत समिति, विराटनगर के पद से होने के पश्चात् उनके द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, विराटनगर को बार-बार निवेदन करने के बावजूद उसकी पेंशन के कागजात तैयार नहीं किये जा रहे हैं और पेंशन सम्बन्धी परिलाभ का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर से दिनांक 20.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री गौरी शंकर शर्मा का पातेय वेतन आधार पर छठे वेतनमान म. वेतन निर्धारण पंचायत समिति, विराटनगर के आदेश दिनांक 23.07.2015 द्वारा कर दिया गयाऔर कार्मिक को मेडिकल पुनर्भरण हेतु प्रस्तुत 41,000/-रुपये के बिल म. से पुनर्भरण योग्य दवाओं एवं क्लेम की राशि के रूप म. 25,883/-रुपये, अप्रयुक्त उपार्जित अवकाश के विरूद्ध 2,69,445/-रुपये तथा जी.पी.एफ. कटौतियों के रूप म. काटी गई राशि 7,500/-रुपये का भुगतान चैक द्वारा किया गया।

तत्पश्चात् विभाग से दिनांक 07.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि सेवानिवृत्त ग्राम सेवक, श्री गौरी शंकर शर्मा को माह नवम्बर, 2001 से जून, 2015 तक का जी.ए.-55 प्रपत्र तैयार कर दिनांक 10.08.2016 को व्यक्तिशः उपलब्ध करवा दिया गया एवं उनके जी.पी.एफ. की अंतिम आहरण की राशि 1,08,728/-रुपये और राज्य बीमा पॉलिसी की राशि 64,347/-रुपये अर्थात् कुल राशि 1,73,075/-रुपये कार्मिक के खाते म. जमा करवाये गये। इसके साथ ही पेंशन विभाग द्वारा श्री शर्मा के हक म. पी.पी.ओ. क्रमांक 1024401 (आर) एवं ग्रेच्यूटी पे-ऑर्डर क्रमांक 3027993 (आर) जारी किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 10.01.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(221)लोआस/2015

परिवादी श्री राम प्रसाद किराड़ से दिनांक 24.08.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, सांवतगढ़ (जिला बून्दी) के पूर्व सरपंच श्री नरेन्द्र शर्मा व सचिव द्वारा वर्ष 2010 से 2014 तक की अवधि म. करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों एवं बी.पी.एल. सूची म. अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़कर उन्हें इन्दिरा आवास का लाभ दिलवाकर राजकीय राशि का गबन करने पर उनके विरूद्ध जाँच करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, बून्दी से दिनांक 22.12.2015 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि एस.जी.एस.वाई. योजनान्तर्गत दुकानों पर काबिज व्यक्तियों को आवंटन एवं उनसे किराया वसूलने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली को पाबन्द किया गया। तत्पश्चात् इसी मामले म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी से दिनांक 19.10.2016 एवं दिनांक 18.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट्स के द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा एस.जी.एस.वाई. के अधीन निर्मित/विवादित तीन दुकानों पर अब ग्राम पंचायत का ताला लगा दिया गयाऔर इनम. से किसी भी दुकान पर किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति का कब्जा नहीं है तथा नरेन्द्र बंगाली के घर के बाहर हैण्ड पम्प पर कच्चे पत्थरों के कोट के रूप म. किये गये अतिक्रमण को दिनांक 26.11.16 को हटाया जाकर हैण्ड पम्प को अतिक्रमण से मुक्त किया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 28.11.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(237)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रताप सिंह से दिनांक 27.08.2015 को प्राप्त परिवाद में उसने वर्ष 2011-12 म. ग्राम पंचायत, मुरड़ाकिया (पंचायत समिति, सुजानगढ़ व जिला चूरू) द्वारा निर्मित ग्रेवल सड़क म. उसकी फर्म सुशीला ट्रेडिंग कम्पनी बामणियां द्वारा की गई सामग्री आपूर्ति का भुगतान न होने से बकाया भुगतान दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (अनुभाग-3 मनरेगा), जयपुर से दिनांक 10.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि इस प्रकरण म. दिनांक 26.05.2016 को फर्म को बकाया राशि 4,77,312/-रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(338)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रभुलाल गुर्जर से दिनांक 01.10.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, फूलजी की खेड़ी, जिला भीलवाड़ा के ग्राम पदमपुरा म. श्री शैतान सिंह द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण कर उसे अवरूद्ध कर देने के सम्बन्ध म. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डलगढ़, उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ और जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष शिकायत करने के बावजूद आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने पर उपर्युक्त अतिक्रमण को हटवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से दिनांक 17.02.2016 एवं 15.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट्स द्वारा अवगत करवाया है कि अतिक्रमी

शैतान व सांवता गुर्जर द्वारा रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाने पर ग्राम पंचायत, श्यामगढ़ द्वारा पुलिस जाब्ता लेकर दिनांक 02.02.2016 एवं 05.07.2016 को अतिक्रमण हटाकर रास्ता खुला किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 26.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(339)लोआस/2015

परिवादी श्री सुवालाल गुर्जर से दिनांक 01.10.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत जालिया (जिला भीलवाड़ा) के ग्राम केरपुरा (खेरपुरा) म. उनके रिहायशी मकान के सामने श्री माधू गुर्जर द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण कर उसे अवरूद्ध कर देने के सम्बन्ध म. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, माण्डलगढ़ एवं जिला प्रशासन वगैरह के समक्ष शिकायत करने के बावजूद आज दिन तक किसी प्रकार की कार्यवाही न होने पर उपर्युक्त अतिक्रमण को हटवाने बाबत ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव के विरूद्ध शिकायत की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से दिनांक 29.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि श्री माधू गुर्जर द्वारा किये गये अतिक्रमण को दिनांक 23.07.2016 को कार्यपालक दण्डनायक एवं पुलिस जाब्ते की उपस्थिति म. हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.08.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(410)लोआस/2015

परिवादी श्री नेहनूराम से दिनांक 03.11.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम खरकड़ा, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर स्थित अपने मकान म. आने-जाने के 10 फीट चौड़े रास्ते पर हुए अतिक्रमण को मुक्त करवाने के सम्बन्ध म. ग्राम पंचायत प्रशासन को निवेदन करने के बावजूद उनके द्वारा अतिक्रमण न हटाने पर उक्त अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से दिनांक 22.01.2016 व दिनांक 10.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्षों की सहमति से ग्राम पंचायत द्वारा मौके पर से अतिक्रमण को हटाते हुए 8 फीट चौड़ा रास्ता कायम करते हुए इसे खुलवा दिया गया। रास्ते के सम्बन्ध म. अब कोई विवाद नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 10.01.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(444)लोआस/2015

परिवादी श्री सलीम मोहम्मद चौधरी से दिनांक 26.11.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने वर्ष 2012-13 म. वन मण्डल, बून्दी के अधीन नरेगा योजना म. निर्माण सामग्री की आपूर्त सामग्री की राशि 4,24,160/-रुपये का भुगतान विभिन्न अधिकारियों के समक्ष आवेदन करने के बावजूद न होने से उपर्युक्त भुगतान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. वित्तीय सलाहकार (ई.जी.एस.), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 26.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि मैसर्स चौधरी ट्रेडर्स (प्रो. सलीम मोहम्मद चौधरी) के प्रकरण म. पंचायत समिति, नैनवां की ग्राम

पंचायत, पीपलियां म. स्वीकृत कार्य ईको क्लोजर, देवरी माता (16143) के वित्तीय वर्ष 2012-13 के बकाया सामग्री आपूर्ति के बिलों का भुगतान कर दिया गयाऔर परिवादी ने भी बकाया भुगतान पेटे 1,55,741/-रुपये प्राप्त होना स्वीकार किया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 02.01.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(450)लोआस/2015

परिवादी श्री कुशीराम से दिनांक 02.12.2015 को प्राप्त परिवाद में उसने ग्राम पंचायत, डोरा (पंचायत समिति, तालेड़ा व जिला बून्दी) म. वित्त वर्ष 2014-15 म. उसके द्वारा आपूर्त सामग्री व श्रमिकों से सम्बन्धित भुगतान ग्राम सेवक श्री बाबूलाल बैरवा द्वारा न करने पर दोषी लोक सेवक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस प्रकरण म. परिवादी से नोटेरी से सत्यापित शपथ-पत्र प्राप्त न होने से परिवाद की एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी को प्रेषित करते हुए परिवाद को दिनांक 21.01.2016 को नस्तीबद्ध किया गया। तत्पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी से दिनांक 09.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी को सामग्री आपूर्ति व श्रमिकों से सम्बन्धित बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया जिसे परिवादी ने भी प्राप्त होना स्वीकार किया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हुआ।

एफ.12(465)लोआस/2015

परिवादी श्री रामरतन उर्फ गप्पू से दिनांक 11.12.2015 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, हमीरपुर, अलवर के द्वारा पूर्व म. बनाये गये आठ सदस्यीय बी.पी.एल. कार्ड के नष्ट होने पर उसके द्वारा नया बी.पी.एल. कार्ड बनाने के लिये आवेदन करने पर सिर्फ उस अकेले के नाम का ही बी.पी.एल. कार्ड बनाने एवं उसके परिवार के शेष सात व्यक्तियों के नाम ऑनलाइन नहीं जोड़ने और मेडिकल–कार्ड नहीं बनाने पर परिवार के सभी आठ व्यक्तियों के नाम ऑनलाइन दर्ज करवाने एवं राशन–कार्ड व मेडिकल–कार्ड जारी करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से दिनांक 28.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी का नाम पूर्व म. बी.पी.एल. सेन्सस, 2002 की ऑनलाइन सूची म. बी.पी.एल. क्रमांक 50603604 पर दर्ज है, किन्तु उसके परिवार के सदस्यों के नामों का उल्लेख ऑनलाइन सूची म. न होने से अब उनके नाम दिनांक 28.06.2016 के कार्यालय आदेश के अनुसार जोड़ दिये गये हैं।

इसी क्रम म. विभाग से दिनांक 28.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री रामरतन का मेडिकल–कार्ड सितम्बर माह म. जारी किया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 08.11.2016 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(498)लोआस/2015

परिवादी श्री दीपक कुमार से दिनांक 04.01.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने कस्बा सुनेल के वार्ड संख्या 4 म. सड़क के बीचों–बीच होकर

गुजर रही नाली को हटवाकर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु दिनांक 01.07.2014 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सुनेल को आवेदन करने के बावजूद उनके द्वारा नियमानुसार कार्यवाही नहीं करने पर समस्या का समाधान करवाने की प्रार्थना की।

परिवादी से विहित प्ररूप म. परिवाद (सत्यापित शपथ-पत्र सहित) प्राप्त न होने से इसकी एक प्रति जिला कलक्टर, झालावाड़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए परिवाद को दिनांक 25.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

तत्पश्चात् इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, झालावाड़ से दिनांक 06.05.16 को प्राप्त रिपोट्र्स द्वारा यह अवगत करवाया गया कि सरपंच, विकास अधिकारी एवं प्रधान की उपस्थिति मे. समस्या का समाधान कर ग्राम पंचायत द्वारा नाली का निर्माण कार्य करवाया गया, जिससे परिवादी को अपने घर आने जाने म. किसी प्रकार की समस्या नहीं है और उसकी शिकायत का निवारण हो गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से परिवाद अन्तिम रूप से नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(528)लोआस/2015

परिवादी श्री कैलाश चन्द शर्मा से दिनांक 12.01.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, श्रीनगर, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा के सहायक सचिव द्वारा उनसे अवैध राशि वसूलने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा उसके घर की नाली को मुख्य नाली म. जोड़ने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की।

परिवादी से विहित प्ररूप म. परिवाद (सत्यापित शपथ-पत्र सहित) प्राप्त न होने से उसके परिवाद की एक प्रति जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए परिवाद को दिनांक 04.03.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

तत्पश्चात् जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से दिनांक 21.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया है कि परिवादी श्री कैलाश चन्द्र शर्मा को उसके शौचालय निर्माण राशि का भुगतान कर दिया गया एवं नई नाली का निर्माण भी करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद अन्तिम रूप से नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.12(560)लोआस/2015

परिवादीगण श्री मुरली मनोहर वैष्णव व अन्य से दिनांक 25.01.2016 को प्राप्त परिवाद में उन्होंने दौलजी का खेड़ा (तहसील, माण्डलगढ़ व जिला भीलवाड़ा) म. बिलानाम व वन विभाग की 40 बीघा बेशकीमती भूमि पर भू-माफिया श्री कृष्ण गोपाल महाजन व श्री जगदीश चन्द्र महाजन द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण करने पर इसके सम्बन्ध म. तहसीलदार, माण्डलगढ़ एवं स्थानीय प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद उन्हें बेदखल न करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की।

परिवादी से सत्यापित शपथ-पत्र सहित विहित प्ररूप म. परिवाद प्राप्त न होने से परिवाद की एक प्रति जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 16.03.2016 को नस्तीबद्ध किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 20.10.2016 को जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि ग्राम दौलजी का खेड़ा पटवार हलका मोहनपुरा म. आराजी संख्या 272 व 284 म. 7-13 बीघा भूमि पर श्री कृष्ण गोपाल व अन्य द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध म. उनके विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन कार्यवाही कर

बेदखली के आदेश पारित कर उन्हें मौके से बेदखल कर अतिक्रमण हटा दिया गया और अब मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो गया।

एफ.12(566)लोआस/2015

परिवादी श्री रामकुमार चौधरी से दिनांक 28.01.2016 को प्राप्त परिवाद में उसने ग्राम चौरू (पंचायत समिति, फागी व जिला जयपुर) म. बाक्या सागर तालब की पाल के पास सार्वजनिक गैर मुमकिन आबादी भूमि पर श्री अर्जुन सिंह द्वारा किये गये अतिक्रमण को ग्राम सेवक/सचिव एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, फागी द्वारा नहीं हटाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त अतिक्रमण हटवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, फागी से दिनांक 26.05.16 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 26.04.16 को प्रशासन की मदद से ग्राम चौरू म. छपरी जाने वाले रास्ते पर बाक्या तेजाजी के पास स्थित सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 27.05.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(576)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती पुष्पा जैन से दिनांक 01.02.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, कालाकोट (पंचायत समिति, छोटी सादड़ी) के सरपंच व सचिव की मिलीभगत से राजस्व ग्राम भूरा (जिला प्रतापगढ़) म. स्वीकृत स्थान से हटकर उनकी निजी खातेदारी राजस्व भूमि म. सड़क

निकालने से राजस्व अपव्यय को रोककर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ से दिनांक 30.03.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि नरेगा योजनान्तर्गत जिस स्थान पर नरेगा कार्य चलाया गया था, वह आराजी संख्या 57 रकबा 1.40 हैक्टेयर का होकर जोरावर सिंह के नाम पर दर्ज है और वर्तमान म. नरेगा कार्य बन्द किया गया। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ से दिनांक 18.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त ग्रेवल सड़क के निर्माण के समय श्री जोरावर सिंह की निजी खातेदारी की भूमि म. निर्मित 15 मीटर सड़क के अपव्यय की राशि 2311/-रु. की वसूली सम्बन्धित सरपंच श्री केसूराम टांक व सचिव श्री राधेश्याम शर्मा से दिनांक 25.07.2016 को कर ली गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 08.11.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(578)लोआस/2015

परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत से दिनांक 03.02.2016 को प्राप्त परिवाद में उसने ग्राम छोटा गुढ़ा (तहसील चौमूं व जिला जयपुर) म. स्थित सार्वजनिक आबादी की आराजी खसरा संख्या 96 रकबा 2.68 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी भूमि पर गाँव के ही भू-माफियाओं घनश्याम सिंह वगैरह द्वारा सरपंच से मिल कर लाठी के बल पर कब्जा कर अतिक्रमण करने और इस सम्बन्ध म. राज्य सरकार एवं विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने से मामले की जाँच करवाकर अतिक्रमण को अनदेखा करने वाले लोक सेवकों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, जयपुर से दिनांक 29.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की आराजी के 22x7 फीट भू-भाग पर दीवार के रूप म. किये गये अतिक्रमण को हटाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 07.11.16 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्वयं परिवादी ने भी अपने द्वारा सार्वजनिक आबादी के भू-भाग पर किये गये अतिक्रमण को हटा लिया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 09.11.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(609)लोआस/2015

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी से दिनांक 02.02.2016 को प्राप्त परिवाद म. उसने विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भोपालगढ़ द्वारा मनरेगा लोकपाल, जोधपुर द्वारा परिवाद संख्या 69/2013 म. दिनांक 15.05.2014 को एवं परिवाद संख्या 75/2013 म. दिनांक 24.04.2014 को पारित निर्णय (अवार्ड) की पालना न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. आयुक्त (मनरेगा), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 13.05.2016 व 12.07.2016 को प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि लोकपाल के निर्णय की अनुपालना म. 47 दोहरे जॉब कार्डो को एम.आई.एस. से डिलीट कर दिया गया एवं 67 जॉब कार्डो का शुद्धीकरण कर दिया गया और 8 जॉब कार्डो म. राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नरेगा सॉफ्टवेयर म. संशोधन करवा दिया गया।

इसी क्रम म. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 13.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, खांगटा के मामले म. लोकपाल मनरेगा द्वारा परिवाद संख्या 75/2013 म.

दिये गये निर्देशों की पालना म. मनरेगा योजना के तहत विभिन्न कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यस्थल के खसरा नम्बरों का उल्लेख करते हुए जारी कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(629)लोआस/2015

परिवादी श्री अशोक कुमार जैन से दिनांक 24.02.2016 को प्राप्त परिवाद में उसने ग्राम पंचायत, बिजोवा की सरहद म. हनुमानजी की कुटिया के पास एवं स्वामी विवेकानन्द उद्यान के गेट के सामने खसरा संख्या 1448 गैर मुमकिन आबादी भूमि म. भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लेने के सम्बन्ध म. ग्राम पंचायत, बिजोवा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रानी, तहसीलदार, रानी एवं उपखण्ड अधिकारी, रानी को कई बार अवगत करवाने के बावजूद इसके सम्बन्ध म. कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने की शिकायत करते हुए ग्राम पंचायत, बिजोवा द्वारा श्रीमती संतोष गोस्वामी के पक्ष म. दिनांक 03.09.2014 को नियम विरूद्ध निःशुल्क पंजीयन करवाये गये पट्टा-विलेख को निरस्त करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, पाली से दिनांक 09.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की शिकायत आंशिक सही पाई गई और यह अवगत करवाया गया कि बेचानशुदा पट्टे को निरस्त करवाने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रानी द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 05.12.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(630)लोआस/2015

परिवादी श्री हनुमान प्रसाद स्वामी से दिनांक 26.02.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, पाण्डुसर (जिला हनुमानगढ़) के सरपंच और विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नोहर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की चारदीवारी निर्माण म. बड़े स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जिला प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने पर मामले की जाँच करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से दिनांक 14.07.2016 व 21.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की चारदीवारी निर्माण का कार्य निम्न गुणवत्ता का पाये जाने पर नींव के प्रथम दो रद्दों का मूल्यांकन/माप के समय इन्द्राज न करने, अधिसंरचना, चिनाई बी/एम आइटम म. मूल्यांकन करते समय 20 प्रतिशत कटौती करने एवं पूर्व म. निर्मित चूना पत्थर दीवार का मलबा नीलाम करने हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नोहर को निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुसार पंचायत समिति, नोहर के तकनीकी अधिकारी द्वारा उक्त कार्यों का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर वसूली योग्य राशि 2,34,215/-रुपये ग्राम पंचायत कोष म. जमा करवा दी गई है गई एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 13.12.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(13)लोआस/2016

परिवादी श्री शंकर लाल चौधरी से दिनांक 12.04.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने बृजलाल नगर म. गजानन्द नगर वाले के सामने से माधुजी हमीरपुर वाले के मकान तक शिव कॉलोनी, दूदू रोड़ पर हुए अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध म. उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा और विकास

अधिकारी, पंचायत समिति, मालपुरा द्वारा ग्राम पंचायत, राजपुरा के सरपंच व सचिव को आदेशित करने के बावजूद उपर्युक्त अतिक्रमण नहीं हटाने पर इस मामले म. तुरन्त कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, टोंक से दिनांक 03.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री रामधन जाट द्वारा अपने मकान के सामने खसरा संख्या 1277/155 की भूमि पर बनाये गये सेप्टिक टैंक को दिनांक 29.08.2016 को तहसीलदार, मालपुरा एवं पुलिस जाब्ता की निगरानी म. हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 07.09.2016 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(57)लोआस/2016

परिवादी श्री घनश्याम पाटीदार से दिनांक 11.05.2016 को प्राप्त परिवाद में उसने ग्राम दोबड़ी के बीचों बीच स्थित नाले म. लोगों द्वारा अतिक्रमण करने के सम्बन्ध म. तहसील, उपखण्ड एवं जिला प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद मामले म. आवश्यक कार्यवाही न होने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, झालावाड़ से दिनांक 28.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम दोबड़ी के बीच की सीमा म. स्थित नाले म. पड़े हुए पत्थरों व अतिक्रमण को परिवादी व ग्रामवासियों की उपस्थिति म. ग्राम पंचायत के सहयोग से हटा कर नाले को खुला किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 05.12.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(62)लोआस/2016

परिवादी श्री घासीराम सुथार से दिनांक 11.05.2016 को प्राप्त परिवाद में उन्होंने ग्राम पंचायत, सामरिया के सचिव द्वारा उसका आवासीय पट्टा-विलेख जारी नहीं करने से आवासीय भूमि का पट्टा-विलेख जारी करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. दिनांक 16.01.2017 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झालावाड़ से प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी बी.पी.एल. परिवार का सदस्य है, जिसकी पहचान संख्या 3219531 है। ग्राम पंचायत द्वारा परिवादी को 299 वर्ग फीट क्षेत्रफल का पट्टा-विलेख क्रमांक 62583 दिनांक 10.11.2010 निःशुल्क जारी किया गया। दिनांक 15.11.2016 को पट्टा-विलेख की प्रति भी उसे सुपुर्द कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.02.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(70)लोआस/2016

परिवादी श्री सुरेश यादव से दिनांक 13.05.2016 को प्राप्त परिवाद म. उसने ग्राम पाटन (तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर) के श्री गणपत लाल यादव द्वारा चारागाह किस्म की 20 बीघा भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर से दिनांक 20.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पाटन के खसरा संख्या 415/01 रकबा 154-10-17 भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सिवायचक दर्ज है, जिसम. संवत् 2072 म. 20 बीघा भूमि पर सर्वश्री मंगलचन्द, कमलेश व दयाल यादव ने डोल लगाकर अतिक्रमण कर लिया जिस पर

नायब तहसीलदार, किशनगढ़ के न्यायालय द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अधीन कार्यवाही कर दिनांक 09.05.2016 को उनकी बेदखली के आदेश जारी किये गये तथा फिर प्रशासन द्वारा दिनांक 20.09.2016 से 22.09.2016 की अवधि म. उक्त अतिक्रमण को भौतिक रूप से हटाकर अतिक्रमियों को बेदखल किया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 20.10.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(93)लोआस/2016

परिवादीगण श्री छगन काठात व अन्य से दिनांक 24.05.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, मसूदा के अधीन ग्राम अडवानिया म. गत 20 दिनों से करीब 100 वर्ष पुराने आम रास्ते को गाँव के ही रहमान व उसके परिवार वालों द्वारा अतिक्रमण कर बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध म. तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा वगैरह को लिखित म. देने के बावजूद वांछित कार्यवाही न होने से उक्त बन्द रास्ते को तुरन्त खुलवाने की प्रार्थना की।

परिवादीगण से विहित प्ररूप म. परिवाद प्राप्त न होने से उनके परिवाद की एक प्रति जिला कलक्टर, अजमेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 28.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

इसके पश्चात् जिला कलक्टर, अजमेर से दिनांक 21.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम अडवानिया म. आम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को ग्राम पंचायत, मसूदा द्वारा हटवाकर अवरूद्ध रास्ते को खुलवा दिया गया और वर्तमान म. उक्त स्थल पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया।

एफ.12(117)लोआस/2016

परिवादी श्री चावण्ड सिंह चारण से दिनांक 01.07.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत रसीली (पंचायत समिति, दूदू व जिला जयपुर) के ग्राम डोगरी म. स्थित उसकी पुश्तैनी/आधिपत्य की आबादी भूमि म. निर्मित मकान से सम्बन्धित भूमि का पट्टा-विलेख ग्राम पंचायत से माँगने के बावजूद उसके सचिव द्वारा पट्टा-विलेख नहीं देने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से दिनांक 06.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि श्री चावण्ड सिंह को पट्टा-विलेख जारी किया गया।

इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को पूर्ण अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 07.10.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(123)लोआस/2016

परिवादी श्री मोहनलाल ढोली से दिनांक 02.06.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने उल्लेख किया कि वह बी.पी.एल. की पात्रता रखता है और इसकी सूची म. नाम जुड़वाने हेतु उसने प्रशासन के समक्ष आवेदन कर रखा है, किन्तु ग्राम पंचायत, गुढ़ा बालोतान (जिला जालोर) के ग्राम सेवक उसका नाम बी.पी.एल. सूची म. नहीं जोड़ रहे हैं, इस कारण उसका नाम उक्त सूची म. जुड़वाया जाये।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालोर से दिनांक 24.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री मोहनलाल ढोली का नाम बी.पी.एल. सूची, 2002 म.

दर्ज करवाने के सम्बन्ध म. प्रथम अपील अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, आहोर) द्वारा निर्णय पारित होने के पश्चात् कार्यालय आदेश दिनांक 22.08.16 के द्वारा उसका नाम बी.पी.एल. सूची, 2002 म. शामिल किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.08.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(154)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती मीरा बाई से दिनांक 16.06.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने सिविल न्यायालय के आदेश के बावजूद पंचायत समिति, हिण्डोली के कर्मचारियों उच्छब लाल शर्मा व राजेश गौतम द्वारा दिनांक 23.06.16 को गलत रिपोर्ट पेश करने के कारण उसका शौचालय न बनने पर अब न्यायालय के आदेशानुसार शौचालय का निर्माण करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी से दिनांक 08.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्रीमती मीरा बाई के घर म. व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कर प्रकरण का निस्तारण किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 07.09.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(200)लोआस/2016

परिवादी श्री रामसिंह रावत से दिनांक 01.07.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने गाँव जाटिया के राजकीय विद्यालय के पीछे पड़त भूमि के दोनों तरफ के खेत वालों द्वारा अतिक्रमण कर अपने खेतों म. मिलाकर पाँचू

सिंह के घर पर जाने वाले रास्ते को बन्द कर देने पर अतिक्रमण न हटाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, अजमेर से दिनांक 22.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.02.2017 को ग्राम जाटिया के खसरा संख्या 2014 व 2015 म. स्थित आम रास्ते को आपसी समझाइश व सहमति से सुचारू रूप से आवागमन हेतु खुलवा दिया गयातथा उक्त स्थल पर कोई अतिक्रमण नहीं रहा है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 23.03.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(228)लोआस/2016

परिवादी श्री रामस्वरूप खटीक से दिनांक 12.07.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, बदनोर, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा द्वारा बस स्टैण्ड, बदनोर के चारों ओर चाय व माँस के केबिनों से हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटवाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव लिये जाने व अतिक्रमियों को नोटिस दिये जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटवाये जाने पर सम्बन्धित सरंपच व ग्राम सेवक के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से दिनांक 25.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि बदनोर बस स्टैण्ड के आस-पास स्थिति अवैध केबिनों द्वारा किये गये अतिक्रमणों को ग्राम

पंचायत द्वारा हटवा दिया गयाऔर मौके पर अब किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 23.12.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(263)लोआस/2016

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद से दिनांक 27.07.2016 को प्राप्त परिवाद म. उसने गाँव समसपुर, तहसील व जिला झुन्झुनूं म. सार्वजनिक जोहड़ म. 88x48 फीट भू-भाग पर दयाराम जाट द्वारा अवैध कब्जा कर लेने पर उसे खाली करवाने की प्रार्थना की।

परिवाद म. किसी लोकसेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरूपयोग का आरोप न होने से परिवाद की एक प्रति जिला कलक्टर, झुन्झुनूं को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 03.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

इसके पश्चात् जिला कलक्टर, झुन्झुनूं से दिनांक 16.12.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि अतिक्रमी श्री दयाराम जाट का राजकीय भूमि खसरा संख्या 406 रकबा 0.86 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन चारागाह म. से 0.02 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने के कारण उसके विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अधीन प्रकरण दर्ज कर दिनांक 10.10.2016 को बेदखली का निर्णय पारित किया जाकर उसे दिनांक 30.11.2016 को मौके से बेदखल किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया।

एफ.12(287)लोआस/2016

परिवादी श्री बालकृष्ण शर्मा से दिनांक 04.08.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने अपनी फर्म मैसर्स शाकम्भरी कॉन्ट्रेक्टर्स, छापोली द्वारा ग्राम पंचायत जहाज, जिला झुन्झुनूं मे. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये सामग्री आपूर्ति करने बाबत निविदा भरते समय जमा करवाई गई अमानत राशि 1,75,000/-रुपये निविदा अवधि समाप्त होने के बावजूद वापस नहीं लौटाने पर ग्राम पंचायत के विरूद्ध कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

परिवादी से प्राप्त परिवाद सत्यापित शपथ-पत्र सहित विहित प्ररूप म. न होने से उससे विहित प्ररूप म. परिवाद आहूत किया गया, किन्तु उससे इस आशय का परिवाद प्राप्त न होने पर उसके परिवाद की एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 27.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

परिवाद म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनूं से दिनांक 18.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री बाल कृष्ण शर्मा के परिवाद के क्रम म. टेण्डर की अमानत राशि रु. 1,75,000/-रुपये का भुगतान ग्राम पंचायत जहाज द्वारा चैक संख्या 429995 दिनांक 09.09.2016 से किया जा चुका है और मामले म. अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 23.02.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(321)लोआस/2016

परिवादी मैसर्स गणपति मेटेरियल सप्लायर्स से दिनांक 17.08.2016 को प्राप्त परिवाद म. ग्राम पंचायत, लसानी के सचिव एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, देवगढ़ द्वारा फर्म को मेटेरियल आपूर्ति के एवज म. भुगतान न करने का आरोप लगाया गया।

परिवादी से विहित प्ररूप म. परिवाद प्राप्त न होने से उसके परिवाद की एक प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए इसे दिनांक 14.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

इसके पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द से दिनांक 30.11.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी मैसर्स गणपति मेटेरियल सप्लायर्स को सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के चैक संख्या 32282 दिनांक 11.11.16 के द्वारा राशि 1,08,959/-रुपये का भुगतान किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया।

एफ.12(334)लोआस/2016

परिवादी श्री दलवीर सिंह से दिनांक 29.08.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, सिलवासा खुर्द की मुख्य गली म. लगे खड़ंजे को सर्व श्री ओम प्रकाश, राम कुमार व दिलीप कुमार द्वारा उखाड़ कर उस पर अतिक्रमण कर लेने के सम्बन्ध म. ग्राम पंचायत एवं प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने की शिकायत की।

इस सम्बन्ध म. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टिब्बी से दिनांक 21.10.16 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि आरोपीगण सर्व श्री ओम प्रकाश, राम कुमार व दिलीप द्वारा ग्राम सिलवासा खुर्द के

वार्ड संख्या-3 म. किये गये अतिक्रमण को दिनांक 07.10.2016 को पुलिस व जे.सी.बी. मशीन की सहायता से हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 24.10.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(420)लोआस/2016

परिवादी श्री रामनिवास से दिनांक 29.09.2016 को प्राप्त परिवाद म. उसने ग्राम पंचायत, बामनबड़ौदा के सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची म. से उसका नाम हटा देने, सचिव को पाँच हजार रुपये की राशि देने के बाजवूद उसका नाम उक्त योजना म. नहीं जोड़ने एवं पैसे वापस नहीं लौटाने के आरोप लगाये।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सवाईमाधोपुर से दिनांक 07.03.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि पंचायत समिति, गंगापुरसिटी द्वारा ग्राम पंचायत, बामनबड़ौदा की वर्ष 2011 के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थाई वरीयता सूची जारी की गई, जिसम. परिवादी का नाम एस.सी. वर्ग की सूची म. क्रमांक 9 पर अंकित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.03.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(510)लोआस/2016

परिवादी श्री जनार्दन गौड़ से दिनांक 21.11.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने अपने पड़ौसी फूलचन्द कुमावत द्वारा आम रास्ते पर पत्थर एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस का कचरा डालने से कच्ची नाली के बन्द होने व

आवागमन म. असुविधा होने के सम्बन्ध म. ग्राम पंचायत, दांता एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दांतारामगढ़ के समक्ष शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही न होने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. दिनांक 23.01.2017 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से प्राप्त प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री फूलचन्द कुमावत द्वारा आम रास्ते म. डाले गये प्लास्टर ऑफ पेरिस के कचरे व उस पर डाली गई मिट्‌टी को दूर हटवाकर परिवादी की समस्या का निवारण कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 16.02.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(513)लोआस/2016

परिवादी श्री बंशीलाल गवारिया से दिनांक 22.11.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम पंचायत, बिछौर, तहसील बेगूं व जिला चित्तौड़गढ़ के सचिव, श्री प्रकाश गुर्जर द्वारा उसके बापी पट्‌टा संख्या 5 दिनांक 10.10.1964 की प्रति/नया पट्‌टा नहीं देने और इस सम्बन्ध म. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बेगूं एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से दिनांक 13.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री बंशीलाल गवारिया को ग्राम पंचायत, बिछौर द्वारा जारी बापी पट्‌टा संख्या 5 दिनांक 18.10.1964 एवं तत्पश्चात् जारी नये पट्‌टा संख्या 01517 दिनांक 21.11.1975 की प्रमाणित प्रतियाँ दिनांक 29.12.2016 को उपलब्ध करवाई जाकर इसकी रसीद प्राप्त की गई है और परिवादी के कथनानुसार अब वह ग्राम सेवक के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 20.01.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(545)लोआस/2016

परिवादी श्री हीराराम मीना से दिनांक 05.12.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम मालीखेड़ा, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा की आबादी से श्मशान घाट जाने वाले रास्ते पर श्री किशना, मोहन वगैरह द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद (सत्यापित शपथ-पत्र सहित) विहित प्रारूप म. न होने से उससे उक्त आशय का परिवाद आहूत किया गया, किन्तु उससे विहित प्रारूप म. परिवाद प्राप्त न होने से इसकी प्रति जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित करते हुये इसे दिनांक 31.01.2017 नस्तीबद्ध किया गया।

तत्पश्चात् इस मामले म. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से दिनांक 27.03.17 को रिपोर्ट प्राप्त हुई कि प्रश्नगत अतिक्रमण को दिनांक 14.03.17 को हटवाया जाकर आम रास्ते को खुलवा दिया गया। फलस्वरूप परिवादी को वांछित उपचार प्राप्त हो गया।

एफ.12(549)लोआस/2016

परिवादी श्री सुख सिंह मीणा से दिनांक 05.12.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने अपनी पुत्री सुश्री टीना की मृत्यु पर उसे विद्यार्थी सुरक्षा योजना के तहत देय दावा राशि नहीं मिलने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से दिनांक 11.02.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी

की पुत्री सुश्री टीना रावत के दुर्घटना बीमा क्लेम को विभाग द्वारा निस्तारित कर राशि 1 लाख रूपये उसके पिता सुखसिंह रावत के बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा बड़ी सादड़ी के खाते म. दिनांक 18.01.2017 को जमा करवा दी गई।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी के परिवाद का निराकरण हो जाने पर पत्रावली दिनांक 02.03.2017 को अंतिम रूप से नस्तीबद्ध की गई।

एफ.12(574)लोआस/2016

परिवादी श्री कमलेश चौधरी से दिनांक 09.12.2016 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने ग्राम बिनावास, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर म. पी.एच.सी. भवन हेतु आवंटित सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध म. राजस्व अधिकारियों को बार-बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, जोधपुर से दिनांक 17.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि तहसील बिलाड़ा के ग्राम बिनावास के खसरा संख्या 390 कुल रकबा 3.15 बीघा (जो पीएचसी, बिनावास के भवन निर्माण के लिये आवंटित भूमि है) की भूमि म. किये गये अतिक्रमण को भौतिक रूप से राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों की टीम एवं पुलिस के सहयोग से दिनांक 20.12.2016 को हटाया जाकर इस भूमि का कब्जा चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 06.02.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.14(26)लोआस/2014

परिवादी श्री भोपाल सिंह, अध्यक्ष, जिला मोटर एसोसिएशन संघ, झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. झुन्झुनूं जिले के वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस हेतु मैसर्स जी. वाई. फिटनेस सेन्टर, इण्डस्ट्रियल एरिया, झुन्झुनूं द्वारा फर्जी तरीके से निरीक्षण कर अवैध रूप से अधिक राशि की वसूली किए जाने से उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने की मांग की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 9.8.2016 से अवगत करवाया कि जी.वाई फिटनेस सेन्टर, झुन्झुनूं के संबंध म. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर द्वारा गठित कमेटी से जांच करवाई गई। जांच उपरान्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सीकर ने आदेश दिनांक 14.7.2016 से मैसर्स जी.वाई. फिटनेस सेन्टर, झुन्झुनूं द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 एवं परिवहन विभाग के आदेश दिनांक 15.7.2011 ''फिजा'' 2011 म. विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं किए जाने के कारण दिनांक 11.9.2015 से निरस्त किये गये उक्त सेन्टर के फिटनेस अधिकार पत्र को पुनः बहाल नहीं किया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 23.8.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(3)लोआस/2013

परिवादी श्री रामकिशन मीणा, निवासी ग्राम मानपुरा, तहसील नैनवां, जिला बून्दी द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. वन विभाग की क्लोजर की भूमि पर अतिक्रमण होने की शिकायत करते हुए अतिक्रमण हटाकर भूमि पर वृक्षारोपण एवं खाई फेन्सिंग कराए जाने की मांग की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. अन्ततः जिला कलेक्टर, बून्दी ने पत्र दिनांक 19.12.2016 व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 31.1.2017 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत भूमि क्षेत्र म. एक मात्र अतिक्रमी श्री चतुर्भुज मीणा के विरूद्ध मिसल नंबर 982/12 से प्रकरण दर्ज कर दिनांक 25.2.2013 के निर्णय द्वारा अतिक्रमी को वन भूमि से बे-दखल कर 3,750/- रूपए जुर्माना किया जा चुका है तथा वन भूमि पर लक्ष्मीपुरा के नाम से वृक्षारोपण भी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 7.3.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(2)लोआस/2014

दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के दिनांक 9.4.2014 के अंक म. ''करोड़ों की वन भूमि पर रातोंरात दीवार'' ''भूतेश्वर वन क्षेत्र म. नहीं थम रहा अतिक्रमण'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार, जिसम. अतिक्रमित भूमि की कीमत लगभग पाँच करोड़ रूपए होने, लगभग 300 फीट क्षेत्र म. दीवार निर्माण सामग्री जप्त करने तथा किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने का उल्लेख था, के आधार पर इस सचिवालय द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर कार्यवाही की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर से पत्राचार करने पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 11.1.2017 से अवगत करवाया गया कि वन विभाग की प्रश्नगत भूमि पर दीवार निर्माण/अतिक्रमण के अपराध म. संलिप्त आरोपियों की पहचान पूर्ण प्रयत्न करने के बावजूद आदिनांक नहीं हो पाई है। वन संबंधी अपराध के प्रकरण म. एक वर्ष तक भी आरोपियों की पहचान नहीं होने पर विभाग म. अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत करने का प्रावधान है।

प्रश्नगत अतिक्रमण को मौके से हटाया जाकर अतिक्रमित वन भूमि, वन विभाग द्वारा कब्जे म. ले ली गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर किए गए हस्तक्षेप के पश्चात् वन विभाग के स्तर पर समुचित कार्यवाही किए जाने के उपरान्त इस प्रकरण को दिनांक 16.1.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(23)लोआस/2015

परिवादी श्री उम्मेद सिंह पुत्र श्री मोतीराम मीना निवासी नांगला सुल्तानपुर, टोडाभीम, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. फोरेस्टर, श्री नत्थीलाल मीणा व रतीराम की मिलीभगत से मनोहरी, गिल्या आदि द्वारा ग्राम नांगला सुल्तानपुर के खसरा नम्बर 1 व 5 की वन भूमि म. अवैध रूप से ट्यूबवेल लगाकर जल दोहन एवं अवैध खनन करने की शिकायत की गई।

इस परिवाद की विषय-वस्तु से सम्बन्धित प्रकरण माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल, भोपाल म. विचाराधीन होने से इसे इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर प्रेषित की गई। इस सम्बन्ध म. मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा) राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 02.11.2016 के अनुसार परिवाद म. वर्णित स्थल पर संचालित अवैध बोरिंग को नष्ट कर मोटर स्टार्टर को जब्त कर लिया गया एवं उस स्थान को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ ही खसरा नम्बर 1 व 5 म. अवैध खनन को रोक दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग एक वर्ष म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.15(202)लोआस/2015

परिवादी श्री मनमोहन कपूर, निवासी सिटी हायर सैकण्डरी स्कूल के सामने, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके दिनांक 31.10.2015 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त भी प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोपालपुरा, श्रीगंगानगर द्वारा उनका उपार्जित अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, श्रीगंगानगर ने पत्र दिनांक 1.7.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी श्री मनमोहन कपूर को बकाया उपार्जित अवकाश की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 20.7.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(78)लोआस/2013

परिवादी श्रीमती ललिता पारीक, निवासी वार्ड नम्बर 4, राम नगर कॉलोनी, पॉवर हाउस के पास, दौसा (राजस्थान) से दिनांक 03.06.2013 को प्राप्त परिवाद म. उसके घर के सामने बरसाती पानी की निकासी नहीं होने तथा हमेशा गंदा पानी भरा रहने की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा खसरा नम्बर 1266 म. सड़क सीमा से लगते हुए बनाई गई पक्की दीवार को तोड़कर प्राकृतिक ढलान की ओर की गई पानी की निकासी को पक्की दीवार बनाकर रोक देने बाबत नगर परिषद एवं जिला परिषद को लगातार शिकायत करने पर भी पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं करने से व्यथित होकर उसकी समस्या के निवारण की माँग की गई है।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रों के संदर्भ म. आयुक्त नगर परिषद, दौसा द्वारा पत्र दिनांक 31.08.16 से अवगत करवाया गया कि परिवादी के घर के सामने से पक्की सड़क व पक्का नाला बनाया जाकर नगर परिषद द्वारा पानी की निकासी की सुगम व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था परिवादी के घर से आगे एन.एच. 11 जयपुर–आगरा रोड़ के नीचे आर–पार पाइप लाइन डालकर सुनिश्चित की गई है। एन.एच. 11 के दूसरे छोर की तरफ निजी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1257, 1264 से 1269 म. होकर कच्चा नाला बनाकर पानी की अनवरत निकासी हो रही है। उक्त खसरा नंबरों की भूमि म. नाला निमार्ण के लिये ले–आउट प्लान म. भूमि का प्रस्ताव समाहित कर लिया गया है परन्तु खातेदारा. द्वारा सशर्त सहमति दिये जाने के कारण अभी तक ले–आउट प्लान अनुमोदित नहीं हुआ है। खातेदारा. ने नाला निर्माण के कार्य को रोक दिया है। तत्पश्चात् आयुक्त नगर परिषद, दौसा द्वारा पत्र दिनांक 29.11.2016 से यह भी अवगत करवाया गया है कि परिवादी के घर के सामने नाली/सड़क की सफाई दैनिक रूप से करवाई जा रही है एवं पानी का बहाव सतत रूप से हो रहा है। इससे सम्बन्धित मौके के फोटोग्राफ भी संलग्न किये गये।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 07.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(250)लोआस/2013

परिवादी श्री मनमोहन पंचोली, निवासी वार्ड नम्बर 14, मंगलपुरा, झालावाड़ से दिनांक 06.11.2013 को प्राप्त परिवाद में वार्ड नम्बर 14 में सार्वजनिक मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में नगर परिषद के अधिकारियों से बार–बार निवेदन करने पर भी अतिक्रमण नहीं हटाने से उक्त अतिक्रमण हटवाकर दोषिया. के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया गया।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय द्वारा प्रेषित पत्रा. के संदर्भ में आयुक्त, नगर परिषद, झालावाड़ द्वारा पत्र दिनांक 23.02.16 से अवगत करवाया गया कि परिषद द्वारा दिनांक 19.02.16 को सार्वजनिक गली में किये गये अतिक्रमण को पुलिस की उपस्थिति म. हटवा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की सी.डी व फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 29.04.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(358)लोआस/2013

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद, निवासी तारानगर (चूरू) से दिनांक 19.03.14 को प्राप्त परिवाद म. कस्बा तारानगर के वार्ड संख्या-20 म. मोड्ू बाबा की कुटिया के थोड़ा आगे तीन बीघा सरकारी भूमि पर दीपचन्द पुत्र अर्जुनराम ब्राह्मण द्वारा जबरन अतिक्रमण कर लेने की शिकायत करते हुए उक्त अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 30.05.2016 से अवगत करवाया कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तारानगर की रिपोर्ट के अनुसार श्री दीपचन्द द्वारा किये गये अतिक्रमण को दिनांक 20.05.2016 को हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स भी संलग्न किये गये हैं। इस रिपोर्ट की प्रति परिवादी को पत्र दिनांक 24.06.2016 से प्रेषित कर उसकी आपत्तियाँ मँगवाये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त न होने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि शिकायत के सम्बन्ध म. उसे वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से परिवाद को दिनांक 21.07.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(384)लोआस/2013

परिवादी श्री भगवान सिंह, निवासी आजाद नगर, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा तिलक नगर, आवासीय योजना म. विकलांगों के लिये आरक्षित 29 भूखण्डा. का आवंटन न्यायालय आदेश के बावजूद नहीं करने तथा इस सम्बन्ध म. कोई जानकारी भी नहीं देने की शिकायत की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा अवगत करवाया गया कि तिलक नगर योजना म. दिनांक 20/21.02.2013 को लॉटरी निकाली गई थी। आयुक्त, विशेष योग्यजन, राजस्थान द्वारा उक्त लॉटरी म. 3 प्रतिशत भूखण्ड विशेष योग्यजन को आरक्षित करने के निर्देश की पालना म. विशेष योग्यजन की लॉटरी रोकी गई क्याकि नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 म. उक्तानुसार आरक्षण के नियम नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति म. प्रकरण राज्य सरकार को मार्गदर्शन हेतु भेजा गया है। इसी क्रम म. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र दिनांक 25.04.16 से अधिसूचना दिनांक 13.04.2016 की प्रति प्रेषित की गई जिसम. विशेष योग्यजना. को 2 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहर भूमि निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 17 म. किया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 13.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(424)लोआस/2013

परिवादी श्री गंगाविशन राठी की ओर से दिनांक 28.03.2014 को प्राप्त परिवाद म. उनकी बस्ती में अनाधिकृत रूप से बसे हुए बंजारा. को नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा नहीं हटाने तथा अनधिकृत रूप से बिजली की लाइन पर डाले गये तारा. को बिजली विभाग द्वारा नहीं हटाने की शिकायत करते हुए उक्त अतिक्रमण हटवाने की माँग की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा पत्र दिनांक 21.10.16 से अवगत करवाया गया कि आर.सी.व्यास कॉलोनी के सेक्टर 4 एन, 8 एन, 10 जी एवं 10 टी के कुल 189 बंजारा व अन्य परिवारा. का अतिक्रमण पुलिस/आर.ए.सी के जवाना. एवं प्रशासन के सहयोग से दिनांक 28.09.2016 को शान्तिपूर्वक हटा दिया गया है। पत्र के साथ हटाये गये अतिक्रमियों की सूची भी संलग्न की गई।

अत: इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 24.10.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(23)लोआस/2014

परिवादी श्री विजय भंडारी, पूर्व संपादक-राजस्थान पत्रिका, जयपुर से दिनांक 29.04.2014 को प्राप्त परिवाद म. जयपुर शहर स्थित बरसाती नाला. के दोना. ओर की लम्बी-चौड़ी भू-पट्टिया. पर पहुँचने के लिए कोई अप्रोच नहीं होने, कई भूखण्डधारियों द्वारा उन भू-पट्टिया. पर नाला. तक अतिक्रमण करके भवना. का अवैध रूप से विस्तार कर लेने की शिकायत करते हुए अतिक्रमियों से विधिक प्रावधाना. के अनुसार राशि वसूली करके नियमितिकरण करने का सुझाव दिया गया।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा समय-समय पर प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर की ओर से पत्र दिनांक 28.04.2016 के द्वारा अवगत करवाया गया कि अम्बाबाड़ी क्षेत्र म. एस.बी.एस. स्कूल से फौजी नगर तक अस्थायी सब्जी मण्डी का अतिक्रमण है, अन्य कोई अतिक्रमण नहीं है। इसी अनुक्रम म. आयुक्त (मुख्यालय), नगर निगम, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 24.03.2015 से अवगत करवाया गया कि सिविल लाइन जोन क्षेत्र की सी-स्कीम म. स्थित नाला नगर निगम को हस्तांतरित नहीं हुआ है। आमेर जोन क्षेत्र म. बरसाती नाले पर कोई अतिक्रमण नहीं है। हवामहल जोन (पूर्व एवं पश्चिम) क्षेत्र म. स्थित नाले की सफाई वर्षाकाल से पूर्व करवा दी गई है। मानसरोवर जोन क्षेत्र म. कोई बरसाती नाला नहीं है। अम्बाबाड़ी क्षेत्र म. नाले पर अस्थायी सब्जी मण्डी का अतिक्रमण है, अन्य कोई अतिक्रमण नहीं है। नाले अथवा नाले के आसपास की भूमि को आवंटित नहीं किया जा सकता क्याकि यह प्रतिबंधित भूमि है तथा अतिक्रमिया. के अतिक्रमण को नियमित भी नहीं किया जा सकता है। उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 23.08.2016 से यह भी अवगत करवाया कि अम्बाबाड़ी स्थित एस.बी.एस. स्कूल से फौजी नगर कच्ची बस्ती तक अस्थायी सब्जी मण्डी को हटवाया गया है।

नगर निगम, जयपुर की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 26.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(38)लोआस/2014

परिवादी श्री बी.एल.शर्मा एवं अन्य निवासीगण वन विहार कॉलोनी, टाक्र रोड़, जयपुर से दिनांक 04.05.2014 को प्राप्त परिवाद म. वन विहार

कॉलोनी, टाक्र रोड़, जयपुर म. कॉलोनीवासिया. के उपयोग के लिए आरक्षित सार्वजनिक पार्क (फेसिलिटी एरिया) को नगर निगम, मानसरोवर जोन के अधिकारी एवं कर्मचारिया. द्वारा नियम-विरूद्ध तरीके से विवाह स्थल हेतु संचालित करने की शिकायत करते हुए अवैध विवाह स्थल को बन्द करने एवं नगर निगम, मानसरोवर जोन, जयपुर के कर्मचारिया. के विरूद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 02.12.16 से अवगत करवाया गया कि सामुदायिक केन्द्र, वन विहार कॉलोनी, टाक्र रोड़, जयपुर के नगर निगम, जयपुर (विवाह स्थल का पंजीयन) संशोधन उपविधि, 2012 के बिन्दु संख्या 4 म. अंकित मापदण्डा. की पालना करने म. असमर्थ होने के फलस्वरूप मानसरोवर जोन द्वारा दिनांक 16.08.15 के पश्चात् आज तक किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु बुकिंग नहीं की गई है। कनिष्ठ अभियन्ता (भवन निर्माण शाखा) एवं सहायक राजस्व निरीक्षक द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त भवन विवाह-स्थल के रूप म. उपयोग लेने हेतु अनुपयुक्त है। वर्तमान म. सामुदायिक केन्द्र की बुकिंग बन्द है।

नगर निगम, जयपुर की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह निगम द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 07.02.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(166)लोआस/2014

परिवादी श्री अनिल सिंह शेखावत, निवासी बी-53, यश पथ, तिलक नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.03.2003 को मात्र एक रुपए टोकन मनी पर नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री लिमिटेड, जयपुर को ग्राम गोपालपुरा, तहसील जयपुर की 213 बीघा 14 बिस्वा सशर्त आवंटित भूमि की लीज-डीड की शर्त संख्या 7 की पालना उक्त संस्था द्वारा नहीं करने के बावजूद भूमि का आवंटन रद्द नहीं करने की शिकायत करते हुए संस्था को आवंटित भूमि को नियमानुसार सरकार द्वारा पुनः अधिग्रहित करने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 07.01.2016 से यह अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प-6(15)नविवि/3/84 पार्ट/लूज दिनांक 29.10.2015 द्वारा आवंटन-पत्र की शर्त संख्या 6 म. शिथिलन प्रदान करते हुये निर्माण अवधि दिनांक 14.08.2015 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है तथा पत्र दिनांक 09.05.2016 से अवगत करवाया कि राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प-6(15)नविवि/3/84 पार्ट दिनांक 02.05.2016 से आवंटित भूमि म. से उपयोग म. नहीं ली गई भूमि का आवंटन निरस्त करते हुये भूमि को विधिवत कब्जे म. लेने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1539 दिनांक 02.05.2016 के द्वारा अप्रयुक्त 150 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन निरस्त किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 21.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(231)लोआस/2014

परिवादी श्री श्रवण कुमार फगेड़िया, एडवोकेट से दिनांक 16.07.2014 को प्राप्त परिवाद म. वार्ड संख्या-41, चरण सिंह नगर, सीकर के पश्चिमी ओर के हिस्से म. रेलवे लाइन के पास, सुमित्रा ढाका के मकान के सामने से रेलवे फाटक तक गंदे पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण हेतु आयुक्त, नगर परिषद, सीकर व अधिशाषी अभियन्ता, आर.यू.आई.डी.पी., सीकर के समक्ष कई बार माँग करने पर भी निर्माण नहीं करने की शिकायत करते हुए उक्त निर्माण करवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से समय-समय पर प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. जिला कलेक्टर, सीकर ने अपने पत्र दिनांक 11.04.16 से अवगत करवाया कि आयुक्त, नगर परिषद, सीकर की जाँच रिपोर्ट अनुसार परिवाद म. अंकित चौधरी चरण सिंह गेट के पास संस्कार स्कूल वाली गली म. सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण का कार्य पूर्ण करवाकर समस्या का समाधान कर दिया गया है।

आयुक्त, नगर परिषद, सीकर की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 11.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(264)लोआस/2014

परिवादी श्री ओमप्रकाश दाधीच एवं अन्य की ओर से दिनांक 27.07.14 को प्राप्त परिवाद म. मदेरणा कॉलोनी, मण्डोर मण्डी, जोधपुर के पीछे स्थित बालाजी मंदिर के समीप बने हुए सामुदायिक भवन म. रामचन्द्र सोलंकी द्वारा गलत निर्माण कर सरकारी पैसे का दुरूपयोग करने, श्मशान

भूमि के समीप स्थित सामुदायिक भवन पर कब्जा कर लेने, मंदिर की गली पर कब्जा कर उसम. दो लेट्रिन व पानी का होद बनवा लेने तथा मंदिर की जमीन को हड़पने के लिए फर्जी पट्टे बनवा लेने की अवैध कार्यवाही की शिकायत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर व नगर निगम, जोधपुर को करने पर भी कोई कार्यवाही न होने से उक्त अतिक्रमण को हटवाकर दोषियों को दण्ड देने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रों के संदर्भ म. आयुक्त, जोधपुर नगर निगम द्वारा पत्र दिनांक 11.09.2015 से अवगत करवाया गया कि बालाजी मंदिर के पास स्थित सामुदायिक भवन व इसके पास किये गये अवैध निर्माण को दिनांक 11.09.2015 को हटा दिया गया है तथा वर्तमान म. उक्त स्थल पर कोई अवैध निर्माण नहीं है। तत्पश्चात् पत्र दिनांक 05.07.2016 से अवगत करवाया गया कि बालाजी स्कूल के पास रामचन्द्र सोलंकी द्वारा बनाई गई चबूतरी तथा रैम्प को दिनांक 05.07.2016 को हटा दिया गया है तथा मलबे को भी हटा कर सफाई करवा दी गई है। परिवादी श्री ओमप्रकाश दाधीच व पड़ोसी के बयान भी संलग्न किये गये, जिसम. उन्हाने निगम की कार्यवाही से संतुष्ट होना प्रकट किया है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के फोटोग्राफ्स भी प्राप्त हुए हैं।

अत: इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 08.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(430)लोआस/2014

परिवादी श्री मदनलाल जीनगर, निवासी कोशीथल, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा से दिनांक 11.09.2014 को प्राप्त परिवाद म. उसके द्वारा नगरपालिका, गंगापुर (भीलवाड़ा) से खुली नीलामी म. 72,000/-रूपये की पूरी राशि जमा करवाकर खरीदे गये नेहरू नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या-47 को नगरपालिका, गंगापुर द्वारा दिनांक 29.07.2007 को

पुनः नीलामी करके पट्टा देने की जानकारी जून, 2011 म. होने पर नगरपालिका, गंगापुर के अधिकारियों से हुई वार्ता म. उसे भूखण्ड संख्या-100 देने की सहमति होने के बावजूद आदिनांक भूखण्ड संख्या-100 का आवंटन उसे नहीं करने की शिकायत की गई है।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गंगापुर (भीलवाड़ा) द्वारा पत्र दिनांक 02.12.2016 से अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री मदनलाल जीनगर के प्रकरण म. पालिका द्वारा मण्डल की बैठक दिनांक 23.09.2016 के प्रस्ताव संख्या-04 के निर्णय की अनुपालना म. उसे भूखण्ड संख्या-47 के बजाय समतुल्य-सममूल्य का भूखण्ड संख्या-120 दिये जाने बाबत परिवादी को लीज राशि जमा करवाने का पत्र दिनांक 22.11.2016 जारी किया गया, जिसके अनुसरण म. परिवादी ने लीज राशि जमा करा दी है। परिवादी के उपस्थित होने पर लीज-डीड जारी कर दी जावेगी।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गंगापुर (भीलवाड़ा) की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह पालिका द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 14.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(556)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती मंजू माहेश्वरी, निवासी बून्दी से दिनांक 17.10.2014 को प्राप्त परिवाद म. श्री विनोद सोनी द्वारा उसके मकान से सटे हुए मकान म. अवैध रूप से ऊपर की मंजिल म. 3-3 फीट के प्रोजेक्शन का निर्माण कर लेने की शिकायत की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय म. प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. संभागीय आयुक्त, कोटा द्वारा पत्र दिनांक 25.05.2015 से अवगत करवाया गया कि परिवाद म. उल्लिखित अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। मौके पर आर.सी.सी. के लोहे के सरिये बाकी हैं, जिनके अन्दर तक होने से उनको हटाने से मकान के निचले हिस्से म. क्षति होने की संभावना है। शेष रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला कलेक्टर, बून्दी द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, बून्दी को निर्देशित किया जा चुका है। तत्पश्चात् आयुक्त, नगर परिषद, बून्दी द्वारा पत्र दिनांक 17.10.2016 से अवगत करवाया गया कि श्री विनोद सोनी के मकान के प्रथम तल पर बने प्रोजेक्शन, जाली एवं दीवार तथा द्वितीय तल पर नवीन प्रोजेक्शन, प्रथम तल की नवीन दीवार एवं नवीन जाली को पूरी तरह से हटा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के फोटोग्राफ्स भी संलग्न किये गये हैं।

आयुक्त, नगर परिषद, बून्दी की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह नगर परिषद द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 07.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(603)लोआस/2014

परिवादी श्री सत्यनारायण जेलिया, निवासी रणथम्भोर सर्किल, बजरिया, सवाईमाधोपुर से दिनांक 18.11.2014 को प्राप्त परिवाद म. नगर परिषद, सवाईमाधोपुर म. संविदा पर कार्य करने वाले श्री गजेन्द्र सिंह द्वारा सफाई कार्य के करोड़. रूपये की राशि के अवैध रूप से बिल बनाकर किये गये गबन की जाँच करवाकर कानूनी कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया गया।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा समय-समय पर प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 29.10.2015 से अवगत करवाया कि परिवादी श्री सत्यनारायण जेलिया ने नगर परिषद, सवाईमाधोपुर को शपथ-पत्र दिनांक 16.03.2015 प्रस्तुत कर सूचित किया कि उसे संविदा सफाई निरीक्षक, श्री गजेन्द्र सिंह राजावत द्वारा पारित बिला. की छाया-प्रतियाँ दिनांक 16.03.2015 को उपलब्ध करा दी गई है, जिससे वह सम्पूर्ण रूप से संतुष्ट है और आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता है। इसके पश्चात् पत्र दिनांक 12.08.2016 से यह भी अवगत करवाया गया कि प्रकरण म. जाँच रिपोर्ट के अनुसार नगर परिषद द्वारा हम्मीर पुलिया से वाया कुंडेरा बस स्टैण्ड होते हुए इन्द्रधनुष तक नाला निर्माण कार्य कार्यालय आदेश दिनांक 28.12.2011 के अनुसरण म. सवंदेक द्वारा करवा दिया गया है, जो वर्तमान अवस्था म. सही है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 31.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(655)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती गीता देवी भट्ट, निवासी बालाजी की छतरी, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके पति का नगरपालिका, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा म. सहायक पत्र वितरक के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 19.11.2012 को निधन हो जाने पर उनके स्थान पर छोटे पुत्र राकेश भट्ट को मनोनीत करते हुए दिनांक 17.12.2012 को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होने की शिकायत करते हुए उनके पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा पत्र

दिनांक 26.09.2016 से अवगत करवाया गया कि विभाग के निर्देशानुसार नगरपालिका, शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा द्वारा परिवादी के पुत्र श्री राकेश कुमार भट्ट के नियुक्ति आदेश दिनांक 29.06.2016 को जारी कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 18.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(672)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती सजनादेवी, निवासी वार्ड संख्या-19, छापर, तहसील सुजानगढ़ से दिनांक 19.12.2014 को प्राप्त परिवाद म. उसके पति श्री प्रभुराम का नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) म. ए.आर.आई. के पद पर सेवारत होते हुए दिनांक 12.05.2004 को स्वर्गवास होने से उसकी 10 लाख रूपये से अधिक की ब्याज सहित बकाया पी.एफ. एवं ग्रेच्युटी की राशि म. से उसे अब तक मात्र 19,116/- रूपये का भुगतान होने तथा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) से कई बार निवेदन करने पर भी बकाया भुगतान न होने से उक्त राशि का भुगतान करवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्र के संदर्भ म. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2016 से अवगत करवाया गया कि श्रीमती सजनादेवी को पी.एफ., उपादान एवं अन्य परिलाभा. का भुगतान हो चुका है। उसके द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) के समक्ष दिनांक 19.05.2016 को व्यक्तिशः उपस्थित होकर लिखित म. दिया गया कि वह अब तक की कार्यवाही से संतुष्ट है। रिपोर्ट के साथ अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) की ओर से उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को समस्त बकाया भुगतान कर दिये जाने बाबत प्रेषित पत्र एवं उपनिदेशक (निदेशालय) की ओर से

समस्त परिलाभों का भुगतान प्राप्त हो जाने बाबत वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु परिवादी को प्रेषित पत्र की प्रति भी संलग्न की गई।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 11.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(690)लोआस/2014

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद बोयत, निवासी प्लॉट संख्या–24, वार्ड संख्या–25, सब्जी मण्डी, बसवा रोड़, बांदीकुई से दिनांक 19.11.2014 को प्राप्त परिवाद म. बी.पी.एल. परिवार राशन कार्ड संख्या–5 दिनांक 28.09.05 के धारक श्री राजू हरिजन पुत्र स्वर्गीय श्री किशनलाल को नगरपालिका, बांदीकुई म. सफाई कर्मचारी के पद पर आदेश दिनांक 04.09.13 से नियुक्ति देने के उपरान्त भी उसके बी.पी.एल. राशन कार्ड को निरस्त नहीं करने, इसकी शिकायत उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई व जिला कलेक्टर, दौसा को करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने तथा निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 07.10.14 एवं दिनांक 13.10.2014 की पालना म. गलत तथ्य प्रस्तुत कर नियुक्त किये गये सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को निरस्त नहीं करने से हो रही राजस्व की हानि के सम्बन्ध म. जाँच कर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बांदीकुई द्वारा पत्र दिनांक 23.02.2016 से अवगत करवाया गया कि श्री राजू हरिजन को सफाई कर्मचारी के पद

से दिनांक 14.11.2014 से बर्खास्त/पदमुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा जगदीश पुत्र किशन व विजेन्द्र पुत्र चन्द्रभान की नियुक्ति भी दिनांक 14.11.2014 को निरस्त की जा चुकी है।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बांदीकुई की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अत: इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 25.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(768)लोआस/2014

परिवादी श्री भंवरलाल व अन्य की ओर से प्राप्त परिवाद दिनांक 29.07.14 म. फर्नीचर मार्केट एसोसियेशन को दिनांक 14.09.2012 को आवंटित व रजिस्ट्रीशुदा भूखण्ड संख्या-241 पर किये गये अतिक्रमण बाबत सचिव, नगर विकास न्यास को बार-बार शिकायत करने पर भी कब्जा नहीं हटवाने से उक्त कब्जे को हटवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त संदर्भ म. उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा पत्र दिनांक 18.03.2016 से इस सचिवालय को अवगत करवाया गया कि आवेदक को दिनांक 18.02.2016 को न्यास द्वारा कब्जा-पत्र जारी कर दिया गया है एवं दिनांक 15.03.2016 को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा आवेदक को मौके पर कब्जा संभलवा दिया गया है। पत्र के साथ कब्जा-पत्र की प्रति भी संलग्न की गई।

नगर विकास न्यास, कोटा की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को प्रश्नगत भूखण्ड का कब्जा प्राप्त हो चुका है तथा उसकी शिकायत का निराकरण होकर वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 31.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(783)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती नीलम, निवासी मकान संख्या 1-आर-14, सद्भावना नगर, श्रीगंगानगर से दिनांक 09.02.2015 को प्राप्त परिवाद म. उसके मोहल्ले के निवासी श्री हन्नी, सुरेश, पप्पू व किशन आदि द्वारा मोहल्ले म. फैक्ट्री लगाकर कबाड़ का सामान आम सड़क पर फैला देने से आवागमन म. असुविधा होने तथा बीमारी होने की आशंका होने की शिकायत करते हुए उक्त अवैध कब्जे को हटवाकर आम सड़क पर लगे कबाड़-कचरे के ढेर को हटाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को समय-समय पर प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर ने पत्र दिनांक 29.03.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी के प्रकरण म. दीवार व मलबा हटाकर सफाई का कार्य करवा दिया गया है। इस बाबत फोटोग्राफ्स भी संलग्न किये गये हैं।

नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह न्यास द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 09.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(812)लोआस/2014

परिवादी श्री हिमांशु कश्यप, निवासी 3515, लालदास का अखाड़ा, नाहरगढ़ थाने के पीछे, पुरानी बस्ती, जयपुर, द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. किशनपोल बाजार की दुकान संख्या 72-73 को नगर निगम की स्वीकृति के बिना एक करने, टीन की छत को हटाकर ऊँचाई म. वृद्धि करके आर.सी.सी. की छत डालने व अण्डर ग्राउण्ड का अवैध निर्माण करने की शिकायत पर नगर निगम के जोन उपायुक्त द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का उल्लेख करते हुए अवैध निर्माण रूकवाने व दुकान को सील करवाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रों के संदर्भ में उपायुक्त, हवामहल जोन (पश्चिम), नगर निगम, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 07.02.2016 से अवगत करवाया गया कि भवन निर्माता द्वारा भवन विनियम के विरूद्ध किये गये अवैध निर्माण को स्वयं हटा लिया गया है। परिवादी द्वारा नगर निगम की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 30.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(830)लोआस/2014

परिवादी श्री बद्री परिहार, निवासी 262, अम्बा माता थाने के पीछे, हरिजन बस्ती, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा ओ.टी.सी. योजना म. उसे आवंटित भूखण्ड संख्या डी-109 बाबत पूरी राशि जमा करा देने पर भी भूखण्ड पर अन्य व्यक्ति के कब्जे के आधार पर पट्टा जारी नहीं करने तथा भूखण्ड के बदले अन्य

भूखण्ड देने की बार-बार प्रार्थना करने के बावजूद अन्य भूखण्ड का आवंटन नहीं करने की शिकायत की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने पत्र दिनांक 19.05.2015 से अवगत करवाया कि प्रश्नगत योजना तत्कालीन नगर परिषद, उदयपुर को हस्तान्तरित हो जाने से प्रकरण म. आगामी कार्यवाही अब नगर निगम, उदयपुर के स्तर पर होनी है। तत्पश्चात् नगर निगम, उदयपुर को पत्र लिखे जाने पर उनके द्वारा रिपोर्ट दिनांक 29.07.2016 से अवगत करवाया गया कि निगम की प्रशासनिक समिति द्वारा बैठक दिनांक 21.06.2016 म. परिवादी को ब्लॉक-बी म. भूखण्ड संख्या 175 से 179 म. से कोई एक भूखण्ड पूर्व आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल के बराबर देने या दिया जाने वाला भूखण्ड साइज म. बड़ा हो तो उसकी अन्तर राशि लेते हुये भूखण्ड दिये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी सूचना परिवादी को दी जा रही है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस प्रकरण को दिनांक 13.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(844)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल, निवासी 12/129, मालवीय नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उल्लेख किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 04.05.01 को पृथ्वीराज नगर योजना म. 312 वर्ग मीटर माप के भूखण्ड संख्या 284 की 862.50 रुपए प्रतिवर्ग मीटर की दर से पूरी रकम जमा करवाने पर आवंटन किया गया। बाद म. यह योजना निरस्त कर दी गई। उक्त भूखण्ड के बदले म. उसे कल्पना नगर म. 315 वर्गमीटर का भूखण्ड पुरानी दर से आवंटित किया गया। उसके आठ वर्ष बाद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर उक्त भूखण्ड के बदले दिनांक 28.02.14 को 315 वर्गमीटर का भूखण्ड संख्या ए-23,

गिरधारीपुरा, पृथ्वीराजनगर योजना म. आवंटित किया गया। उसने तीन वर्गमीटर अतिरिक्त भूमि की कीमत 2616/- रुपए दिनांक 22.07.14 को जमा करवा दी। उपायुक्त, जविप्रा, जोन 17 ने माँग-पत्र दिनांक 12.11.14 के द्वारा तीन वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि की कीमत 2616/- रुपए के बजाय रिजर्व प्राइस 19000/- रुपए प्रतिवर्ग मीटर के दुगने की दर से जमा करवाने हेतु सूचित किया, जो पूरी तरह गलत है। बार-बार पत्र लिखने के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है तथा भूखण्ड का कब्जा भी नहीं दिया गया है। परिवादी ने आवंटित भूखण्ड का कब्जा दिलवाकर लीज-डीड जारी करवाने की प्रार्थना की।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 28.06.2016 से अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र दिनांक 09.09.2015 से बढ़े हुये क्षेत्रफल की राशि आवंटन दर पर ही लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी क्रम म. पूर्व म. जारी माँग-पत्र को निरस्त करते हुये पूर्व म. जमाशुदा राशि देरी से जमा करवाने के कारण ब्याज व पेनल्टी सहित कुल 5078/- रुपए जमा करवाने हेतु परिवादी को पत्र दिनांक 16.05.2016 भेजा गया। इस संदर्भ म. परिवादी द्वारा पत्र दिनांक 05.08.16 से निवेदन किया गया कि वह जयपुर विकास प्राधिकरण के उक्त पत्र दिनांक 16.05.2016 के अनुसार ब्याज व पेनल्टी की कुल राशि 5078/- रुपए चालान संख्या 500611 दिनांक 04.08.2016 के द्वारा जमा करवा चुकी है। इस प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उसकी माँग स्वीकार कर लेने से उसका प्रकरण समाप्त हो गया है। उसने परिवाद को बन्द करने की प्रार्थना भी की है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण को दिनांक 16.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(850)लोआस/2015

परिवादी श्री कृष्ण बलदेव, वार्ड नंबर–9, श्री विजयनगर, जिला–श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्री विजयनगर द्वारा उसकी फर्म मीरा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किये गये सी. सी. रोड़ निर्माण कार्य की राशि 6,42,738/–रूपये का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई है।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 02.06.16 के साथ अधिशाषी अधिकारी, श्रीविजयनगर का पत्र दिनांकित 26.05.16 भेजकर अवगत करवाया कि नगरपालिका, श्रीविजयनगर द्वारा एस.डी. राशि व अमानत राशि के पेटे समस्त राशि का भुगतान कर दिया गया है, जो राशि भुगतान योग्य शेष है उसका भुगतान पालिका द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बन्ध म. नगरपालिका व परिवादी के मध्य हुए समझौता पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 19.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(41)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती उर्मिला देवी निवासी ई–164, रणजीत नगर, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अध्यक्ष व सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर द्वारा वर्ष 1994 म. उच्च न्यायालय म. दर्ज प्रकरण म. उसके साथ हुए समझौते के बावजूद उसे भूखण्ड आवंटित नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 17.03.2016 से अवगत करवाया कि श्रीमती उर्मिला देवी को समझौते के आधार पर राज्य सरकार

द्वारा आदेश क्रमांक प.12(270)नविवि/2010 दिनांक 21.09.2015 से भूखण्ड के बदले भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध म. स्वीकृति जारी की जा चुकी है और न्यास की बैठक दिनांक 15-12-2015 म. लिये गये निर्णय के अनुसार परिवादी को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना म. भूखण्ड आवंटित कर दिये गये हैं। नगर विकास न्यास, भरतपुर की ओर से भूखण्ड संख्या 265 व 282 के पट्टे दिनांक 04.07.2016 को जारी किये गये। **परिवादी श्रीमती उर्मिला देवी ने गत 20 वर्षो से लम्बित प्रकरण म. लोकायुक्त सचिवालय की कार्यवाही से उसे भूखण्ड आवंटित हो जाने पर आभार व्यक्त किया।**

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(56)लोआस/2015

परिवादी मैसर्स याशी कन्सल्टिंग सर्विसेज प्रा. लि. जरिए प्रबन्ध निदेशक, श्री संजय गुप्ता से दिनांक 16.05.15 को प्राप्त परिवाद में आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना के अंतर्गत उसके द्वारा किये गये कार्य की बकाया राशि 12,93,700/- रूपये के भुगतान म. जानबूझकर गत 2 वर्षों से अनावश्यक रूप से विलम्ब करने तथा प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर कई बार अनुरोध करने पर भी भुगतान नहीं होने से उक्त राशि का भुगतान करवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रों के संदर्भ में कार्यकारी निदेशक, रूडसिको की ओर से निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को प्रेषित पत्र के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी फर्म को उससे वसूली योग्य राशि 12,44,950/- रूपये जमा करवाने हेतु दिनांक 19.05.14 एवं 15.09.15 को पत्र लिखे गये तथा इसी सम्बन्ध म. नगर परिषद, सीकर को भी पत्र दिनांक 10.09.15 द्वारा निर्देशित किया गया कि बिलों का पुन: सत्यापन करने पर यदि फर्म

की कोई राशि भुगतान योग्य पाई जाती है तो उसम. से 12,44,950/- रूपये रूडसिको को स्थानान्तरित करते हुए शेष राशि का भुगतान परिवादी फर्म को किया जावे। रूडसिको के उक्त पत्र की छाया प्रति परिवादी को भेजकर उसे व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पत्र दिनांक 22.07.16 एवं पुनः पत्र दिनांक 22.08.16 प्रेषित किये गये।

रूडसिको की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह रूडसिको द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 08.11.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(114)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती अनिता डागा, निवासी मकान संख्या-1370, रास्ता ताराचंद नायब, जौहरी बाजार, जयपुर से दिनांक 15.05.2015 को प्राप्त परिवाद म. ग्राम चिमनपुरा, तहसील सांगानेर म. उसके स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 128/237 रकबा 0.42 हेक्टेयर, खसरा संख्या 345/99 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा संख्या-346/100 रकबा 0.04 हेक्टेयर कुल किता तीन रकबा 0.54 हैक्टेयर के सम्बन्ध म. धारा 90-ए, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध म. अन्य भूमि के स्वामिया. द्वारा प्रस्तुत आपत्तिया. को पूरी तरह से सारहीन बताते हुए अनुमोदित मास्टर प्लान 2025 म. दर्शित सेक्टर रोड़ के अनुसार ही कार्यवाही करने तथा पूर्व म. जारी पट्टा. म. मास्टर प्लान 2025 म. दर्शित 80 फीट सेक्टर रोड़ के अनुसार संशोधन की कार्यवाही करने के निर्देश जयपुर विकास प्राधिकरण को देने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक 08.03.2016 से अवगत करवाया गया कि श्रीमती अनिता डागा द्वारा आवेदित प्रकरण म. दिनांक 22.02.2016 को धारा 90-ए के तहत निर्णय जारी किया जा चुका है। इसके पश्चात् पत्र दिनांक 27.04.2016 से यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्रीमती अनिता डागा को दिनांक 15.03.2016 को प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध म. लीज-डीड भी जारी की जा चुकी है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा पूर्ण संतुष्टि जाहिर करते हुए उसे प्रदत्त अनुतोष के लिए लोकायुक्त सचिवालय का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।

अत: इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 29.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(181)लोआस/2015

परिवादी श्री बस्तीमल माली, निवासी सिंचाई कॉलोनी, सुमेरपुर से दिनांक 15.06.2015 को प्राप्त परिवाद म. कस्बा सुमेरपुर के मेन बाजार म. लक्ष्मी प्लाजा स्थित उसकी दुकान के समीप जीवाराम द्वारा रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से केबिन लगाकर किये गये अतिक्रमण को हटवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के संदर्भ म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के क्रम म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर ने पत्र दिनांक 27.10.2016 से अवगत करवाया कि जीवाराम द्वारा लगाई गई केबिन को हटाकर लोक स्थान को खाली करवाते हुए अतिक्रमण को दिनांक

15.10.2016 को हटाया जा चुका है। इस बाबत मौका फर्द, फोटो एवं समाचार पत्रा. की कटिंग भी संलग्न की गई।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 11.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(190)लोआस/2015

परिवादी डॉ. अनुज जैन द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. महापौर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर तथा अध्यक्ष, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा शॉपिग सेन्टर के पीछे से एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर, जयपुर म. सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किये गये अतिक्रमण व फैलाये जा रहे प्रदूषण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 05.07.2016 से अवगत करवाया कि तिलक नगर शॉपिंग सेन्टर, एल.बी.एस. कॉलेज के पास हो रहे अस्थाई अतिक्रमण को नगर निगम, जयपुर द्वारा दिनांक 20.06.16 को हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 31.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(238)लोआस/2015

परिवादी श्री गेंदा लाल सैनी निवासी मेला का चौराहा, बस स्टेण्ड रोड़, राजगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़ व उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ द्वारा सार्वजनिक नाली पर किये गये अस्थाई अतिक्रमण एवं अवरोधक को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 12.02.2016 से अवगत करवाया है कि नाली की सफाई समय-समय पर की जा रही है तथा अस्थाई अतिक्रमण हटाया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 18.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(245)लोआस/2015

परिवादी श्री गोपालदास जोशी से दिनांक 10.07.2015 को प्राप्त परिवाद म. उसके मकान के आगे सरकारी भूमि व रास्ते म. श्री झंवरलाल छंगाणी द्वारा लोहे का खोका लगाकर व पशु बांधकर किये गये अतिक्रमण से रास्ता रूक जाने बाबत नगर निगम, बीकानेर को की गई शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने से व्यथित होकर उक्त अतिक्रमण हटवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. नगर निगम, बीकानेर की ओर से प्रेषित पत्र दिनांक 18.02.2016 द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी के मकान के आगे श्री झंवरलाल छंगाणी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से रखे गये खोके को हटा दिया गया। इसके पश्चात् पत्र दिनांक 31.08.2016 से

अवगत करवाया गया कि श्री झंवरलाल छंगाणी द्वारा पालतू पशु बांधकर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 30.08.2016 को जे.सी.बी. मशीन व दो डम्पर लगवाकर पूर्ण रूप से हटवा दिया गया है। **परिवादी श्री गोपालदास जोशी ने पत्र दिनांक 30.08.2016 प्रेषित कर उसके मकान के आगे से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की सराहना की है।**

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 01.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(273)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती प्रेमदेवी से प्राप्त परिवाद म. उसके पति रामदेव की नगरपालिका मण्डल, डीडवाना म. सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यकाल के दौरान दिनांक 25.02.2010 को हुई मृत्यु पर देय उपादान (Gratuity) राशि का भुगतान अभी तक नहीं होने से उक्त राशि का भुगतान करवाने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, डीडवाना ने पत्र दिनांक 07.10.15 से अवगत करवाया कि मृतक कार्मिक स्वर्गीय श्री रामदेव की पत्नी श्रीमती प्रेमदेवी को उपादान (Gratuity) राशि रूपये 3,74,296/- का भुगतान जरिए चैक संख्या 867333 दिनांक 15.07.2010 से कर दिया गया है।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, डीडवाना की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि उपादान (Gratuity) राशि का पूरा भुगतान हो जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 25.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(289)लोआस/2015

परिवादी श्री भीम सिंह जैन से दिनांक 29.07.2015 को प्राप्त परिवाद म. फर्नीचर मार्केट एसोसियेशन को दिनांक 14.09.2012 को आवंटित तथा रजिस्ट्रीशुदा भूखण्ड संख्या-241 पर किये गये अतिक्रमण को हटाने बाबत सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा को बार-बार निवेदन करने पर भी कार्यवाही न होने से उनके भूखण्ड से अतिक्रमण हटवाकर कब्जा दिलवाने का अनुरोध किया गया।

उक्त संदर्भ म. उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा पत्र दिनांक 18.03.2016 से इस सचिवालय को अवगत करवाया गया कि आवेदक को दिनांक 18.02.2016 को न्यास द्वारा कब्जा-पत्र जारी कर दिया गया है एवं दिनांक 15.03.2016 को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा आवेदक को मौके पर कब्जा संभलवा दिया गया है।

नगर विकास न्यास, कोटा की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को प्रश्नगत भूखण्ड का कब्जा प्राप्त हो चुका है तथा उसकी शिकायत का निराकरण हो गया है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 31.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(290)लोआस/2015

परिवादी श्री हीरालाल, निवासी महावीर नगर, कोटा से दिनांक 30.07.15 को प्राप्त परिवाद म. उसके पड़ोसी श्री परमानन्द द्वारा अपने मकान संख्या 1175 के सामने सड़क पर पानी के बहाव को रोकते हुए नाली को तोड़कर उसके ऊपर 25x10x5 फीट पक्के कंकरीट के चबूतरे का अवैध निर्माण कर बिना पार्किंग की व्यवस्था किये हॉस्टल का अवैध संचालन करने की शिकायत की गई।

उक्त परिवाद के संदर्भ म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के क्रम म. आयुक्त, नगर निगम, कोटा ने पत्र दिनांक 02.06.2016 से अवगत करवाया कि मकान संख्या-1175, महावीर नगर-प्रथम, कोटा के स्वामी द्वारा सड़क सीमा म. किये गये अतिक्रमण को दिनांक 01.04.2016 को हटा दिया गया है। मौके पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। नाली म. भी अवरोध नहीं है। **परिवादी स्वयं ने भी प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.05.16 प्रस्तुत कर उसकी शिकायत का निस्तारण होने से कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया।**

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 01.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(297)लोआस/2015

परिवादी श्री सूरजमल सोनी, निवासी वार्ड नम्बर 17, कैथून, जिला कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. भू-माफिया व कालूलाल गाडिया लुहार द्वारा नगरपालिका, कैथून के लोकसेवका. की मिलीभगत से खसरा संख्या 1203 रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि पर कचरा मिट्टी डालते हुए कच्ची टापरी बनाकर किये गये अतिक्रमण को नगरपालिका द्वारा न हटाने तथा खसरा संख्या 1204 व 1205 की भूमि म. 15-20 लाख रूपये की लागत से

अनियमित तौर पर सी.सी. रोड़ का निर्माण करवा देने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, कोटा द्वारा रिपोर्ट दिनांक 25.02.2016 से अवगत करवाया गया कि खसरा संख्या 1203/02 म. कालूलाल गाड़िया लुहार द्वारा बनाई गई कच्ची टापरी को दिनांक 04.03.15 को हटा दिया गया है। पुनः रिपोर्ट दिनांक 28.07.2016 से अवगत करवाया गया कि नगरपालिका द्वारा दिनांक 21.03.2016 को प्रश्नगत भूमि पर स्थित समस्त अतिक्रमण हटवा दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जााने से यह परिवाद दिनांक 05.08.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(334)लोआस/2015

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार जैन निवासी 32/48, शिव मन्दिर रोड़, कन्सुवा, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर निगम, कोटा द्वारा उनके पड़ौसी द्वारा अवैध रूप से बनाई गई लेट्रिन को नहीं तोड़े जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. आयुक्त, नगर निगम, कोटा द्वारा पत्र दिनांक 12.08.2016 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण म. अवैध रूप से निर्मित लेट्रिन को तोड़ दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 10.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(351)लोआस/2015

परिवादी श्री महावीर प्रसाद गुप्ता, निवासी कोटपूतली से दिनांक 24.08.15 को प्राप्त परिवाद म. श्री नृसिंह शरण शर्मा द्वारा नगरपालिका की बनाई हुई नाली को अनधिकृत रूप से तोड़कर ऊँचा कर देने से उसके पानी का बहाव रूक जाने बाबत नगरपालिका, कोटपूतली व अन्य अधिकारियों को सूचना देने पर कोई कार्यवाही नहीं होने से व्यथित होकर उचित कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध म. इस सचिवालय से समय-समय पर प्रेषित पत्रा. के संदर्भ म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कोटपूतली द्वारा पत्र दिनांक 07.12.2015 से अवगत करवाया गया कि नगरपालिका द्वारा पुलिस इमदाद से दिनांक 10.09.2015 को अवैध अतिक्रमण हटाकर नाली सुचारू रूप से चालू करवा दी गई। उपखण्ड अधिकारी से प्राप्त पत्रानुसार स्वयं परिवादी ने अतिक्रमण हटवाया जाना स्वीकार किया। पुनः उसी स्थल पर अवैध निर्माण करके नाली को ब्लॉक करने की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 07.10.2015 को पुनः अतिक्रमण को हटवा दिया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से सम्बन्धित फोटो व समाचार पत्रा. की प्रति भी संलग्न की गई।

अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, कोटपूतली की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 26.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(363)लोआस/2015

परिवादी श्री कल्याण सिंह राठौड़ सेवानिवृत्त कैप्टन, गौरव सैनानी (पूर्व सैनिक) संघ, वार्ड नम्बर 15, तारानगर, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तारानगर द्वारा सैनिक कल्याण बस्ती, तारानगर हेतु आवंटित रकबा 68 बीघा भूमि म. पूर्व सैनिकों को भवन निर्माण हेतु भूखण्ड आवंटित नहीं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम में अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर ने पत्र दिनांक 24.10.16 से अवगत करवाया कि विभाग द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तारानगर को राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 के अधीन नियम 17 (2)(3)(बी)(4) के प्रावधानों म. शिथिलता प्रदान करते हुए नगरपालिका द्वारा विकसित की जाने वाली आवासीय योजना 'सैनिक कल्याण बस्ती' म. वीरांगनाओं (युद्ध विधवाओं), विकलांग सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को भूखण्ड आवंटित करने हेतु प्रचलित आवासीय आरक्षित दर पर लॉटरी के माध्यम से भूखण्ड आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 16.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(401)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रवीण सक्सेना निवासी बी-513, ओम एन्क्लेव, अनन्तपुरा, कोटा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा उसे आवंटित भूखण्ड का नियमन नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम, नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 12.05.16

से अवगत करवाया गया कि सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा को परिवादी को आवंटित भूखण्ड की शेष बकाया राशि मय ब्याज व पेनल्टी जमा करवाने पर नियमन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। दिनांक 01.06.2016 को परिवादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके भूखण्ड संख्या बी-94, मोहनलाल सुखाड़िया योजना का नियमन विभाग द्वारा किया जा चुका है और अब वह विभाग के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 01.06.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(407)लोआस/2015

परिवादी श्री गोपाल पूनिया निवासी 177, गणगौर नगर, गली नंबर 3, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा चन्द्रलोक ढाबा, रविन्द्र पथ द्वारा किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर ने पत्र दिनांक 26.09.2016 से अवगत करवाया कि चन्द्रलोक ढाबा, श्रीगंगानगर द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया है एवं अतिक्रमण के स्थान पर नाली व फुटपाथ बनाये जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर ने पत्र दिनांक 28.07.2016 से अवगत करवाया कि परिवाद म. प्रश्नगत भूखण्ड संख्या-1 10x18 फीट नगर परिषद, श्रीगंगानगर के रिकॉर्ड म. श्री वरयाम सिंह पुत्र बन्ता सिंह के नाम दर्ज किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 08.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(424)लोआस/2015

परिवाद श्री पुरूषोत्तम शर्मा निवासी वार्ड नंबर 15, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा उसके आवासीय भूखण्ड के दोनों ओर के रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 29.06.2016 से अवगत करवाया है कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ के पत्र दिनांक 31.05.2016 के अनुसार नगरपालिका के कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण को मौके पर दोनों पक्षों की समझाइश से हटवा दिया गया है ।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 06.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(429)लोआस/2015

परिवादी श्री राकेश डागा निवासी वार्ड नंबर 17, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, संगरिया द्वारा खांचा भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 07.07.2015 के माध्यम से अवगत करवाया कि परिवादी की पड़ौसी श्रीमती गीता देवी द्वारा खांचा भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 25.02.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(432)लोआस/2015

परिवादी श्री कृष्ण गोयल निवासी 1226, कोटावालों की गली, गोपालजी का रास्ता, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. संपदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, सांगानेर, जयपुर द्वारा कस्बा सांगानेर, प्रताप नगर योजना म. उसे आवंटित मकान की बकाया राशि मय ब्याज जमा करवा देने के उपरान्त भी मकान का कब्जा नहीं देने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ने रिपोर्ट दिनांक 14.06.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी को दिनांक 26.03.1997 को आवास आवंटित कर दिया गया था परन्तु परिवादी ने सूचना/नोटिस दिये जाने के बावजूद बकाया राशि जमा करवाकर चालान व वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया। इस पर परिवादी का आवास पंजीकरण/आवंटन निरस्त किया गया। उसके बाद परिवादी द्वारा दिनांक 25.09.1997 को 36,850/- रूपये जमा करवाये गये। अब परिवादी श्री कृष्ण गोयल की समस्या पर मण्डल स्तर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णयानुसार पुनः समान श्रेणी का आवास/फ्लैट वर्तमान कीमत पर आवंटित कर दिया जायेगा।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 19.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(452)लोआस/2015

परिवादी श्री कालूराम शर्मा निवासी ग्राम खोरा-बीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा बार-बार अवगत करवाने पर भी ग्राम खोरा-बीसल म. राजस्व रिकॉर्ड म. प्राधिकरण के नाम दर्ज खसरा नंबर 640 रकबा 1.9 हैक्टैयर गैर मुमकिन नाले की भूमि पर स्थित अतिक्रमण को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. सचिव, जविप्रा, जयपुर ने पत्र दिनांकित 10.05.2016 से अवगत करवाया गया कि ग्राम खोरा-बीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर की गैर मुमकिन नाले की भूमि खसरा नंबर 594, 596, 600, 601, 604, 605, 611, 612, 640, 641 के अतिक्रमियों को जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 72 के अधीन नोटिस दिये जाकर दिनांक 22.02.2016 को सामूहिक अभियान म. प्रश्नगत अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 15.06.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(454)लोआस/2015

परिवादी श्री नरपतसिंह भाटी अध्यक्ष, कान्ता खतुरिया कॉलोनी विकास समिति (पश्चिम भाग), बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. कान्ता खतुरिया कॉलोनी के वार्ड नंबर 40 व 41 म. घटिया निर्माण सामग्री से नवनिर्मित सड़क व नाली के टूट जाने की शिकायत की गई । इस संदर्भ म. सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर), बीकानेर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 02.03.2016 के साथ सचिव, कान्ता खतूरिया कॉलोनी विकास समिति (पश्चिम भाग), बीकानेर का पत्र दिनांक 05.02.2016 प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार कॉलोनी की नाली का

लेवल सुधार कर सही निर्माण किया गया। सड़क निर्माण म. भी सुधार कर उसका डामरीकरण कर दिया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 26.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(456)लोआस/2015

परिवादी श्री गोपाल लाल शर्मा निवासी मकान नंबर 162/201, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उपायुक्त (उद्यान) नगर निगम, जयपुर व उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम, जयपुर द्वारा सेक्टर-16, प्रताप नगर स्थित सेन्ट्रल पार्क म. खेलकूद प्रतियोगिताओं की विधि विरूद्ध अनुमति देने से स्थानीय निवासियों को परेशानी होने तथा पानी के अभाव म. पेड़-पौधों के नष्ट होने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपायुक्त (उद्यान), नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 16.09.2016 से अवगत करवाया कि उनके विभाग द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। पूर्व म. उपायुक्त, सांगानेर जोन, नगर निगम, जयपुर द्वारा मेला आयोजन की स्वीकृति दिये जाने पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-26, जयपुर महानगर के आदेश की अनुपालना म. 21 व 22 अक्टूबर को उक्त पार्क म. मेले का आयोजन भी नहीं करवाया गया। उक्त पार्क म. आवश्यक सिविल कार्य हेतु 34,08,000/-रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 19.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(467)लोआस/2015

परिवादी श्री ओम मुनि निवासी केसर गंज, अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर निगम, अजमेर द्वारा परोपकारिणी सभा, अजमेर के हक म. जारी लीज-डीड का नवीनीकरण नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. उपायुक्त, नगर निगम, अजमेर ने पत्र दिनांक 11.08.2016 के माध्यम से अवगत करवाया कि परोपकारिणी सभा, केसरगंज, अजमेर की लीज-डीड का नवीनीकरण कर इसकी समयावधि 50 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 15.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(477)लोआस/2015

परिवादी श्री माणकचन्द अध्यक्ष, नगर परिषद ठेकेदार संघ, बालोतरा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा टेण्डर दिये जाने म. मिलीभगत करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने पत्र दिनांक 07.04.2016 के माध्यम से अवगत करवाया कि आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा जाँच के बाद प्रश्नगत टेण्डर निरस्त कर दिये गये हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 26.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(487)लोआस/2015

परिवादीगण कदीर मोहम्मद, मुनीर मौहम्मद, अब्दुल सत्तार व शंकरलाल सेवानिवृत्त लोकसेवक, नगरपालिका, माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, माण्डलगढ़ द्वारा उन्हें छठे वेतन आयोग के तहत देय ऐरियर का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने पत्र दिनांक 28.01.16 से अवगत करवाया है कि कर्मचारी मुनीर मौहम्मद व कदीर मौहम्मद के संशोधित पेंशन प्रकरण पत्र दिनांक 08.12.2015 से सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर को स्वीकृति एवं संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी करने हेतु प्रेषित कर दिये गये। तदुपरान्त उपनिदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने पत्र दिनांक 29.08.2016 से अवगत करवाया है कि कर्मचारी कदीर मौहम्मद व श्री शंकरलाल के संशोधित पी.पी.ओ. दिनांक 04.07.2016 को जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादीगण को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 02.11.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(488)लोआस/2015

परिवादी श्री राजेश कुमार जैन निवासी 91/6, अशोक नगर, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 344-बी की सम्पूर्ण राशि जमा करवाने के बाद भी उसे भूखण्ड का कब्जा नहीं देने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने पत्र दिनांक 01.02.2016 से अवगत करवाया कि श्री राजेश कुमार जैन के नाम दिनांक 18.06.2002 को उक्त भूखण्ड का आवंटन-पत्र जारी किया गया और कब्जा लेने व लीज-डीड जारी करवाने हेतु उसे पत्र दिनांक 29.08.2002 लिखा गया। परिवादी को दिनांक 28.10.2002 को लीज-डीड जारी की गई। परिवादी श्री राजेश कुमार जैन ने भूखण्ड का कब्जा प्राप्त होने के तथ्य की पुष्टि की।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 20.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(507)लोआस/2015

परिवादी श्री नरसी व अन्य निवासी वार्ड नंबर 90, जयसिंहपुरा खोर, नायला रोड़, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर द्वारा उनकी कॉलोनी म. स्थित एक फार्म हाऊस म. सूअर पालन से बदबू एवं बीमारी फैलने के बावजूद सूअरों को हटाने की कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपायुक्त (पशु प्रबंधन) नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 02.08.2016 से अवगत करवाया है कि दिनांक 27.07.2016 को बाड़े से सूअर पूर्णत: हटा दिये गये हैं। दिनांक 28.02.2017 को पुन: मौका देखने पर सूअर पालन पूर्णत: बन्द पाया गया जिसकी तस्दीक स्थानीय निवासियों द्वारा की गई।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 29.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(524)लोआस/2015

परिवादी श्री बाबूलाल सोलंकी पुत्र श्री प्रताप राय सोलंकी निवासी प्रताप निवासी चौक, जालोर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री मलकेश्वर महोदवजी की डोली की आराजी पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रार्थना की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर ने पत्र दिनांक 06.04.16 से अवगत करवाया कि श्री बाबू लाल पुत्र मोडा राम देवासी निवासी कोलीवाड़ा द्वारा डोली की भूमि पर मोटर गैराज एवं सर्विसिंग हेतु किये गये सम्पूर्ण अतिक्रमण को हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 26.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(537)लोआस/2015

परिवादीगण सर्व श्री छोटूलाल गूर्जर बालू माली, रामनारायण व सत्यनारायणनिवासीपार्वती नगर, महादेवाली, टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, टोंक द्वारा परिषद की खातेदारी म. दर्ज भूमि खसरा नंबर 2403 रकबा 7 बिस्वा गैर मुमकिन टीबा पर अतिक्रमियों द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण व इसके अवैध बेचान के सम्बन्ध म. कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 06.09.2016 से अवगत करवाया है कि खसरा नंबर 2403 की भूमि का गिरदावर व पटवारी के माध्यम से सीमाज्ञान करवाया जाकर दिनांक

30.06.16 को इसे अतिक्रमण से मुक्त करवाकर नगर परिषद सम्पत्ति का बोर्ड लगा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 14.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(547)लोआस/2015

परिवादी श्री रतन लाल गांछा निवासी शहीद मार्ग, सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गंगापुर, भीलवाड़ा द्वारा वर्ष 2014 के दशहरा उत्सव के लिए रावण का पुतला बनाने व आतिशबाजी तैयार करने के कार्य की राशि 45,000/-रूपये का भुगतान उसे नहीं दिये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गंगापुर, भीलवाड़ा ने तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 16.12.2016 से अवगत करवाया कि पालिका मण्डल के निर्णयानुसार श्री रतन लाल गांछा को स्वीकृत निविदा राशि 45,000/-रूपये म. से 1/-रूपये मात्र कटौती की जाकर 44,999/-रूपया का भुगतान जरिये चैक दिनांक 06.12.2016 कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्तपरिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 23.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(568)लोआस/2015

परिवादी श्री आनन्द गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 1, प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, प्रतापगढ़ द्वारा राजीव गांधी आवासीय योजना हेतु शिलान्यास की गई भूमि के बजाए उद्यान हेतु आरक्षित भूमि

पर, बिना भू-उपयोग परिवर्तन किये आवासीय निर्माण करवाये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. आयुक्त, नगर परिषद, प्रतापगढ़ ने पत्र दिनांक 28.06.2016 द्वारा अवगत करवाया गया कि 38 बीघा भूमि पर पार्क बनाने के बजाए आवास बनाने का निर्णय लिया गया है और उक्त भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन करने के लिए जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ को मास्टर प्लान के अनुरूप उद्यानिकी श्रेणी से आवासीय श्रेणी म. परिवर्तन करने हेतु दिनांक 08.04.2017 को पत्र लिखा गया। इस संदर्भ म. जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ ने पत्र दिनांक 20.10.16 के द्वारा अवगत करवाया कि प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 09.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(589)लोआस/2015

परिवादी श्री गोपालचन्द खाती निवासी चेताखेड़ी, छापर, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, छापर द्वारा वार्ड नंबर-12 म. श्रीमती कानी देवी द्वारा दुकान निर्माण कर 20 फीट आम रास्ते की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 29.03.2016 से अवगत करवाया है कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, छापर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी श्रीमती कानी देवी द्वारा आम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को स्वयं अपने स्तर पर हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 21.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(614)लोआस/2015

परिवाद श्री ओमप्रकाश सोनी निवासी नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा द्वारा हवेली स्कूल के पीछे, नाथद्वारा म. सार्वजनिक भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उप-निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर ने पत्र दिनांक 02.05.2016 से अवगत करवाया है कि आवेदक द्वारा बताये गये स्थान से नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 15.06.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(621)लोआस/2015

परिवादी श्री मनीष राठी निवासी छोटा गोपालपुरा, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा द्वारा स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत फर्जी तरीके से पट्टा-विलेख दिये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर ने पत्र दिनांक 17.03.2016 के द्वारा अवगत करवाया कि तथ्य छुपाने की जानकारी होने पर नगरपालिका द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा-विलेख निरस्त कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 06.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(622)लोआस/2015

परिवादी श्री मनीष राठी निवासी छोटा गोपालपुरा, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा द्वारा धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1955 के प्रकरणों का निस्तारण नहीं करने व पट्टा–विलेख नहीं देने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर ने पत्र दिनांक 17.03.2016 के माध्यम से अवगत करवाया कि आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा द्वारा धारा 90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1955 के तहत लम्बित प्रकरणों म. नियमानुसार कार्यवाही कर पट्टा–विलेख जारी किये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 12.04.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(626)लोआस/2015

परिवादी श्री गोपाल लाल अरोड़ा निवासी छोटा गोपालपुरा, नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बावजूद भी उसे निर्माण स्वीकृति नहीं दिये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. उपनिदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर द्वारा पत्र दिनांक 12.05.2016 से

अवगत करवाया गया कि परिवादी के आवेदन पर निर्माण स्वीकृति दिनांक 06.05.16 को जारी कर दी गई।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 12.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(628)लोआस/2015

परिवादी श्री रवि अग्रवाल निवासी ई–1214, लाल कोठी योजना, इन्द्रपुरी कॉलोनी, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा इन्द्रपुरी कॉलोनी के प्लाट नंबर–1 म. बिना सैट–बैक छोड़े प्रथम व द्वितीय मंजिल पर निर्माण किये जाने के उपरान्त तृतीय मंजिल पर किये जा रहे अवैध निर्माण को नहीं रोकने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने पत्र दिनांक 08.01.2016 से अवगत करवाया है कि प्लॉट संख्या–1, इन्द्रपुरी कॉलोनी, लालकोठी म. किये गये अवैध निर्माण का मौका निरीक्षण कर इसे बन्द करवाया गया तथा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 32 व 33 के अन्तर्गत निर्माणकर्ता को नोटिस दिये गये। यह भी अवगत करवाया गया कि अवैध निर्माणकर्ता के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 32 व 33 के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2016 को न्यायालय म. चालान पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 23.06.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(632)लोआस/2015

परिवादी श्री नरीगाराम निवासी प्रताप चौक, जालोर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, जालोर द्वारा समस्त राशि जमा करवाये जाने के बावजूद उसे भूखण्ड का पट्टा जारी नहीं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने पत्र दिनांक 26.08.2016 से अवगत करवाया कि आयुक्त, नगर परिषद, जालोर ने पत्र दिनांक 23.08.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी को लीज-डीड जारी कर इसका पंजीयन करवा दिया गया। परिवादी श्री नरीगाराम ने पत्र दिनांक 22.08.2016 प्रस्तुत कर उसे सम्बन्धित प्रकरणों म. पट्टा-विलेख जारी हो जाने की पुष्टि की गई।

उपर्युक्त विषयवस्तु से सम्बन्धित परिवाद संख्या एफ.16(721)लोआस /2015 द्वारा श्रीमती हीरादेवी व परिवाद संख्या एफ.16(633)लोआस /2015 द्वारा श्री प्रकाश माली प्रस्तुत किये गये, जिन्हें इस परिवाद के साथ संलग्न किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादीगणों को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से ये प्रकरण दिनांक 09.09.2016 को नस्तीबद्ध किये गये।

एफ.16(635)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती हीरा देवी निवासी प्रताप चौक, जालोर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, जालोर द्वारा नियमन राशि जमा करवाये जाने के बावजूद उसे पट्टा-विलेख जारी नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर द्वारा पत्र दिनांक 16.12.2016 से

अवगत करवाया गया कि परिषद द्वारा हीरा देवी के नाम लीज–डीड जारी की गई, जिसका पंजीयन सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, जालोर से करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 10.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(667)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती सुमन मीणा निवासी ए–97, मालवीय नगर, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा आवासीय कॉलोनी म. नियम विरूद्ध संचालित ललित संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर ने पत्र दिनांक 29.12.2016 के साथ ललित संस्थान, मालवीय नगर के पड़ौसी सुश्री नेहा वैद, श्री सौरभ कुमार अरोड़ा व श्रीमती मधु जैन की लिखित सूचना, न्यास अभियन्ता द्वारा दिनांक 29.12.2016 को किये गये मौका निरीक्षण की रिपोर्ट व फोटोग्राफ्स प्रेषित कर अवगत करवाया कि परिवाद म. वर्णित भूखण्ड संख्या 112 व 113, मालवीय नगर म. नियम विरूद्ध चल रहे ललित कोचिंग संस्थान को बन्द करवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 09.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(669)लोआस/2015

परिवादी श्री हिरमाल नावरिया निवासी गांधी पार्क, पैट्रोल पम्प के सामने, टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, टोंक द्वारा नगर परिषद की भूमि पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. आयुक्त, नगर परिषद, टोंक ने पत्र दिनांक 12.01.2016 से अवगत करवाया कि दिनांक 16.12.2016 को शिकायतकर्ता की मौजूदगी म. अतिक्रमण हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 30.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(681)लोआस/2015

परिवादी श्री शांति लाल जैन, वार्ड संख्या-8, सिताणियां का धोरा, बालोतरा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा द्वारा पद का दुरूपयोग करने व खालसा भूमि पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने पत्र दिनांक 13.05.16 से अवगत करवाया कि आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा की रिपोर्ट दिनांकित 29.04.2016 के अनुसार सीढ़ियां बनाकर किये गये विवादित अतिक्रमण को नगर परिषद द्वारा हटाया जा चुका है। मौके पर अब कोई अतिक्रमण शेष नहीं है। परिवादी व अतिक्रमणकर्ता के मध्य दिनांक 11.05.2016 को लिखित समझौता भी चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 06.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(696)लोआस/2015

परिवादी श्री दीनदयाल शर्मा वार्ड नंबर-22, तारानगर, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, तारानगर द्वारा उसके घर के सामने स्थित सड़क की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपनिदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 29.04.16 से अवगत करवाया कि नगरपालिका, तारानगर द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 21.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(703)लोआस/2015

परिवादी श्री देवी सहाय शर्मा निवासी विवेकानन्द नगर, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा सरकारी सड़क पर जाली व खुर्रा बनाकर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा पत्र दिनांक 05.09.2016 से अवगत करवाया गया कि प्रकरण म. सरकारी सड़क पर किये गये अतिक्रमण को हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 23.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(728)लोआस/2015

परिवादी श्री राधेश्याम शर्मा, वार्ड नंबर-7, सिविल लाइन, टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, टोंक द्वारा दो रपटें, एक स्पीड ब्रेकर व सीढ़ियां बनाकर श्री रामगोपाल यादव द्वारा किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपनिदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने पत्र दिनांक 12.05.16 से अवगत करवाया कि नगर परिषद, टोंक द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 01.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(739)लोआस/2015

परिवादी श्री अशोक कुमार माथुर निवासी ए-901, मारवाड़ अपार्टमट, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर द्वारा मारवाड़ अपार्टमट आवासीय योजना म. निर्मित बहुमंजिला भवनों के निर्माण म. घटिया सामग्री का उपयोग करने, तय कीमत से ज्यादा राशि वसूलने आदि की शिकायत की गई। समान विषयवस्तु से सम्बन्धित एक अन्य परिवाद संख्या एफ.16(697)लोआस/2015 प्रस्तुत होने पर उसे इस परिवाद के साथ संलग्न किया गया।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. जिला कलेक्टर, जोधपुर ने पत्र दिनांक 21.12.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी की मुख्य समस्याओं का निराकरण किया गया। परिवादी श्री अशोक माथुर ने पत्र दिनांक 25.10.2016 से अवगत करवाया कि मारवाड़ अपार्टमट के रख-रखाव से सम्बन्धित उनकी सारी समस्याआ. का निराकरण राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से ये प्रकरण दिनांक 01.03.2017 को नस्तीबद्ध किये गये।

एफ.16(759)लोआस/2015

परिवादी श्री हनुमान शर्मा निवासी ग्राम चक 44 एन.डी.आर., तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा श्रीगंगानगर बाईपास सूरतगढ़ मुख्य सड़क की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को नहीं रोके जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ ने पत्र दिनांक 09.12.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी के प्रकरण म. सीमाज्ञान कमेटी से मौके पर सीमाज्ञान करवा कर नगरपालिका द्वारा अपनी भूमि पर पिलर लगाकर कब्जा ले लिया गया है। इसके अलावा अब मौके पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 15.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(770)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती निधि यादव, निवासी वार्ड नंबर 19, बहरोड़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बहरोड़ द्वारा आम रास्ते से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 09.09.16 से अवगत करवाया कि सार्वजनिक स्थल पर किये गये अतिक्रमण को सम्पूर्ण रूप से हटा दिया गया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 07.11.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(777)लोआस/2015

परिवादी श्री चन्द्रेश जैन निवासी 39, डी–ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा अवैधानिक लीज एग्रीमट के माध्यम से 30x90 फीट गली भू–माफिया को आवंटित कर देने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. आयुक्त, नगर परिषद, श्रीगंगानगर ने पत्र दिनांक 11.04.2016 से अवगत करवाया कि निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 11.07.13 द्वारा विवादित लीज–डीड से सम्बन्धित आवंटन निरस्त कर कब्जा प्राप्ति के आदेश पारित किये गये, जिस पर नगर परिषद ने भी दिनांक 28.05.2013 को आवंटन निरस्त करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध दधिमती पाठशाला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म. याचिका प्रस्तुत की गई, जिसम. दिनांक 30.03.2016 को स्थगन आदेश

पारित किया गया। परिवादी श्री चन्द्रेश जैन द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय म. याचिका संख्या 9018/2014 प्रस्तुत की गई है, जिसम. पारित आदेश दिनांक 29.01.2015 से देवस्थान विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 17.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(778)लोआस/2015

परिवादी श्री गिर्राज सिंह व अन्य निवासी 1110, बरकत नगर, किसान मार्ग, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उपायुक्त, सिविल लाइन जोन, नगर निगम, जयपुर द्वारा क्षेत्राधिकार के बाहर मोबाइल टॉवर लगाने की अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपायुक्त, मानसरोवर जोन, नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 10.10.2016 से अवगत करवाया है कि मोबाइल टावर लगाने के स्थल का मुआयना सिविल लाइन्स जोन द्वारा किया गया एवं उक्त स्थल सिविल लाइन्स जोन म. स्थित नहीं होने के कारण टावर लगाने की एन.ओ.सी. उपायुक्त, सिविल लाइन जोन द्वारा दिनांक 04.02.2016 को प्रत्याहृत कर ली गई थी। इसके बाद मानसरोवर जोन को पत्रावली प्राप्त होने पर अनापत्ति बाबत विज्ञप्ति दिनांक 22.02.2016 को जारी की गई तथा कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दिनांक 25.05.2016 को मौका देखा गया और नियमानुसार दिनांक 05.02.2016 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 01.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(807)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती कल्पना देवी जाटव निवासी वार्ड नंबर-1, नहर के किनारे, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रावतभाटा द्वारा राज्य सरकार की योजना के तहत सुलभ शौचालय निर्माण हेतु उसे 12,000/-रूपये के बजाय 8,000/-रूपये का ही भुगतान करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रावतभाटा ने पत्र दिनांक 07.03.2016 से अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार की ओर से शौचालय निर्माण हेतु निश्चित रूप से 12,000/-रूपये देने का ही प्रावधान है और राज्य सरकार के आदेशानुसार परिवादी को भी शौचालय निर्माण हेतु प्रथम किश्त 4,000/-रूपये एवं द्वितीय किश्त 8,000/-रूपये कुल 12,000/-रूपये का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 10.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(821)लोआस/2015

परिवादी श्री गोविन्द ओड़ निवासी वार्ड नंबर-1, नहर के पास, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रावतभाटा द्वारा राज्य सरकार की योजना के तहत सुलभ शौचालय निर्माण हेतु कम राशि का भुगतान करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपनिदेशक, (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर ने पत्र दिनांक 12.05.2016 से अवगत करवाया है कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रावतभाटा की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को शौचालय निर्माण हेतु प्रथम

किश्त म. 4,000/-रूपये एवं द्वितीय किश्त म. 8,000/-रूपये कुल 12,000/-रूपये का भुगतान किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 22.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(838)लोआस/2015

परिवादी श्री रूपचन्द सुमन निवासी अखाड़े की तलाई रोड़, झालावाड़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त/अध्यक्ष, नगर परिषद, झालावाड़ द्वारा श्री रामलाल प्रजापत द्वारा 30 फीट चौड़ी पक्की सड़क पर कच्ची टापरी बनाकर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. आयुक्त, नगर परिषद, झालावाड़ ने पत्र दिनांक 07.03.2016 से अवगत करवाया है कि श्रीमती लक्ष्मी बाई पत्नी श्री रामलाल प्रजापत द्वारा सड़क भूमि म. फ्लश टैंक का निर्माण किये जाने पर परिवादी ने शिकायत की थी, जिस पर मौका देखकर टैंक का अतिक्रमण हटा दिया गया। श्रीमती लक्ष्मी बाई द्वारा पूर्व म. बने हुए कच्चे मकान की चार दीवारी म. टैंक निर्माण कर शौचालय का निर्माण कर लिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 28.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(841)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती निर्मला देवी निवासी वार्ड नम्बर 11, श्रीविजयनगर, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीविजयनगर द्वारा उसकी फर्म मनीष कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किये गये

सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य के 15,89,616/- रूपये का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपनिदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 02.06.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी की फर्म मनीष कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा किये गये निर्माण कार्य हेतु देय भुगतान म. से आधी राशि का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि का भुगतान परिवादी से हुए समझौते के अनुसार नगरपालिका की निजी आय, 14 वें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग से राशि उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 22.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(849)लोआस/2015

परिवादी श्री कृष्ण बलदेव, वार्ड नंबर-19, ज्ञानदीप स्कूल के पास, श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्री विजयनगर द्वारा उसकी फर्म सरस्वती कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा सड़क व नाला निर्माण के सम्बन्ध म. जमा करवाई गई अमानत राशि 6,83,763/-रूपये का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपनिदेशक, (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर ने पत्र दिनांक 02.06.2016 से अवगत करवाया है कि सरस्वती कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, श्रीविजयनगर द्वारा किये गये निर्माण कार्य, सिक्योरिटी डिपोजिट और अमानत राशि के पेटे समस्त भुगतान किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 16.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(850)लोआस/2014

परिवादी श्री मुकेश कुमार, निवासी मकराना से दिनांक 23.03.15 को प्राप्त परिवाद में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधुपर द्वारा विवेक विहार आवासीय योजना की आवंटन लॉटरी म. उसे दिनांक 28.09.2011 को आवंटित भूखण्ड संख्या एफ-205 का आवंटन-पत्र बार-बार अनुरोध करने पर भी जारी नहीं करने व उक्त आवंटन-पत्र जारी करवाने की प्रार्थना की गयी।

उक्त परिवाद के सम्बन्ध में इस सचिवालय से प्रेषित पत्रा. के संदर्भ में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा पत्र दिनांक 12.08.16 से अवगत करवाया गया कि आवंटी श्री मुकेश कुमार को आवंटन-पत्र क्रमांक 27 दिनांक 11.08.16 जारी कर दिया गया है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की कार्यवाही रिपोर्ट पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत न करने से यह स्वाभाविक उपधारणा की गई कि परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है तथा वह प्राधिकरण द्वारा की गई कार्यवाही से संतुष्ट है।

अतः इस सचिवालय के स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित समुचित अनुतोष प्राप्त हो जाने से इस परिवाद को दिनांक 27.10.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(947)लोआस/2015

परिवादी श्री सुभाष चन्द्र नगायच निवासी दही वाली गली, भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड

भरतपुर द्वारा मण्डल की जवाहर नगर स्ववित्त पोषित योजना के भूखण्ड बाबत उसके पिता द्वारा 2500/-रूपये व स्वयं द्वारा 17,500/-रूपये जमा करवाये जाने के बावजूद उसे मकान आवंटित नहीं करने अथवा जमा राशि नहीं लौटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भरतपुर ने पत्र दिनांक 29.08.2016 से अवगत करवाया कि उक्त आवासीय योजना म. मात्र एक ही पंजीकरण प्राप्त होने के कारण योजना क्रियान्वित नहीं की गई। परिवादी को 17,500/-रूपये व इस राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज देते हुए कुल 39,235/-रूपये तथा परिवादी के पिता द्वारा जमा करवाई गई राशि 2,500/-रूपये व इस राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज देते हुए कुल 7,742/-रूपये का रिफण्ड जरिये चैक किया गया। परिवादी श्री सुभाष चन्द्र नगायच ने उसके प्रकरण म. वांछित कार्यवाही होने से इस सचिवालय का आभार व्यक्त किया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण को दिनांक 28.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(958)लोआस/2015

परिवादी श्री विरेन्द्र सिंह खटीक निवासी खटीका. का मोहल्लाा, रींगस, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रींगस द्वारा आम रास्ते के अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रींगस ने पत्र दिनांक 02.01.2017 से अवगत करवाया गया कि तहसीलदार द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर उपस्थित खातेदारों व अन्य लोगों की आपसी

सहमति व राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप अतिक्रमण हटाकर रास्ता चालू कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 22.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(959)लोआस/2015

परिवादी श्री सलीम अली चौपदार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर–5, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा सी. आर. मॉल का अवैध अतिक्रमण नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर ने पत्र दिनांक 18.05.2016 से अवगत करवाया कि सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मॉल डायरेक्टर को निर्धारित सीमा के विपरीत पार्किंग नहीं करवाने व पार्किंग शुल्क वसूल नहीं करने के लिए पाबन्द किया गया। सड़क सीमा म. पार्किंग के सम्बन्ध म. नियमानुसार कार्यवाही हेतु यातायात प्रभारी को लिखा गया है एवं नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर द्वारा उक्त स्थान पर ‘‘नो पार्किंग’’ का बोर्ड लगवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 23.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(986)लोआस/2015

परिवादी श्री सुखवीर सिंह निवासी प्लॉट नंबर 40, श्री रामपुरी, निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. गुलाब बाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की श्री रामपुरी विस्तार योजना, निवारू रोड़, झोटवाड़ा

के भूखण्ड संख्या 41 की सुविधा क्षेत्र की भूमि के 1/3 भाग पर श्रीमती अनीसा द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण को उपायुक्त, नगर निगम, विद्याधर नगर जोन, जयपुर द्वारा शिकायत के बावजूद ध्वस्त नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, जयपुर ने पत्र दिनांक 19.10.2016 से अवगत करवाया कि उपर्युक्त शिकायत के सम्बन्ध म. दिनांक 31.08.2016 को मौका निरीक्षण करवाया गया। मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था, भूखण्ड खाली था और भूखण्ड के चारों तरफ बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किया हुआ था, जिसे दिनांक 22.09.2016 को हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 22.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(1022)लोआस/2015

परिवादी श्री संदीप झंवर निवासी चामुण्डा माता मंदिर रोड़, सावित्री ढाणी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ब्रह्मा सावित्री विद्यापीठ, पुष्कर के बाहर वृक्षारोपण हेतु छोड़ी गई भूमि पर वीरम सिंह द्वारा किये गये अवैध अतिक्रमण को अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पुष्कर के द्वारा नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई ।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. जिला कलेक्टर, अजमेर ने पत्र दिनांक 14.07.2016 से अवगत करवाया कि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, पुष्कर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विवादित अतिक्रमण ध्वस्त कर हटा दिया गया और भविष्य म. अतिक्रमण नहीं करने हेतु अतिक्रमी को पाबन्द कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 01.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(39)लोआस/2016

परिवादी श्री नौरत मल रैगर निवासी वार्ड नंबर 3 व 4, गोपाल कॉलोनी, डोराई का रास्ता, केकड़ी, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. कनिष्ठ अभियन्ता, नगरपालिका, केकड़ी द्वारा पूर्व से निर्मित नाली को बन्द कर इसके स्थान पर नई नाली का निर्माण कर देने से सड़क पर गन्दा पानी एकत्र हो जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा चाही गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उपनिदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने पत्र दिनांक 22.07.16 से अवगत करवाया कि परिवादी के मकान के पास नाली म. पानी की आवक अधिक होने तथा सड़क नीची होने से पानी बहकर सड़क पर आ जाता था। अब नगरपालिका द्वारा समुचित संख्या म. सफाई कर्मियों को लगाया हुआ है, जिससे पानी की निकासी सुचारू रूप से हो रही है और गन्दे पानी की निकासी की समस्या का समाधान करवाया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 04.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(47)लोआस/2016

परिवादी श्री विनोद कुमार निवासी नई मण्डी रोड़, दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जिला कलेक्टर, दौसा द्वारा रेल्वे स्टेशन, दौसा के बाहर ओवरब्रिज के नीचे अवैध रूप से संचालित बूचड़खाने नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय स्तर पर माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. जिला कलेक्टर, दौसा ने पत्र दिनांक 23.01.2017 से अवगत करवाया कि उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा अवैध रूप से संचालित दो मीट की दुकानों को बन्द करवा दिया गया तथा एक दुकान को विभागीय नोटिस की पालना नहीं करने पर सीज कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 09.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(48)लोआस/2016

परिवादी श्री अमृत लाल निवासी आचार्यो का बास, बिलाड़ा, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बिलाड़ा द्वारा उसे भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान नहीं करने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. उप निदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने पत्र दिनांक 08.08.2016 से अवगत करवाया कि परिवादी को भवन निर्माण स्वीकृति जारी किये जाने के आदेश दिनांक 27.06.2016 को प्रदान कर दिये गये हैं। परिवादी द्वारा दिनांक 29.06.2016 को नियमानुसार राशि जमा करवाये जाने पर दिनांक 30.06.2016 को भवन निर्माण स्वीकृति जारी कर दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 12.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(70)लोआस/2016

परिवादी श्री रमेश चन्द शाह अध्यक्ष, शिव विहार विकास समिति, विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उपायुक्त, नगर निगम, विद्याधर नगर जोन, जयपुर द्वारा उनकी कॉलोनी के मकानों के सामने कबाड़ियों द्वारा पुराना सामान रखकर अतिक्रमण किये जाने एवं कबाड़ का सामान तोड़ने व जलाने से होने वाले ध्वनि व वायु प्रदूषण को नहीं रोके जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा माँगी तथ्यात्मक रिपोर्ट के क्रम म. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 17.11.2016 से अवगत करवाया कि परिवाद म. वर्णित कबाड़ियों द्वारा किये गये अस्थायी अतिक्रमण को दिनांक 10.10.2016 को हटवा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 12.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(82)लोआस/2016

परिवादी श्री थोमस जॉन निवासी ए-43, सुभाष नगर, भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गंगापुर, जिला-भीलवाड़ा द्वारा उसकी पी.एफ. राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय द्वारा जारी पत्रा. के क्रम म. उपनिदेशक, क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर द्वारा पत्र दिनांक 20.12.2016 से अवगत करवाया गया कि श्री थोमस जॉन की पी.एफ. राशि मय ब्याज 2,30,617/-रूपये गणना की गई, जिसका चैक अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, गंगापुर द्वारा आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा को भुगतान

हेतु भिजवाया जा चुका है। इस राशि के सम्बन्ध म. श्री थोमस जॉन परिवादी द्वारा मौखिक सहमति भी दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण दिनांक 10.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(94)लोआस/2016

परिवादी श्री ओमप्रकाश चौहान निवासी न्यू कॉलोनी, पुष्प नगर, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर द्वारा वार्ड नंबर-24 म. रास्ते की भूमि पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीमाधोपुर (सीकर) की पालना रिपोर्ट दिनांकित 14.07.2016 प्रेषित कर अवगत करवाया कि परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध म. त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 06.06.2016 को अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 10.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(116)लोआस/2016

परिवादी श्री शिवनारायण बूब, निवासी श्रीजी विहार, 100 फीट रोड़, राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगर परिषद, राजसमन्द म. स्वास्थ्य सुरक्षा के साधन, सफाई कार्य की नियमित मोनिटरिंग, अधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण, वार्ड-वाइज सफाईकर्मिया. के सूचना पट्ट, सफाई की

नियमित व्यवस्था व नियमित कर्मचारियों का ड्रेस कोड इत्यादि न होने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 20.09.2015 से अवगत कराया गया है कि नगर परिषद्, राजसमन्द द्वारा नियमित सफाई करवाई जा रही है तथा नियमित कर्मचारियों की जगह एवजी कर्मचारी से कार्य नहीं कराया जा रहा है। कर्मचारियों को वर्दी भत्ता वार्षिक रूप से दिया जाता है व उनके पहचान-पत्र बनाने की कार्यवाही जारी है। स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु समय-समय पर मेडिकल जाँच कराई जाती है। सफाई कर्मचारियों की मोनिटरिंग जमादार, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं आयुक्त आदि द्वारा समय-समय पर की जाती है। सभापति एवं आयुक्त द्वारा समय-समय पर सफाई व अन्य कार्यो का निरीक्षण किया जाता है। मोही रोड़ पर गौशाला का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वार्ड समिति के गठन एवं सफाई कर्मचारियों की सूचना बाबत सूचना पट्ट लगाने की कार्यवाही की जावेगी।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(163)लोआस/2016

परिवादी श्री गजाराम माली, निवासी एफ.सी.आई. गोदाम के सामने, जालोर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्रीमती भँवरी देवी माली द्वारा एफ.सी.आई. गोदाम के सामने सार्वजनिक भूमि व मन्दिर की जमीन पर अतिक्रमण करके पट्टा प्राप्त करने की कोशिश करने एवं इस बाबत नगर परिषद्, जालोर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर ने आयुक्त, नगर परिषद्, जालोर के प्रतिवेदन दिनांक 21.11.2016 के आधार पर अपने पत्र

दिनांक 24.11.2016 द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती भँवरी देवी की पट्टा शुदा भूमि 30X45 फीट एवं 50X40 फीट की नियमन राशि जमा होने से उक्त भूमि म. मौके पर उसका कब्जा यथावत रखते हुए शेष 9 फीट भूमि से उसका कब्जा हटा कर भूमि खाली करा दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 19.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.16(167)लोआस/2016

परिवादी श्री मातादीन अग्रवाल, निवासी प्लॉट नम्बर 17-ए, जवाहर नगर कॉलोनी, टोंक रोड़, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. शिकायत की गई है कि उसके निवास प्लॉट नंबर 17-ए के सामने एवं पीछे अवैध पशु डेयरी संचालक सुबह-शाम गायों का दूध निकाल कर पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, जिससे उसके मकान के चारों तरफ गायों का झुण्ड लगा रहकर गन्दगी फैली हुई रहती है। इससे मकान म. आने-जाने म. परेशानी होती है और पूरी रोड़ गन्दगी से भरी रहती है। उन्होंने अवैध पशु डेयरी संचालकों की गायों के अतिक्रमण को दूर करने का निवेदन किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर ने पत्र दिनांक 07.03.2017 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 16.09.2016 को कुल 28 पशुओं को पकड़वाकर गौ पुनर्वास केन्द्र, हिंगोनिया भिजवाया गया है। इसके बाद पशु क्रूरता के सम्बन्ध म. पुलिस थाना, बजाज नगर म. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थानाधिकारी, बजाज नगर द्वारा माननीय न्यायालय म. चालान पेश किया गया। न्यायालय के आदेश से 13 पशुओं को नियमानुसार राशि वसूल कर रिहा किया गया है। डेयरी हटाने की कार्यवाही करने पर डेयरी मालिक द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय म. रिट पिटीशन संख्या 2236/2017 प्रस्तुत की गई, जिसम. पारित निर्णय दिनांक 22.02.2017 से डेयरी स्कीम के अन्तर्गत प्लॉट आवंटन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी का वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 10.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(203)लोआस/2016

परिवादी श्री मूलचन्द बैरवा, निवासी मुकाम पोस्ट मोरथला, तहसील आबूरोड़, जिला सिरोही द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका मण्डल, आबूपर्वत, सिरोही द्वारा उसके वायरमेन पद से दिनांक 30.09.2015 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त भी उसे पी.एफ. राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. आयुक्त, नगरपालिका मण्डल, आबूपर्वत (सिरोही) ने पत्र दिनांक 26.10.2016 द्वारा अवगत करवाया है कि परिवादी की पी. एफ. राशि मय ब्याज 55,796/-रूपये का भुतान जरिये चैक दिनांक 26.10.2016 कर दिया गया है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 21.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(261)लोआस/2016

परिवादी श्री अब्दुल हमीद, निवासी 20, मीर जी का बाग, एम.एल.ए. क्वार्टर्स के पीछे, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगर निगम, जयपुर के वार्ड नंबर 14, हवामहल जोन पश्चिम म. स्थित गंगा माता की गली म. कचरा, आवारा कुत्ता, सुअरा. व गाया. से हो रही परेशानी की शिकायत नगर निगम, जयपुर को करने के बावजूद कोई समाधान नहीं होने का उल्लेख किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. उपायुक्त, हवामहल जोन (पश्चिम), नगर निगम, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 20.10.2016 से अवगत करवाया है कि उक्त स्थल से कचरा डिपो को हटा दिया गया है तथा अब सफाई व्यवस्था माकूल है एवं नियमित रूप से सफाई कराई जा रही है। नालियों का निर्माण करवाया जा चुका है। शहर के चारदीवारी क्षेत्र म. आयुक्त के निर्देशानुसार आवारा जानवरों/गायों की धरपकड़ का अभियान उपायुक्त, गौशाला द्वारा चलाया जाकर गायों को पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 13.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(326)लोआस/2016

परिवादी श्री लक्ष्मीनारायण, निवासी बी-76, कर्मचारी कॉलोनी, अशोक विहार, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. कर्मचारी कॉलोनी म. स्थित डेयरी के आस-पास बड़ी तादाद म. पालतु सुअरा. द्वारा घरों के आगे मल-मूत्र से फैलायी जा रही गन्दगी की शिकायत पर जिला कलेक्टर, अलवर द्वारा कोई समाधान नहीं करने का उल्लेख किया गया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. उप-निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय, जयपुर द्वारा आयुक्त, नगर परिषद्, अलवर से जाँच करवाकर अपने प्रतिवेदन दिनांक 10.11.2016 से यह प्रकट किया गया है कि प्रश्नगत स्थल पर सफाई, दूध की डेयरी हटाने तथा सुअर पकड़ने के कार्य करवाये जा चुके हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 06.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.16(327)लोआस/2016

परिवादी श्री बृज मोहन पाठक, निवासी 2/63, अरावली विहार, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. आयुक्त, नगर परिषद्, अलवर द्वारा उनकी कॉलोनी के पार्क म. चार माह पूर्व फाइबर शीट डालकर बनाये गये शैड म. वर्षा के समय कई स्थानों से पानी टपकने की समस्या का समाधान न करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 29.09.2016 से यह अवगत कराया कि अरावली विहार (काला कुआं) सेक्टर नंबर 2 व 3 के मध्य स्थित पार्क म. बनाये गये शैड के ज्वाइंटा. म. हो रहे पानी लीकेज को मौके पर सही करवा दिया गया है। दिनांक 07.10.2016 को प्रतिवेदन प्रेषित कर सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा अवगत कराया गया है कि पार्क म. लगी लाइट. ठीक करा दी गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.17(35)लोआस/2016

परिवादी श्री निरंजन लाल डाटा, निवासी स्वामी दयानन्द मार्ग, स्टेशन रोड़, अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. तेज मण्डी के पास, कुश मार्ग पर मंजीतसिंह द्वारा शामलाती गली पर लोहे की सीढ़ी लगाकर किये गये अतिक्रमण को नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा नहीं हटाये जाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर ने अपने पत्र दिनांक 18.11.2016 द्वारा अवगत करवाया कि शामलाती गली म. लोहे

की सीढ़ी लगाकर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 11.11.2016 को हटा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 20.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.18(27)लोआस/2014

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार आनन्द पार्षद, वार्ड नं. 5, नगर परिषद, दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके वार्ड म. रेलवे पुलिया के पास स्थित शराब की दुकान हटवाकर अन्यत्र स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 31.7.14 प्रेषित कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाये जाने पर अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), राजस्थान, उदयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 30.6.16 के अनुसार प्रकरण म. रेलवे स्टेशन के सामने स्थापित मदिरा की दुकानों को हटाकर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 18.7.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.18(26)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रवीण सिंह चौहान पुत्र श्री रेशम सिंह चौहान निवासी ग्राम पोस्ट धौलादांता, तहसील मसूदा, अजमेर ने यह परिवाद जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर के विरूद्ध कुण्डेश्वर शिव मन्दिर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के निकट स्थित शराब की दुकान को अन्यत्र

स्थानान्तरित करवाने के संदर्भ म. दिनांक 15 फरवरी, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 25.02.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति) राजस्थान, उदयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 20.06.2016 के अनुसार परिवादी द्वारा परिवाद म. दर्शायी गई मदिरा की दुकान को अन्यत्र स्थापित कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 8 म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 01.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.18(16)लोआस/2016

परिवादी श्री पूनम सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह निवासी मिर्धा नगर, कुचामन सिटी, नागौर ने आबकारी विभाग, नागौर के अधिकारियों के विरूद्ध उसकी नेट-बैंकिंग द्वारा हुई अतिरिक्त डेबिट राशि का जिला आबकारी अधिकारी, नागौर द्वारा रिफण्ड नहीं दिये जाने के संदर्भ म. दिनांक 06 जुलाई, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 25.07.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 30.11.2016 के अनुसार परिवादी श्री पूनम सिंह को एक से अधिक बार डेबिट हुई उसकी आवेदन राशि रूपये 75,000/- का भुगतान बिल क्रमांक 624 दिनांक 27.10.2016 द्वारा कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 6 म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.19(11)लोआस/2013

परिवादी कमल शर्मा एवं समस्त नागरिकगण भवानीमण्डी, झालावाड़ ने यह परिवाद स्थानीय वृहद उद्योग राजस्थान, टैक्सटाइल मिल्स, भवानीमण्डी के अपशिष्ट व केमिकलयुक्त गन्दे पानी के पिपलाद बांध म. मिलने से हो रहे प्रदूषण के संदर्भ म. दिनांक 06.02.2014 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, झालावाड़ को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 17.02.2014 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ से प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार राज्य मण्डल द्वारा उद्योग की जल प्रदूषण करने वाली प्रक्रिया को प्रदूषण निवारण अधिनियम की धारा 33-ए के अन्तर्गत बन्द करने के निर्देश दिये गये तथा उद्योग का डाई हाऊस बन्द कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 10 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 28.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.19(21)लोआस/2014

परिवादी श्री सुरेश बरवड़, सदस्य, ऑल इण्डिया पावरलूम बोर्ड, वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार, निवासी राजपूत मोहल्ला, नया शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क लि., किशनगढ़ द्वारा टैक्सटाइल पार्क विकसित करने के लिये रीको से भूमि आवंटित करवाने के सात वर्ष पश्चात् भी उसम. कोई निवेश नहीं

करने तथा हजारों रूपये प्रति वर्गगज की भूमि बेचकर सरकार को करोड़ों रूपये का नुकसान पहुँचाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीका), उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 1.10.15 के अनुसार हाईटेक टेक्सटाइल पार्क विकसित करने हेतु भूमि आवंटन के समय इसम. स्थापित होने वाली इकाईयों को उत्पादन स्तर पर लाने के लिये समय सीमा निर्धारण हेतु कोई नीति नहीं थी। इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप हाईटेक टेक्सटाइल पार्क विकसित करने हेतु भू-आवंटन के समय स्थापित होने वाली इकाईयों के लिय समय सीमा निर्धारित करने के लिये "Policy for allotment of land/already made to SPV/Applicant Company under Cluster Development Scheme of Govt. of india……" जारी की गई।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 29.7.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(25)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती नर्वदा बुनकर पत्नी स्वर्गीय श्री नानूराम बुनकर निवासी ग्राम गड़ा जसराजपुर, पोस्ट चितरी, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर ने यह परिवाद जल संसाधन विभाग, डूंगरपुर के अधिकारियों के विरूद्ध स्थाई पेन्शन एवं अन्य परिलाभ दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 09.12.14 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 07.04.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.02.17 के अनुसार परिवादी को उसके

स्वर्गीय पति श्री नानूराम बुनकर की ग्रेच्युटी राशि 5,38,560/-रूपये, उपार्जित अवकाश क्लेम राशि 1,83,188/-रूपये तथा मेडिकल क्लेम राशि 1,72,996/-रूपये का भुगतान किया गया। परिवादी को प्रोविजनल पेन्शन का भुगतान भी करवाया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 07.03.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(32)लोआस/2015

परिवादी श्री बालकृष्ण पुत्र श्री बीरबलराम निवासी ग्राम चक 5 वाई, श्रीगंगानगर ने यह परिवाद सी.ए.डी. विभाग के विरूद्ध स्वीकृत चक प्लान के अनुसार खाले व नाके का पक्का निर्माण नहीं कर मनमाने तरीके से नाकों एवं खालों का निर्माण करवाने के संदर्भ म. दिनांक 10 सितम्बर, 2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 09.10.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सी.ए.डी., बीकानेर से प्राप्त पत्र दिनांक 18.02.2016 के अनुसार परिवादी को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 5-6-15-16-25 में पक्का खाला बनाया गया तथा मुरब्बा नम्बर 62 के किला नम्बर 1 पर नाका उपलब्ध करवाया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग एक वर्ष म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(35)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती धन्नीदेवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामप्रताप मीणा निवासी ग्राम चित्तौड़ी, पोस्ट बांसखोह, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ने यह परिवाद जल संसाधन विभाग, जयपुर के अधिकारियों के विरूद्ध विभाग म. बेलदार के पद पर कार्यरत उसके पति की मृत्यु उपरान्त उसके स्थान पर उसके पुत्र नमोनारायण मीणा को नियुक्ति दिये जाने के संदर्भ म. दिनांक 11 सितम्बर, 2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 01.10.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 06.12.2016 के अनुसार परिवादी को उसके पति की सी.पी.एफ. की बकाया राशि 13,049/- रूपये का भुगतान कर दिया गया परन्तु अन्य अनुतोष दिया जाना संभव नहीं होना पाया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग डेढ वर्ष म. आंशिक अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 16.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(37)लोआस/2015

परिवादी श्री रजीराम जाट पुत्र श्री हेतराम जाट निवासी ग्राम केदासरी, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ ने यह परिवाद अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ़ के विरूद्ध नाजायज चल रही पानी की बारी को रूकवाने के संदर्भ म. दिनांक 18.09.2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 09.10.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस

सम्बन्ध म. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन, खण्ड प्रथम, सूरतगढ़ के निर्णय अनुसार मुरब्बा नम्बर 50/17 के 25 बीघा की बारी काटी जाकर संशोधित बाराबन्दी मौके पर लागू की जाकर परिवादी की समस्या का समाधान किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग पाँच माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 02.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(41)लोआस/2015

परिवादी श्री भूरेखेड़ा पुत्र श्री लाधुखी धोबी निवासी वार्ड नम्बर 8, गन्धेली, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ ने यह परिवाद राजस्व विभाग, हनुमानगढ़ के अधिकारियों के विरूद्ध किन्करावाली माइनर के चक 9 के.वी.एल. के खाला निर्माण म. अनियमितताओं के संदर्भ म. दिनांक 10.10.15 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.01.16 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (पश्चिम) सी.ए.डी., बीकानेर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 28.04.2016 के अनुसार खालों का निर्माण गुणवत्तापूर्वक व विभागीय नियमानुसार किया गया है। परिवादी की माँग अनुसार उसे व उसके प्रतिनिधि को अन्य दो काश्तकारों के समक्ष नाकों के पाँच शटर सुपुर्द कर उसकी समस्या का समाधान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 8 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 09.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(50)लोआस/2015

परिवादी श्री सीताराम पुत्र श्री लेखराम निवासी चक 6, एस.पी.एम. उमेवाला, पोस्ट केवलांवाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सार्वजनिक खाले की सुरक्षा करवाये जाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद म. किसी लोकसेवक पर भ्रष्टाचार आदि के आरोप न होने तथा इसके साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत न होने से इसे इस सचिवालय स्तर नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की गई।

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार कृषकों द्वारा बनाई गई होदियों व नालियों को हटा कर खाले के पटड़े पर आने-जाने म. हो रही असुविधा को दूर कर दिया गया है। साथ ही नलकूप का पानी नहरबन्दी के दौरान खाले म. न डालने के लिये कृषकों को पाबन्द भी किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 30.12.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(6)लोआस/2016

परिवादी श्री मखन सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह निवासी गणेशगढ़, तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्री हरनाम सिंह द्वारा अवैध रूप से नाका तोड़कर सिंचाई करने की शिकायत जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर एवं अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत्त, श्रीगंगानगर के समक्ष करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 13.8.16

प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 2.1.2017 के अनुसार हरनामसिंह पर नाजायज नाका कर अवैध आबपाशी करने के आरोप म. सामान्य जलदर से 6 गुणा तावान अधिरोपित किया गया एवं उक्त कृत्य की पुनरावृति न करने के सम्बन्ध म. अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संगम, गणेशगढ़-II को श्री हरनाम सिंह के रकबे की पारी काटे जाने के आदेश जारी किये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 7.2.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.23(9)लोआस/2016

परिवादी श्री मुरलीधर जाट पुत्र श्री साधूराम जाट निवासी गाँव रतनपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने यह परिवाद जल ग्रहण समिति, पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर (सीकर) के अधिकारियों के विरूद्ध उक्त परियोजना के सम्बन्ध म. वित्तीय अनियमितताओं के संदर्भ म. दिनांक 11.05.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, सीकर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 24.05.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, सीकर से प्राप्त पत्र दिनांक 11.07.2016 के अनुसार जल ग्रहण उप समिति, रतनपुरा द्वारा किसानों को वर्ष 2015 म. वितरित की गई कुट्टी मशीन की अनुदान (सब्सिडी) राशि का भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 15.11.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.30(9)लोआस/2014

परिवादी श्री गोपाल लाल रैगर पुत्र श्री कल्लूराम रैगर निवासी ग्राम बाढ महाराजपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मण्डल की ''हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना'' के तहत उसकी पुत्री के विवाह पर देय सहायता अनुदान राशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 15.5.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. श्रम आयुक्त एवं सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 23.6.16 के अनुसार संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर के आदेश दिनांक 17.6.16 के द्वारा परिवादी को विवाह सहायता राशि स्वीकृत की गई।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 2.9.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.30(4)लोआस/2015

परिवादी प्रदीप सिंह चौहान पुत्र स्वर्गीय श्री जयराज सिंह चौहान निवासी सी-232-ए द्वितीय, दयानन्द मार्ग, तिलकनगर, जयपुर ने यह परिवाद सचिव, श्रम विभाग, श्री रजत कुमार मिश्रा एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर, श्री धनराज शर्मा के विरूद्ध महिमा रियल एस्टेट प्रा. लि. के 15 प्रोजेक्टों की उपकर (सेस) राशि नहीं वसूलने के संदर्भ म. दिनांक 22 जून, 2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. शासन सचिव, श्रम विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 26.06.2015 प्रेषित करने एवं इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर विभाग से इस सम्बन्ध म. प्राप्त पत्र दिनांक 12.08.2015 के अनुसार प्रोजेक्ट्स की उपकर राशि 32,14,862/-रूपये की वसूली की जाकर परिवादी की परिवेदना का निराकरण किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने पर यह परिवाद दिनांक 24.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.30(6)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रहलाद राम पुत्र श्री जोधाराम निवासी ग्राम बरडादास, पोस्ट भामासी, तहसील एवं जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्रम विभाग द्वारा उसकी पुत्री के विवाह पर देय कन्यादान की राशि का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 02.09.15 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त सचिव मण्डल, जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 4.3.17 के अनुसार समाज कल्याण अधिकारी, चूरू के आदेश दिनांक 28.1.16 द्वारा 51000/- रूपये की राशि परिवादी के बैंक अकाउण्ट म. अंतरित कर परिवादी की व्यथा का निराकरण किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 6 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 22.06.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.30(14)लोआस/2015

परिवादी श्री राजेश बैरवा पुत्र श्री जन्सीलाल बैरवा निवासी रामपुरा खुर्द, पोस्ट मलारना, तहसील लवाण, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा श्रम आयुक्त द्वारा प्रार्थी को मजदूरी का पूरा भुगतान देने व काम पर वापस बहाल किये जाने बाबत जारी आदेश की पालना नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 09.08.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 07.09.16 के अनुसार परिवादी को उसकी वांछित बकाया राशि 18,000/-रूपये का भुगतान मैसर्स एंकर सर्विस, दौसा से करवा दिया गया। परिवादी द्वारा भी उक्त बकाया राशि प्राप्त होना स्वीकार किया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 10 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.30(5)लोआस/2016

परिवादी श्री परसराम मीना पुत्र श्री इन्दर मीणा निवासी चूरिया की पोस्ट बहादुरपुर, तहसील सपोटरा, करौली ने यह परिवाद श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग, करौली के विरूद्ध विवाह सहायता राशि दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 30 अगस्त, 2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 16.09.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, मण्डल, भवन एवं अन्य

संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 21.01.2017 के अनुसार परिवादी के खाते म. 51,000/-रूपये की राशि जमा करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 7 माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 09.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(28)लोआस/2014

परिवादी श्री संतराम शर्मा पुत्र श्री खुशी राम निवासी प्लाट नंबर 149, जनकपुरी द्वितीय, इमलीवाला फाटक, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनकी जनकपुरी द्वितीय कॉलोनी के पेयजल संकट का समाधान करवाये जाने की माँग की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 20.10.14 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 15.7.16 के अनुसार इमलीवाला फाटक क्षेत्र की जनता को पेयजल से लाभान्वित किया जाकर परिवादी व आम जनता की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 26.10.16 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(4)लोआस/2015

परिवादी श्री लालाराम सैनी पुत्र स्वर्गीय श्री सुन्दर लाल निवासी मोहल्ला अखैपुरा, राजपूत छात्रावास के पीछे, अलवर ने यह परिवाद जलदाय विभाग की पाइप लाइन पर चारदीवारी का निर्माण कर किये गये अतिक्रमण को हटवाने के संदर्भ म. दिनांक 09.04.2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु जिला कलेक्टर, अलवर को पत्र दिनांक 28.04.2015 प्रेषित करने पर उन्होंने रिपोर्ट दिनांक 26.09.16 द्वारा अवगत करवाया कि मौके पर पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप पत्रावली दिनांक 23.12.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.31(24)लोआस/2015

परिवादी श्री अमरसिंह पुत्र श्री भौरेलाल जोगी नाथ जी का आसन, राजगढ़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत इस परिवाद म. जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग, राजगढ़, अलवर के अधिकारियों द्वारा उसके मौहल्ले की पानी की समस्या का समाधान नहीं करवाये जाने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 23.05.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड राजगढ़, अलवर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 2.02.2017 के अनुसार परिवाद म. बताये गये क्षेत्र म. पाइप लाइन बिछा दी गई है तथा

नये नलकूल का निर्माण करा दिया गया। परिवादी ने भी उक्त किये गये कार्य के प्रति संतुष्टि व्यक्त की।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग सात माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 22.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(25)लोआस/2015

परिवादी श्रीयुत् श्रीराम सैनी पुत्र श्री बुद्धालाल सैनी निवासी परशुराम कॉलोनी, जनाना अस्पताल के पीछे, राजगढ़, अलवर ने यह परिवाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर के अधिकारियों के विरूद्ध उसके मकान म. पानी का कनेक्शन होने के बावजूद पानी नहीं आने के संदर्भ म. दिनांक 08.07.2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 21.07.2015 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता, प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 29.02.2016 के अनुसार उपभोक्ता का जल सम्बन्ध अंतिम छोर पर होने एवं बीच म. स्थित जल सम्बन्धों पर मोटरें चलने के कारण परिवादी के जल सम्बन्ध तक जल पहुँचने म. व्यवधान हो रहा था। इस कारण जल वितरण सप्लाई के समय पावरकट करवाया जाकर परिवादी तक पर्याप्त पानी सप्लाई करवाया जाकर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग एक वर्ष म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 05.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(35)लोआस/2015

परिवादी श्री राजेश पारीक पुत्र श्री सीताराम पारीक, निवासी बस डिपो के पीछे, वार्ड नम्बर 19, सरदार शहर, जिला चुरू ने यह परिवाद अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तारानगर के विरूद्ध जल परिवहन का भुगतान दिलाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 27 अगस्त, 2015 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 10.09.2015 प्रेषित करने एवं इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 16.8.2016 के अनुसार बिलों के प्रमाणीकरण के पश्चात प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/बजट आवंटन के पश्चात् परिवादी द्वारा वांछित जल परिवहन के बिलों का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 1 वर्ष 2 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 02.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(37)लोआस/2015

परिवादी श्री होशियार सिंह पुत्र श्री डूंगर सिंह निवासी खारिया गोपारान, तहसील राजगढ़, जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तारानगर द्वारा उसके जल परिवहन कार्य का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 10.09.2015 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात्

निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 25.05.2016 के अनुसार बिलों के प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/बजट आवंटन के पश्चात् परिवादी के वांछित बिलों तादादी 4,60,383/- रूपये का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 1 वर्ष म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 31.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(38)लोआस/2015

परिवादी श्री भरतलाल शर्मा पुत्र श्री हरचन्द शर्मा निवासी बैरासरबड़ा, तहसील राजगगढ़, जिला चुरू द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, तारानगर द्वारा उसके जल परिवहन कार्य का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 10.09.2015 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 16.8.2016 के अनुसार बिलों के प्रमाणीकरण के पश्चात् प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/बजट आवंटन के पश्चात् परिवादी के वांछित बिलों का भुगतान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 1 वर्ष 2 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 02.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(45)लोआस/2015

परिवादी श्री सत्यनारायण त्रिपाठी पुत्र श्री रामनाथ निवासी आदर्श नगर, वार्ड नम्बर 4, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उसके मकान के अन्दर से गुजर रही पानी की मेन पाइप लाइन को बाहर नहीं निकालने बाबत शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 01.10.2015 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र के अनुसार प्रार्थी के मकान के नीचे पूर्व म. डाली हुई ए.सी. प्रेशर पाइप को मकान के बाहर डी.आई. पाइप लाइन म. शिफ्ट कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 1 वर्ष म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(49)लोआस/2015

परिवादी श्री रिजवान मोहम्मद खाँ पुत्र स्वर्गीय श्री इकबाल मोहम्मद खाँ, निवासी 19/87, एकता नगर, रमजान जी का हत्था, बनाड़ रोड़, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर द्वारा पानी की सप्लाई दुरूस्त नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद म. किसी लोकसेवक विशेष के विरूद्ध भ्रष्टाचार अथवा पद के दुरूपयोग का आरोप न होने के कारण इसे सचिवालय स्तर पर दिनांक 12.10.2015 नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु

जिला कलेक्टर, जोधपुर को इस सचिवालय के पत्र दिनांक 19.01.16 के साथ प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, जोधपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 09.05.2016 के अनुसार परिवादी की जलापूर्ति की समस्या का निस्तारण कर दिया गया और परिवादी ने भी इस कार्यवाही के प्रति संतोष जाहिर किया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 9 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्राप्त पत्र दिनांक 12.05.2016 को अन्तिम रूप से नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(50)लोआस/2015

परिवादी श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री माँग ीलाल, कार्यालय अखिल भारतीय किसान सभा, गांधी टॉवर, चौथी मन्जिल, गांधी अस्पताल के सामने, जोधपुर ने यह परिवाद जलदाय विभाग म. व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध म. सख्त कार्यवाही करवाने के संदर्भ म. दिनांक 30.9.15 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 27.10.15 प्रेषित करने एवं इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31.1.2017 के अनुसार पेयजल परियोजना हेतु अवाप्त की गई भूमि से अतिक्रमण हटवा दिया गया एवं चिन्हित 119 गाँवों व दो कस्बों को पेयजल उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 10.3.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(52)लोआस/2015

परिवादी श्री इकराम मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल सत्तार नई आबादी, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा ने यह परिवाद श्री कैलाश जाटव, कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, माण्डलगढ़ के विरूद्ध पानी से सम्बन्धित समस्याओं के संदर्भ म. दिनांक 01 अक्टूबर, 2015 को पेश किया।

परिवाद व्यक्तिगत परिवेदना से सम्बन्धित होने एवं इसम. किसी लोकसेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार/पद के दुरूपयोग सम्बन्धी विशिष्ट आरोप नहीं होने से इसकी प्रति जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को आवश्यक कार्यवाही हेतु इस सचिवालय के पत्र दिनांक 19.012016 द्वारा प्रेषित करते हुए परिवाद दिनांक 12.10.2016 को सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध किया गया। इस सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से प्राप्त पत्र दिनांक 30.03.2016 के अनुसार वर्तमान म. माण्डलगढ़ कस्बे म. 24 घण्टे के अन्तराल से पेयजल वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 8 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया।

एफ.31(56)लोआस/2015

परिवादी श्री महेश प्रकाश सांखला पुत्र श्री पूनमचन्द सांखला निवासी जनता कॉलोनी, लाडनूं, जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लाडनूं, नागौर के अधिकारियों द्वारा खुले बोरवेल से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्यवाही न करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, नागौर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 26.10.15 प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मँगवाने तथा इसके

पश्चात् लगातार कार्यवाही करने पर जिला कलेक्टर, नागौर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 16.1.2017 के अनुसार जिले म. खुले बोरवेलों के सम्बन्ध म. सुरक्षा उपायों हेतु बैठकें आयोजित कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समस्त सहायक अभियन्ताओं, अधिशाषी अभियन्ताओं एवं समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश देते हुए भविष्य म. भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु पाबन्द किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान म. नागौर जिले म. एक भी बोरवेल खुला नहीं है।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप प्रकरण म. प्रश्तगत समस्या का निवारण होकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 7.2.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(62)लोआस/2015

परिवादी श्री मोहनलाल खत्री निवासी मकान नम्बर 1-ख-9, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जैन मन्दिर के सामने, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा उसका माह मई व जून, 2015 का पानी का बिल 65/- रूपये अधिक जारी कर देने की शिकायत की गई।

परिवाद म. किसी लोकसेवक विशेष के विरूद्ध भ्रष्टाचार/पद के दुरूपयोग बाबत आरोप नहीं होने के कारण इसे दिनांक 04.11.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद की प्रति मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 19.05.2016 के द्वारा प्रेषित करने पर मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 5.10.2016 के अनुसार परिवादी का क्षतिग्रस्त मीटर बदल दिया गया एवं नया मीटर लगाकर पानी का बिल नए मीटर की रीडिंग के अनुसार दिया जाकर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग एक वर्ष म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से प्रकरण को अन्तिम रूप से नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(83)लोआस/2015

परिवादी श्री विशम्भर दयाल लुहार पुत्र स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद लुहार निवासी वार्ड नम्बर 15, मुकन्दगढ़, जिला झुंझुनूं द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उसके पानी के कनेक्शन को वाणिज्यिक से घरेलू के रूप म. परिवर्तित नहीं करने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता(प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 22.2.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 15.7.16 के अनुसार परिवादी का बिल माह नवम्बर, 2015 म. जारी वॉटर टेरिफ के अनुसार अघरेलू के रूप म. जारी किया गया था जिसे माह जून, 2016 म. संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पुनः घरेलू श्रेणी का कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 6 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 07.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(3)लोआस/2016

परिवादी मुजाहिद हाशमी पुत्र श्री अब्दुल मन्नान निवासी शर्मा आरा मशीन के पास, वार्ड नम्बर 6, मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद म.

सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, टोंक द्वारा क्षतिग्रस्त पानी की पाइप लाइनों को सही नहीं करवाने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 29.04.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 5.08.2016 के अनुसार क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को सही करवाकर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग 5 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 23.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(4)लोआस/2016

परिवादी श्रीगंगाराम बैरवा पुत्र श्री छीतरलाल बैरवा निवासी ग्राम सिंघोलिया, तहसील मालपुरा, जिला टोंक ने यह परिवाद रामदेव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मालपुरा, टोंक के जरिये अधिकारियों के विरूद्ध नया हैंडपम्प लगवाने के संदर्भ म. दिनांक 12 अप्रैल, 2016 को पेश किया।

परिवाद व्यक्तिगत समस्या से सम्बन्धित होने एवं इसम. किसी लोकसेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार/पद के दुरूपयोग का आरोप नहीं होने के कारण इसे दिनांक 28.4.2016 को इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, टोंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र दिनांक 03.05.2016 द्वारा प्रेषित की गई। जिला कलेक्टर, टोंक से प्राप्त पत्र दिनांक 24.06.2016 के अनुसार एक ही हैंडपम्प से पीने का पानी लेने के कारण विवाद/समस्या उत्पन्न होने की स्थिति म. प्रशासन द्वारा दो हैंडपम्प लगाकर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 4 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया।

एफ.31(21)लोआस/2016

परिवादी श्री खेमराज मीणा सरपंच ग्राम पंचायत उमर, तहसील हिण्डौली, जिला बूँदी द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी विभाग, बून्दी के अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त पाइप लाइन को ठीक नहीं करवाने की शिकायत की गई।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 09.08.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 07.11.16 के अनुसार ग्राम पंचायत उमर के ग्राम उमर म. जाने वाली पानी की पाइप लाइन को बार-बार तोड़कर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये अवैध कनेक्शनों से हुए पानी सप्लाई के व्यवधान को ठीक कराकर ग्राम म. पानी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप परिवादी को लगभग सात माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 04.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(23)लोआस/2016

परिवादी श्री मोहन लाल शर्मा पुत्र श्री मदन लाल शर्मा निवासी गाँव जसवन्तपुरा, पोस्ट लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ने यह परिवाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नसीराबाद, अजमेर के अधिकारियों के विरूद्ध पानी की टंकी के खराब वॉल्व को ठीक करवाने के संदर्भ म. दिनांक 01.07.2016 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 25.07.2016 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31.01.2017 के अनुसार उच्च जलाशय के खराब वॉल्व को बदलकर उच्च जलाशय से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग सात माह म. अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 09.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.31(48)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री चण्डीराम, कोर्ट कैम्पस, बहरोड़, अलवर ने यह परिवाद जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर के कनिष्ठ अभियन्ता श्री गगन गुर्जर के विरूद्ध अनियमितता, भष्टाचार एवं पद का दुरूपयोग कर नये बोरवेल से बिना स्वीकृति के पाइप लाइन डालने का आरोप लगाते हुए दिनांक 27.9.16 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 5.10.16 प्रेषित करने एवं इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर इस सम्बन्ध म. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 17.01.17 के अनुसार नये नलकूप को ग्राम म. पहले से ही विद्यमान पाइप लाइन के सिस्टम से जोड़ा गया, जिसम. कोई अनियमितता होना नहीं पाया गया। एक नये नलकूप मय विद्युत कनेक्शन एवं राइजिंग पाइप लाइन राशि रूपये 15.85 लाख की स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्य करवाया जाकर सम्पूर्ण ग्राम को लाभान्वित किया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 14.03.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.32(05)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती शांति देवी जैन से दिनांक 21.05.2014 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने अधीक्षक, संप्रेक्षण किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, करौली द्वारा उनके किराये पर लिये गये भवन का किराया, बिजली व पानी के उपभोग के बिलों की राशि का भुगतान नहीं करने पर विभाग से उपर्युक्त भुगतान करवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. जिला कलक्टर, करौली से दिनांक 06.01.2016 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया है कि परिवादी श्रीमती शांति देवी जैन को मकान किराया के 99,406/-रुपये का भुगतान किया गया और तत्पश्चात् दिनांक 29.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को शेष राशि 5,368/-रुपये का भुगतान चैक द्वारा किया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.08.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(14)लोआस/2014

परिवादी सुश्री अर्चना जेलिया से दिनांक 12.07.2014 को प्राप्त परिवाद म. उसने उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 की छात्रवृत्ति नहीं देने का आरोप लगाते हुए यह छात्रवृत्ति दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 30.05.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार

परिवादी सुश्री अर्चना जेलिया को बी.एड. पाठ्यक्रम की वर्ष 2011-12 की उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति की राशि 24,690/-रुपये बिल क्रमांक 126 दिनांक 16.07.2015 द्वारा स्वीकृत की जाकर उसके बैंक खाता संख्या 61067785656 के माध्यम से भुगतान किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 26.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(33)लोआस/2014

परिवादीगण सुश्री अंकिता अग्रवाल वगैरह से दिनांक 31.10.2014 को प्राप्त परिवाद म. उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अधीन नशा मुक्ति परियोजना म. संवेदना रिसर्च फाउन्डेशन, कोटा के मुख्य काउन्सलर एवं काउन्सलर को माह अप्रैल, 2013 से मई, 2014 तक का वेतन प्राप्त न होने की शिकायत की।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 06.07.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संवेदना सेवा एवं रिसर्च फाउन्डेशन समिति, कोटा के द्वारा नशा मुक्ति केन्द्र संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 की बकाया राशि 5,88,985/-रुपये का भुगतान विभागीय आदेश दिनांक 13.01.2016 के अनुसार माह जनवरी, 2016 म. किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 21.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(15)लोआस/2015

परिवादी सुश्री ममता फामड़ा से दिनांक 25.06.2015 को प्राप्त परिवाद म. उसने वर्ष 2010-11 म. धोलाप्लास बी.एड. कॉलेज, अलवर से बी.एड. प्रशिक्षण और अगस्त, 2011 म. राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.एड. परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर द्वारा छात्रवृत्ति नहीं देने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 24.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी सुश्री ममता फामड़ा की वर्ष 2010-11 की छात्रवृत्ति के भुगतान की राशि (21,240/-रुपये) जिला कार्यालय, अलवर द्वारा उसके बैंक खाते म. दिनांक 12.10.2015 को जमा करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 31.08.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(34)लोआस/2015

परिवादी श्री महेश कुमार भट्ट से दिनांक 30.09.2015 को प्राप्त परिवाद म. उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाँसवाड़ा से सात माह से पालनहार योजना की राशि न मिलने का आरोप लगाते हुए यह राशि दिलवाने की प्रार्थना की।

परिवादी से सत्यापित शपथ-पत्र सहित विहित प्ररूप म. परिवाद प्राप्त न होने से दिनांक 08.12.2015 के आदेशानुसार परिवाद की एक प्रति निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए परिवाद को नस्तीबद्ध किया गया। उसके सम्बन्ध म. उनसे प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार परिवादी को पालनहार योजना के पेटे बकाया भुगतान की राशि म. से

दिसम्बर, 2015 म. चार हजार रुपये, मार्च, 2016 म. एक हजार रुपये एवं अप्रैल 2016 म. दो हजार रुपये यानी कुल सात हजार रुपये का भुगतान किया गया।

एफ.32(46)लोआस/2015

परिवादी श्री सुनीलराम से दिनांक 16.12.2015 को प्राप्त परिवाद म. उसने उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा वर्ष 2011-12 की छात्रवृत्ति नहीं देने का आरोप लगाते हुए यह छात्रवृत्ति दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 18.04.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को छात्रवृत्ति राशि 36,150/-रु. का भुगतान उसके बैंक खाते के माध्यम से किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित नुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 10.08.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(51)लोआस/2015

परिवादी श्री अरूण कुमार भील से दिनांक 27.01.2016 को प्राप्त परिवाद में उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड़ से बी.एस. सी. नर्सिंग सत्र, 2014-15 की छात्रवृत्ति दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 27.06.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री अरूण कुमार भील की वर्ष 2014-15 म. एस.एम.एस. नर्सिंग कॉलेज, झालावाड़ की उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति राशि 63,600/- रूपये

सम्बन्धित दस्तावेजों की पूर्ति करने के पश्चात् स्वीकृत कर उसके बैंक खाते म. हस्तांतरित कर दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 26.07.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(54)लोआस/2015

परिवादी श्री राकेश खांट से दिनांक 29.02.2016 को प्राप्त परिवाद म. उनके द्वारा 12वीं कक्षा नियमित छात्र के रूप म. 70.60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण किये जाने पर भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उन्हें वर्ष 2013-14 म. छात्रवृति नहीं देने और शिक्षा विभाग द्वारा लेपटॉप नहीं देने का आरोप लगाया गया।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर और निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 16.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट्स द्वारा यह अवगत करवाया गया कि प्रार्थी श्री राकेश खांट द्वारा वर्ष 2013-14 म. कक्षा 12वीं कला म. 70.60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये गये, जो उक्त कक्षा की वर्ष 2013-14 की कट ऑफ सूची (71.40 प्रतिशत) से कम होने के कारण पात्रता के अभाव म. उन्हें लेपटॉप नहीं दिया गया। परिवादी श्री राकेश खांट को वर्ष 2014-15 की अवधि की उत्तर मेट्रिक छात्रवृति की राशि 9,000/-रुपये बिल संख्या 463 दिनांक 19.03.2016 से उसके बैंक खाता म. ऑनलाइन जमा हो चुकी है। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 की छात्रवृति की राशि 10,100/-रुपये बिल संख्या 2080 दिनांक 13.10.2016 से उसके बैंक खाता म. जमा करवा दी गई।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 22.02.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(3)लोआस/2016

परिवादी श्री प्रहलाद राय जाट से दिनांक 12.04.2016 को प्राप्त परिवाद म. उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से पालनहार योजना का लाभ दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 30.08.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के द्वारा अवगत करवाया गया कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों की जाँच के पश्चात् उसे माह मई, 2016 तक राशि 22,000/-रु. का भुगतान किया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 06.09.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(4)लोआस/2016

परिवादी श्री अब्दुल्ला नकवी से दिनांक 12.04.2016 को प्राप्त परिवाद म. उसने पालनहार योजना के अन्तर्गत दिनांक 10.07.2015 को आवेदन करने व हार्ड कॉपी जमा करवाने पर भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से इस योजना का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 28.10.2016 को प्राप्त रिपोर्ट म. परिवादी को पालनहार योजना की मई, 2016 तक राशि 22,000/- रूपये का भुगतान किया जाना बताया गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 15.11.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(12)लोआस/2016

परिवादी श्री हंसराज मीणा से दिनांक 09.05.2016 को प्राप्त परिवाद में उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, झालावाड़ से जी.एन.एम. नर्सिंग तृतीय वर्ष की छात्रवृत्ति दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 30.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट म. परिवादी को वर्ष 2014-15 की जी.एन.एम. नर्सिंग तृतीय वर्ष की उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति राशि 42,560/-रु. का भुगतान उसके बैंक खाते के माध्यम से किया जाना बताया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 02.11.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(19)लोआस/2016

परिवादी श्री उदय सिंह से दिनांक 25.05.2016 को प्राप्त परिवाद म. उसने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से पालनहार योजना की सहायता राशि दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 09.09.2016 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को पालनहार योजना की माह अप्रैल/जून, 2016 तक की राशि का भुगतान किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 30.09.2016 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.32(23)लोआस/2016

परिवादी श्री सुनील कुमार मीणा से दिनांक 16.06.2016 को प्राप्त परिवाद म. उसकी वर्ष 2014–15 की छात्रवृति की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कॉलेज के लिपिक व बैंक अधिकारी द्वारा अन्य खाताधारक श्री पवन कुमार के खाते म. जमा करने का आरोप लगाते हुए मामले की जाँच करवाकर उसे छात्रवृति दिलवाने की प्रार्थना की।

इस सम्बन्ध म. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर से दिनांक 02.01.2017 को प्राप्त रिपोर्ट द्वारा यह अवगत करवाया गया कि परिवादी श्री सुनील कुमार मीणा की वर्ष 2014–15 की बी.टेक चतुर्थ वर्ष की छात्रवृति राशि 50,600/–रुपये उसके स्वयं के बैंक खाता संख्या 61076552619 म. अंतरित होने के बजाय अन्य व्यक्ति श्री पवन कुमार के खाता संख्या 61221751463 म. अंतरित हो गई थी, जिसे जिला अधिकारी, धौलपुर द्वारा नोटिस जारी कर उससे उक्त छात्रवृति राशि वसूल की गई और तत्पश्चात् परिवादी श्री सुनील कुमार मीणा को इसका नकद भुगतान दिनांक 30.11.2016 को किया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही करने के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने पर पत्रावली दिनांक 17.01.2017 को नस्तीबद्ध की गई।

एफ.34(9)लोआस/2014

परिवादी श्री हनुमान सहाय शर्मा निवासी 5/905, जवाहर नगर पश्चिम, जयपुर ने यह परिवाद गांधीनगर, जयपुर स्थित राजकीय आवासों म. अनाधिकृत रूप से किरायेदार रखने के संदर्भ म. दिनांक 10.10.2014 को पेश किया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को इस सचिवालय द्वारा पत्र दिनांक 24.04.15 प्रेषित कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन मँगवाने तथा इसके पश्चात् लगातार कार्यवाही करने पर प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद म. अंकित आवासों म. से 12 आवासों में स्वयं आवंटियों द्वारा निवास करना पाया गया एवं शेष आवंटियों से आवास रिक्त करवा लेना बताया गया है। सम्बन्धित आवंटियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भी लिखा गया।

अत: इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 08.02.17 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.34(26)लोआस/2014

परिवादी श्री प्रेमप्रताप वडेरा निवासी डी/133 अम्बाबाड़ी, जयपुर ने यह परिवाद स्वायत्त शासन विभाग के विरूद्ध नगरीय विकास कर निर्धारण म. सुधार करवाने के संदर्भ म. दिनांक 24 मार्च, 2015 को पेश किया।

सत्यापित शपथ-पत्र के अभाव म. दिनांक 01.06.2015 को परिवाद इस सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करते हुए परिवाद की प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को पत्र दिनांक 8.10.15 के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। प्रकरण के सम्बन्ध म. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 17.10.2016 के अनुसार विभागीय अधिसूचना दिनांक 19.12.12 को प्रत्याहृत किया गया। वर्तमान म. राजस्थान नगरपालिका, नगरीय विकास कर नियम, 2016 प्रभावशील हो गये हैं एवं अधिसूचना दिनांक 24.7.16 से नगरीय विकास कर की प्रक्रिया निर्धारित कर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग पौने दो वर्ष म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह परिवाद दिनांक 25.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(23)लोआस/2010

परिवादी श्री देवीराम वर्मा से दिनांक 03.05.2010 को प्राप्त परिवाद म. यह आरोप लगाया गया कि श्री बृजमोहन पटवारी द्वारा पटवार मण्डल, जुरहरा प्रथम व द्वितीय, तहसील कामां, जिला भरतपुर म. कार्यरत रहते समय वसूली रसीद की तृतीय प्रतियों म. अधिक राशि अंकित कर गबन करने एवं फर्जी रसीदा. से कृषका. से राशि वसूल करने की अनियमित कार्यवाही की गई। निरीक्षक, राजस्व, लेखा भरतपुर एवं निरीक्षक, राजस्व लेखा आन्तरिक जाँच दल (आय) राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर मुख्यालय भरतपुर की जाँच म. 25,465/- रूपये गबन राशि प्रमाणित होने पर तहसीलदार, कामां द्वारा प्राथमिकी संख्या 122/09 पुलिस थाना, जुरहरा म. दर्ज कराई गई लेकिन पुलिस थाना, जुरहरा द्वारा श्री बृजमोहन, पटवारी से सांठ-गांठ कर, कृषकों को डर-धमकाकर गलत बयान रिकॉर्ड कर दिनांक 31.10.2009 को एफ.आर. नंबर 96/09 लगा कर न्यायालय म. पेश कर दी गई। तहसीलदार, कामां प्रकरण म. कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं। परिवाद म. निवेदन किया गया है कि रिकॉर्ड के विरूद्ध एफ.आर. लगाने वाले दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावे।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ने प्रतिवेदन दिनांकित 18.12.2015 प्रेषित कर अवगत कराया कि प्रकरण न्यायालय से पुनः अनुसंधान हेतु प्राप्त होने पर बाद आवश्यक अनुसंधान श्री बृजमोहन शर्मा, तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल, जुरहरा के विरूद्ध धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 02.12.2015 को उसे गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ने प्रतिवेदन दिनांकित 28.04.2016 प्रेषित कर अवगत कराया कि प्रकरण म. अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियुक्त श्री बृजमोहन के

विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता म. चार्जशीट नंबर 28 दिनांक 30.03.2016 तैयार की जा चुकी है। उन्हाने अपने पत्र दिनांक 26.08.2016 द्वारा यह भी अवगत कराया कि अभियुक्त श्री बृजमोहन के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता दिनांक 22.08.2016 को चार्ज-शीट अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय, कामां म. पेश कर दी गई है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप सम्बन्धित लोकसेवक के विरूद्ध समुचित कार्यवाही होने जाने से परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त होने से यह परिवाद दिनांक 31.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(123)लोआस/2010

परिवादी श्री सोवरन सिंह, निवासी ग्राम चेकोरा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम पंचायत चेकोरा की सिवाय चक जमीन खसरा नम्बर 11 व 13 म. अवैध पट्टे जारी करने के सम्बन्ध म. सरपंच, सचिव एवं सरपंच पुत्र के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जा रही जाँच को राजनैतिक पहुँच व पैसों के बल पर प्रभावित करने तथा अवैध पट्टेधारियों द्वारा मौके पर करवाये जा रहे अवैध निर्माण को स्थानीय प्रशासन व पुलिस द्वारा नहीं रूकवाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रूपवास एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रूपवास से जाँच करवाकर अपने पत्र दिनांक 18.05.2011 द्वारा प्रकट किया गया कि ग्राम पंचायत, चेकोरा के पूर्व सरपंच श्री ओमवीर सिंह ने अपने कार्यकाल म. कुल 27 फर्जी पट्टे एवं पूर्व सरपंच श्रीमती दौजो के पुत्र भूपसिंह व सचिव, श्री हरीशचन्द्र दीक्षित द्वारा 42 फर्जी पट्टे जारी किये गये। इस सम्बन्ध म. पुलिस थाना, रूपवास म. प्राथमिकी संख्या 196/11 दर्ज कराई गई।

जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर ने अपने पत्र दिनांक 04.05.2016 द्वारा यह प्रकट किया कि ग्राम पंचायत चेकोरा, पंचायत समिति, रूपवास के सरपंचों द्वारा जारी फर्जी व अनियमित पट्टा. को अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा निगरानी संख्या 01/2014 लगायत 68/2014 म. पारित आदेश दिनांक 08.01.2016 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

महानिरीक्षक, पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.10.16 के साथ प्रेषित रिपोर्ट दिनांकित 26.11.2013 म. यह प्रकट किया कि फर्जी पट्टे जारी करने के सम्बन्ध म. पुलिस थाना, रूपवास, जिला भरतपुर म. पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या 196/2011 म. बाद अन्वेषण तत्कालीन सरपंच श्री ओमसिंह, दौजो एवं सचिव, श्री हरीशचन्द के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 420 व 120बी, भारतीय दण्ड संहिता एवं पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 158 व 168 के अन्तर्गत चालान न्यायालय म. पेश किया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 17.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(23)लोआस/2013

परिवादी श्री संजय गिल, निवासी एस. ए.-1, सत्य विहार, लालकोठी, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. सत्यविहार, लालकोठी, जयपुर के रिहायशी क्षेत्र म. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार व इसके विधानसभा भवन के निकट स्थित होने से इसम. व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रतिबन्धित होने के बावजूद भवन संख्या-8, सत्यविहार, लालकोठी जयपुर म. नियम विरूद्ध रेस्टोरेन्ट एवं कोचिंग सेन्टर संचालन की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. पुलिस आयुक्त, जयपुर ने प्रतिवेदन दिनांक 05.08.13 म. प्रकट किया है कि सत्यविहार कॉलोनी स्थित प्लॉट संख्या

8 के स्वामी श्री आर.के. जैन, आई.ए.एस. द्वारा परिसर कुणाल पुरोहित को किराये पर दे रखा है, जिसम. के.पी. क्लासेज के नाम से कोचिंग सेन्टर चलाया जा रहा है। यह भी प्रकट किया कि परिवादी का भूखण्ड संख्या 16-ए व एस ए-1 रिहायशी नहीं है और इनके आस-पास कई कोचिंग सेन्टर स्थित हैं, जहाँ छात्र-छात्राओं की काफी भीड़ रहती हैं और वाहन सड़क व फुटपाथ पर खड़े रहते हैं।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर की खण्डपीठ द्वारा सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 780/1997 व समान विषयवस्तु की अन्य 102 रिटें दिनांक 18.11.1999 को निर्णित की गई। इनम. परिवादी द्वारा प्रस्तुत विशेष अपील रिट संख्या 1025/97 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर बनाम रिनेश गुप्ता व अन्य 95 नंबर पर अंकित है। पारित निर्णय म. एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करने एवं उसके द्वारा चार माह म. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत भू-उपयोग परिवर्तन, निर्माण एवं रिहायशी क्षेत्र म. व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन बाबत सर्वेक्षण कर छह माह के भीतर उक्त सर्वेक्षण के आधार पर की गई अग्रिम कार्यवाही की रिपोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी को सौपने के निर्देश दिये गये।

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 13.01.2017 द्वारा प्रकट किया कि लालकोठी, जयपुर स्थित सत्यविहार एवं अन्य कॉलोनियों म. व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध म. उपायुक्त जोन-3 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 118 आवासीय भवनों म. व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन पाया गया, जिसम. सत्य विहार कॉलोनी के 18 आवासीय भवन सम्मिलित हैं। प्रवर्तन अधिकारी जोन-3 द्वारा जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 32 के तहत 110 नोटिस एवं धारा 34 (क) के तहत 106 नोटिस जारी किये गये। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश की पालना म. 118 कोचिंग सेन्टरों को बन्द करवाया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(91)लोआस/2013

परिवादी श्री विकास सचदेवा, निवासी मास्टर की मीडिया हाऊस, प्रथम तल, 48 ई–ब्लॉक, रेलवे स्टेशन रोड़, श्रीगंगानगर द्वारा समाचार–पत्र 'आखरी पन्ना' के दिनांक 19.06.2013 के अंक म. छपे समाचार के आधार पर प्रस्तुत परिवाद म. श्रीगंगानगर पुलिस के अधिकारियों द्वारा सी. सी.टी.वी. कैमरा लगाने के प्रोजेक्ट म. भ्रष्टाचार करने व प्रोजेक्ट कार्य हेतु स्वीकृत फर्म के श्री राहुल अरोड़ा द्वारा पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, श्री संतोष चालक को बेवकूफ बनाकर कई अनियमितताएं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 06.02.14 के साथ प्राप्त सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट तृतीय, वृत्त–ए, श्रीगंगानगर की जाँच रिपोर्ट दिनांक 02.01.14 के अनुसार प्रकरण म. करापवंचन हेतु उत्तरदायी फर्म मैसर्स व्हीजी प्लेनेट एवं आयरिश डिजिटल टेक्नालॉजी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध कर निर्धारित करते हुए 6,71,622/– रूपये वसूलने का आदेश दिया गया।

परिवाद के संबंध म. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा) जयपुर ने प्रतिवेदन दिनांक 25.03.2014 से अवगत करवाया कि सी.सी.टी.वी. कैमरा प्रोजेक्ट म. किसी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार करने जैसी कोई स्थिति सामने नहीं आई है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 16.11.14 से अवगत करवाया है कि व्यवहारी से कर राशि 6,71,622/– रूपये म. से अब तक 79,166/–रू. वसूल किये जा चुके हैं। अतिरिक्त आयुक्त (प्रतिकरापवंचन), वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर ने

पत्र दिनांक 08.10.2015 द्वारा श्री राहुल अरोड़ा, प्रोप्राइटर, फर्म मैसर्स व्हीजी प्लेनेट एवं मैसर्स आयरिश डिजिटल टेक्नोलॉजी, श्रीगंगानगर के विरूद्ध धारा 67(1)(सी)(डी) सपठित धारा 67 (1)(जे) राजस्थान मूल्य-संवर्धित कर अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगगानगर म. दिनांक 29.07.2015 को परिवाद दायर करना प्रकट किया।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.08.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(147)लोआस/2014

परिवादी श्रीमती पुष्पा देवी, निवासी ग्राम घोड़ी तेजपुर, तहसील छोटीसरवन, जिला बाँसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके पति स्वर्गीय सूरजमल परमार आर्मी से सेवानिवृत्त नायक की मृत्यु दिनांक 12.02.1996 को हो जाने के बाद उसे विभाग द्वारा पेंशन स्वीकृत नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उदयपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 30.09.2016 द्वारा अवगत कराया कि श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी स्वर्गीय नायक सूरजमल परमार, नंबर 7083049 को पेंशन भुगतान हेतु पी.सी.डी.ए. (पी.), इलाहाबाद द्वारा पेंशन पेमेन्ट आर्डर (पी. पी.ओ.) नम्बर एफ/एनए/014626/2016 दिनांक 21.07.2016 जारी कर दिया गया है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(181)लोआस/2014

परिवादी श्री ओम प्रकाश यादव, निवासी ग्राम मालपुर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. बहरोड़ म. अवैध रूप से संचालित पाँच कोचिंग सेन्टरों को बन्द करवाने बाबत उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार, बहरोड़ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बध म. जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर ने पत्र दिनांक 01.03.2016 द्वारा अवगत करवाया है कि प्रश्नगत कोचिंग सेन्टरों को बन्द करवा दिया गया है और वर्तमान म. पाँचों कोचिंग सेन्टर म. से मौके पर कोई भी संचालित होना नहीं पाया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 12.04..2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(325)लोआस/2014

परिवादी श्री विशाल चतुर्वेदी, निवासी हिण्डौन सिटी, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. हिण्डौन सिटी स्थित रामलीला मैदान म. प्रशासनिक अनुमति बिना कई वर्षो से पशु माँस व पशुओं की खरीद-फरोक्त का व्यापार चलने, आवासीय कॉलोनियों ब्यानिया पाड़ा व महताब का पुरा म. अवैध रूप से संचालित बूचड़खाना म. पशु माँस बेचने का कार्य खुलेआम किये जाने की शिकायत उप जिला कलेक्टर, हिण्डौन सिटी को करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, करौली ने आयुक्त, नगर परिषद, हिण्डौन सिटी की रिपोर्ट दिनांक 29.06.2016 के आधार पर प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 04.07.2016 द्वारा अवगत करवाया कि अवैध रूप से बूचड़खाना व माँस की दुकानें संचालित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उप जिला कलेक्टर, हिण्डौन

सिटी के न्यायालय म. परिवाद पेश किया गया है। थानाधिकारी, हिण्डौन सिटी द्वारा भी अवगत करवाया गया कि वर्तमान म. कोई बूचड़खाना व माँस बेचने की दुकान संचालित नहीं है। परिवादी श्री विशाल चतुर्वेदी ने दूरभाष पर हुई वार्ता म. प्रकट किया कि वर्तमान म. अवैध बूचड़खाने बन्द हैं तथा पुलिस द्वारा अवैध बूचडखाना संचालित करने वाले पशु माँस विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 19.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(329)लोआस/2014

परिवादी श्री गिरधारी लाल बैरवा, निवासी ग्राम समसपुर, तहसील महवा, जिला दौसा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम समसपुर म. आबादी से सटे हुए पहाड़ पर खनन माफिया हरि व मदन इत्यादि द्वारा अवैध खनन करने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी महवा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, महवा एवं सरपंच, ग्राम पंचायत, खौंचपुरी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर ने जिला कलेक्टर, दौसा एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा से जाँच करवाकर अपने प्रतिवेदन दिनांकित 19.08.2016 से सूचित किया कि परिवादी स्वयं अतिक्रमी है, जिसका अतिक्रमण हटाने से व्यथित होकर शिकायत की गई है। अवैध खनन के सम्बन्ध म. क्षेत्रीय वन अधिकारी, महवा ने अपने प्रतिवेदन दिनांकित 03.09.2015 से सूचित किया कि अवैध खनन बाबत खनिज विभाग की टीम द्वारा गश्त कर रोकथाम की गई है एवं अवैध खननकर्त्ताओं के विरूद्ध 29 प्रकरण दर्ज कर विभागीय कार्यवाही की गई है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 04.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(95)लोआस/2015

परिवादी श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, निवासी दर्जियों का रास्ता, बन्जारा बस्ती, सूरजपोल, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. बन्जारा बस्ती म. सनराइज पब्लिक स्कूल के पास सरकारी जमीन पर न्यायालय के आदेश के बावजूद अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध म. उपायुक्त, नगर निगम, घाटगेट, जयपुर को शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं करने का उल्लेख किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. उपायुक्त, हवामहल जोन, पूर्व, नगर निगम, जयपुर से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 06.01.2016 एवं 01.09.2016 से अवगत करवाया गया कि रास्ते की जमीन का नियमन नहीं करने बाबत परिवादी की शिकायत के सम्बन्ध म. ओमप्रकाश शर्मा का वाद न्यायालय द्वारा खारिज होने के बाद प्रश्नगत भूमि के 20x10 वर्गफीट भाग पर निर्मित दीवार को दिनांक 29.08.2016 को नियमानुसार ध्वस्त कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 20.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(149)लोआस/2015

परिवादी श्री रामेश्वर पुत्र अम्बालाल, निवासी बागवानों का बास, पोकरण, जिला जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. श्रीमती शशिकला पत्नी श्री दुलीचंद माली के जेठ श्री हंसराज माली के डाक विभाग म. कर्मचारी पदस्थापित होने के बावजूद उसके द्वारा किसी निकटतम सम्बन्धी के डाक

विभाग म. कर्मचारी नहीं होने बाबत मिथ्या शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अल्प बचत निदेशालय से अभिकर्त्ता एजेन्सी संख्या सी–0184409 दिनांक 16.10.2000 प्राप्त कर लेने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. निदेशालय, कोष एवं लेखा (अल्प बचत) ने अपने पत्र दिनांकित 22.08.2016 द्वारा सूचित किया कि श्रीमती शशिकला द्वारा अल्प बचत नियमावली के नियम 2(3) का उल्लघंन किये जाने की स्थिति म. उसको जारी महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना का अनुज्ञा–पत्र निरस्त कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 04.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(200)लोआस/2015

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार श्रीमाली, निवासी 560, सुभाष नगर द्वितीय, पाल रोड़, खेमा कुआं, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके मकान के सामने आवासीय क्षेत्र म. कैटरिंग व टेन्ट हाऊस का सामान रखकर न्यूसेन्स उत्पन्न करने की शिकायत जिला कलेक्टर, जोधपुर को करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख करते हुए उक्त न्यूसेन्स को हटवाने का निवेदन किया।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, जोधपुर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 31.08.2016 द्वारा अवगत करवाया कि अतिक्रमण निरीक्षक द्वारा कैटरिंग व टेन्ट हाऊस का सामान एक गाड़ी म. जब्त कर शेष सामान दिनांक 26.08.2016 को गोदाम म. सीज कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(204)लोआस/2015

परिवादी श्री चम्पालाल सैन, निवासी कवराड़ा, तहसील आहोर, जिला जालोर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम कवराड़ा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खसरा संख्या 444 किस्म गैरमुमकिन स्कूल भूमि पर भू–माफियों द्वारा किये गये अतिक्रमण की शिकायत तहसीलदार व उच्चाधिकारियों को करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख करते हुए विद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का निवेदन किया।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, जालोर ने तहसीलदार, आहोर की रिपोर्ट दिनांक 18.10.16 के आधार पर अपने प्रतिवेदन दिनांक 24.10.2016 द्वारा अवगत करवाया कि ग्राम कवराड़ा के खसरा संख्या 444 रकबा 2.73 हैक्टयर किस्म गैरमुमकिन स्कूल की भूमि से अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा प्रधानाचार्य को सुपुर्द कर दिया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 11.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(290)लोआस/2015

परिवादी श्री जगदीश, निवासी हमीदपुर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उल्लेख किया गया कि ग्राम हमीदपुर स्थित जोहड़ खसरा संख्या 1563 की भूमि म. वर्ष 2012–13 व 2013–14 म. मनरेगा योजना के तहत छंटाई व खुदाई का कार्य किया गया, परन्तु गाँव के दबंग पुरूषोत्तम गुप्ता, बनवारी व ओमप्रकाश ने जोहड़ की भूमि म. मिट्टी डालकर अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य शुरू कर दिया जिसकी शिकायत पर एस.डी.एम., बहरोड़ द्वारा दिनांक 11.01.2016 को निर्माण पर रोक लगाने के बावजूद निर्माण किया जा रहा है। तहसीलदार व

हल्का पटवारी द्वारा निर्माण कार्य रूकवाने के अगले दिन पुनः निर्माण प्रारम्भ किये जाने की सूचना थानाधिकारी, बहरोड़, उप-अधीक्षक, बहरोड़ व जिला कलेक्टर को देने के बावजूद भी निर्माण जारी है। परिवाद म. निमार्ण कार्य रूकवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाने की प्रार्थना की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, अलवर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23.02.2016 म. यह प्रकट किया कि उक्त जोहड़ भूमि के पास स्थित शिव मन्दिर स्थल पर दुर्घटना रोकने के लिये शिव मन्दिर व जोहड़ के बीच व साइड म. ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत प्रस्तावानुसार दीवार का निर्माण नियमानुसार करवाया गया। प्रश्नगगत स्थल पर स्वयं परिवादी जगदीश का अतिक्रमण था, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा हटवाया गया। जिला कलेक्टर, अलवर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांकित 22.01.2016 द्वारा प्रकट किया गया कि जोहड़ भूमि पर कोई निर्माण नहीं करने हेतु बनवारीलाल आदि को पाबन्द कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 28.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(315)लोआस/2015

परिवादी श्री हरिशचन्द्र जायसवाल, निवासी ग्राम बसेड़ा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम बसेड़ा स्थित सरोवर म. श्री कारूलाल द्वारा अवैध रूप से डाली गई मोटर से पानी म. हुए विद्युत प्रवाह के कारण उसकी भैंस की मृत्यु होने के बावजूद पुलिस अधीक्षक द्वारा भैंस की मृत्यु विद्युत मोटर के तार म. सींग डालने से होना बता देने की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होने का उल्लेख किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. अधिशाषी अभियन्ता (प.व.सं.), अजमेर विद्युत वितरण निगम लि., प्रतापगढ़ ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 21.07.2016 द्वारा अवगत कराया कि श्री हरिशचन्द्र को मुआवजा राशि 20,000/- रूपये का भुगतान जरिए चैक कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(320)लोआस/2015

परिवादी श्री दयाकृष्ण शर्मा, निवासी शीतल चौक, अकलेरा, जिला झालावाड़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. तहसीलदार, अकलेरा द्वारा चुनाव कार्य म. उसके द्वारा की गई फोटो प्रतियों की राशि 13,981/- रूपये के बिल का भुगतान नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, झालावाड़ ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 25.10.2016 प्रेषित कर अवगत करवाया कि परिवादी के फोटो कॉपी से सम्बन्धित तीन बिल तादादी राशि 13,981/-रूपये का भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालय से एफ.वी.सी. बिल संख्या 38/20.10.12 द्वारा परिवादी के हाड़ौती बैंक शाखा, अकलेरा के खाते म. ऑन लाइन जमा कर किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 04.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(329)लोआस/2015

परिवादी श्रीमती रतनदेवी, निवासी 276, यादव गली, राधा बिहारी रोड़, धौलपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. पुलिस व प्रशासन द्वारा उसके पड़ौसियों

द्वारा उसे परेशान करने, उसकी भूमि पर कब्जा कर लेने व गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, धौलपुर द्वारा वृत्ताधिकारी, धौलपुर से जाँच करवाकर अपने प्रतिवेदन दिनांकित 21.09.2016 से अवगत करवाया गया है कि परिवादी के मकान के आगे स्थित उसकी भूमि पर भगवानदास वगैरह द्वारा अनधिकृत कब्जा करने से न्यायालय द्वारा उन्हें मूल वाद के निर्णय तक प्रतिषेधित किया गया है और परिशांति भंग होने के खतरे की दृष्टि से गैरसायलान को न्यायालय से दिनांक 18.05.2012 व 09.05.2012 को पाबन्द कराया जा चुका है। थानाधिकारी, पुलिस थाना, निहालगंज (धौलपुर) द्वारा धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत गैरसायलान के विरूद्ध दिनांक 12.01.2016 को परिवाद उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर के न्यायालय म. पेश किया जा चुका है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(340)लोआस/2015

परिवादी श्री वेनाराम देवासी, निवासी ग्राम रामासणी बाला, तहसील सोजत सिटी, जिला पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम रामासणी बाला स्थित डोली बनाम मन्दिर श्री चारभुजा जी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1253 व 1254 का कब्जा राजस्व न्यायालय के निर्णयों के बावजूद भूमिधारक तहसीलदार द्वारा नहीं लेने की शिकायत करते हुए प्रकरण म. आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, पाली ने प्रतिवेदन दिनांकित 25.10.2016 एवं 13.02.2017 प्रेषित कर प्रकट किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील संख्या पाली/डिक्री/2011/13 म. दिनांक

13.12.2013 को पारित निर्णय की पालना म. ग्राम रामासणी बाला के खसरा संख्या 1254 रकबा 0.94 हैक्टेयर डोली की भूमि का कब्जा मन्दिर के हक म. प्राप्त कर लिया गया है। शेष खसरा संख्या 1253 व 1254 रकबा 0.89 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय मकान एवं बाड़े बने हुए होने से उन्हें बेदखल करने हेतु तहसीलदार, सोजत द्वारा धारा 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज वाद संख्या 136/2016 सहायक कलेक्टर, सोजत के न्यायालय म. विचाराधीन है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(370)लोआस/2015

परिवादी श्री प्रवीण कोली, निवासी बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. कोटा-चित्तौड़गढ़ फोरलेन सड़क पर पुरोहितों का खेड़ा गांव के आबादी क्षेत्र म. भूमि के औद्योगिक रूपान्तरण व ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण-पत्र बिना विकास एवं कुशल जैन द्वारा स्टोन कटिंग, पॉलिसिंग एवं केलिब्रेशन मशीन लगाकर स्थापित की गई फैक्ट्री म. अवैध विद्युत सम्बन्ध प्राप्त कर व्यापार करने की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया एवं तहसीलदार, बिजौलिया द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 25.10.2016 प्रेषित कर अवगत करवाया है कि विकास जैन द्वारा शंकरलाल से भूखण्ड किराये पर लेकर स्टोन कटिंग, पॉलिसिंग व केलिब्रेशन की मशीन लगाई गई है, जो मौके पर चालू है। मशीन संचालन के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा द्वारा प्लान्ट का रजिस्ट्रेशन दिनांक 03.10.2011 को जारी किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं है, किन्तु इसका आबादी

भूमि पर पट्टा जारी है। यह स्थल आबादी के पास, राजकीय प्राथमिक विद्यालय., फतहपुरा से 250 फीट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 से 40 मीटर तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पुरोहितों का खेड़ा से 500 फीट से अधिक की दूरी पर स्थित है। विवादित क्षेत्र को खसरा संख्या 18 रकबा 23.06 बीघा किस्म चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के रूप म. पाये जाने से तहसीलदार, बिजौलिया द्वारा अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम म. प्रकरण दर्ज किया गया। न्यायालय द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 20.10.2016 की पालना म. अतिक्रमी द्वारा स्वयं भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया। मौके पर मिले निर्माण अवशेष को जे.सी.बी. मशीन से ध्वस्त कर भूमि को कब्जे राज लिया जाकर पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.01.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(405)लोआस/2015

परिवादी श्री लोकेश, निवासी ग्राम सुजानपुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम सुजानपुरा की सरकारी चरागाह भूमि पर स्थित अतिक्रमण को नहीं हटाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, करौली द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 12.08.2016 प्रेषित कर अवगत करवाया गया कि ग्राम सुजानपुरा की सिवायचक चरागाह भूमि खसरा संख्या 689, 589, 222, 609, 611, 612, 702, 609, 627, 555, 628, 695 व 615 पर अतिक्रमण पाये जाने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कुल 16 प्रकरण दर्ज किये गये और न्यायालय द्वारा अतिक्रमिया. के विरूद्ध बेदखली व फसल नीलामी के आदेश पारित किये गये। न्यायालय आदेश की पालना म. फसल की नीलामी कर राशि राजकोष म. जमा कराई गई तथा 6 प्रकरण पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के होने से अतिक्रमियों को

तीन–तीन माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई गई, जिसकी अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर, करौली के यहाँ लम्बित है। उक्त चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को ग्राम पंचायत शहराकर द्वारा उपलब्ध कराई गई जे.सी.बी. मशीन से उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम के नेतृत्व म. हटवाया जाकर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। परिवादी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.09.2016 इस सचिवालय को प्रेषित कर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की पुष्टि की है तथा इस बाबत आभार व्यक्त किया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 27.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(408)लोआस/2015

परिवादी श्री राजेन्द्र कच्छावा, निवासी ग्राम ताऊसर, जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम ताऊसर के मोलसर म. हीरा पन्ना डी.जे. साउण्ड के मालिक भँवरलाल, पन्नालाल उर्फ सुभाष द्वारा जोर–जोर से डी.जे. बजाकर मोहल्लेवासियों को परेशान करने बाबत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, जिला नागौर ने अपने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 29.06.2016 द्वारा अवगत करवाया है कि सुभाष अपने मकान में लकड़ी का स्पीकर फिटिंग व वायर फिटिंग का काम करता है। वाहनों पर लगे डी.जे. साउण्ड के सम्बन्ध म. पुलिस थाना कोतवाली, नागौर म. मुकदमा नम्बर 33/16, 61/16 व 173/16 अन्तर्गत धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम (आर.एन.सी.) दर्ज कर वाहन जब्त करते हुए चालान न्यायालय म. पेश कर दिये गये हैं। ध्वनि प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होने पर समय–समय पर कार्यवाही की जा रही है तथा इस हेतु विभिन्न अधिकारियों को कार्यवाही बाबत निर्देशित भी कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने पत्र दिनांक 14.09.2016 द्वारा

अवगत कराया कि परिवादी का मूल परिवाद वाहनों पर लगे डी.जे. बन्द कराने से सम्बन्धित है, इस बाबत जिला परिवहन अधिकारी, नागौर द्वारा डी.जे. लगे 8 वाहनों का पंजीयन निलम्बित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 25.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(10)लोआस/2016

परिवादी श्री सोहनलाल, निवासी धोली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम धोली म. स्थित खसरा संख्या 301 व 303 गैरमुमकिन रास्ते की भूमि पर श्री रामजी लाल इत्यादि द्वारा काश्त कर किये गये अतिक्रमण से उसकी आराजी खसरा संख्या 307/1 की भूमि पर आवागमन का रास्ता बन्द हो जाने की शिकायत पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा की रिपोर्ट दिनांक 19.08.2016 व तहसीलदार, मालपुरा की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2016 के आधार पर अवगत करवाया गया कि गैरमुमकिन रास्ता खसरा संख्या 303 की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को दिनांक 11.05.2016 को हटा दिया गया है।

परिवादी ने उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट पर आपत्ति पत्र दिनांक 16.11.2016 प्रेषित कर प्रकट किया कि दिनांक 11.05.2016 को अतिक्रमण हटाने के बाद प्रश्नगत भूमि पर दिनांक 13.05.2016 को पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है। इस बाबत जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा नायब तहसीलदार, डिग्गी की रिपोर्ट दिनांक 08.02.2017, सम्बन्धित पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.02.2017 प्रेषित कर प्रकट किया गया कि दिनांक 08.02.2017 को वक्त निरीक्षण रास्ता चालू पाया गया। परिवादी ने भी दूरभाष पर इस सचिवालय को सूचित किया कि उसके खेत को आने जाने हेतु खसरा

नंबर 303 स्थित रास्ते को खुलवा दिया गया है, जो वर्तमान में चालू है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 31.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(18)लोआस/2016

परिवादी श्री राधा किशन बैरवा, निवासी ग्राम प्रान्हेड़ा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम पंचायत, प्रान्हेडा के सचिव एवं पटवारी द्वारा उनके पुश्तैनी मकानात व भूखण्डों के पट्टे बनाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 10.08.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर पट्टा जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.05.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(41)लोआस/2016

परिवादी श्री ऋषिराज मीणा, निवासी ग्राम कोयला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम पंचायत, कोयला के राशन सामग्री विक्रेता द्वारा उसे विगत आठ माह से रसद सामग्री नहीं दिये जाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 04.11.2016 द्वारा अवगत करवाया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री हरिप्रसाद मीना द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का

विनियमन, 1978 के प्रावधानों का उल्लघंन किये जाने पर उसका प्राधिकार–पत्र जिला रसद अधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा 90 दिवस के लिए निलम्बित कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.35(43)लोआस/2016

परिवादी श्री तेजसिंह, ग्राम गिदानी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम पालूखुर्द की चरागाह, श्मशान एवं श्री जैन मोहन मुनि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने का निवेदन किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 31.08.16 द्वारा अवगत कराया कि ग्राम पालूखुर्द की चरागाह भूमि खसरा संख्या 45/2 म. किये गये अतिक्रमण को ग्राम पंचायत के सहयोग से हटा दिया गया है। श्री जैन मुनि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पालूखुर्द एवं श्मशान की भूमियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 24.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया ।

एफ.35(134)लोआस/2016

परिवादी श्री विजेन्द्र स्वामी, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, पुरानी धर्मशाला के सामने, नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके स्वर्गीय पिता श्री प्रभुदयाल स्वामी द्वारा सरकारी नीलामी म. सेल सर्टिफिकेट द्वारा खरीदी गई पुरानी धर्मशाला, नीमकाथाना के सामने स्थित नजूल सम्पति

पुरानी कस्टम चौकी पर निर्मित दुकान को नगरपालिका, नीमकाथाना के लोकसेवकों द्वारा ध्वस्त करने की धमकी दिये जाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, सीकर ने अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, नीम का थाना की रिपोर्ट दिनांकित 08.09.2016 के आधार पर प्रेषित अपनी रिपोर्ट दिनांकित 29.08.2016 से अवगत करवाया है कि परिवादी द्वारा नीलामी से भूमि खरीदने बाबत दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उसकी क्रय की गई सम्पति को ध्वस्त नहीं किया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(136)लोआस/2016

परिवादी श्री रामगोपाल गुप्ता, निवासी 5 टी.ए. 20, हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके यहाँ हुई चोरी के सम्बन्ध म. पुलिस थाना, श्रीमाधोपुर म. पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या 20/2016 व 115/2016 म. सम्बन्धित थानाधिकारी व श्री अखिलेश मीणा, पुलिस अधीक्षक, सीकर द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं करने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. महानिरीक्षक, पुलिस रेन्ज, जयपुर ने प्रतिवेदन दिनांकित 28.09.2016 एवं सम्भागीय आयुक्त, जयपुर ने पत्र दिनांकित 30.09.2016 प्रेषित कर अवगत करवाया है कि पुलिस थाना श्रीमाधोपुर म. पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या 20/2016 म. बाद अनुसंधान अभियुक्त धोलू उर्फ धोलाराम व बलकेश के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता एवं कमलेश उर्फ कमल सोनी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 411 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप-पत्र संख्या 84/19.7.16 सम्बन्धित न्यायालय म. पेश किया जा चुका है। प्राथमिकी

संख्या 145/16 म. बाद अनुसंधान माल एवं मुलजिमान का पता नहीं चलने से अदम पता माल मुलजिमान म. अन्तिम नतीजा रिपोर्ट संख्या 92/30.7.17 सम्बन्धित न्यायालय म. पेश की जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 18.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(157)लोआस/2016

परिवादी श्री श्यामसुन्दर भट्ट, निवासी वार्ड नम्बर 8, राजाजी का गढ़, टोडाभीम, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. नगरपालिका, टोडाभीम के वार्ड नंबर 15 स्थित खसरा संख्या 2157 कब्रिस्तान की भूमि म. यासीन खाँ द्वारा अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने की शिकायत पर प्रशासन द्वारा मात्र कागजी कार्यवाही किये जाने का आरोप लगाया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. पुलिस अधीक्षक, जिला करौली ने वृत्ताधिकारी, टोडाभीम से जाँच करवाकर अपने प्रतिवेदन दिनांकित 16.09.2016 द्वारा प्रकट किया कि मुस्लिम समुदाय द्वारा जनाजे की नमाज पढने एवं मुर्दे को रखकर बैठने के लिए स्थान नहीं होने से यासीन खाँ द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य बन्द करवाया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर ने प्रतिवेदन दिनांकित 21.10.2016 एवं जिला कलेक्टर, करौली ने प्रतिवेदन दिनांकित 20.12.2016 प्रेषित कर प्रकट किया है कि कब्रिस्तान की भूमि पर चारदीवारी ऊँची करने एवं सायबान डालने हेतु श्री यासीन खाँ ने वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। उक्त स्थल पर किये जा रहे निर्माण बाबत कुछ पार्षदों द्वारा असहमति जाहिर करने पर पालिका द्वारा निर्माण कार्य बन्द करवा दिया गया है। मौके पर खड़े किये जा रहे करीब 5 फीट ऊँचे आर.सी.सी. के पिलर का निर्माण कार्य

प्रशासन द्वारा कार्यवाही कर बन्द करवा दिया गया। कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण कर दुकान निर्माण करना नहीं पाया गया। मौके पर यासीन खाँ को कब्रिस्तान की भूमि पर निर्माण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जा चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 29.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(184)लोआस/2016

परिवादी श्री गोपाल सैन, निवासी ग्राम बाटोदा, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम बाटोदा म. उसके मकान के रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता बंद कर दिये जाने पर राजस्व लोक अदालत द्वारा तरमीम कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिये जाने के बावजूद पटवारी, गिरदावर, सरपंच एवं विकास अधिकारी, बामनवास द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बामनवास से जाँच करवाकर अपने पत्र दिनांक 13.12.2016 द्वारा यह प्रकट किया गया कि अतिक्रमण को जे.सी.बी. मशीन से साफ करवाकर रास्ता चालू करवा दिया गया और अतिक्रमियों को पाबन्द किया गया है कि रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1676/1210 पर पुनः अतिक्रमण नहीं करें।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 21.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(185)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती पुष्पा, निवासी ग्राम कुचावटी, तहसील डीग, जिला भरतपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. शिकायत की गई है कि उन्हाने अपनी आराजी खसरा संख्या 1145 रकबा 39 ऐयर म. से 1/2 हिस्सा भूमि का बयनामा गुड्डी के नाम करवाया था और जब उसने अपने खेत को वापस कराया तो उसे 10 ऐयर भूमि वापस करते हुए साढ़े छह ऐयर भूमि अपने नाम रखकर उसम. मकान बनाकर कब्जा किया जा रहा है। उसके द्वारा जिला कलेक्टर, अलवर, जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर, उपखण्ड अधिकारी, डीग एवं पुलिस थाना कोतवाली, डीग को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवाद म. भूमि का कब्जा दिलाये जाने की मांग की गई है।

परिवाद के सम्बध म. जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 19.10.2016 और जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 20.10.2016 प्रेषित कर अवगत कराया कि खसरा संख्या 1145 रकबा 39 ऐयर म. 1/2 हिस्से की खातेदारी पुष्पा के ससुर पीतम के नाम थी और पीतम ने अपने 1/2 हिस्से म. से 33/78 हिस्सा पुष्पा के पुत्र कलुआ व चन्द्रशेखर के नाम व 3/39 हिस्सा अशरफी के नाम जरिये बेचान कर दिया। कलुआ व चन्द्रशेखर द्वारा 33/78 हिस्से का बयनामा गुड्डी के हक म. किया गया और गुड्डी ने 10.1 ऐयर का बयनामा पुष्पा के नाम करवा दिया। अशरफी द्वारा 3 ऐयर भूमि के बजाय अधिक भूमि पर कब्जा कर लेने से अशरफी के वारिसों को पाबन्द किया गया कि 3 ऐयर के अलावा पुष्पा व उसके लड़कों के हिस्से की भूमि पर कब्जा नहीं करें। उक्त आराजी से सम्बन्धित मुकदमा अन्तर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, डीग म. विचाराधीन है। पुष्पा के कब्जे म. 6.40 ऐयर भूमि है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(186)लोआस/2016

परिवादी श्री जाकिर भुट्टो, निवासी वार्ड नम्बर 2, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. माण्डलगढ़ म. महाराणा प्रताप पार्क के सामने की तरफ रोड़ के बाद नगरपालिका माण्डलगढ़ के स्वामित्व की चरागाह भूमि खसरा संख्या 161 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा पर कंजर जाति के व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर मकानों व दुकानों का निर्माण कर वैश्यावृत्ति का व्यवसाय करने की शिकायत पर अधिशाषी अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं थानाधिकारी, माण्डलगढ़ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने का उल्लेख किया गया।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने तहसीलदार माण्डलगढ़ से जाँच करवाकर अपने पत्र दिनांक 01.12.2016 द्वारा प्रकट किया है कि उक्त चारागाह आराजी खसरा नम्बर 161 नगरपालिका, माण्डलगढ़ के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिस पर कंजर समाज के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करने से दिनांक 11.11.2016 को नगरपालिका, माण्डलगढ़ के सहयोग से पुलिस जाब्ता की मौजूदगी म. जे.सी.बी. व ट्रेक्टरा. की सहायता से अवैध अतिक्रमण हटा कर अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 08.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(192)लोआस/2016

परिवादी श्री भागीरथ बलाई, निवासी वार्ड नम्बर 9, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 06.06.2016 को अज्ञात वाहन द्वारा कारित दुर्घटना म. मृतक उसके भाई धर्मेन्द्र कुमार का नाम दामोदर उर्फ दामा उर्फ धर्मेन्द्र कुमार लिखकर पुलिस थाना, करधनी, जयपुर म. मर्ग दर्ज करवाई गई थी, परन्तु तैयार की गई मर्ग-रिपोर्ट म. मृतक का नाम दामोदर उर्फ दामा ही लिखा गया। मृतक का नाम धर्मेन्द्र कुमार अंकित करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। परिवादी ने निवेदन किया है कि पुलिस थाना, करधनी, हरिबक्स कांवटिया राजकीय चिकित्सालय, शास्त्रीनगर, जयपुर व नगर निगम, जयपुर को निर्देशित किया जाये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व मृत्यु पंजीयन प्रमाण-पत्र म. मृतक उसके भाई का नाम दामोदर उर्फ दामा के स्थान पर धर्मेन्द्र कुमार अंकित किया जाये।

परिवाद के सम्बन्ध में पुलिस आयुक्त, जयपुर ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांकित 28.10.2016 से यह अवगत कराया है कि मृतक का सही नाम धर्मेन्द्र कुमार होना एवं उसे दामोदर उर्फ दामा के नाम से बोलना पाये जाने पर प्रकरण म. प्रस्तुत एफ.आर. नम्बर 418/2016 म. मृतक का नाम धर्मेन्द्र कुमार अंकित हो चुका है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 09.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(194)लोआस/2016

परिवादी श्री लालचन्द जांगिड़, निवासी भोज्यावास, सिरसी रोड़, भांकरोटा, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. शिकायत की गई है कि श्री हरिकृष्ण शर्मा, सहायक कर्मचारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पिता द्वारा पैतृक सम्पत्ति म. उनके हिस्से की राशि

41,20,000/- रूपये देकर पैतृक सम्पत्ति से पृथक कर दिया गया लेकिन श्री हरिकृष्ण शर्मा ने अपने पिता के देहान्त के बाद पैतृक सम्पति बाबत अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने हेतु तहसीलदार के समक्ष एवं न्यायालय म. वाद दायर किया और उपस्थिति-पंजिका म. हस्ताक्षर कर बिना विभाग की अनुमति लिए न्यायालय म. दिनांक 03.08.2015, 20.08.2015 व 15.09.2015 को उपस्थिति देकर अनुशासनहीनता एवं दुराचरण किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर ने प्रतिवेदन दिनांकित 23.12.2016 प्रेषित कर अवगत कराया कि उल्लेखित दिनांकों म. अल्प अवधि की अनुपस्थिति से राजकीय कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है और इस सम्बन्ध म. श्री हरिकृष्ण शर्मा से उपार्जित अवकाश प्राप्त कर स्वीकार कर दिया गया है एवं हिदायत दी गई है कि भविष्य म. यदि तारीख पेशी पर जाना हो तो अवकाश पूर्व म. स्वीकृत कराकर कार्यालय से प्रस्थान करें और उक्त आदेश उनकी निजी पत्रावली म. रख लिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 28.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.35(207)लोआस/2016

परिवादी श्री जेठमल, निवासी ग्राम भाखरिया सदावता, तहसील बाप, जिला जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. ग्राम सदावता, ग्राम पंचायत कुण्डल, पंचायत समिति फलौदी की उचित मूल्य की दुकान से उसे माह जनवरी, 2016 के बाद राशन-सामग्री प्राप्त नहीं होने की शिकायत करते हुए उसका नाम पात्रता सूची म. शामिल करवाकर राशन सामग्री दिलवाने का अनुरोध किया है।

परिवाद के सम्बन्ध म. जिला कलेक्टर, जोधपुर द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 28.10.2016 प्रेषित कर अवगत करवाया गया है कि परिवादी का नाम पात्रता सूची म. दर्ज करवाकर उसे राशन सामग्री दी जा चुकी है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 15.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.41(5)लोआस/2016

परिवादी सरपंच ग्राम पंचायत, भटेरी, पंचायत समिति बस्सी, जिला जयपुर ने यह परिवाद राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, भटेरी म. नियुक्त चिकित्सा अधिकारी श्रीमती रेखा शर्मा की प्रतिनियुक्ति राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लालचन्दपुरा से निरस्त करने अथवा चिकित्सालय म. किसी अन्य चिकित्सक को लगाये जाने के संदर्भ म. दिनांक 29 जून, 2016 को पेश किया।

परिवाद म. किसी लोकसेवक पर पद के दुरूपयोग एवं भ्रष्टाचार के आरोप न होने से दिनांक 08.01.2016 को इसे लोकायुक्त सचिवालय स्तर पर नस्तीबद्ध करते हुए इसकी प्रति प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई। शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 22 अगस्त,2016 के अनुसार श्रीमती रेखा शर्मा चिकित्सा अधिकारी को आदेश दिनांक 18.07.2016 द्वारा उनके मूल पदस्थापन स्थान राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भटेरी, जयपुर म. कार्य करने हेतु निर्देशित कर दिया गया।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के पश्चात् परिवादी को लगभग 4 माह म. वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया।

एफ.42(2)लोआस/2011

परिवादी श्री बनवारी लाल शर्मा पुत्र श्री बाला सहाय शर्मा निवासी बी–360, जनता कॉलोनी, आदर्शनगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. देवस्थान विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जा रहे करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार की जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध म. आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को इस सचिवालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु पत्र दिनांक 06.06.2011 प्रेषित करने तथा इसके पश्चात् निरन्तर कार्यवाही करने पर शासन उप सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान ने पत्र दिनांक 12.05.15 के द्वारा अवगत करवाया कि आत्मनिर्भर मन्दिरों/संस्थाओं के संचालन व कार्य सम्पादन हेतु राजस्थान देवस्थान निधि बजट एवं लेखा नियम, 2015 बनाये गये।

अतः इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप प्रकरण म. विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कर देने से यह परिवाद दिनांक 03.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(17)लोआस/2016

परिवादी श्री कैलाश सिंह कविया, निवासी दाहोद रोड़, बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद में त्रिपुरा सुन्दरी, दाहोद रोड़, बाँसवाड़ा के खनन पट्टा संख्या 11/83 के धारक द्वारा वन क्षेत्र में अनियमितताएँ किये जाने की शिकायत की गई।

प्रकरण में लोकायुक्त सचिवालय द्वारा उप वन संरक्षक, बाँसवाड़ा को जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने पर उन्होंने रिपोर्ट दिनांक 27.02.17 से अवगत करवाया कि पट्टेधारी द्वारा पट्टे की शर्तो का उल्लंघन कर वन क्षेत्र में कच्चा रास्ता बना लिये जाने पर नोटिस जारी

करने के उपरान्त उसके विरूद्ध धारा 30 व 32 राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

खनि अभियन्ता, बाँसवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खनन-पट्टा दिनांक 22.08.14 को खण्डित कर दिया गया। संयुक्त सचिव (खान), राजस्थान सरकार के समक्ष पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत अपील में जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.02.17 को वापस लेते हुए अपील खारिज कर दी गई। इसके पश्चात् दिनांक 27.02.17 को खनि अभियन्ता, बाँसवाड़ा ने खनन-पट्टा संख्या 11/83 व 14/93 को अन्तिम रूप से निरस्त करते हुए क्षेत्र का कब्जा ले लिया।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 02.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.45(62)लोआस/2016

परिवादी श्रीमती सईदा सरपंच ग्राम पंचायत ग्वालदा, तहसील-तिजारा, जिला-अलवर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में उनके गाँव में अवैध रूप से चलाये जा रहे क्रेशर को पुलिस सहायता से बन्द करवा दिये जाने पर खनि अभियन्ता की शह से क्रेशर वापस चालू कर लिये जाने की शिकायत की गई।

लोकायुक्त सचिवालय द्वारा जाँच रिपोर्ट माँगे जाने पर निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 04.04.16 से अवगत करवाया गया कि क्षेत्र में 07 क्रेशर स्थापित हैं, जिनमें से 05 क्रेशर अवैध हैं। पुलिस अधीक्षक, अलवर, उपखण्ड अधिकारी, तिजारा तथा राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारियों को अवैध क्रेशर के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार ग्राम ग्वालदा के 02 अवैध क्रेशर बन्द कर दिये गये। उपखण्ड अधिकारी, तिजारा व क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण मण्डल की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम निम्बाहेडी, अलवर में भी क्रेशर बन्द करवा दिये गये।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह परिवाद दिनांक 28.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.46(4)लोआस/2015

परिवादी श्री नरहरि शर्मा, सेवानिवृत्त आई.ए.एस., निवासी 149, मोहन नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, श्री प्रदीप सेन द्वारा श्री योगेश कुमार शर्मा, व्याख्याता एवं श्री महीपाल सिंह, तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक, संभागीय कार्यालय, संस्कृत शिक्षा, कोटा के पक्ष म. दुर्भावनापूर्वक पारित आदेश को रिव्यू कराए जाने प्रार्थना की गई थी।

इस संदर्भ म. स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया जाकर मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर से पत्राचार किया गया। तत्पश्चात् अन्ततः शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 5.10.2016 से अवगत करवाया कि तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा द्वारा श्री योगेश कुमार शर्मा की अपील पर पारित आदेश दिनांक 19/22.9.14 एवं श्री महीपाल सिंह की अपील पर पारित आदेश दिनांक 28.1.2015 को पुनः परीक्षणोपरान्त आदेश क्रमशः दिनांक 30.9.2016 व 5.10.2016 द्वारा अपास्त करते हुए निदेशक, संस्कृत शिक्षा के दण्डादेश क्रमशः दिनांक 12.7.2013 व 22.7.2013 यथावत रखे गए हैं।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त प्रकरण म. आवश्यक कार्यवाही सम्पादित हो जाने से इसे दिनांक 16.11.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(20)लोआस/2014

परिवादिया श्रीमती भारती शर्मा, निवासी ग्राम कारवाड़ी, तहसील हिण्डौन, जिला करौली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके पति की राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ढिंढोरा, तहसील हिन्डौन म. अध्यापक पद कार्यरत रहते हुए दिनांक 6.9.2012 को मृत्यु हो जाने के पश्चात् भी पारिवारिक पशन स्वीकृत नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, पशन एवं पशन र्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 24.5.2016 से अवगत करवाया कि परिवादिया श्रीमती भारती शर्मा के पशन प्रकरण का निस्तारण कर, प्रोविजनल पी.पी.ओ. संख्या 8100055 (आर) एस.एफ. एन.पी.एस. राशि 6830/- रूपये तथा प्रोविजनल जी.पी.ओ. संख्या 8300086 राशि 2,81,940/- रूपये जारी किए जा चुके हैं।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 10.8.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(23)लोआस/2015

परिवादी श्री आनन्द प्रकाश सोनी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी शिव कॉलोनी, राम पेट्रोल पम्प मोड़, सोजत सिटी, जिला पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके जी.पी.एफ. खाता संख्या 308305 म. जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 05.04.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री आनन्द प्रकाश सोनी को जी.पी.एफ. खाते

की अवशेष राशि रूपये 125166/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 06.07.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(10)लोआस/2016

परिवादी श्री सुगन चन्द गौड़, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी सूरज भवन करौलिया रोड़, गीता भवन के पास, जैतारण, जिला पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके जी.पी.एफ. खाता संख्या 301217 म. जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 29.07.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री सुगन चन्द गौड़ को जी.पी.एफ. खाते की अवशेष राशि रूपये 67,819/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 14.06.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(11)लोआस/2016

परिवादी श्री रूप सिंह राजपुरोहित, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी बड़ाबास, ग्राम रूपावास, तहसील सोजत जिला पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके जी.पी.एफ. खाता संख्या 310532 म. जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 01.08.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री रूप सिंह राजपुरोहित को जी.पी.एफ. खाते की अवशेष राशि रूपये 46,602/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 09.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(12)लोआस/2016

परिवादी श्री खुशालाराम पुत्र श्री विरदाराम, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी ग्राम चैनपुरा, पोस्ट भणियाणा, जिला जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके जी.पी.एफ. खाता संख्या 263637 म. जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 08.07.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री खुशाला राम को जी.पी.एफ. खाते की अवशेष राशि रूपये 45,009/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अत: इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 09.09.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(14)लोआस/2016

परिवादी श्री जीवराज लोहार, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी बारली सादड़ी, लोहारों का बास सादड़ी, जिला पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके

जी.पी.एफ. खाता संख्या 307269 म. जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 26.09.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री जीवराज लोहार को जी.पी.एफ. खाते की अवशेष राशि रूपये 1,14,928/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 06.10.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(21)लोआस/2016

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद वैष्णव, निवासी श्रीचारभुजा मंदिर के पास, डेगाना जंक्शन, जिला नागौर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके दिनांक 30.09.11 को व्याख्याता पद से सेवानिवृत्त हो जाने के उपरान्त जी.पी.एफ. खाता की अवशेष राशि का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर ने पत्र दिनांक 24.11.16 से अवगत करवाया कि परिवादी श्री जगदीश प्रसाद वैष्णव के जी.पी.एफ. खाता संख्या 292014 के अन्तर्गत अवशेष राशि 36,795/- रूपए का अधिकार पत्र दिनांक 18.11.2016 को जारी कर सम्बन्धित विभाग को भिजवा दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 27.12.2016 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(22)लोआस/2016

परिवादी श्री मीठा लाल जोशी पुत्र श्री कुनाराम, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी जोधपुरिया दरवाजा, सोजत सिटी, जिला पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके जी.पी.एफ. खाता संख्या 308996 म. जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 07.11.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री मीठा लाल जोशी को जी.पी.एफ. खाते की अवशेष राशि रूपये 34,741/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 09.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(25)लोआस/2016

परिवादी श्री दीपाराम चौधरी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, ग्राम पोस्ट कुपालिया, पचपदरा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके जी.पी.एफ. खाता संख्या 465804 म. जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 14.12.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री दीपाराम चौधरी को जीपीएफ खाते की अवशेष राशि रूपये 64310/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 14.02.2017 को

एफ.47(26)लोआस/2016

परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी ए/181, राजबाग, सूरसागर, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके जी.पी.एफ. खाता संख्या 282126 म. जमा राशि का भुगतान नही किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 14.12.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा को जी.पी.एफ. खाते की अवशेष राशि रूपये 42241/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 09.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(27)लोआस/2016

परिवादी श्री शंकर सिंह सोलंकी, सहायक कर्मचारी, कार्यालय स्पेशल ऑडिटर सहकारी समितियां, बून्दी द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके राज्य बीमा खाता संख्या 515561 म. अधिक जमा राशि रूपये 30,000/- का रिफण्ड दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 04.01.2017 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री शंकर सिंह सोलंकी को राज्य बीमा खाते की अतिरिक्त जमा राशि रूपये 30000/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(29)लोआस/2016

परिवादिया श्रीमती मन्जू सिंह, निवासी 173/63, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उसके पति के मेडिक्लेम दावा संख्या एम. ई.डी. 005405 एवं 004236 तथा मेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2015-16 का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 20.12.2016 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्रीमती मंजू सिंह को मेडिक्लेम दावे की राशि रूपये 2,99,784/- का भुगतान कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 17.02.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(34)लोआस/2016

परिवादी श्री संतोष चौहान, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक, झींपिया, तहसील भिनाय, हाल निवासी मकान नम्बर 137, गणेश मार्ग, शिव कॉलोनी, कुन्दन नगर, अजमेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनका जी.पी.एफ. खाता भरतपुर से अजमेर स्थानान्तरित न होने से सेवानिवृत्ति के बाद भी अवशेष राशि का भुगतान न होने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 03.01.2017 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्री संतोष चौहान का जी.पी.एफ. खाता संख्या 1004154 के लेजर का स्थानान्तरण अजमेर करते हुये उसे अवशेष राशि रूपये 81309/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

एफ.47(38)लोआस/2016

परिवादिया श्रीमती लीलावती, सेवानिवृत्त कर्मचारी, निवासी 15, टेगौर नगर विस्तार, नवकार हाउस के पीछे, पाली द्वारा प्रस्तुत परिवाद म. उनके जी.पी.एफ. खाता संख्या 619194 म. जमा राशि का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत की गई।

इस संदर्भ म. इस सचिवालय से जारी पत्रा. के क्रम म. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर ने पत्र दिनांक 31.01.2017 द्वारा अवगत कराया कि परिवादी श्रीमती लीलावती को जी.पी.एफ. खाते की अवशेष राशि रूपये 25,390/- का अधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

अतः इस सचिवालय स्तर पर की गई कार्यवाही के उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने से यह प्रकरण दिनांक 30.03.2017 को नस्तीबद्ध किया गया।

निम्नलिखित सूची म. वे वर्णित प्रकरण हैं, जिनम. परिवादी पक्ष को वांछित अनुतोष के साथ-साथ दोषी लोकसेवका. के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई है। इन प्रकरणा. का संक्षिप्त विवरण ''अनुशासनिक कार्यवाहिया. के अन्य प्रकरण'' अध्याय-6 म. दिया गया है।

1.	एफ.2(23)लोआस/2015
2.	एफ.3(211)लोआस/2014
3.	एफ.3(592)लोआस/2014
4.	एफ.3(490)लोआस/2015
5.	एफ.3(538)लोआस/2015
6.	एफ.3(600)लोआस/2015
7.	एफ.3(611)लोआस/2015
8.	एफ.3(130)लोआस/2016
9.	एफ.4(3)लोआस/2016
10.	एफ.5(25)लोआस/2013
11.	एफ.5(113)लोआस/2013
12.	एफ.5(46)लोआस/2014
13.	एफ.5(59)लोआस/2014
14.	एफ.5(72)लोआस/2014
15.	एफ.5(108)लोआस/2014
16.	एफ.5(87)लोआस/2015
17.	एफ.5(96)लोआस/2015
18.	एफ.5(97)लोआस/2015
19.	एफ.7(4)लोआस/2013
20.	एफ.8(15)लोआस/2008
21.	एफ.8(38)लोआस/2015
22.	एफ.8(61)लोआस/2015
23.	एफ.8(97)लोआस/2015
24.	एफ.10(108)लोआस/2015
25.	एफ.10(131)लोआस/2015
26.	एफ.11(83)लोआस/2011
27.	एफ.11(187)लोआस/2011

28.	एफ.11(198)लोआस/2012
29.	एफ.11(348)लोआस/2013
30.	एफ.11(5)लोआस/2014
31.	एफ.11(236)लोआस/2014
32.	एफ.11(257)लोआस/2014
33.	एफ.11(300)लोआस/2014
34.	एफ.11(390)लोआस/2014
35.	एफ.11(512)लोआस/2014
36.	एफ.11(555)लोआस/2014
37.	एफ.11(579)लोआस/2014
38.	एफ.11(67)लोआस/2015
39.	एफ.11(193)लोआस/2015
40.	एफ.11(440)लोआस/2015
41.	एफ.11(448)लोआस/2015
42.	एफ.11(1006)लोआस/2015
43.	एफ.11(07)लोआस/2016
44.	एफ.11(234)लोआस/2016
45.	एफ.11(276)लोआस/2016
46.	एफ.12(98)लोआस/2009
47.	एफ.12(75)लोआस/2011
48.	एफ.12(76)लोआस/2011
49.	एफ.12(77)लोआस/2011
50.	एफ.12(78)लोआस/2011
51.	एफ.12(79)लोआस/2011
52.	एफ.12(80)लोआस/2011
53.	एफ.12(81)लोआस/2011
54.	एफ.12(82)लोआस/2011

55.	एफ.12(86)लोआस/2011
56.	एफ.12(87)लोआस/2011
57.	एफ.12(88)लोआस/2011
58.	एफ.12(97)लोआस/2011
59.	एफ.12(21)लोआस/2012
60.	एफ.12(27)लोआस/2012
61.	एफ.12(78)लोआस/2013
62.	एफ.12(119)लोआस/2013
63.	एफ.12(121)लोआस/2013
64.	एफ.12(171)लोआस/2013
65.	एफ.12(212)लोआस/2013
66.	एफ.12(11)लोआस/2014
67.	एफ.12(18)लोआस/2014
68.	एफ.12(30)लोआस/2014
69.	एफ.12(113)लोआस/2014
70.	एफ.12(224)लोआस/2014
71.	एफ.12(226)लोआस/2014
72.	एफ.12(345)लोआस/2014
73.	एफ.12(349)लोआस/2014
74.	एफ.12(365)लोआस/2014
75.	एफ.12(527)लोआस/2014
76.	एफ.12(172)लोआस/2015
77.	एफ.12(182)लोआस/2015
78.	एफ.12(226)लोआस/2015
79.	एफ.12(229)लोआस/2015
80.	एफ.12(264)लोआस/2015
81.	एफ.12(325)लोआस/2015

82.	एफ.12(366)लोआस/2015
83.	एफ.12(415)लोआस/2015
84.	एफ.12(457)लोआस/2015
85.	एफ.12(492)लोआस/2015
86.	एफ.12(520)लोआस/2015
87.	एफ.12(543)लोआस/2015
88.	एफ.12(608)लोआस/2015
89.	एफ.12(621)लोआस/2015
90.	एफ.12(16)लोआस/2016
91.	एफ.12(21)लोआस/2016
92.	एफ.12(217)लोआस/2016
93.	एफ.12(259)लोआस/2016
94.	एफ.12(663)लोआस/2016
95.	एफ.16(13)लोआस/2009
96.	एफ.16(51)लोआस/2009
97.	एफ.16(88)लोआस/2009
98.	एफ.16(65)लोआस/2010
99.	एफ.16(173)लोआस/2010
100.	एफ.16(515)लोआस/2010
101.	एफ.16(168)लोआस/2011
102.	एफ.16(183)लोआस/2011
103.	एफ.16(225)लोआस/2011
104.	एफ.16(283)लोआस/2011
105.	एफ.16(50)लोआस/2013
106.	एफ.16(155)लोआस/2013
107.	एफ.16(353)लोआस/2013
108.	एफ.16(408)लोआस/2013

109.	एफ.16(454)लोआस/2013
110.	एफ.16(55)लोआस/2014
111.	एफ.16(118)लोआस/2014
112.	एफ.16(200)लोआस/2014
113.	एफ.16(283)लोआस/2014
114.	एफ.16(313)लोआस/2014
115.	एफ.16(357)लोआस/2014
116.	एफ.16(495)लोआस/2014
117.	एफ.16(617)लोआस/2014
118.	एफ.16(678)लोआस/2014
119.	एफ.16(685)लोआस/2014
120.	एफ.16(50)लोआस/2015
121.	एफ.16(127)लोआस/2015
122.	एफ.16(275)लोआस/2015
123.	एफ.16(362)लोआस/2015
124.	एफ.16(498)लोआस/2015
125.	एफ.31(4)लोआस/2013
126.	एफ.31(38)लोआस/2014
127.	एफ.32(06)लोआस/2011

128.	एफ.32(13)लोआस/2011
129.	एफ.32(15)लोआस/2012
130.	एफ.35(87)लोआस/2011
131.	एफ.35(225)लोआस/2011
132.	एफ.35(32)लोआस/2012
133.	एफ.35(92)लोआस/2013
134.	एफ.35(107)लोआस/2014
135.	एफ.35(137)लोआस/2014
136.	एफ.35(216)लोआस/2014
137.	एफ.35(241)लोआस/2014
138.	एफ.35(426)लोआस/2014
139.	एफ.35(199)लोआस/2015
140.	एफ.35(203)लोआस/2015
141.	एफ.35(251)लोआस/2015
142.	एफ.35(339)लोआस/2015
143.	एफ.35(359)लोआस/2015
144.	एफ.42(15)लोआस/2014

उपरोक्त प्रकरणा. के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकरण वे हैं जिनका विवरण ''माननीय राज्यपाल द्वारा समनुदेशित जाँच कार्य – जस्टिस माथुर जांच आयोग से अंतरित प्रकरणा. का प्रगति विवरण '' अध्याय – 3 म. दिया गया है:–

1.	एफ.22(38)लोआस/2011
2.	एफ.22(288)लोआस/2011

3.	एफ.22(293)लोआस/2011
4.	एफ.22(310)लोआस/2011

5.	एफ.22(314)लोआस/2011
6.	एफ.22(357)लोआस/2011
7.	एफ.22(546)लोआस/2011
8.	एफ.22(573)लोआस/2011
9.	एफ.22(602)लोआस/2011
10.	एफ.22(618)लोआस/2011
11.	एफ.22(623)लोआस/2011
12.	एफ.22(782)लोआस/2011
13.	एफ.22(892)लोआस/2011
14.	एफ.22(821)लोआस/2011
15.	एफ.22(824)लोआस/2011
16.	एफ.22(839)/लोआस/2011
17.	एफ.22(890)/लोआस/2011
18.	एफ.22(876)लोआस/2011
19.	एफ.22(910)लोआस/2011
20.	एफ.22(940)लोआस/2011
21.	एफ.22(956)लोआस/2011
22.	एफ.22(967)लोआस/2011
23.	एफ.22(974)लोआस/2011
24.	एफ.22(990)लोआस/2011
25.	एफ.22(993)लोआस/2011
26.	एफ.22(1023)लोआस/2011
27.	एफ.22(1027)लोआस/2011
28.	एफ.22(1029)लोआस/2011
29.	एफ.22(1030)/लोआस/2011
30.	एफ.22(1032)लोआस/2011
31.	एफ.22(1033)लोआस/2011
32.	एफ.22(1107)लोआस/2011
33.	एफ.22(1128)/लोआस/2011

34.	एफ.22(1129)/लोआस/2011
35.	एफ.22(1130)लोआस/2011
36.	एफ.22(1135)लोआस/2011
37.	एफ.22(1136)लोआस/2011
38.	एफ.22(1145)लोआस/2011
39.	एफ.22(1146)लोआस/2011
40.	एफ.22(1147)लोआस/2011
41.	एफ.22(1150)लोआस/2011
42.	एफ.22(1152)लोआस/2011
43.	एफ.22(1153)लोआस/2011
44.	एफ.22(1155)लोआस/2011
45.	एफ.22(1159)/लोआस/2011
46.	एफ.22(1172)/लोआस/2011
47.	एफ.22(1160)लोआस/2011
48.	एफ.22(1161)लोआस/2011
49.	एफ.22(1167)लोआस/2011
50.	एफ.22(1168)लोआस/2011
51.	एफ.22(1176)/लोआस/2011
52.	एफ.22(1250)लोआस/2011
53.	एफ.22(1256)लोआस/2011
54.	एफ.22(1269)लोआस/2011
55.	एफ.22(1271)लोआस/2011
56.	एफ.22(1462)लोआस/2011
57.	एफ.22(1463)लोआस/2011
58.	एफ.22(1498)लोआस/2011
59.	एफ.22(1499)लोआस/2011
60.	एफ.22(1507)लोआस/2011
61.	एफ.22(1583)लोआस/2011

62.	एफ.22(1584)लोआस/2011
63.	एफ.22(1604)लोआस/2011
64.	एफ.22(1617)लोआस/2011
65.	एफ.22(38)लोआस/2011
66.	एफ.22(288)लोआस/2011
67.	एफ.22(293)लोआस/2011

अध्याय-8

लोकायुक्त अधिनियम : संशोधन हेतु प्रयास

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित लोकायुक्त संस्था एक उच्चस्तरीय वैधानिक संस्था है जिसके सृजन का उद्देश्य राज्य के लोक सेवका. के विरूद्ध कदाचरण, पद के दुरूपयोग तथा भ्रष्ट आचरण से सम्बन्धित शिकायता. के सम्बन्ध म. स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं प्रभावी जाँच/अन्वेषण आदि करना है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अनुसार लोकायुक्त जाँच के दायरे म. मंत्रिया, सचिवा, राज्य सेवका. तथा कतिपय संस्थाआ, कम्पनिया, निगमा. के अधिकारिया. और कर्मचारिया. को रखा गया है। बाद म, कुछ प्राधिकारिया. और संस्थाआ. को अधिसूचना के माध्यम से भी लोकायुक्त जाँच के क्षेत्राधिकार मं. लाने का प्रावधान किया गया किन्तु ऐसी अधिसूचित संस्थाआ. की संख्या नाममात्र ही है। जन साधारण की आशाआं. के अनुरूप भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा म. प्रभावी कार्य करने के लिए लोकायुक्त संस्था के पास पर्याप्त शक्तियाँ और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। परिणामत: जनता को 'सुशासन' दिलाये जाने की दिशा म. आशातीत सफलता मिलना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित किये जाने के पश्चात् विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाआ. द्वारा राजस्थान म. भी लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. उक्त अधिनियम जैसे प्रावधान जोड़े जाने की माँग की गई। अत: इस संस्था को सशक्त एवं प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) बिल, 2014 का प्रारूप इस सचिवालय के पत्र क्रमांक: एफ.

1(14)लोआस/84/13552 दिनांक 17.01.2014 द्वारा राज्य सरकार को भिजवाया गया।

उक्त प्रस्तावित संशोधन विधेयक के विषय म. अपेक्षित कार्यवाही नहीं होने पर इस सचिवालय द्वारा स्मरण-पत्र दिनांक 17.01.15 भिजवाया गया। इस सचिवालय द्वारा उपर्युक्त पत्राचार के बाद भी क्रमशः दिनांक 23.06.15 एवं 05.10.15 को स्मरण-पत्र लिखे गये हैं। प्रस्तावित संशोधन बाबत आलोच्य अवधि में इस सचिवालय द्वारा राज्य सरकार को लिखे गये स्मरण-पत्रों व इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त पत्रों का विवरण निम्नानुसार है :-

इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/651 दिनांक 06.04.2016 द्वारा शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 652 दिनांक 06.04.2016 द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को लिखा गया। (परिशिष्ट 7.1 व 7.2)

इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/1223 दिनांक 23.06.2016 द्वारा शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1225 दिनांक 23.06.2016 द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-6) विभाग को लिखा गया। (परिशिष्ट 7.3 व 7.4)

इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/36934 दिनांक 14.12.16 द्वारा शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 36933 दिनांक 14.12.2016 द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को लिखा गया। (परिशिष्ट 7.5 व 7.6)

कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग के शासन संयुक्त सचिव द्वारा संयुक्त सचिव(वीएस), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय को सम्बोधित अ.शा.टीप

क्रमांक 6(1)का/क-3/शिकायत/14 दिनांक 11.01.2017 का पृष्ठांकन प्राप्त हुआ, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। (परिशिष्ट 7.7)

इस सचिवालय के पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/50006 दिनांक 09.03.2017 द्वारा प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 50008 दिनांक 09.03.2017 द्वारा शासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग को लिखा गया। (परिशिष्ट 7.8 व 7.9)

उक्त पत्र पर कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग के शासन संयुक्त सचिव द्वारा संयुक्त सचिव(वीएस), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय को सम्बोधित अ.शा.टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिकायत/14 दिनांक 31.03.2017 का पृष्ठांकन प्राप्त हुआ, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। (परिशिष्ट 7.10)

केन्द्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के पैटर्न पर ओडिशा विधान सभा द्वारा ओडिशा लोकायुक्त बिल, 2014 दिनांक 13.02.2015 को पारित कर दिया गया है। लोकायुक्त संस्था को ओडिशा राज्य म. इस अधिनियम के माध्यम से पर्याप्त शक्तियां प्रदान कर सशक्त एवं प्रभावी बना दिया गया है। मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक राज्य के अधिनियमा. म. पहले से ही ऐसे प्रभावी प्रावधान मौजूद हैं। इस कारण उक्त राज्या. की लोकायुक्त संस्थाएँ पर्याप्त रूप से सशक्त एवं प्रभावी

हैं। मध्यप्रदेश राज्य म. लोक सेवका. के विरूद्ध पुलिस द्वारा किए जाने वाले अन्वेषणा. को लोकायुक्त के नियंत्रण म. रखा गया है।

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. उक्त राज्या. की तुलना म. न तो लोक सेवक की व्यापक परिभाषा दी गई है, न सर्च वारण्ट जारी करने की शक्तियां दी गई हैं और न ही संस्था को स्वयं की अन्वेषण एजेन्सी उपलब्ध करायी गई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संस्था ने लोकायुक्त सचिवालय हेतु मध्यप्रदेश एवं कर्नाटक की तर्ज पर अलग से पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना की माँग की थी जिस पर राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांकः प.6(2)का/क-3/शिका/2011 जयपुर दिनांक 4.10.2013 द्वारा कुल 15 अधिकारिया/पुलिसकर्मिया. के पद स्वीकृत करते हुए पुलिस प्रकोष्ठ की स्थापना भी कर दी गई थी परन्तु बाद म. राज्य सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत पदा. के विरूद्ध पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण का पदस्थापन करने म. असमर्थता व्यक्त की गयी।

इसके बाद इस कार्यालय द्वारा दिनांक 22.09.2014 को यह प्रस्तावित किया गया कि यदि उपर्युक्त स्वीकृत पदा. के विरूद्ध अधिकारी/पुलिसकर्मी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो उस स्थिति म. लोकायुक्त को राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य की किसी भी अन्वेषण एजेन्सी की सेवाएं उनके निर्देशन म. कार्य करने हेतु तत्काल उपलब्ध करवाई जाय. जिससे आवश्यक मामला. म. मौके पर कार्यवाही की जा सके लेकिन इस विषय म. भी आज दिनांक तक कोई पहल राज्य सरकार की ओर से नहीं हुई है। विकल्प म. हमारे द्वारा राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 14(3) के अधीन किसी भी अन्वेषण एजेन्सी/अधिकारीगण की सेवाएँ राज्य सरकार की बिना पूर्व अनुमति और सहमति के प्राप्त करने हेतु संस्था को अधिकृत किये जाने

का प्रस्ताव भी भेजा गया था परन्तु इस सम्बन्ध म. भी अपेक्षानुरूप कार्यवाही न करते हुए कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक:एफ. 6(1)डीओपी/ए-3/कम्प./2016 दिनांक 21.1.2016 के अनुसार मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को एकल सम्पर्क अधिकारी मनोनीत करने हेतु अधिकृत किया गया है जो कि राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही राज्य के किसी अधिकारी या अन्वेषण एजेन्सी की सेवाएँ प्रदान करने म. सक्षम हाग़े। इसका तात्पर्य यह है कि लोकायुक्त को किसी विशेष प्रकरण के अन्वेषण हेतु एकल सम्पर्क अधिकारी को अनुरोध करना होगा जो न केवल जटिल व अव्यावहारिक है बल्कि इस सचिवालय की गरिमा के प्रतिकूल भी है।

अत: राज्य सरकार को चाहिए कि वह अब शीघ्र ही धारा 14(3) के अधीन किसी भी अन्वेषण एजेन्सी/अधिकारीगण की सेवाएँ राज्य सरकार की बिना पूर्व अनुमति और सहमति के प्राप्त करने हेतु संस्था को अधिकृत करने का आदेश प्रसारित करे ताकि इस सचिवालय द्वारा दस्तावेजात और सम्पत्ति की जाँच और जब्ती सम्बन्धी कार्यवाही गोपनीयतापूर्वक शीघ्रता से किया जाना सम्भव हो सके।

केन्द्र सरकार द्वारा पारित लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के मुख्य प्रावधाना. तथा विभिन्न राज्या. म. प्रभावशील सशक्त लोकायुक्त अधिनियमा. के पैटर्न पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को भी प्रभावी व सशक्त बनाये जाने के उद्देश्य से निम्न संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं :-

1. अधिनियम म. ''लोकसेवक'' की परिभाषा के दायरे को विस्तृत करते हुए राज्य सेवका. और मंत्रिया. के साथ-साथ मुख्यमंत्री,

विधानसभा के सदस्या, राजस्थान विधान सभा से पारित कानून के अन्तर्गत बनी सभी संस्थाआ, निगमा, निकाया, राज्य सरकार के स्वत्वाधीन, नियंत्रित या वित्तपोषित कम्पनिया, निगमा, सोसाइटिया. और पब्लिक ट्रस्टा, राज्य अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालया. तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित निकाया. और समितिया. के पदाधिकारिया. और कर्मचारिया. को भी लोकायुक्त जाँच के दायरे म. लाया जाये।

2. अन्वेषण एवं अभियोजन शाखा का लोकायुक्त के नियंत्रणाधीन गठन किया जाये ताकि आदेशित जाँच एवं अन्वेषण बिना विलम्ब के त्वरित गति से पूर्ण होकर दोषी लोक सेवका. का अभियोजन शीघ्रता से संभव हो सके।

3. प्रभावी जाँच के लिए तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्तियाँ लोकायुक्त को प्रदान की जाय।

4. लोकायुक्त को प्राथमिक जांच के दौरान दस्तावेजों और रिकॉर्ड को खुर्दबुर्द करने से रोकने के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान की जावे।

5. आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में सम्बन्धित दोषी लोकसेवका. का अभियोजन करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति जारी करने हेतु लोकायुक्त को अधिकृत किया जाये।

6. लोकायुक्त द्वारा अन्वेषित मामला. की सुनवाई राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 के अधीन गठित 'विशेष न्यायालय' द्वारा किये जाने का प्रावधान किया जाये ताकि ऐसे विशेष न्यायालय द्वारा मामला. का त्वरित, प्रभावी तथा त्रुटि रहित निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

7. लोकसेवक के भ्रष्ट कार्यो से राजकोष को हुई क्षति का आकलन करने और ऐसे नुकसान की राशि लोक सेवक तथा लाभार्थी से वसूल करने के लिए विशेष न्यायालय को सशक्त किया जावे।

8. लोकायुक्त को उनके आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर दस हजार रूपए तक का जुर्माना करने की शक्ति प्रदान की जावे ताकि विचाराधीन कार्यवाहियों में विलम्ब दूर हो और वांछित कार्यवाही शीघ्र संभव हो सके।

9. लोकायुक्त को भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने की शक्तियां प्रदान की जाय। साथ ही 'विशेष न्यायालय' को ऐसी सम्पत्तिया. को जब्त करने के लिए भी अधिकृत किया जाये।

10. लोकायुक्त को ऐसे लोक-सेवक के स्थानान्तरण या निलम्बन के आदेश देने की शक्तियाँ प्रदान की जाय, जिसके विरूद्ध लोकायुक्त सचिवालय म. लम्बित जाँच म. ऐसा करना आवश्यक हो।

11. प्रत्येक लोक-सेवक द्वारा प्रतिवर्ष अपनी सम्पत्ति और दायित्वा. का ब्यौरा लोकायुक्त सचिवालय म. प्रस्तुत किये जाने एवं ऐसे ब्यौरे को सार्वजनिक किये जा सकने का प्रावधान किया जाये। जहाँ लोक-सेवक के पास घोषित स्रोता. से अधिक सम्पत्ति पायी जाती है, उसे भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति माने जाने का प्रावधान भी किया जाये।

12. लोकायुक्त द्वारा सम्पादित कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत करने और जहाँ लोकायुक्त की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया गया हो, उससे सम्बन्धित रिपोर्ट कारणा. सहित विधान सभा के पटल पर रखवाने का प्रावधान किया जाये।

हमारा यह सुविचारित मत है कि उपरोक्त सभी प्रस्तावित प्रावधाना. के माध्यम से लोक सेवका. के विरूद्ध भ्रष्टाचार, कदाचार, पद के दुरूपयोग एवं अकर्मण्यता के सम्बन्ध म. प्राप्त शिकायता. के सम्बन्ध म. प्रभावी ढंग से जाँच एवं अन्वेषण सम्भव हो सकेगा। जैसाकि पूर्व म. उल्लेख किया जा चुका है, ओडिशा राज्य द्वारा केन्द्रीय लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रतिमान (Pattern) पर ओडिशा लोकायुक्त बिल, 2014 दिनांक 13.02.15 को पारित कर दिया गया है जिसम. केन्द्रीय अधिनियम के समान ही प्रावधान दिये गए हैं। राजस्थान में भी ओडिशा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों की भांति प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम 2013 को राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से शीघ्र पारित करवाया जाना अपेक्षित है जिससे ओडिशा, मध्यप्रदेश व कर्नाटक राज्या. की भांति राजस्थान में भी लोकायुक्त संस्था सशक्त एवं प्रभावी हो अपनी स्थापना के प्रयोजन को अभिप्राप्त करने में सफल हो सके।

* * * * *

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट-8.1

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/651 दिनांक-06.04.16

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13564 दि.17.01.14
प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24856 दि.20.01.15
प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9156 दि.23.06.15
प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21928 दि.05.10.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शासन सचिव, कार्मिक(क-3) विभाग को भिजवाने के साथ-साथ प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा आपको भी भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। इस क्रम में प्रासंगिक पत्र-2 लगायत 4 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध म. हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-05.4.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)

प्रमुख सचिव

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट–8.2

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/652 दिनांक–06.04.16

शासन सचिव,
कार्मिक (क–3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।
प्रसंग–1:– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.01.14
प्रसंग–2:– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24855 दि.20.01.15
प्रसंग–3:– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9158 दि.23.06.15
प्रसंग–4:– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21927 दि.05.10.15

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रासंगिक पत्र–1 के द्वारा भिजवाया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र–2 लगायत 4 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध म. हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-05.4.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट-8.3

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/12223 दिनांक-23.06.16

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13564 दि.17.01.14
प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24856 दि.20.01.15
प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9156 दि.23.06.15
प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21928 दि.05.10.15
प्रसंग-5:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/651 दि.06.04.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शासन सचिव, कार्मिक(क-3) विभाग को भिजवाने के साथ-साथ प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा आपको भी भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। इस क्रम में प्रासंगिक पत्र-2 लगायत 5 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध म. हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-23.6.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट-8.4

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/12225 दिनांक-23.06.16

शासन सचिव,
कार्मिक (क-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.01.14
प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24855 दि.20.01.15
प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9158 दि.23.06.15
प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21927 दि.05.10.15
प्रसंग-5:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/652 दि.06.04.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा भिजवाया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 लगायत 5 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध म. हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-23.6.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट–8.5

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/36934 दिनांक–14.12.16

शासन सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।

प्रसंग–1ः– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13564 दि.17.01.14
प्रसंग–2ः– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24856 दि.20.01.15
प्रसंग–3ः– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9156 दि.23.06.15
प्रसंग–4ः– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21928 दि.05.10.15
प्रसंग–5ः– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/651 दि.06.04.16
प्रसंग–6ः– इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/12223 दि.23.06.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा शासन सचिव, कार्मिक(क–3) विभाग को भिजवाने के साथ–साथ प्रासंगिक पत्र–1 के द्वारा आपको भी भिजवाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था। इस क्रम में प्रासंगिक पत्र–2 लगायत 6 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध म. हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-14.12.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट-8.6

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/84/36933 दिनांक-14.12.16

शासन सचिव,
कार्मिक (क-3) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।
प्रसंग-1:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/13552 दि.17.01.14
प्रसंग-2:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/24855 दि.20.01.15
प्रसंग-3:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/9158 दि.23.06.15
प्रसंग-4:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/21927 दि.05.10.15
प्रसंग-5:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/652 दि.06.04.16
प्रसंग-6:- इस सचिवालय का पत्र क्रमांक 1(14)लोआस/84/12225 दि.23.06.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित होने के पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में प्रभावी संशोधन किए जाने हेतु राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2014 का प्रस्तावित प्रारूप लोकायुक्त सचिवालय द्वारा प्रासंगिक पत्र-1 के द्वारा भिजवाया गया था। तत्पश्चात् प्रासंगिक पत्र-2 लगायत 6 द्वारा स्मरण पत्र प्रेषित किए गए लेकिन इस सम्बन्ध में कोई भी सूचना इस सचिवालय को अप्राप्त है।

अतः प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधित) अधिनियम, 2014 के सम्बन्ध म. हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराये जाने हेतु पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-14.12.16
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–8.7

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/शिका)विभाग

विषयः– राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. आवश्यक संशोधन बाबत।

संदर्भः– आपकी अशा.टीप क्र. प. मु.मं.– संस(वीएस)/प–2कार्मिक/जया/16/29413 दिनांक 29.06.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी संदर्भित टीप के संदर्भ में निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

Sd/-
(अवधेश सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव (वीएस), मुख्यमंत्री,
मुख्यमंत्री कार्यालय

अशा.टीप 6(1)का/क–3/शिका/14
जयपुर, दिनांकः 11.01.17

प्रतिलिपिः– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राज0, जयपुर को अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/84/12223 दिनांक 23.06.16 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

Sd/-14.12.16
(मनोज कुमार)
अनुभागाधिकारी

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट-8.8

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/50006 दिनांक-09.03.17

प्रमुख शासन सचिव,
मुख्यमंत्री कार्यालय
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. संशोधन बाबत।
प्रसंगः- कार्मिक(क-3/शिका) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिका/14 दिनांक 11.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि शासन संयुक्त सचिव कार्मिक(क-3/शिका) विभाग द्वारा संयुक्त सचिव,(वीएस) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को सम्बोधित एवं इस सचिवालय को पृष्ठांकित प्रासंगिक अ.शा. टीप के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे एवं तत्पश्चात् स्मरण पत्र भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार यह मामला काफी समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 के संबंध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-09.03.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

सत्यमेव जयते

परिशिष्ट-8.9

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

एफ.1(14)लोआस/1984/50008 दिनांक-09.03.17

शासन सचिव,
कार्मिक(क-3) विभाग,
राजस्थान, जयपुर

विषयः- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. संशोधन बाबत।
प्रसंगः- कार्मिक(क-3/शिका) विभाग की अ.शा. टीप क्रमांक 6(1)का/क-3/शिका/14 दिनांक 11.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि शासन संयुक्त सचिव कार्मिक(क-3/शिका) विभाग द्वारा संयुक्त सचिव,(वीएस) माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को सम्बोधित एवं इस सचिवालय को पृष्ठांकित प्रासंगिक अ.शा. टीप के तहत यह अवगत कराया गया है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में हुई प्रगति की जानकारी इस सचिवालय को अप्राप्त है। उक्त संशोधन के प्रस्ताव प्रथमतः इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17.01.2014 द्वारा भिजवाए गए थे एवं तत्पश्चात् स्मरण पत्र भी जारी किए गए हैं। इस प्रकार यह मामला काफी समय से लंबित है।

अतः निर्देशानुसार प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 के संबंध में हुई प्रगति एवं वर्तमान स्थिति से इस सचिवालय को अवगत कराया जाना पुनः निवेदित है।

भवदीय,
Sd/-09.03.17
(डॉ. पदम कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट–8.10

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/शिका)विभाग

विषयः– **राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 म. संशोधन बाबत।**

संदर्भः– **आपकी अशा.टीप क्र0 प0 मु.मं.– संस(वीएस)/प–2कार्मिक/जय/17/29413 दिनांक 15.03.17**

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपकी संदर्भित टीप के संदर्भ में निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में संशोधन के साथ प्रस्तावित राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त संशोधन बिल, 2014 में संशोधन की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

Sd/-
(अवधेश सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव (वीएस), मुख्यमंत्री,
मुख्यमंत्री कार्यालय

अशा.टीप 6(1)का/क–3/शिका/14
जयपुर, दिनांकः 31.03.17

प्रतिलिपिः– **निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राज0, जयपुर को अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.1(14)लोआस/1984/50008 दिनांक 09.03.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।**

Sd/-
(भवानी शंकर)
सहायक शासन सचिव

अध्याय–9

विविध

लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि

लोकायुक्त

क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.08.1973	27.08.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.08.1978	05.08.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.08.1979	07.08.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	04.04.1984	03.01.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	04.01.1985	03.01.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.01.1990	06.03.1990
7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.08.1990	30.09.1993

क्रस	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.01.1994	16.02.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.07.1994	06.07.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	01.05.2007	30.04.2012
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.03.2013	निरन्तर
उप–लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	05.06.1973	25.06.1974

* कार्यवाहक लोकायुक्त